युक्त प्रान्त

के

सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट

१९४६ ई०

हिन्द प्रेस, दीन दयाल रोड, लखनऊ।

विषय सूची

भाग १

सिंहावलोकन

भाग १

विस्तृत अध्याय

अध्याय १

सामान्य शासन तथा स्थितियां

अध्याय २

भूमि का शासन प्रबन्ध

अध्याय ३

कानून, शान्ति व्यवस्था तथा स्थानीय स्वशासन प्रबन्ध

अध्याय ४

उत्पादन तथा वितरण

अध्याय ५

लोक आगम और अर्थ

अध्याय ६

सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु पालन तथा मत्स्य पालन

अध्याय ७

शिक्षा तथा कलायें

अध्याय ८

विविध

नोट:—इस रिपोर्ट के भाग एक (सिंहावलोकन) में १९४६ ई० की घटनाओं का वर्णन किया गया है। भाग २ में प्रत्येक विभाग की करवाइयों का विस्तृत विवरण किया गया है। यह भाग विभागों की उन रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है जो आलोच्य विषयों के प्रकार-विशेष के अनुसार १९४६-४७ के आर्थिक वर्ष, १९४५-४६ के फसली साल, १९४६-४७ के कृषि वर्ष या १९४६ ई० के कलेन्डर वर्ष से सम्बन्धित हैं।

युक्त प्रान्त के १९४६ ई० के प्रशासन की रिपोर्ट

भाग १

सिंहावलोकन

साधारण राजनीतिक स्थिति

सन् १९४६ "भारत छोड़ो" के नारों के साथ आरम्भ हुआ । प्रसिद्ध विद्वान् और लेखक प्रोफ़ेसर आइन्स्टीन और हेरल्ड लास्की ने भारत की राजनीतिक समस्या को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और उसका अनेक पत्रों में उल्लेख भी हुआ । उस समय भारतवासी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अधीर हो रहे थे । इसी बीच भारत की. स्थिति का अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ एक शिष्ट मंडल भेजने की घोषणा की । पर यहाँ समझा गया कि इस तरह से भारतीय स्वाधीनता की समस्या को ढकने या टालने का प्रयत्न किया जा रहा है । उक्त शिष्ट मंडल का रूप यद्यपि गैर सरकारी था, फिर भी उसकी सर्वत्र सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई । फिर सुभाष दिवस के अवसर पर जब यह शिष्ट मंडल इंगलैंड लौट गया तो इस बात पर बहुत खेद प्रकट किया गया कि उसने उक्त अवसर पर पुलिस राज का दमन चक्र चलते देखने का मौक़ा हाथ से जाने दिया । इसके बाद ब्रिटिश मंत्रि मंडल के मिशन के भारत आने की घोषणा की गई जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को भारत से हट जाने और भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न को हमेशा के लिए तय करने की मांग और अधिक ज़ोर पकड़ गई । फिर भी ब्रिटेन के प्रधान मंत्री मि० ऐटली के उस भाषण का भारत पर अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसमें उन्होंने भारत की पूर्ण स्वाधीनता का समर्थन किया और भारत के सब दलों की एकता पर ज़ोर दिया। मुसलिम लीगी अख़बारों ने भारत की एकता का समर्थन नहीं किया । उन्होंने अंगरेज़ों के भारत से जाने के पहले मुसलमानों के लिए एक अलग प्रदेश पाकिस्तान की मांग की । इस मांग पर बराबर ज़ोर दिया जाता रहा । इस प्रकार कांग्रेस और मुसलिम लीग के बीच सैद्धांतिक मतभेद होने पर भी ब्रिटिश मंत्रि मंडल के मिशन ने १६ मई को जो सुझाव पेश किए, उन्हें दोनों पार्टियों ने स्वीकार कर लिया । इससे स्थिति सुधर गई । अन्तरिम सरकार की स्थापना हुई । उसमें लीग भी शामिल हुई । फिर भी

साम्प्रदायिक तनातनी और अशांति बनी ही रही। लीग की 'सीधी कारवाई' का प्रस्ताव पास होने के बाद कलकत्ता और नोआखाली की दुर्घटनाओं ने आग में घी का काम किया ऐसे वातावरण में लंदन सम्मेलन की घोषणा में राष्ट्रीय पत्रों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि उस घोषणा में लीग के कट्टर रुख को सहारा दिया गया है। कांग्रेस और मुसलिम लीग द्वारा ब्रिटिश मंत्रि मंडल के मिशन की योजना आखिरकार स्वीकार कर ली गई और दिल्ली में विधान परिषद् का उद्घाटन हुआ। इससे सभी क्षेत्रों में उत्साह पैदा हो गया। उक्त परिषद् की कार्यवाही काफ़ी दिलचस्पी और बड़ी आशा के साथ देखी जाने लगी।

राजनीतिक सिंहावलोकन

सन् १९४६ दो प्रमुख भागों में बंट गया। कांग्रेस मंत्रि मंडल ने सन् १९३९ के नवम्बर महीने में, योरप के द्वितीय महा समर में भाग लेने के प्रश्न पर पद त्याग कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप शासन संकट उपस्थित हुआ। तब भारतीय शासन विधान, १९३५ की धारा ९३ के अधीन गवर्नर का शासन फिर क़ायम हो गया। यह संकट कालीन शासन युद्ध काल में बराबर जारी रहा। जब १ अप्रैल १९४६ को कांग्रेस फिर शासनारूढ़ हुई, तब इस गवर्नरी शासन का अन्त हुआ। पहले तीन महीनों में शासन के हर एक क्षेत्र में काफ़ी सरगर्मी दिखाई दी। कार्यक्षेत्र में उतर कर कांग्रेस पक्के इरादे से डट गई और वर्तमान क़ानून के सीमित क्षेत्र में दीर्घ कालीन योजनायें बनाने में लग गई। धारा सभा के आम चुनाव में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत रहा और माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त फिर मंत्रि मंडल के नेता बनाये गये। इसके बाद मंत्रि मंडल में माननीय श्री हुकुमसिंह, माननीय श्री निसारअहमद शेरवानी और माननीय श्री गिरधारीलाल को शामिल किया गया। कांग्रेस द्वारा शासन की बागडोर फिर से संभालने पर प्रान्त की राजनीति में नया परिवर्तन शुरू हुआ। गवर्नर के शासन में जो आतंक और घोर अविश्वास छा गया था, वह दूर हो गया। जनता सरकार के साथ पूरा सहयोग करके उत्सुकता पूर्वक नवीन और बड़े परिवर्तनों की आशा करने लगी। मंत्रि मंडल ने जनता की मांगों को बहुत कुछ पूरा किया। कांग्रेस द्वारा पद ग्रहण करने पर इस बार भी, पहले की तरह, कोई मतभेद नहीं प्रकट किया गया। पर अन्न और अन्यान्य वस्तुओं के अभाव तथा चोर बाजारी के कारण जनता की आर्थिक कठिनाइयों का दृढ़ता के साथ सामना करना था। सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इस बीच साम्प्रदायिक स्थिति भी सन्तोषप्रद नहीं रही। यों तो यह आन्दोलन बहुत दिनों से चल रहा था, जिसके कारण साम्प्रदायिक घृणा और कटुता बहुत अधिक बढ़ गई थी, किन्तु कांग्रेस ने जब शासन सत्ता हाथ में ली, उस समय वातावरण बहुत ही बुरा हो रहा था, घृणा और द्वेष का विष चारों ओर फैल रहा था।

नाशकारी शक्तियाँ काम कर रही थीं। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जिस दिन प्रान्त का शासन संभाला, उसी दिन अलीगढ़ में गंभीर साम्प्रदायिक दंगा हो गया इसके बाद एटा, सहारनपुर, पीलीभीत, बरेली, इलाहाबाद, बुलन्दशहर, बिजनौर और मेरठ में दंगे हो गये। प्रान्त के हाल ही के इतिहास में बरेली, इलाहाबाद और मेरठ में फिर भीषण उपद्रव हुए। सरकार के पूर्ण सतर्क रहने पर भी इन नगरों में बहुत जन हानि हुई। इन दंगों के कारण दशहरा और मोहर्रम के त्योहारों पर सरकार को काफ़ी चिन्तित रहना पड़ा। पुलिस की पूर्ण सतर्कता तथा अधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपाय किये जाने से दोनों त्योहार किसी गंभीर घटना के हुए बिना बीत गये।

वर्ष के आरंभ में, प्रान्तीय धारा सभा के चुनाव में कांग्रेस बहुत सरगर्म रही। प्रान्तीय नेताओं, और कभी-कभी अखिल भारतीय नेताओं ने भी, प्रांत भर का दौरा किया। ये सब काररवाइयाँ एक प्रांतीय चुनाव बोर्ड के द्वारा संगठित की गईं। कांग्रेस को आम निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जीत का पूरा विश्वास था इसीलिए मुसलिम तथा मजदूर सीटों पर अधिकार करने के लिए ही कांग्रेस ने भरपूर प्रयत्न किया। अनेक स्वयं सेवक संस्थायें क़ायम की गईं। राजनीतिक चुनावों में सफलता होने के साथ-साथ सभी दिशाओं में राजनीतिक सरगर्मी फैलने से स्वयं सेवक संस्थाओं में अधिकाधिक वृद्धि होती गई। इधर सरकारी कर्मचारियों की काफी आलोचना की जाने लगी। सरकार ने इन सब बुराइयों को राजनीतिक दल बंदियों से दूर करने का भर सक प्रयत्न किया। कुछ समय के बाद ऐसा करने में सरकार को काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई। वर्षों के बाद कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में अभूतपूर्व राजनीतिक सरगर्मी दिखाई दी और उस समय भी आर्थिक तथा साम्प्रदायिक परिस्थितियों को देखते हुए एक कठिन स्थिति सफलतापूर्वक सुलझा ली गई।

मुसलिम लीग

देश की विचित्र राजनीतिक परिस्थिति में मुसलिम लीग की सदस्यता और उसका सम्मान बढ़ता रहा। लीग ने एक प्रांतीय चुनाव बोर्ड स्थापित किया। प्रान्त के दूर दूर के कोनों तक चुनावों में मुसलिम लीग के अलग रहने की नीति का संदेश पहुँचाया गया। चुनावों में लीग का प्रचार करने के लिए पंजाब और सीमा प्रांत में कार्यकर्ता भेजे गये, जिन्होंने लीग और पाकिस्तान के पक्ष में मत (वोट) देने के लिए मुसलिम जनता को उसके धार्मिक कर्त्तव्य से अवगत कराया। इस काम को पूरा करने के लिए लीगी प्रचारकों ने मुसलमानों में 'सत्यार्थ प्रकाश' के विरुद्ध और अरब के अनुकूल भावनाओं का प्रचार किया। अधिकारियों को लीगी और ग़ैर लीगी मुसलिम संस्थाओं के बीच दंगे होने की भी बड़ी चिन्ता बनी हुई थी। चुनावों में लीग का दूसरा स्थान रहा। कांग्रेस ने जब संयुक्त मंत्रि मंडल का सुझाव पेश किया तो इस सुझाव को भी लीग ने ठुकरा दिया, क्योंकि उसे ग़ैर लीगी मुसलिम सदस्यों के साथ काम करना मंजूर न था। यथा संभव शक्ति के प्रयोग और रक्तपात

के द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति पर ही लगातार ज़ोर दिया जाता रहा। प्रान्त में सीधी काररवाई दिवस (Direct Action Day) पर मुसलमानों से हिन्दुओं के विरुद्ध 'जेहाद' करने की अनेक बार अपीलें की गईं। किन्तु इन अपीलों का कोई बुरा परिणाम यहाँ नहीं निकला।

कम्युनिस्ट पार्टी

युद्ध के पश्चात् ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करने के अपने एकमात्र बहाने को भूलकर कम्यूनिस्टों ने अंगरेजों के विरुद्ध "भारत छोड़ो" आन्दोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया। किन्तु विनाश कारी प्रवृत्तियां बहुत दिन तक दबाई नहीं रह सकीं और निःसन्देह धीरे धीरे उन्होंने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। इस समय आर्थिक स्थिति के बिगड़ने से और रेलवे, डाक, और तार के कर्मचारियों की हड़तालों से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मजदूरों और किसानों की संस्थाएँ फिर से महत्व प्राप्त करने लगीं। बड़े बड़े शहरों में मजदूर पूंजीपतियों के विरुद्ध तथा छोटे नगरों में किसान जमींदारों के विरुद्ध उत्तेजित हो उठे। उन्हें हिंसा करने के लिए भड़काया गया, कानून तोड़ने का प्रचार किया गया। इसमें कम्यूनिस्टों को कभी सफलता भी मिली। कुछ नेता गिरफ़तार कर लिये गये तो बाक़ी छिप गये। इसके बाद जब वे फिर प्रकट हुये तो उनकी शक्ति कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ी हुई थी। मजदूर निर्वाचन-क्षेत्रों के आम चुनाव में कम्यूनिस्टों ने जान की बाज़ी लगा दी थी। पर इस चुनाव में बुरी तरह हारना पड़ा। इसके बाद पार्टी का कोष भरने और कार्यक्रम जारी रखने के लिए कम्यूनिस्टों ने नाटकीय ढंग से काम करना शुरू कर दिया।

साम्प्रदायिक स्थिति

साल भर तक साम्प्रदायिक स्थिति में तनाव बना रहा। साम्प्रदायिक शत्रुता जनता के धार्मिक भावों में उतनी नहीं थी, जितनी कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों के विभिन्न लक्ष्यों में थी। पुलिस द्वारा कड़ाई की जाने से साम्प्रदायिकता का बुरा प्रभाव केवल कुछ हद तक ही दूर किया जा सका। मुसलिम लीग के पाकिस्तान आन्दोलन के कारण केवल हिन्दू और मुसलमान ही नहीं, बल्कि मुसलमान मुसलमान भी आपस ही में अलग अलग कर दिये गये। साम्प्रदायिक वैमनस्य का विष कुछ म्युनिस्पिल बोर्डों में भी फैल गया और कम से कम एक स्थान पर एक बधाई का प्रस्ताव इस लिये पास नहीं किया जा सका कि अल्प संख्यक समुदाय के मेंम्बरों ने यह धमकी दी कि यदि वह प्रस्ताव पास कर दिया गया तो शहर में मारकाट मच जायगी। साम्प्रदायिक तनातनी, सनसनी और दुर्घटनाओं का आये दिन होना एक साधारण सी बात हो गई थी जिसके फल स्वरूप कई स्थानों में झगड़े हुये। ये झगड़े विशेषकर बरेली, इलाहाबाद और मेरठ में हुए। साम्प्रदायिक तनाव के कारण सरकार को होली, दशहरा और मोहर्रम के दिनों में बहुत चिन्तित रहना पड़ा परन्तु दंड विधि संग्रह की धारा १४४ लागू करने और अन्य कड़ी कार्रवाइयों के

करने से ये त्योहार निर्विघ्न समाप्त हो गये। अस्त्र शस्त्रों का चोरी से बेचना और खरीदना बहुत बढ़ गया और मुस्लिम लीग नेशनल गार्डस और राष्ट्रीय स्वयम् सेवक संघ के समान आत्म रक्षा के लिये स्थापित की जाने वाली संस्थाओं की संख्या भी बढ़ी। बंगाल और बिहार की साम्प्रदायिक मारकाट का प्रभाव भी प्रान्त पर पड़ा जिसके फलस्वरूप इस प्रान्त में कुछ भीषण दुर्घटनायें हुईं। कुछ ज़िलों में यूनिटी बोर्ड अर्थात् मेल मिलाप कराने वाली सभायें स्थापित की गईं परन्तु वे जनता की चिन्ता को थोड़े ही दिनों के लिये दूर कर सकीं और स्थायी और वास्तविक साम्प्रदायिक शान्ति क़ायम न कर सकीं।

आम निर्वाचन के दिनों में मुस्लिम लीगियों और राष्ट्रीय मुसलमानों में कई झगड़े हुये और इन दोनों में आपस में बड़ी कटुता रही। कुछ स्थानों में तो राष्ट्रीय मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार किया गया और उनको मार डालने की भी धमकी दी गई। लखनऊ के शिया और सुन्नियों में होने वाला मदहे सहाबा का झगड़ा भी सदा की भांति इस साल भी खड़ा हुआ। इससे सरकार थोड़ा बहुत चिन्तित अवश्य हुई परन्तु प्रान्त की शान्ति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

समाचार पत्र और जनमत

देश की राजनीतिक स्थिति तेज़ी से बदलने के कारण समाचार पत्र तथा जनमत दोनों ही आलोचनात्मक रहे। राजनीतिक बन्दियों ने, मुक्त होने पर अपने जेल में किए विश्राम की कसर भाषणों की झड़ी लगा कर पूरी की। इन लोगों के इस काम से भी शासन को विशेष कर ज़िलों के सम्बन्ध में चिन्तित रहना पड़ा। अपनी निर्वाचन घोषणा के कारण कांग्रेस सभी लोगों के भाषण देने और अपना मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता देने के लिये बाध्य थी। वक्ताओं और समाचार पत्रों ने इस स्वतन्त्रता का यथासम्भव पूरा पूरा उपयोग किया। पाकिस्तान की मांग और मुस्लिम लीग के निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार के कारण राष्ट्रीय और लीगी मनोवृत्ति के समाचार पत्रों में बड़ा मनोमालिन्य रहा और इनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया। देश में और विशेष कर पूर्वी बंगाल और बिहार में होने वाली साम्प्रदायिक मारकाट का प्रभाव इस प्रान्त पर भी पड़े बिना न रह सका। इसके फलस्वरूप हिन्दी और उर्दू के समाचार पत्र कभी कभी आपे से बाहर हो जाते थे। भिन्न भिन्न दलों के समाचार पत्रों ने आतंक पैदा करने वाले बड़े बड़े शीर्षक प्रकाशित किये और साम्प्रदायिक झगड़ों के समाचारों को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जिससे शासन को यह चेतावनी देनी पड़ी कि वे ऐसा न करें। अंग्रेज़ी समाचार पत्रों ने लगभग पूर्णरूप से इस आज्ञा का पालन किया परन्तु गरम दल वाले समाचार पत्र जिनमें अधिक तर हिन्दी के समाचार पत्र थे साम्प्रदायिक झगड़ों

क सम्बन्ध में होने वाले अत्याचारों को बढ़ा चढ़ा कर छापते रहे तथा अतंरिम सरकार की यह आलोचना करते रहे कि उसकी बंगाल में एक नीति है और बिहार में दूसरी। इस बढ़ती हुई खराबी को रोकने के लिये, सरकार को जन हित के विचार से एक समाचार पत्र को एक अन्तिम चेतावनी देनी पड़ी जिसका वाछंनीय प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ी समाचार पत्र सदा की भांति सरकार के कार्यों और इसकी नीति को न्याय संगत आलोचना करते रहे।

देश में राजनीतिक चेतना के बढ़ने के साथ ही साथ अन्तराष्ट्रीय मामलों में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। यूनाइटेड नेशन्स आरगेनाइज़ेशन की लन्दन में होने वाली बैठक में लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली। परन्तु विजई राष्ट्रों द्वारा विश्वशान्ति के पक्ष में प्रकट किये गये उद्गार किसी को भी विशेष रूप से प्रभावित न कर सके। ब्रिटेन तथा रूस के आपसी झगड़ों की भी चारों ओर आलोचनायें की गईं जो ब्रिटेन के विरुद्ध थीं। इसी प्रकार मि० चर्चिल के फुलटन (Fulton) वाले वक्तव्य, को जिसमें उन्होंने सारे आंग्लभाषी राष्ट्रों से एक होने के लिये अनुरोध किया था, जन साधारण ने रूस ही के विरुद्ध समझा और उसकी निन्दा की। विश्व शान्ति सम्मेलन के बार बार स्थगित किये जाने की बात को लोगों ने रूस और पच्छिमी प्रजातन्त्र राष्ट्रों में मन मुटाव बढ़ने का प्रमाण समझा। पैरिस के शान्ति सम्मेलन में जो घटनायें हुईं वे इस तनातनी का पर्याप्त प्रमाण समझी गईं। दूसरी ओर ईरान में होने वाली घटनाओं के कारण इस के विरुद्ध टीका टिप्पणी की गईं और बिशेप कर उर्दू समाचार पत्रों ने यह आशंका प्रकट की कि डारडेनेलिज़ के सम्बन्ध में टर्की को खतरा पैदा हो गया है। श्री वैलस और श्री वैरनेस द्वारा बनाई गई अमेरिका की विदेशी नीति सम्बन्धी कथनों में विभिन्नता का यह अर्थ लगाया गया कि दूसरा संसार-व्यापी युद्ध होने वाला है और इस विचार का पुष्टिकरण प्रेसीडेन्ट ट्रूमेन के उस भाषण से हुआ जो उन्होंने सेना दिवस के समारोह (आरमी डे रैली) में दिया और जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सैनिक शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए।

समाचार पत्रों ने शासित देशों के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी दिलचस्पी ली। इंडोनेशिया और पेलेस्टाइन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और उनके साथ सहानुभूति दिखाई गई। इंडोनेशिया में भारतीय सेना के भेजे जाने का विरोध किया गया और संयुक्त राष्ट्र संगठन (यू० एन० ओ०) और अमेरिका की इंडोनेशिया के प्रति उदासीनता पर खेद प्रकट किया गया। पैलेस्टाइन के सम्बन्ध में ऐंग्लो-अमेरिकन पैलेस्टाइन जांच कमेटी की रिपोर्ट की निन्दा की गई और इस बात का अनुरोध किया गया कि अरबों के साथ न्याय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन (यू० एन० ओ०) को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी प्रकार मिस्र और सूडान के

मामलों में ब्रिटेन के विरुद्ध टीका टिप्पणी की गई। और घेट्टो बिल (Ghetto Bill) के सम्बन्ध में बृटेन द्वारा किये गये दक्षिणी अफ्रीका के समर्थन की भी आलोचना हुई।

बनारस के "संसार" नामक समाचार पत्र द्वारा दाखिल की गई जमानत वापस कर दी गई और लखनऊ के 'नेशनल हेराल्ड' और 'विप्लव', आगरा के 'सैनिक', 'सन्देश' और 'उजाला', बिजनौर के 'मदीना' और सहारनपुर के 'बेबाक' को जमानत दाखिल करने की दी गयी आज्ञायें रद्द कर दी गईं।

श्रम सम्बन्धी स्थिति

श्रम सम्बन्धी स्थिति काफ़ी कठिन थी। श्रमिकों के लगभग सभी वर्गों और सभी केन्द्रों में हलचलें पैदा की गई। मिलों, डाकखानों, तारघरों, टेलीफ़ोन, रेलों, कारखानों और बैंकों के कर्मचारी, मेहतर, कुली, रिक्शा और तांगेवाले सभी सामाजिक जीवन पंगु करने में एक दूसरे से बाजी मारने का प्रयत्न कर रहे थे। वर्ष के आरम्भ में समस्त राजनीतिक दलों ने यह कोशिश की कि वे अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए श्रमिकों की सहानुभूति प्राप्त करें। कानपुर की मिलों के श्रमिकों में साल भर बराबर हलचल रही और प्रदर्शन और हड़तालें करना और धरना इत्यादि देना बराबर जारी रहा। इसके अतिरिक्त कानपुर श्रमिकों के आन्दोलन का मुख्य केन्द्र रहा। पर दूसरे महत्वपूर्ण केन्द्र भी इससे कुछ अधिक पीछे न रहे। फल यह हुआ कि वर्ष के अधिकतर भाग में अधिक मजदूरी और मंहगाई इत्यादि पाने के लिए प्रान्त भर में हड़तालें होती रहीं। डाकखाने वालों की हड़ताल से काम में सबसे अधिक अड़चन पड़ी और लोगों को चारों ओर असुविधा हुई। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात यह हुई कि सारे राजनीतिक दलों, छात्रों और मजदूर संघों ने इसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। इसकी छूत धीरे धीरे टेलीफोन, तारघरों और इम्पीरियल बैंक के कर्मचारियों को भी लगी जिसके फलस्वरूप आम तौर से गड़बड़ी बढ़ गई और जनता और व्यापार को हानि पहुँची। इस प्रान्त में हड़तालों की यह प्रायः चरम सीमा थी जिससे चारों ओर हड़तालें हुईं या हड़ताल करने की धमकी दी गई। वास्तव में ऐसा जान पड़ता था कि हड़तालों की लहर सारे प्रान्त में दौड़ गई है जिसका प्रभाव न केवल मिलों कारखानों और रेलों के कर्मचारियों पर पड़ा, वरन् स्थानीय बोर्डो के कर्मचारियों और सरकारी नौकरों पर भी पड़ा। जिला बोर्डों के अध्यापकों और भारत सरकार के फ़ार्म्स प्रेस, अलीगढ़, सी० ओ० डी० छिवकी, इलाहाबाद, और लखनऊ के मिलिटरी एकाउन्ट्स क्लर्कों ने भी हड़ताल की। पटवारियों और नहर विभाग के कर्मचारियों ने भी सीधी काररवाई के अस्त्र को किसी न किसी रूप में ग्रहण किया। कुछ स्थानों पर धरना दिया गया

और थोड़ी बहुत मारधाड़ हुई परन्तु आम तौर पर ये सब हड़तालें शान्तिपूर्वक की गईं और हड़तालियों का रुख अच्छा रहा। काम न करना, फाटकों या चौराहों पर सभायें करना, जुलूस निकालना और चन्दा जमा करना इन हड़तालों की साधारण विशेषतायें थीं। परन्तु नहर विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल ने आगे चल कर अधिक भीषण रूप ग्रहण किया। इसके कारण हरदोई, रायबरेली, शाहजहाँपुर और उन्नाव में नहरों में तोड़फोड़ की गई जिससे बहुत से जिलो में नहरों की रक्षा के लिए पुलिस की गारद बैठानी पड़ी। नहर के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर लखनऊ में प्रदर्शन किया जहाँ उनमें से कई एक पकड़ लिए गये।

विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने हित साधन के लिए श्रमिक-वर्ग की अशान्तिपूर्ण स्थिति का पूरा लाभ उठाया। श्रमिकों का कोई सुदृढ़ संगठन न होने के कारण वे उन्हीं लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते थे जो उनके साथ सबसे अधिक चिल्लाते थे। इस गड़बड़ी से कम्युनिस्टों को अपना अर्थ सिद्ध करने का बड़ा अच्छा अवसर हाथ लगा और उन्होंने कानपुर के श्रमिकों को अपने प्रभाव में रखने के लिए इससे लाभ उठाने का प्रयत्न किया। प्रान्तीय असेम्बली में श्रमिकों की जगहें वे पुरस्कार स्वरूप प्राप्त करना चाहते थे परन्तु चुनाव में उनकी बुरी तरह हार हुई जिससे शीघ्र ही उनकी आखें खुल गईं।

किसान ज़मींदार (Agrarian) सम्बन्धी समस्यायें।

किसान ज़मींदार सम्बन्धी समस्याओं ने महत्वपूर्ण रूप धारण किया और जनता का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया। इससे सम्बन्धित सारे कार्यों का सम्बन्ध, चाहे वे किसान और ज़मींदारों के सम्बन्ध में थे या स्वयं सरकार के, प्रांत में ज़मीदारी प्रथा का अन्त करने के प्रस्ताव से था। पिछली लोकप्रिय सरकार द्वारा बनाये गये लगान सम्बन्धी कानून की त्रुटियों से धारा ९३ के शासन काल में ज़मीदारों ने लाभ उठाया और किसानों को हानि पहुँची। १९४२ ई० के आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार ने विशेषकर पूर्वी जिलों में जो कार्रवाइयाँ की थीं उनसे किसानों के कष्ट और भी बढ़ गये थे। इस कारण अप्रैल १९४६ ई० में जब कांग्रेस ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो किसानों ने इसका हार्दिक स्वागत किया। किसान विभिन्न दिशाओं से सहायता की आशा लगाए बैठे थे। उन्होंने यह मांग की कि जिन खेतों से वे बेदखल कर दिये गये हैं वे उनको वापस दिला दिये जांय, संयुक्त प्रान्तीय भूअधिकार ऐक्ट की धारा १७१ के अधीन जो अदालती कार्रवाइयाँ उनके विरुद्ध हो रही थीं वे रोक दी जांय, १९४२ ई० के आन्दोलन के सम्बन्ध में जो क्षति उनको पहुँची थी उसकी पूर्ति की जाय और उनकी सबसे बड़ी मांग यह थी कि ज़मीदारी प्रथा जल्दी से जल्दी तोड़ दी जाय। किसान सभाओं ने सभायें करके और जुलूस

निकाल कर दिन रात लगातार सरकार से यह मांग की और सरकार को इतना समय भी नहीं दिया कि वह ठीक से अपना काम संभाले और अपने निर्वाचन सम्बन्धी वादों को पूरा करे। गल्ला वसूली की योजना एक दूसरी समस्या थी जिस पर किसान बहुत बिगड़े हुए थे और चाहते थे कि सरकार इस पर शीघ्र ही ध्यान दे। सबसे पहिला काम जो सरकार ने काम संभालते ही किया वह यह था कि उसने ऐसी सब अदालती कार्रवाइयों को रुकवा दिया जो किसानों के विरुद्ध भू अधिकार ऐक्ट (U. P. Tenancy Act) की धारा १७१ के अधीन हो रही थीं और किसानों के कष्टों को दूर करने के लिए उसने गल्ला वसूली की योजना को भी संशोधित कर दिया। इन काररवाइयों का किसानों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर ज़मीदार लोग इस बात से बड़े चिन्तित हुए कि जमीदारी शीघ्र ही तोड़ दी जायगी। इसके फल स्वरूप ज़मीदारों और किसानों में फिर से हलचल मच गई। सौभाग्य-वश इस साल प्रान्त के ऊपर कोई बड़ी कृषि सम्बन्धी आपदा नहीं पड़ी और स्वार्थों में संघर्ष होने पर भी ज़मीदारों और किसानों के सम्बन्ध अच्छे ही रहे, केवल पूर्वी ज़िलों और रायबरेली को छोड़कर जहाँ किसान संघ की एक सभा में ये प्रस्ताव पास किए गए कि ऐसे किसानों को जिनकी सालाना आमदनी ३००) रु० से कम हो या जिनके पास ४ बीघा से कम भूमि हो लगान न देना चाहिए। जमीदारों ने भी अपने हित की रक्षा के लिये कई सम्मेलन किये उनके सब से बड़े सम्मेलन लखनऊ, उन्नाव और सीतापुर में हुए जिन में उन्होंने जमीदारी तोड़ने के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस काम के लिये एक पार्टी फ़ंड खोला और बहुत सा रुपया जमा किया। इसके साथ साथ बिशेष कर कानपुर और फ़ैजाबाद में ज़मीदारों ने इस बात का भी प्रयत्न किया कि उनके और किसानों के सम्बन्ध अच्छे हो जांय। जौनपुर में जमीदारों ने एक धर्म सभा स्थापित की जिसका उद्देश्य था राजा प्रजा के सम्बन्ध को धार्मिक महत्व देना और इस प्रकार जमीदारी के लिए जो खतरा पैदा हो गया था उसको दूर करना। इस बीच में भावों के बढ़ने से भी जमीदारों को बड़ी हानि पहुँची। कुछ जमीदारों ने सीर बढ़ा कर इस आर्थिक समस्या को हल करने का प्रयत्न किया और कुछ ने सरकार की खाद्यान्नों की राशनिंग योजना के अन्तर्गत अनाज का व्यापार करना आरम्भ कर दिया।

खेती बारी की दशा

बीच फ़रवरी तक मौसम सूखा रहा। फिर हलके छींटे पड़े और सारे प्रान्त में वर्षा हुई। अगले तीन महीने फिर सूखे रहे और जुलाई के शुरू में वर्षा आरम्भ हुई। वर्षा एकसां नहीं हुई। जुलाई में साधारण से अधिक हुई। सितम्बर के मध्य में बंद हो गई और अक्तूबर में फिर से आरम्भ हुई। जुलाई में लगभग सारे

प्रान्त में असाधारण वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप कुछ निचले क्षेत्रों में बाढ़ें आईं। सरकार ने पीड़ितों को सहायता देने के लिए तुरन्त कार्रवाई की, लगान और मालगुजारी में छूट और अन्य सहायता देकर और तकावी बांट कर किसानों के कष्ट बहुत कुछ दूर किये। अगस्त और सितम्बर में अधिकतर ज़िलों में वर्षा कम हुई जिससे खरीफ़ की फ़सल को हानि पहुँची। अक्तूबर में अधिकतर ज़िलों में जो थोड़ा बहुत पानी बरसा उससे ईख की फसल और रबी की बोवाई को साधारण रूप से लाभ पहुँचा। परन्तु कपास और जल्दी होने वाले धान की खड़ी फसल को हानि पहुँची और पूर्वोत्तरी ज़िलों के कुछ भागों में ईख में गेरुई लग गई जिससे ईख की फसल को क्षति पहुँची। जाड़ों में वर्षा अपर्याप्त हुई या वस्तुतः बिल्कुल ही नहीं हुई और इसका विशेषकर बारानी क्षेत्रों में रबी की फसल पर कुछ हद तक अप्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके कारण जनवरी के अन्त तक और मार्च से मई तक और अक्तूबर से दिसम्बर तक नहर के पानी की बड़ी मांग रही।

संसार भर में खाद्यान्नों की कमी हो जाने और सरकारी गल्ला वसूली योजना के अन्तर्गत अनाजों का भाव नियत किये जाने से अनाजों का भाव बढ़ जाने के कारण खेतिहरों को बड़ा लाभ हुआ। इसके साथ साथ ईख बेचने में कठिनाई पैदा होने के फलस्वरूप ईख के बहुत काफ़ी खेतों में अनाज पैदा किया जाने लगा। इसी प्रकार अनाजों के बढ़े हुए दरों और अधिक अन्न उपजाने के आन्दोलन के कारण कपास की खेती घट गई।

कृषि-सुधार

खाद्यान्नों की कमी के कारण सरकार ने कृषि समस्या पर बहुत ही सोच विचार किया। अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये बड़ी ज़ोरदार कार्रवाइयाँ की गईं और किसानों को अनाजों की पैदावार दुगुनी करने के लिये तरह तरह की रियायतें दी गईं। उन लोगों को भी प्रलोभन दिये गये जो परती भूमि को जोतते थे। परती भूमि को जोतने और हल बैल इत्यादि खरीदने के लिये बिना ब्याज के कर्ज़ों या ब्याज पर तकावी के रूप में कुल मिलाकर ४॥ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। दस लाख मन से ऊपर रबी के और लगभग ४ लाख मन खरीफ़ के सुधारे हुये बीज कृषि विभाग के बीज गोदामों द्वारा बाँटे गये। इसके अतिरिक्त २३१,००० मन अन्डी, मूंगफली और नीम की खली अनाजों के खेत में खाद देने के लिये किसानों में बाँटी गई। खाद बनाने और पशुओं के मूत्र से मिली हुई मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। अनाजों के खेतों में रसायनिक और पत्ती की खाद डालने के लिये समोनियम सल्फेट, अमोनियम फ़ास्फेट, ट्रिपिल सुपर फासफेट और सनई के बीज बड़ी मात्रा में बाँटे गये। इनमें सनई के बीज तो लागत ही के

मूल्य पर दिये गये। हल, चारा काटने के यन्त्र और हाथ से चलाने वाली कुदालें (hoe) और दूसरे खेतीबारी के यन्त्र किसानों को बड़ी मात्रा में दिये गये और कृषि विभाग के अमले ने प्रदर्शन करके किसानों को इन यन्त्रों का प्रयोग करना सिखाया। प्रदर्शन करने वाले फार्मों और खेतों में ४२०० से अधिक ऐसे प्रदर्शन किये गये और उत्तम खेती करने वाली समितियों ने लोगों को उनके खेतों में जाकर उन्नत ढंग से खेती करने में सहायता दी। खेतों की चकबंदी करने और खाद बनाने को तरह तरह से प्रोत्साहन दिया गया और म्युनिसिपैल्टियों और नोटीफाइड एरियाओं में सफ़ाई विभाग के लगभग ४० लोगों को खाद बनाना सिखाया गया और ७०,००० टन से ऊपर खाद तैयार की गई। उन्नत ढंग से गुड़ बनाने को प्रोत्साहन दिया गया और जोली कोट की मधुमक्खियाँ पालने वाली संस्था (बी कीपिंग इस्टिट्यूट) को ६००० रु० से अधिक का अनुदान (ग्रान्ट) दिया गया। ट्यूब वेल का प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र में ५५, बीज गोदामों में खली, अमोनियम सल्फेट और पत्ती की खाद के लिये सनई के बीजों के अतिरिक्त एक लाख मन से ऊपर खरीफ़ के बीज बाँटे गये।

गोरखपुर, गाज़ीपुर और बुलन्दशहर के तीनों कृषि स्कूलों और कानपुर के कृषि कालिज ने प्रान्त में खेती बारी की शिक्षा दी। इन संस्थाओं में बहुत से लड़कों को वज़ीफे और छात्रवृत्तियाँ दी गईं। उच्च शिक्षा पाने के लिये सात लड़के विदेशों में भेजे जाने के लिये चुने गये परन्तु जहाज़ों में स्थान की कठिनाई के कारण केवल दो ही जा सके इसके साथ-साथ ६ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान का काम जारी रहा और प्रान्त के ६ हलकों में कृषि सुधार का काम अधिक ज़ोरदार ढंग से किया गया। चौबटटिया के अनुसन्धान करने वाले अमले ने फलों के बाग़ लगाने के कामों और फलों के रोगों को रोकने की उपाय बताने के लिये प्रदर्शन किये। एक और बड़ा काम यह हुआ कि गढ़वाल और अल्मोड़ा के ज़िलों में जखीरे (Nurseries) स्थापित करने की योजना चालू की गई।

व्यापार और उद्योग धन्धे

व्यापार की दशा लड़ाई के दिनों में बहुत अच्छी हो गई थी परन्तु युद्धोत्तर काल के प्रारम्भ में इसको धक्का पहुंचा। इसके बहुत से कारण थे जिनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण ये थे : यातायात की कठिनाइयां, कानून और व्यवस्था की रक्षा में गड़बड़ी और युद्ध कालीन प्रतिबन्धों से मुक्त हो जाने के कारण अनिश्चित श्रम स्थिति। इस वर्ष ७३ हड़तालें हुईं जब कि इसके पहले वाले वर्ष में ५६ हड़तालें हुई थीं और ४६ श्रम सम्बन्धी झगड़े निर्णय करने के लिये पंचों के पास भेजे गये। जो शिकायतें लोगों ने सीधे या संघों द्वारा भेजी उनकी संख्या इस साल १६६५ हो गई

जब कि इसके पहिले वाले वर्ष में इनकी संख्या केवल ६६५ थी। मुद्रा प्रसार और जीवन निर्वाह की सामग्रियों का भाव बढ़ जाने के कारण भी व्यापार को धक्का पहुंचा और व्यापार घट गया यद्यपि व्यापारियों को धन की हानि नहीं हुई। परन्तु यह कमी अमरीका से बहुत अधिक मात्रा में माल आ जाने के कारण थोड़ी बहुत पूरी हो गई और शृंगार आदि की सामग्रियों का भाव गिर गया। प्रत्येक प्रकार के माल की कमी के कारण इस बात की आवश्यकता पड़ी कि प्रान्त में उद्योग धन्धों का प्रसार तेजी के साथ किया जाय परन्तु देश में और दूसरे स्थानों में मशीनों और कैपिटल गुड्स की कमी के कारण इनके प्रसार का काम बहुत कुछ पिछड़ गया। युद्ध से बचे हुये सामान को खरीदने के लिये उद्योग विभाग के डायरेक्टर की नियुक्ति लोकल आफ़िसर के रूप में की गई और उनके द्वारा मशीनों और यन्त्रों इत्यादि के डिस्पोजल्स डायरेक्टरेट को २२ लाख रूपये का आर्डर दिया गया और वास्तव में उन्होंने १५ लाख रूपये का सामान खरीद भी लिया और आर्डर देने वाले विभागों को दे दिया इसके अतिरिक्त कपड़ा, चमड़ा रिफ्रिजरेशन तैल, रंग और प्लास्टिक्स के लिये दिये गये बहुत से प्रार्थना-पत्र सिफारिश के साथ भारत सरकार को भेज दिये गये। प्रान्त में कपड़े के उद्योग को बढ़ाने के लिय लगभग ८४००० और तकुवे (स्पिन्डिल) बर्तमान पुतलीघरों (मिलों) को दिये गये। ऊन और करघे (हैन्डलूम) की योजनाओं के समान उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं द्वारा छोटे छोटे घरेलू और ग्रामीण उद्योग धन्धे चलाये गये। छोटे छोटे उद्योग धन्धें वालों को कर्ज़ा देने की एक योजना भी स्वीकार की गई और इसके लिये एक लाख रूपये की एक रक़म अलग कर दी गई। २५००० रूपये बोर्ड आफ़ इंडस्टीज़ को अनुसंधान करने और छोटे छोटे उद्योग धन्धों को सहायता देने के लिये दिये गये। इसके अतिरिक्त ६२ विशेष कला सम्बन्धी और औद्योगिक संस्थाओं को कुल मिलाकर १६७००० रूपये की आर्थिक सहायता दी गई। कानपुर के हार कोर्ट बटलर टेकनालाजिकल इंस्टिट्यूट ने अनुसन्धान का काम किया और बहुत सी विशेष कला सम्बन्धी पूंछ तांछ का उत्तर दिया। मुख्यतः कोयले की कमी के फलस्वरूप जो विभिन्न कारणों से बनी रही छोटे बड़े दोनों ही उद्योग धन्धों के फलने फूलने में कठिनाई हुई। बड़े कारखानों को कभी भी काफ़ी कोयला नहीं मिलता था औ छोटे कारखानों को तो कभी कभी लकड़ी जलानी पड़ती थी। परन्तु इन सब बातों के होते हुये भी चीनी के बरतनों के उद्योग धन्धे ने अच्छी उन्नति की। इनमें गंगा ग्लास वर्कस, बालामाली, स्टार पौटरी वर्कस, आगरा और स्टैंडर्ड पौटरीज़ लिमिटेड, गाज़ियाबाद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने चीनी के बरतन बनाने का काम बड़े कारखानों के पैमाने पर किया। रिहन्द और बायर बान्धों के निर्माण के लिये सीमेन्ट के कारखाने बनाने की सम्भावनों के सम्बन्ध में भगर्भ विद्या विशेषज्ञों (Geological

experts) ने जांच पड़ताल की और लखनऊ की चिकनी मिट्टी से सीमेन्ट तैयार करने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए स्थाई रूप से एक लाइसेन्स दिया गया।

गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर और गवर्नमेन्ट वर्कशाप, रुड़की के पास इस वर्ष बहुत कम काम रहा। इसलिये मिकेनिल इंजीनियरिंग विभाग के भविष्य के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई। यह कमेटी अपनी सिफारिशें सरकार को भेजती है।

गोरखपुर के कलक्टर लेबर सप्लाई डिपो के प्रबन्ध कर्ता अध्यक्ष का काम करते रहे। यह डिपो प्रान्त के भीतर प्रान्तीय ग्रुप इम्पलवायमेन्ट योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये प्रान्त के भीतर और कोयले की खानों की योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए प्रान्त के बाहर मज़दूर भेजती रही। इन मज़दूरों में से अधिकतर इस डिपो ने दिये थे।

लड़ाई बन्द होने से फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ और लखनऊ की सरकारी तीनों डिहाईड्रेशन फैट्रियां बन्द हो गई थीं परन्तु दक्षिण भारत में अकाल पड़ने के कारण फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ की फैक्ट्रियां अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों के राशन की कमी पूरी करने के लिये बिजलीयित (dehydrated) आलू भेजने के लिये मार्च १९४६ ई० में फिर से खुल गईं। यह असाधारण कालीन योजना चार मास अर्थात् जून के अन्त तक चली और इस थोड़े समय में इन दोनों फैट्रियों ने अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में लगभग ३५० टन बिजलीयित आलू भेजे।

इस वर्ष रजिस्ट्री किये हुये कारखानों की संख्या १०४७ से बढ़कर १०९९ हो गई और कारखानों के कानून के उल्लघंन सम्बन्धी चालानों की संख्या १९० से बढ़कर २५४ हो गई। दूसरी ओर सौभाग्य वश दुर्घटनाओं की संख्या जो १९४५ ई० में ५५१९ थी १९४६ ई० में घटकर ४५९५ रह गई। इनमें ४७८ लोगों को अधिक चोट पहुंची और ३२ मरे जब कि इसके पहिले वाले साल में ७६० को अधिक चोट आई थी और ४३ मरे थे। ब्वायलर इंस्पेक्टरों ने १९३७ निरीक्षण किये जिनमें २७७ हाईड्रालिक टेस्ट और ३८ स्टीम टेस्ट थे। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने २९५७ आकस्मिक निरीक्षण किये। इन निरीक्षणों की संख्या इससे पहिले वाले साल के आकस्मिक निरीक्षण की संख्या से ५०० अधिक थी। मेरठ, बनारस और मुरादाबाद में तीन नये केन्द्र खुल जाने से श्रम कल्याण केन्द्रों (Labour Welfare Centres) की संख्या बढ़कर ३३ हो गई। इन केन्द्रों में श्रमिकों के कल्याण के लिये विभिन्न काम होते थे जैसे चिकित्सा, दूध बांटना, व्यायाम जच्चा बच्चा के कल्याण के कार्य इत्यादि। मजदूरों के लड़कों और लड़कियों को स्काउटिंग की शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया गया और मज़दूरों के शरीरों को सुदृढ़ बनाने के

लिये उन्हें खेलने कूदने व्यायाम करने और अखाड़ों में कसरत करने और लड़ने के लिये प्रोत्साहन दिया गया।

सरकारी छापे खाने, फ़ार्म स्टोर, प्रान्तीय स्टेशनरी दफ्तर और प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग की प्रकाशन शाखा को इस वर्ष अत्यधिक काम करना पड़ा केवल कागज की खपत जो प्रति वर्ष ६०० टन होती थी इस वर्ष १५०० टन हुई और इसी प्रकार सरकारी विभागों में फार्मों और स्टेशनरी की अधिक खपत हुई। मज़दूरों की हलचल का प्रभाव सरकारी छापे खानों पर भी बिना पड़े न रहा जिससे सरकारी कारखानों की एक जांच कमेटी सरकारी कारखानों में काम की दशा का जांच करने के लिये नियुक्त की गई।

प्रांतीय आर्थिक स्थिति

१९४६-४७ ई० का आयव्ययक बजट) पहिले ऐडवाइज़रों के शासन ने तैयार किया था और उसको गवर्नर ने भारतीय शासन विधान (गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया ऐक्ट) १९३५ ई० को धारा ३ के अन्तर्गत की गई घोषणा के पैरा ३ के अधीन स्वीकृति दी थी परन्तु ३१ मार्च को धारा ९३ का शासन समाप्त होने पर एक आयव्ययक (बजट) फिर से तैयार किया गया और अगस्त १९४७ ई० में पास किया गया।

सन् १९४५-४६ ई० में आगम की सम्पूर्ण वास्तविक आय २९९५ लाख रूपये थी जो मूल आयव्ययक के २७५२ लाख रूपये की अनुमानित धनराशि से २४३ लाख रूपये अधिक थी। साथ ही आगम का वास्तविक व्यय भी २७३७ लाख रूपये से बढ़कर २९९४ लाख रूपये हो गया। इस प्रकार फलस्वरूप १९४५-४६ ई० विशुद्ध में वास्तविक आय और व्यय में जमा के पक्ष में १ लाख रूपये का अन्तर पड़ा। इस वर्ष कोई प्रान्तीय ट्रेजरी बिल नहीं जारी किये गये और न रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया से कोई अग्रिम लिये गये। परन्तु चूंकि इसके लिये आयव्ययक (बजट) के अनुमानों में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी.इसलिये इस वर्ष तीन प्रतिशत पर एक कर्ज भारत सरकार के एकत्रित ऋण का एक भाग चुकाने के लिये लिया गया।

१९४६-४७ ई० के आयव्ययक (बजट) में आगम का अनुमान २९,१५,०२,-२०० रूपये और व्यय का २९,४४,३७,८०० रूपये था। आयकर (इन्कमटेक्स) के उस भाग के कारण, जो इस प्रान्त को मिलता है तथा कृषि विभाग की आय और अनुत्पादक विकास योजनाओं (Unproductive development schemes) के लिये भारत सरकार के सहायक अनुदानों के फ़ल स्वरूप पिछले वर्ष की अपेक्षा आय के बढ़ने की आशा थी, परन्तु आय के बढ़ जाने पर भी अनुमानित आय और व्यय में २९,३५,६०० रूपये का घाटा पाया गया। यह घाटा अधिकतर

युद्धोत्तर और अन्य नई योजनाओं पर व्यय के बढ़ जाने, युद्ध और मंहगाई के भत्तों के लिये एक बहुत बड़ी रकम की व्यवस्था करने और सामूहिक जुर्मानों को वापस करने के लिये एक अच्छी रक़म की व्यवस्था करने के कारण हुआ। परन्तु संशोधित अनुमानों में आय बढ़कर ३४,१५,४४,६०० रूपये हो गई और यद्यपि व्यय भी बढ़कर ३३,२०,७६,४०० रूपये हो गया फिर भी आगम में ६४,६८,५०० रूपये की बचत हुई, जब कि मूल अनुमानों में २६,३५,६०० रूपये के लाभ का अनुमान किया गया था। ये आय और व्यय की वृद्धियां दोनों ही अधिकतर भारत सरकार की युद्धोत्तर अनुत्पादक विकास योजनाओं के लिये दिये हुये अनुदानों का हिसाब रखने की विधि में परिवर्तन होने के कारण हुई हैं। वास्तव में आगम की आयों में जो ५ लाख की वृद्धि हुई उसमें से कम से कम ४४५ १/२ लाख रूपये हिसाब लगाने की विधि में परिवर्तन होने के कारण बढ़े। अन्य प्रमुख वृद्धियां आबकारी तथा बन और विविध शीर्षकों के अधीन प्राप्त हुये आगमों से हुई। इसके विपरीत आगम व्यय में प्रान्तीय आबकारी, शिक्षा तथा विविध व्ययों के अतिरिक्त ३७६ लाख रूपये की वृद्धि भारत सरकार द्वारा निर्धारित हिसाब रखने की विधि में परिवर्तन करने के कारण संतुलित ही नहीं हो गई बल्कि इसमें बचत भी हो गई। एक स्थाई ऋण, जो कि संयुक्त प्रान्तीय २ ३/४ प्रतिशत ऋण सन् १६६१ कहा जाता है, सितम्बर १६४६ ई० में भारत सरकार के एकत्रित ऋण के एक अंश का भुगतान करने के लिये १००रु० ८ आ० की दर पर जारी किया गया। इस ऋण में लोगों ने आवश्यकता से अधिक रूपया लगाया। इससे पहिले वाले वर्ष के समान इस बार भी इस बात की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई कि प्रान्तीय ट्रेजरी बिलों को जारी किया जाय या रिजर्व बैंक से आर्थिक साधन सम्बन्धी कोई अग्रिम लिया जाय। किन्तु युद्धोत्तर विकास योजनाओं में रूपया लगाने के लिये २ १/२ करोड़ रूपये का अग्रिम २ ३/४ प्रतिशत प्रतिवर्ष के व्याज पर भारत सरकार से लिया गया जो पहिली नवम्बर १६६१ ई० को देय होगा।

ग्राम सुधार

सन् १६३७ ई० में शासन भार ग्रहण करने पर लोकप्रिय सरकार ने ग्राम सुधार का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया था, परन्तु लगभग दो वर्ष बाद उसके पद त्याग करने पर धारा ६३ के शासन ने इस कार्य क्रम का अन्त कर दिया। इसलिये सन् १६४६ ई० में जब कांग्रेस मंत्रि मंडल ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो उसको यह पता चला कि ग्राम सुधार के ढाँचे को पूर्ण रूप से ठीक करने की आवश्यकता है परन्तु अन्य कामों में संलग्न रहने के कारण यह इस विभाग के पुनर्संगठन के कार्य को तुरन्त अपने हाथ में न ले सकी और इस वर्ष बहुत दिनों तक यह अनायास ही पुराने ढंग से चलता रहा। परन्तु बदले हुये

वातावरण ने इस आन्दोलन में एक नया जोश भर दिया और बहु उद्देश्यों वाली तथा अच्छे रहन सहन सम्बन्धी सहकारी समितियां फिर से चमक उठीं और कार्य-शिथिलता के स्थान पर जोश और उत्साह दिखाई देने लगे। खेतों की चकबन्दी पंचायत घरों के निर्माण, सड़कों के पक्का करने, कुवें बनवाने, खाद तैयार करने, उन्नत प्रकार के बीजों के विवरण और कृषि सम्बन्धी प्रचार में बड़ी उन्नति हुई जिससे ग्रामीण जनता सुखी और समृद्धिशाली हुई। ग्राम सेवक बालचर (स्काउट) आन्दोलन को फिर से प्रोत्साहन दिया गया अन्तरग्रामीण टूर्नामेन्टों और देहाती सम्मेलनों से ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य बहुत कुछ सुधर गया। ग्राम सुधार का काम तेज़ी के साथ चलाने की योजना जो फ़ैज़ाबाद और बरेली के कुछ चुने हुये गावों में पहिले से चालू थी, इस वर्ष एक विस्तृत क्षेत्र में चालू की गई थी जिसमें २,००० गांव सैनिक परम्परा वाले थे, क्योंकि इस योजना से लोगों को बड़ा लाभ पहुँचा था। इसके अतिरिक्त उन अंग भंग हुए सिपाहियों तथा फ़ौजी अफ़सरों को जिनसे यह आशा थी कि वे लड़ाई से लौटने पर पुनः ग्राम जीवन अपनायेंगे समाज के उपयोगी सदस्य बनने का अवसर प्रदान करने के लिये फ़ैज़ाबाद और लखनऊ में ग्राम सुधार सम्बन्धी प्रदर्शनियों की व्यवस्था की गई। साथ ही फ़ैज़ाबाद के महिला कल्याण केन्द्र में भी स्त्रियों को प्रारम्भिक चिकित्सा, घरेलू सेवा-सुश्रूषा तथा अन्य घरेलू विज्ञानों और कलाओं में शिक्षा मिलती रही। इस केन्द्र की सीखी हुई महिलाओं ने गावों में साधारण रोगों के लिये मामूली दवाइयां बांटी तथा ग्रामीण स्त्रियों की भलाई के लिये दूसरे सामाजिक काम किये। वर्ष भर में चार टुकड़ियों में कुल २२७ महिला शिक्षिकाओं ने इस केन्द्र में काम सीखा। पांचवीं टुकड़ी जिसमें ८० शिक्षिकायें और १० सिपाहियों की विधवायें थीं, काम सीख रही थीं, ग्रामीण क्षेत्रों में देशी औषधालय स्थापित करने की योजना में भी अच्छी उन्नति हुई और अच्छी खेती क्रय विक्रय दुग्ध व्यवसाय और डेरी इत्यादि के लिये बहु उद्देश वाली सहकारी समितियां स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल का बहुत सा काम हुआ।

सहकारी आन्दोलन

लड़ाई के बाद अनाजों इत्यादि के भाव चढ़ जाने से सहकारी आन्दोलन (Co-operative Movement) को बड़ा लाभ पहुंचा। राशनिंग तथा कन्ट्रोल (नियन्त्रण) से भी इसके विकास में सहायता मिली, और इसके कार्य और आय के साधनों में बढ़ती हो जाने के कारण इस वर्ष इस आन्दोलन को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। सहकारी समितियों की संख्या १६,००० से बढ़कर २१,००० हो गई। इसमें लगी हुई कुल पूंजी ६६७ करोड़ रु० तक पहुंच गई जिसमें से २६७ करोड़ इसकी

अपनी पूंजी थी। अत्यधिक मुनाफ़ा खोरी तथा चोरबाज़ारी रोकने और नियन्त्रित (कन्ट्रोल) की हुई वस्तुओं का न्याय संगत वितरण करने में अधिकारियों और जनता ने सहकारी समितियों से बहुत काम लिया। कृषि सम्बन्धी ऋण समितियां (Agricultural Credit Societies) के स्थान पर ग्राम बैंकों तथा बहु उद्देश्य वाली समितियों के ढंग की लेन देन करने वाली समितियों के संस्थापन को भी प्रोत्साहन दिया गया और वर्ष के अन्त तक प्रान्त भर में लगभग ७००० ऐसे बैंक चल रहे थे। यह बैंक गावों में अधिकतर लेन देन का कार्य करते थे। इनके ऊपर ज़िलों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक थे और इन सब के ऊपर प्रान्तीय सहकारी बैंक था जिसकी चालू पूंजी में दो वर्षों के कार्योपरान्त १८ लाख रु० से ४७ लाख रु० तक की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। साथ ही नगरों में निर्विघ्न रूप से दूध पहुंचाने तथा ग्रामीणों को उचित मुनाफ़ा दिलाने के लिये दुग्ध सहकारी समिति योजना का और विस्तार किया गया। वर्ष के अन्त में ऐसी समितियों की संख्या ३८ थी जिनमें लखनऊ तथा इलाहाबाद के मिल्क यूनियन प्रधान थे। दोनों यूनियनों ने कुल मिलाकर कोई २७,००० मन दूध जिसका मूल्य २२८ लाख रु० था एकत्रित किया। लखनऊ की दुग्ध सहकारी समिति ने नगर के म्यूनिसिपल स्कूलों के बच्चों को सरकारी सहायता से दूध बाँटने की सरकारी योजना को भी सफलता के साथ चलाया। ऐसा ही एक दूसरा उपयोगी काम सहकारी विभाग ने यह किया कि उसने अपनी ६००० सहकारी घी समितियों द्वारा घी जमा किया और उसे अपने १४ केन्द्रीय सहकारी घी संघों (सेन्ट्रल कोआपरेटिव घी यूनियन्स) द्वारा बिकवाया। प्रान्तीय औद्योगिक संघ (इन्डस्ट्रियल फेडरेशन) और उससे सम्बद्ध औद्योगिक समितियों ने ऐसे माल की तैयारी में सहायता दी जिसकी खपत नागरिकों में होती है, जैसे धोती, साड़ी, और कमीज़ और कोट के कपड़े। वर्ष के पहले आधे भाग में इस संघ (फेडरेशन) को प्रान्त के लगभग आधे ज़िलों में जुलाहों को सूत बांटने का काम अधिकतर सौंपा गया था।

पशुपालन

पशु प्रजनन का सारा काम कृषि विभाग से लेकर पशु पालन विभाग के हाथ में सौंपने से पशु सुधार का काम प्रान्त में अधिक अच्छा हुआ। पशुओं की जाति सुधारने के काम पर विशेष ध्यान दिया गया और ३० रुपया प्रति सांड लेकर प्रान्त भर में सांड बांटे गये। वर्ष के अन्त में केवल मेरठ सरकिल में. २०११ हरियाना, ४२७ मुर्रा, ५ साहीवाल, ४ पोनवार, ५ खेरीगढ़ और थापरकर सांड थे और इसी सरकिल में लोगों को तकावी ऋण के आधार पर हिसार और रोहतक ज़िलों की ६१ गायें दी गईं। एक विशेष पशु-सुधार योजना देहरादून ज़िले के जौनसार भाबर परगने में भी चलाई गई। वहां लोगों को ४ लोहानी सांड और

२० बुशीर भेड़ें दिये गये इसके अतिरिक्त बकरे (bucks) और मेढे आंशिक मूल्य (Contribution) लेकर ग्राहकों को दिये गये। एक पशु और डेरी केन्द्र जिसमें एक सुवर बाड़ा भी था, मेरठ जिले के बाबूगढ़ में खोला गया और माधुरीकुन्ड का लिव स्टाक रिसर्च स्टेशन वहां से हटाकर मथुरा लाया गया। नियन्त्रित दरों पर खली बांटने की एक खली योजना पांच जिलों में चलाई गई। यह योजना पशु पालने वालों में बड़ी लोक प्रिय हुई। मेरठ और बरेली सरकिलों में २१ एक दिन वाले कृषि प्रदर्शन, ६ जिला पशु प्रदर्शन और २ एक दिन वाली घोड़ा नुमाइशें हुई।

मुर्गे मुर्गियों इत्यादि की उन्नति करने और उनके क्रय विक्रय की युक्त प्रान्तीय योजना का, जो १६ जिलों में चालू थी, प्रान्तीय करण किया गया और उसे बढ़ा कर इलाहाबाद, मिर्जापुर, फतेहपुर, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर के जिलों में चालू किया गया। मुर्गे मुर्गियों इत्यादि को प्रान्त से बाहर भेजे जाने पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया और तराई और भावर इलाके में मुर्गे मुर्गियों इत्यादि की उन्नति करने की एक योजना चालू की गई जिसके लिए हलद्वानी में एक फार्म बनाया गया। मुर्गे मुर्गियों इत्यादि का एक बड़ा संयुक्त प्रान्तीय प्रदशन (United Provinces Poultry Show) लखनऊ में किया गया।

घी के वर्तमान अभाव के कारण गोंडा और उरई में घी को श्रेणी बद्ध करने की दो संस्थाएँ (Ghee Grading Stations) खोली गई। बरेली, मुरादाबाद, गोंडा और उरई में घी का प्रदर्शन करने वाली टोलियाँ (Demonstration Units) बनाई गई। घी को श्रेणीब करने वाली संस्थाओं की संख्या ३४ से बढ़कर ३१ हो गई।

एक औषधि तैयार करने वाले रासायनिक ने रिन्डर पेस्ट गोट टिश्यू वाइरस (Render Pest Goat Tissao Virus) की गोलियाँ बनाने का काम किया। इन गोलियोंसे १४ महीने तक पशु रोगों से सुरक्षित रहते हैं। प्रान्त की समस्त माँग को पूरा करने के लिये ये वाइरस (विषाणु) और हेमोरेजिक से प्टीसीमियाँ कम्पोजिट वेक्सीन बयालोजिकल प्राडक्टस रिसर्च सेक्शन लखनऊ में बहुत अधिक मात्रा में तैयार किये गये। फील्ड स्टाफ़ के लिये दूसरे सिरम और वैक्सीन इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आइजट नगर से मंगाये गये।

अनेक गजटेड अफ़सरों की नियुक्त करके विभाग की शक्ति और बढ़ाई गई।

वन

जापान से युद्ध समाप्त होने पर भारत सरकार ने इमारती लकड़ी पर से नियंत्रण हटा लेने का निश्चय किया किन्तु उनके पास इस प्रान्त में पहली दिसम्बर

१९४५ ई० को एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लकड़ी स्टाक में थी। इस इमारती लकड़ी के मूल्य पर अच्छी प्रकार नियंत्रण बनाये रखने तथा इसको अच्छी तरह से बाँटने के लिये प्रान्तीय शासन ने मूल लागत पर केन्द्रीय शासन से यह स्टाक मोल लेना निश्चय किया। इसके अतिरिक्त शासन ने नियत दर पर कुछ 'साल' और चीड़ देवदार की लकड़ी भी खरीदा। दूसरे प्रकार की इमारती लकड़ी ठेकेदारों को दे दी गई। उद्देश्य यह था कि इमारती लकड़ी जिसकी मन्डी में काफ़ी कमी थी जनता को उचित दरों पर मिल सके। मूल्य नियंत्रण आज्ञा (Price Control Order) लागू करके तथा समस्त प्रमुख नगरों में सरकारी आढ़तियों को नियुक्त करके इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकी। ये आढ़तिये जनता को लकड़ी देते थे। केन्द्रीय शासन, रेलवे तथा संयुक्त प्रान्तीय शासन के अन्य विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिमाणमें इमारती लकड़ी तथा स्लिीपर रोक लिये गये। ईंधन पर नियंत्रण जो १९४२ ई० में लगाया गया था जारी रक्खा गया, जिसके कारण कि नियंत्रित ईंधन का भाव बहुत चढ़ने नहीं पाया। यदि कोयला और वैगन (मालगाड़ी के डिब्बे) सम्बन्धी कठिनाइयाँ उपस्थित न होतीं तो इमारती लकड़ी और ईंधन की स्थिति इतनी खराब न होने पाती। इस नियंत्रण के फल स्वरूप यूटीलाइज़ेशन सर्किल को, जिसमें बहुत से कर्मचारी नियुक्त थे, क़ायम रखना पड़ा। युद्ध समाप्त होने पर अनुसंधान कार्यक्रम फिर से आरम्भ किया गया और फ़ारेस्टों की ट्रेनिंग का स्कूल फिर से चलाया गया। पुनर्वासन कार्यक्रम पर और तेज़ी से काम करने के लिये एक अपर कन्सरवेटर आफ़ फारेस्ट के नियुक्त करने की और तीन वर्किङ्ग प्लान डिवीज़न खोलने की स्वीकृत दी गई। एक लैंड मैनेजमेंट सर्किल भी स्थापित किया गया। यह विभाग ४००० मील से अधिक बैलगाड़ी की सड़क और ३००० मील से अधिक अन्य सड़क के रख रखाव का उत्तरदायी था। १९४५-४६ ई० के आर्थिक वर्ष में इस विभाग से सब से अधिक आय हुई।

सिंचाई

जनवरी के अंत तक और फिर मार्च से जून तक सिंचाई की बड़ी मांग रही। जुलाई से १५ सितम्बर तक नहर द्वारा सिंचाई की मांग कम रही। रबी १९४४-४५ और खरीफ़ १९४५ में केवल ५,३९९,१६५ एकड़ भूमि में सिंचाई की गई थी, किन्तु रबी १९४५-४६ और खरीफ़ १९४६ में ६,१२०,८४९ एकड़ में सिंचाई हुई। इस प्रकार सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि हुई जिसका कुछ कारण तो यह था कि नहर और बढ़ाई गई, 'अन्न अधिक उपजाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में नये कुवें बनवाये गये और नहरें ठीक की गईं। इसी वर्ष ललितपुर और नगवा बांध के निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ किया गया। ट्यूब वेल द्वारा सिंचाई

का भी आयोजन किया गया और रबी १९४५-४६ और खरीफ़ १९४६ ई० में ७,७३,२७२ एकड़ भूमि सींची गई जब कि रबी १९४४-४५ और खरीफ़ १९४५ में केवल ६,८६,४३३ एकड़ भूमि इस प्रकार सींची गई थी। वर्ष के अंत में ट्यूबवेलों की संख्या १,८४७ थी और ६०० ट्यूब वेलों का निर्माण और किया जा रहा था।

गंगा कैनाल हाइड्रो एलेक्ट्रिक ग्रिड पर कई ट्रांसमिशन लाइन्स और सब-स्टेशन बनाये गये। हरदुआगंज स्टीम स्टेशन का निर्माण समाप्त होने पर उसे शासन ने ले लिया। मोहम्मदपुर पावर स्टेशन बनाया जा रहा था। यद्यपि इस वर्ष विद्युत् शक्ति की मांग जनता द्वारा सीमित रही तो भी पीक लोड (अधिकतम भार) बढ़ता ही गया।

नये कामों में खातिमा पावर स्टेशन के जलकल का निर्माण प्रारम्भ किया गया और अन्य योजनाओं,--जैसे नायर, रिहांद और रामगंगा बंध, राप्ती और कुआंना नहर की जांच की गई। और इसकी भी जांच की गई कि आया घाघरा नदी में नावें चलाई जा सकती हैं कि नहीं।

लोक-निर्माण कार्य

युद्धकाल में लोक-निर्माण विभाग को इस प्रान्त में लगभग सारा ही सेना सम्बन्धी निर्माण कार्य करना पड़ा था। फलस्वरूप यह विभाग इस समय काफ़ी बढ़ गया था। युद्ध के उपरान्त विभाग इस स्थिति में था कि युद्धोत्तर विकास योजना को वह सफलता पूर्वक कार्यान्वित कर सके। वर्ष के प्रारम्भ में विभाग ने ७०० से अधिक मील लम्बी सड़क के निर्माण तथा पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। अप्रैल में शासन बदल गया और तब राष्ट्रीय आवश्यकता को देखते हुए कि नये क्षेत्र खोले जायें और ग्रामीण जनता को अधिक सुविधायें पहुंचाई जायें यह योजना दोहराई गई। सब वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखकर निर्माण योजना फिर से बनाई गई। युद्धोत्तर सड़क विकास योजना कई भागों में बांटी गई। पहले भाग में (१) १६१० मील लम्बी नई पक्की सड़कों का बनवाना (२) २,२७३ मील लम्बी स्थानीय सड़कों का पुनर्निर्माण करना (३) शकर की मिलों के लिये सीमेंट कान्करीट की ५०८ मील लम्बी सड़कों का निर्माण करना (४) और ५,६३१ मील कच्ची सड़कों का निर्माण करना सम्मिलित था। इनके अतिरिक्त गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया नेशनल हाई वेज़ के कार्य-क्रम में राष्ट्रीय महत्व की सड़कों का सुधारकार्य भी प्रारम्भ किया गया। नेशनल हाई वेज़ की सड़क इस प्रान्त में १,५४३ मील लम्बी है।

इसके साथ ही नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्य भी आरम्भ किया गया। लेडी हैलेट नर्सिंग स्कूल कानपुर का निर्माण, मेडिकल कालिज लखनऊ, दून अस्पताल, देहरादून और क्रास्वेट अस्पताल, इलाहाबाद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालयों और मौलिक बीज गोदामों की इमारतों को बढ़ाना ऐसे विषय थे जिन पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक था। किन्तु लोहा, सीमेंट आदि भवन निर्माण सामग्री मिलने में कठिनाइयों के कारण युद्धोत्तर निर्माण कार्य की प्रगति मंद रही।

आबकारी

देशी शराब, मसालेदार शराब, देशी विलायती शराब और भांग पर कर और अधिक नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि पहली अप्रैल १९४५ ई० को इन पर क्रमानुसार १५, २०, ३० और २० प्रतिशत कर बढ़ाया जा चुका था। अफ़ीम की क़ीमत और बढ़ा कर १८६) से १९५) प्रति सेर कर दी गई इसके कारण देशी शराब की खपत केवल ११ प्रतिशत और भांग की भी केवल २.४ प्रतिशत बढ़ गई। गाँजा की खपत में २५.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि पहली अप्रैल १९४५ ई० से चरस की बिक्री बिल्कुल बन्द हो जाने से चरस पीने वालों ने गाँजा पीना आरम्भ कर दिया था।

पिछले वर्ष की भाँति देशी शराब और मसालेदार शराब थोक में सप्लाई करने के ठेके शराब खींचने वालों (distillers) से बातचीत कर लेने के पश्चात् स्वीकृत किये गये। आबकारी की दुकानों के देने की पद्धति में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। देशी शराब, मादक पदार्थों और अफ़ीम की दुकाने घोष-विक्रय (नीलाम) द्वारा दी गईं। ताड़ी की दुकानें प्रान्त के अधिकतर भागों में नीलाम द्वारा और पूर्वी जिलों में पेड़-कर पद्धति के अधीन दी गईं। पहली अक्तूबर से, ताड़ी वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व, प्रान्त भर में ताड़ी की दूकानों की संख्या-शासन की नीति के अनुसार घटा दी गईं। अतिरिक्त कर (सारचार्ज) के घटते बढ़ते दर के अनुसार विदेशी शराब पर प्रति प्रसव शुल्क (लाइसेंस फ़ी) निर्धारित किया गया। देश में बनी हुई विदेशी शराब की थोक और फुटकर कीमतों पर एक्साइज़ कमिश्नर का नियंत्रण बना रहा।

युद्ध के कारण जो कमी हुई इसे पूरा करने के लिये शासन ने मोटर फ़ुएल के रूप में प्रयोग के लिए फ़ुएल आलकोहल को बड़े पैमाने पर तैयार कराने तथा उसे बाँटने का आयोजन किया। प्रान्त में मोटर स्पिरिट तैयार करने के लिए ६ डिसटिलरीज़ चालू थीं।

शिक्षा

मौलाना अब्दुल क़लाम आज़ाद के सभापतित्व में एक समिति फ़ारसी और अर्बी पढ़ाई के पुर्न संगठन पर शासन को मंत्रणा देने के लिये तथा दूसरी श्री रघुकुल तिलक के सभा उचित के सभापतित्व में ऐंग्लो-हिन्दोस्तानी संस्थाओं के अच्छी तरह से प्रबन्ध करने के लिये शासन को उपाय बताने के लिये नियुक्त की गई। अंग्रेज़ी शिक्षा के लिये दो गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कालिज, एक नैनीताल में और दूसरे लैंड्सडाउन में खोले गये। गैर सरकारी इंटर मीडिएट कालिजों और नारमल स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। महिलाओं के ६५ स्कूलों के अतिरिक्त शिक्षा प्रसार विभाग के आधीन १,३४२ सरकारी और २६३ आर्थिक सहायता प्राप्त संस्थाएँ रहीं। अलमोड़ा में लड़कियों के लिये एक नया गवर्नमेंट हाई स्कूल और पिथोरगढ़, पौरी, मोवाना और उन्नाव में एक एक गवर्नमेंट ऐंग्लो हिन्दोस्तानी मिडिल स्कूल खोले गये। लखनऊ और इलाहाबाद में महिलाओं के दो ट्रेनिंग कालिजों के लिये लड़कियों के वास्ते प्रैक्टिसिंग स्कूल खोले गये और गवर्नमेंट संस्कृत कालिज बनारस में लड़कियों के लिये एक पृथक् परीक्षा (ज्ञान प्रभा) का आयोजन किया गया। लड़कों और लड़कियों के हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल परीक्षाओं को मिला लेने पर डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसपल बोर्डों को हिन्दुस्तानी लोअर मिडिल स्कूलों में ७ वीं कक्षा खोलने के लिए १,५४,५६३ रू० की आवर्त और २,५६,३१३ रू० अनावर्त आर्थिक सहायता दी गई। ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों को आर्थिक सहायता देने की सूची पर लाने की नीति के अनुसार इस वर्ष लड़कों के ३४ और लड़कियों के १२ ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों के नाम उस सूची पर चढ़ाये गये। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर देने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार की योजना कार्यान्वित की गई। इस योजना के अधीन १० वर्ष तक प्रति वर्ष २,२०० स्कूल खोलने का विचार है जिसमें प्रान्त भर में ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हो जायगी। शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को आवश्यक ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापक देने के लिए बनारस में एक और गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालिज खोला गया। ६०० और बेसिक प्राइमरी स्कूल--४०० लड़कों के लिए और २०० लड़कियों के लिए खोले गये जिनका—१,४६,२६३) आवर्तक और १,१६,४००) अनावर्तक व्यय है। दलित वर्गों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और हरिजन तथा मोमिन की शिक्षा पर इस वर्ष ६.५२ लाख व्यय हुआ था। जब कि पिछले वर्ष ५.६, लाख व्यय हुआ था। 'प्रान्तीय परिगणित जाति शिक्षा समिति का पुर्ननिर्माण किया गया और दलित वर्गों के निरीक्षक (सुपरवाइजर) के लिए इलाहाबाद में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (Refresher Course) का आयोजन किया गया। फिज़िकल ट्रेनिंग कालिज, लखनऊ, आर्थिक सहायता प्राप्त संस्थाओं

के शिक्षकों को स्फूर्ति लाने वाले व्यायाम में ट्रेनिंग देता रहा। फिजिकल कलचर के कौंसिल को उसके कार्रवाइयों के लिए १,००,००० रु० की धनराशि दी गई। डमी राइफ़िल और लकड़ी की बन्दूकों से सैनिक योग्य (मिलीटरी ड्रिल) करने पर जो प्रतिबन्ध था वह हटा लिया गया और हिन्दुस्तानी तथा ऐंग्लो हिन्दुस्तानी संस्थाओं के ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति पर से भी जिन्होंने १९४२ ई० के आंदोलन में भाग लिया था—प्रतिबन्ध हटा लिया गया। पर ऐसे विद्यार्थियों के जिन्होंने राजनीति में भाग लिया था शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में प्रवेश पर जो पाबंदियां थी वह भी हटा ली गई। शोसल सर्विस (सामाजिक सेवा) में ग्रेजुएटों को एक वर्ष की ट्रेनिंग देने की योजना स्वीकार कर ली गई।

स्वशासन

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विधान में प्रस्तावित परिवर्तन तथा पृथक निर्वाचन पद्धति के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को दृष्टि कोण में रखते हुए इस प्रांत के बोर्डों का सामान्य निर्वाचन एक वर्ष के लिए और स्थगित कर दिया गया। फरुखाबाद, बांद्रा, मुरादाबाद और हमीरपुर डिस्ट्रिक बोर्डों का प्रबन्ध शासन के हाथ में रहा और इलाहाबाद तथा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चेयरमैन उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण अपने पद से हटा दिये गये। स्वशासन में सदस्यों ने कम दिलचस्पी ली और जो ६८३ बैठकें हुई उनमें से तो १७६ बैठकें असफल रहीं और ७६ अन्य कार्यों की बिना पर स्थगित कर दी गई। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बोर्डों की आय तथा उनके व्यय दोनों में वृद्धि हुई। इस वर्ष बोर्डों के व्यय का ५४ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हुआ। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की काफ़ी सड़कों के शासन द्वारा ले लिये जाने के कारण डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के व्यय का भार बहुत कुछ हलका हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी और सुविधाएं पहुंचाने तथा सफ़ाई का प्रबन्ध करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। इस वर्ष प्रति व्यक्ति की आय में १-१० आना की वृद्धि भी हुई। वर्ष के अंत में बोर्डों का प्रांतीय अंतिम बचत ६८ लाख रुपया था जब कि पिछले वर्ष ६२ लाख था। बोर्डों के कर्मचारी भी विशेषतया स्कूल के अध्यापकगण अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति अपने वेतन तथा मंहगाई के भत्ते से असंतुष्ट थे।

जन स्वास्थ्य

इस वर्ष लोग तथा बच्चे कुछ कम मरे और कम पैदा भी हुए। हैजा से काफ़ी लोग मरे यद्यपि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष से कम मृत्युएं हुई क्योंकि इसके रोक थाम के बहुत से उपाय काम में लाये गये और लोगों के टीका लगाया गया। इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा प्लेग (ताउन) से बहुत से लोग मरे और

बुंदेलखण्ड में तो यह बड़े जोरों से फैला रहा। टीके लगाये जाने, डी० डी० टी० घरों में छिड़कने आदि के कारण यह रोग बहुत कुछ सीमा तक रोका जा सका। चेचक से इस वर्ष १९४५ की अपेक्षा बहुत कम मृत्यु हुई। जूड़ी बुखार से क़रीब क़रीब उतने ही व्यक्ति मरे जितने पिछले साल। पूर्वीय ज़िलों में काला आज़ार का ज़ोर रहा और शासन ने इसकी रोक थाम के लिए २० चलद् चिकित्सा यूनिट खोले। क्षय रोग क्लिनिक ९ स्थानों पर लोगों को सलाह देने का उपयोगी कार्य करते रहे। खाद्यान्न और औषधियों में मिलावट रोकने के लिए दोनों के १३,००० से अधिक नमूनों की पब्लिक अनालिस्ट ने परीक्षा की और ३४ प्रतिशत नमूनों में मिलावट पाई गई जब कि गत दो वर्षों में क्रमानुसार २८·३ और २५·६ प्रतिशत नमूनों में मिलावट पाई गई थी। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त दूध बांटने की दो योजनाएं कार्यान्वित की गईं। एक ऐसी योजना निजी संस्थाओं द्वारा की गई। इन योजनाओं के अंतर्गत लखनऊ और कानपुर में प्रारम्भिक स्कूलों के बच्चों को तथा कानपुर में जच्चा बच्चा की देख भाल के केन्द्रों को दूध दिया जाता है।

भोर हेल्थ सर्वे और विकास समिति (डिवलपमेंट कमेटी) की सिफारशों के अनुसार इस प्रांत में पानी की सप्लाई तथा पानी के विकास की दशा को सुधारने के लिए अल्पकालीन युद्धोत्तर विकास योजना के रूप में एक १५ वर्षीय कार्यक्रम बनाया गया। इस योजना को कार्यान्वित करने पर लग भग १५ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया। म्यूनिसपल वाटर सप्लाई और पानी के विकास से सम्बन्धित सुधारों के लिए २८ निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये। इसके साथ ही स्वेज यूटीलाइजेशन कमेटी ने मैला को खेती के प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल करने के प्रस्ताव पर छान बीन की और उसकी सिफारशों पर शासन विचार कर रही है। नगर के मैले से ४० लाख टन कम्पोस्ट खाद तैयार की गई जिस पर कैस्टर केक अथवा अमोनियम स्लफ़ेट के खर्च का १/६ खर्च बैठा।

अदालतें और जेल

अधिकारियों की कमी और मजिस्ट्रेटों के शासन सम्बन्धी कार्यों में व्याप्त रहने के कारण फौजदारी के बहुत से मुकदमे इकट्ठा हो गये। इन मुकदमों को निबटाने के लिये शासन ने हाई कोर्ट और चीफ़ कोर्ट की सलाह से अस्थायी मुंसिफ नियुक्त करने के प्रतसाव पर विचार किया। मुंसिफ की जो ६ अस्थायी जगहें क़ायम की गई थीं वे तोड़ दी गईं और हाई कोर्ट तथा चीफ़ कोर्ट से प्रार्थना की गई कि वे जुडीशियल कैडर में स्थायी वृद्धि के लिये शासन को प्रस्ताव भेजें। शासन

ने अवकाश प्राप्त जुडीशियल अफ़सरों की नियुक्ति पर भी विचार किया और अवैतनिक (आनरेरी) स्पेशल मजिस्ट्रेटों को अस्थायी स्पेशल मजिस्ट्रेटों के रूप में नियुक्त करने के लिये चुना। अवैतनिक (आनरेरी) मजिस्ट्रेटों के चुनाव में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को सहायता देने के लिये ज़िलों में चुनाव समितियाँ बनाई गईं। इस के साथ ही विचाराधीन राजनीतिक मुकदमों को वापस लेने तथा उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो राजनीतिक कारणों से भगे हुए थे वारन्ट रद्द करने की आज्ञा जारी की गई।

जैसे ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली उसने उन लोगों को जो १९४२ ई० के आन्दोलन में भाग लेने के कारण नज़रबंद या बंदी थे छोड़ दिया। इस वर्ष ऐसे लगभग १२०० व्यक्ति छोड़ेगये। ऐसे भी दूसरे क़ैदी छोड़ दिये गये जिनके मुक्त किये जाने के केवल कुछ ही महीने रह गये थे। चोरी और डकैती के क़ैदियों के मामलों को फिर से दोहराने के लिए एक स्पेशल रिवाइ-ज़िंग बोर्ड स्थापित किया गया। क़ैदी छोड़ने की नीति का फल यह हुआ कि ३१ दिसम्बर १९४६ ई० को प्रांत के जेलों में कुल २५,९६० क़ैदी रह गये जबकि पहली जनवरी को उनकी संख्या २६,४९८ थी। जेलों में सुधार के लिए एक जेल सुधार समिति बनाई गई और यह विचार करने के लिए कि क्या औरत बंदियों को आदमियों से अलग रक्खा जाना उचित होगा एक महिला जेल समिति भी निर्मित की गई। जेल के प्रशासन में आवश्यक सुधार किये गये। बंदियों को गर्रा पर लगाने की प्रथा तोड़ दी गई और क़ैदियों को समाचार पत्र उदारता के साथ दिये गये। उनको साबुन, तेल, बीड़ी, खाने की तम्बाकू और पत्र भेजने तथा लिखने की कुछ सुविधायें भी दी गईं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ के अधीन जिन क़ैदियों को सजा मिली थी उनके सम्बन्ध में यह घोषणा की गई कि वे यू० पी० प्रिज़नर्स रिलीज़ आन प्रोवेशन ऐक्ट के अधीन मुक्त किये जा सकते हैं। बंदियों के हित में धारा तथा व्यवस्थापिका सभाओं के सारे सदस्यों का जो अपने पद के कारण अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित जेलों के निरीक्षक थे, क़ैदियों को बंद करने से पूर्व किसी भी समय जेल में जाने का अधिकार था। सारे म्यूनिसपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चेयरमैन अपने पद के कारण जेल के निरीक्षक बनाये गये। जेल के कर्मचारियों की भलाई का भी समुचित ध्यान रक्खा गया और उनकी सेवा सम्बन्धी दशाओं में सुधार किये गये। क़ैदियों का आचरण, अनुशासन तथा स्वास्थ्य सन्तोषप्रद रहा। कारखाने से नक़द लाभ ४,०१,३८४ रु० और कुल आय ६,४८,२३२ रु० हुई। यद्यपि जेल में क़ैदियों की संख्या कम हो गई थी तो भी १,१०७ एकड़ भूमि और जोती गई।

अपराध और पुलिस (आरक्षी)

जैसे ही कांग्रेस पदारूढ़ हुई उसने ऐसे सामूहिक आर्थिक दण्ड वापस कर दिये जाने की ओर ध्यान दिया जो १९४२ ई० के उपद्रव के सम्बन्ध में लगाये गये थे। यह रक़म ३५ लाख रुपये की थी और यह निश्चय किया गया कि सम्बन्धित लोगों को उनकी पूरी रक़म लौटा दी जाय। ऐसे लोगों के सम्बन्ध में जिन्हें १९४२ के आन्दोलन के सिलसिले में आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी शासन ने यह निश्चय किया कि उन्हें हरजाना दिया जाय और कुछ वर्ग के व्यक्तियों से यह कहा गया कि वे निर्धारित अवधि के भीतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को अपने अपने दावे प्रस्तुत करें। नौकरियों में जो कदाचार और भ्रष्टाचार घुस गया था उसे दूर करने के लिए ऐंटी करपशन ब्रांच (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा) को पुनर्संगठित किया गया और उसमें कर्मचारी नियुक्त किये गये। शासन ने उसके कार्य प्रणाली और अनुसंधान पर पूर्ण निरीक्षण रक्खा। सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाये रखने पर भी शासन नें बड़ा ध्यान दिया और पहली अक्तूबर १९४६ ई० को भारत रक्षा विधान (डिफेंस आफ़ इंडिया रूल्स) के प्रभावहीन होने पर सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के हित यह आवश्यक हो गया कि संयुक्त प्रांतीय शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के आनियमन १९४६ ई० (यू० पी० मेनटेनेंस आफ़ पब्लिक आर्डर आर्डीनेंस १९४६ ई०) को लागू किया जाय जो बाद में अधिनियम बन गया। संयुक्त प्रांतीय साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने के आनियमन १९४७ ई० को भी लागू किया गया।

युक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद् के प्रेसीडेंट सर सीताराम के सभापतित्व में एक प्रशासन पुनर्संगठन समिति आरक्षी प्रशासन में सुधार करने तथा उसकी साधकता को बढ़ाने के लिऐ बनाई गई। प्रांत में इस वर्ष साम्प्रदायिक तनातनी होने के कारण तथा शांति और व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस के व्यस्त रहने के कारण प्रांत भर में अपेक्षाकृत इस वर्ष अधिक अपराध हुए। कुछ जिलों में जनता ने अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया और पुलिस अपना काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकी। इसका फल यह हुआ कि जहाँ एक ओर सब प्रकार के अपराध बढ़ गये दूसरी ओर दंडित ठहराने और मामलों की जांच करने का अनुपात १९४५ ई० में २१.५ प्रतिशत से घट कर १९४६ ई० में १६.९ रह गया। इन्हीं कारणों से चोरी का माल बरामद करने का प्रतिशत भी गिर गया। डकैतियाँ ३८ प्रतिशत, सेंध लगाने की घटनायें २८ प्रतिशत, हत्या ४० प्रतिशत, दंगा ७५ प्रतिशत, चोरियाँ ४७ प्रतिशत बढ़ गईं। अनुसंधेय अपराधों की संख्या जो १९३९ ई० से बराबर घट रही थी इस वर्ष बहुत बढ़ गई। प्रांत में विशेष

कर गढ़मुक्तेश्वर (मेरठ), इलाहाबाद, आगरा, बरेली, बुलन्दशहर, अलीगढ़, बनारस, चाँदपुर (बिजनौर) और चारुगंज (एटा) में साम्प्रदायिक दंगे हो जाने से अपराधों की संख्या में और बृद्धि हुई। अशांति सिथित के कारण ४ इंच से लम्बे फल की छूरियों के रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कुमायूं में तैनात मिलिटरी पुलिस की एक कम्पनी मैदान में बुला ली गई। स्पेशल आर्म्ड कान्सटेबुलरी के दो बैटालियन जो रेलवे की रक्षा करते थे तोड़ दिये गये और मिलीटरी पुलिस में १३ और कम्पनियाँ बढ़ा दी गई। पुलिस का ट्रांसमिटिंग सेक्शन बहुत बढ़ा दिया गया। १६४५ ई० में ११ स्टैटिक स्टेशन थे। ये बढ़ा कर २८ कर दिये गये। पुलिस इन अशांति के दिनों में बहुत सक्रिय रही। पुलिस के इस्तेमाल के लिए मोटर गाड़ियों की संख्या वढ़ाकर ३०० से कुछ अधिक कर दी गई यद्यपि यह संख्या भी अपर्याप्त थी। इसी प्रकार कुछ जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस के सुपेरिन्टेन्डेन्टों को जीप दी गई और दंगों अथवा उपद्रवों को दबाने के लिए ११ और टियर स्मोक स्क्वाड स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। बनारस, बरेली, इलाहाबाद, और एटा में जहाँ बहुत दंगे हुए ६ महीने तक और अलीगढ़ में १ वर्ष तक अतिरिक्त पुलिस रक्खी गई और प्रांत में डिस्ट्रिक्ट इंटेलीजेंस स्टाफ बढ़ा दिया गया जिससे दंगों की रोकथाम रहे। जनता में आत्म विश्वास और अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रांत के ६ जिलों में 'होम गार्ड' स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया और इसके विधान के सम्बन्ध में एक आनियमन जारी किया गया।

वाहन

एक आदमी-एक गाड़ी की प्रथा असंतोपजनक होने के कारण शासन ने इसके स्थान पर ज्वाएंट स्टाक कम्पनियाँ खोलने का निश्चय किया जिन में शासन एक बड़े साझीदार, और अन्य व्यक्ति संचालक के रूप में होगें और जहाँ कहीं रेलवे का हित हो वह भी कम्पनी में सम्मिलित होगी। इन कम्पनियों का नियन्त्रण बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स करेगें और यह संस्थाए यात्रियों को प्रत्येक सुविधा देंगी जैसे समय पर गाड़ी छूटेगी और बैठने की अच्छी तथा सुखदायक जगहों की व्यवस्था होगी। वर्तमान संचालकों को कम्पनियों में शेयर दिया जायगा। उनके परमिटों के आधार पर उनको समुचित धन और उनकी गाड़ियों का उचित मूल्य दिया जायगा। यह निश्चय किया गया कि पहले कुछ चुनी हुई सड़कों पर ही स्टेज कैरिजें चलाई जाँय। मैदानों के ७ यातायात प्रदेशों में एक एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी और एक पहाड़ी प्रदेश में दो ज्वाइंट स्टाक कम्पनियाँ खुलने को थीं। ऐसी कम्पनियों, ऐसे संचालकों तथा व्यक्तियों को जो अब

मोटर न चला सकेंगे नियत दर के अनुसार धन दिया जायगा। प्रति बस का मूल्य लगभग ६००० रू० अथवा उसके १६४५ माडल की गाड़ी का मूल्य निर्धारित किया गया। मूल्य निर्धारित करने के लिए एक समिति होगी जिसमें शासन का एक प्रतिनिधि, रेलवे का एक प्रतिनिधि, दो संचालक, जिसमें बस का स्वामी भी होगा, होगें। यदि सदस्यों में मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में मतभेद हो तो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (टेकनिकल) अपना निर्णय देंगें। इसी प्रकार घाघरा और गंगा नदियों में भी यात्रियों के आने जाने के लिए नौका व्यवस्था करने का निश्चय किया गया। लखनऊ में प्राविंशयल फ्लाइंग क्लब खोला गया और शासन ने इसे ७६००० रू० की आर्थिक सहायता दी। २८ वर्ष से कम आयु के उड्डयन शिक्षा प्राप्त करने वालों से १५ रू० प्रति घंटा और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों से ३० रू० प्रति घंटा लेना निश्चय किया गया।

सितम्बर में भारत रक्षा नियम के प्रभावहीन हो जाने पर यू० पी० आर्डीनेंस संख्या १८, ६४६ लागू किया गया। मोटर गाड़ियों के ऐक्ट और नियमों के अधीन कन्ट्रोल, रजिस्ट्री आदि में टेकनिकल सहायता देने के लिए वे प्रादेशिक निरीक्षक (रीजनल इंसपेक्टर) नियुक्त किये गये जो युद्धकाल में कन्ट्रोल्ड गाड़ियों का निरीक्षण करते थे। प्रान्त में इस वर्ष पेट्रोल-स्थिति सुधर गई। मोटर गाड़ियों के ऐक्ट और नियमों के अधीन ५,५०० से अधिक मुक़दमा चलाये गये। बहुतों में सज़ा दी गई। आर्थिक दण्ड के रूप में १,२१,८४२ रू० प्राप्त हुए।

खाद्यान्न तथा जानपद (सिविल) पूर्तियाँ

वर्ष भर इस प्रांत में खाद्यान्न स्थिति चिन्ताजनक रही। पहले तो फस्ल ठीक हुई नहीं और दूसरे बाहर से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आये नहीं फिर यह कठिनाई आ पड़ी कि दक्षिण भारत में चावल की फस्ल ख़राब होने के कारण भारत शासन प्रांतीय शासन को वर्ष के प्रारंभ में उतने परिमाण में गेहूँ न दे सका जितनी कि आशा थी। १६४८ ई० के रबी फस्ल का ऐच्छिक अन्न संग्रह सन्तोषप्रद नहीं रहा। अतएव ऐसे ३५ जिलों में जहां अन्न अधिक हुआ था किसानों से अनिवार्य रूप से अन्न संग्रह करना पड़ा। फलस्वरूप अगस्त के अंत तक ३ लाख टन रबी का अनाज इक्ट्ठा हो गया जब यह योजना स्थगित कर दी गई। खरीफ़ फस्ल में भी पहले १० महीनों में काफ़ी अन्न संग्रह किया गया। जिन किसानों ने अन्न नहीं दिया था उनसे वर्ष के अंत में अन्न संग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त इस वर्ष १,५६, ५६६ टन अनाज प्रांत में बाहर से आया। प्रांत के बाहर अनाज नहीं भेजा गया, केवल थोड़ा सा अनाज उधार दिया गया।

जब शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आई तो मंत्रि-मंडल ने प्रांत में खाद्यस्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया और यह निश्चय किया कि नगरों में राशनिंग चालू कर दी जाय। जून में राशनिग अन्य नगरों में भी जारी कर दी गई। वर्ष के अंत में ७१ नगरों में, जिनकी जन संख्या ६५ लाख थी, राशनिंग योजना कार्यान्वित की गई। इनमें से ५२ नगरों में सम्पूर्ण और १६ में आंशिक राशनिंग थी। खाद्य-स्थिति को देखते हुए प्रति व्यक्ति के लिए ८ छंटाक का राशनिंग घटाकर ६ छंटाक कर दिया गया। पुलिस के कर्मचारियों तथा मजदूरों और छात्रालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा राशन और दे दिया गया।

प्रांत में इस वर्ष वस्त्र-स्थिति भी चिन्ताजनक रही। टेक्सटाइल कमिश्नर, भारत सरकार, की योजना के अनुसार प्रति व्यक्ति के लिए प्रति वर्ष १० गज मिल के कपड़े का कोटा नियत किया गया। १९४५ ई० के अंत के महीनों में यह कोटा बढ़ा कर १३ गज कर दिया गया। कपड़ा बांटने की यह पद्धति १९४६ ई० के अंत तक रही। इस प्रांत का कोटा प्रति मास ४५,००० अर्थात् ३७००० मिल के कपड़े की और ८००० कर्घे के कपड़े की गाठों का था किन्तु इसको औसतन् लगभग २९००० मिल के कपड़े की गाठें मिल पाई थीं। इसी प्रकार प्रांत में सूत की भी बहुत कमी रही। गुप्ता समिति ने जुलाहों की सहकारी समितियों द्वारा सूत बांटने की एक विस्तृत योजना तैयार की और जिलों में यह योजना कार्यान्वित की गई। ऊनी कपड़े की वर्ष के पहले दो महीनों में कमी रही। इसके पश्चात् स्थिति सुधर गई और ऊनी कपड़े पर से कन्ट्रोल हटा लिया गया। भारतवर्ष में जितनी कुल शकर पैदा होती है उसका यद्यपि ५० प्रतिशत युक्त प्रान्त में तैयार किया जाता है तो भी भारत शासन ने देश में शकर की कमी होने के कारण इस प्रांत के १९४३ ई० के १,४६,००० टन के कोटा को घटाकर १९४६ ई० में १,१०,००० टन कर दिया। गुप्ता समिति ने इसके सम्बन्ध में भी एक योजना तैयार की जिसके अनुसार नागरिक क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति को प्रति मास ८ छटाक और ग्रामीण क्षेत्रों में १ सेर शकर मिल सकती थी। नागरिक क्षेत्रों में १००) मासिक से अधिक आय के व्यक्तियों को दूनी शकर दी गई। पहाड़ी क्षेत्रों में शहर के राशन का परिमाण बढ़ा दिया गया। शादी-विवाह, उत्सव आदि त्योहारों के लिए नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कोटे का १० और २५ प्रतिशत अलग से रख दिया गया। हलवाइयों के लिए खांडसारी शकर की व्यवस्था की गई।

३ समितियां अर्थात् नियन्त्रण समिति गुप्ता समिति और शास्त्री समिति बनाई गई। पहली कन्ट्रोल सन्बन्धी आज्ञाओं को दोहराने के लिए, और दूसरी

कपड़े, सूत, शकर और मिट्टी के तेल के बांटने के प्रश्न की जांच करने के लिए थी। तीसरी ने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई कार्यालयों में कर्मचारियों का पुनर्संगठन किया। जिलों में भी ज़िला अधिकारियों को सलाह देने के लिए कई समितियां स्थापित की गईं। इसी प्रकार रीजनल फुड कन्ट्रोलरों को मंत्रणा देने के लिए भी प्रत्येक फुड कन्ट्रोल रीजन के मुख्यालय में स्थितियां स्थापित की गईं।

सामान्य निर्वाचन

धारा सभा और व्यवस्थापिका परिषद

युक्त प्रान्तीय धारा सभा के लिए सामान्य निर्वाचन तथा युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद् के लिए तृतीय वर्षीय निर्वाचन का प्रबन्ध करने में ही १६४६ ई० के पहले कुछ महीने लग गये। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पूरी पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए अपने सारे अभिसाधनों का प्रयोग किया। कांग्रेस ने उन मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसने अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था नेशनलिस्ट मुस्लिम, जमैतुलउल्लमा और अहरार उम्मीदवारों की सहायता की। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में हिन्दू सभा अथवा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों ने कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध किया। ८६ उम्मीदवार अर्थात ७६ कांग्रेस के और १० मुस्लिम लीग के निर्विरोध निर्वाचित हो गये। शेष १३६ जगहों में से कांग्रेस को ७३ मुस्लिम लीग को ५३, नेशनलिस्ट मुस्लिम को ७ इंडेपेन्डेंट को ५ और अहरार को १ मिली। इस निर्वाचन से इन्डेपेन्डेन्ट की स्थिति तो कमजोर पड़ गई किन्तु मुस्लिम लीग की बहुत दृढ़ हो गई। व्यवस्थापिका परिषद् की २० जगहों के लिए भी निर्वाचन हुआ। ६ कांग्रेस के और ४ मुस्लिम लीग के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गये। शेष १० में से ५ कांग्रेस ने, ३ मुस्लिम लीग ने और २ इंडेपे-न्डेन्ट ने जीतीं।

युक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद

मार्च के अंत तक निर्वाचन समाप्त हो गये और इसके पश्चात् गवर्नर महोदय ने कांग्रेस दल के नेता प० गोविन्द बल्लभ पंत को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया। भारत शासन विधान १६३५ ई० की धारा ६३ के अधीन गवर्नर ने जो पहले घोषणा की थी वह रद्द हो गई और कांग्रेस ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली।

धारा सभा और व्यवस्थापिका परिषद के अधिवेशन

नई निर्वाचित धारा सभा का अधिवेशन अप्रेल १६४६ ई० के अंतिम सप्ताह में सचिवालय में हुआ और व्यवस्थापिका परिषद् का भी अधिवेशन इसी समय हुआ। स्पीकर महोदय के निर्वाचन तथा शपथ-ग्रहण क्रिया के पश्चात् मंत्रि-मंडल ने युक्त प्रांतीय सचिवों का वेतन संशोधन बिल, युक्त प्रांतीय धारा अथवा

व्यवस्थापिका सभाओं का (सदस्यों के परिलाभ) संशोधक बिल आदि पास किये जो विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत हो गये। इस अधिवेशन के पश्चात् धारा सभा और व्यवस्थापिका परिषद् स्थगित हो गई। धारा सभा का आय व्ययक अधिवेशन जूलाई १६४६ ई० में हुआ। इस अधिवेशन में सभा ने ज़मीदारी तथा पूंजीवाद उन्मूलन का प्रस्ताव तथा कई बिल पास किये। व्यवस्थापिका परिषद् की बैठक कुछ दिनों के लिए जूलाई १६४६ ई० में हुई जब आय व्ययक स्वीकृत किया गया। धारा सभा अगस्त १६४६ ई० में स्थगित हुई।

इस वर्ष धारा सभा और व्यवस्थापिका परिषद् के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में उपनिर्वाचन हुएः—

धारा सभा

१. **मैनपुरी ज़िला (उत्तर पूर्व) सामान्य ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र**—श्री बिशम्भर दयाल सक्सेना (कांग्रेस) की मृत्यु के कारण उपनिर्वाचन किया गया। श्री बादशाह गुप्ता (कांग्रेस) निर्वाचित हुए।

२. **बदायूँ ज़िला (पश्चिम) सामान्य ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र**—श्री बुद्धिसिंह (कांग्रेस) के पदत्याग के कारण यह चुनाव किया गया और श्री बदन सिंह (कांग्रेस) निर्वाचित किये गये।

व्यवस्थापिका परिषद्

१. **लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली ज़िला मुस्लिम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र**—श्री एम० एच० किदवाई के पदत्याग देने पर सैयद एजाज़ अली (मुस्लिम लीग) निर्वाचित किये गये।

२. **नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल ज़िला सामान्य ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र**—श्री मोहनलाल शाह की मृत्यु पर श्री बद्रीदत्त पाण्डे निर्वाचित किये गये।

केन्द्रीय धारा सभा

१. **मेरठ डिवीज़न मुस्लिम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र**—श्री लियाक़त अली खाँ ने अंतरकालीन शासन के सदस्य नियुक्त होने पर पद त्याग दिया और श्री सैयद मुरतज़ा (मुस्लिम लीग) चुने गये।

निर्वाचन-विचार प्रार्थना पत्र

निर्वाचन-विचार प्रार्थनापत्र

धारा सभा के निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध ३० निर्वाचन-विचार प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए जिनमें से नियमों के अधीन ६ अस्वीकृत हो गये और २४ निर्वाचन ट्रिबुनल को निर्णय के लिए सौंप दिये गये। प्रतिवादी निम्नलिखित दलों के सदस्य थे।

कांग्रेस	...	३	(२ प्रार्थनापत्र एक ही सदस्य के विरुद्ध थे)
इन्डेपेन्डेन्ट	..	१	(२ प्रार्थनापत्र एक ही सदस्य के विरुद्ध थे)
मुसलिम लीग	...	१६	
अहरार	.	१	
नेशनलिस्ट मुस्लिम	...	१	

———

भाग २

विस्तृत अध्याय

प्रस्तावना

रिपोर्ट का यह भाग, यानी भाग २ सात साल बाद फिर से आरम्भ किया जा रहा है। इस दर्मियान सामान्य शासन रिपोर्टों में हर साल सरकार की विभिन्न विभागों में होने वाली कार्यवाहियों का केवल संक्षिप्त विवरण दिया जाता था। ये रिपोर्टें द्वितीय महायुद्ध में लगे रहने, कागज़ इत्यादि चीजों की कमी होने और सफ़ाई को सुरक्षित रखने की अत्यावश्यकता के कारण ही छोटी होती थीं। अब चूँकि स्थिति काफी सुधर गई है, इस लिये यह तय किया गया है कि ये रिपोर्टें लड़ाई के पहले की तरह दो भागों में निकाली जायँ। भाग १ में सरकार की साल भर की महत्वपूर्ण कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण दिया जायगा और भाग २ में प्रत्येक विभाग के कार्य का, जो उसने वैभागिक वर्ष में किया हो, बिस्तृत विवरण होगा।

अध्याय १

सामान्य शासन तथा स्थितियां

१-१९४६ ई० में शासन के सदस्य

महामान्य सर फ्रान्सिस वर्नर वाइली, के० सी० एस० आई०, सी० आई० ई०, आई० सी० एस०, जो सर मारिस गार्नियर हैलेट, जी० सी० आई० ई०, के० सी० एस० आई०, आई० सी० एस० के स्थान पर ७ दिसम्बर १९४५ ई० के पूर्वान्ह में पदासीन हुए थे, इस वर्ष भी प्रान्त के गवर्नर रहे।

लड़ाई के जमाने में जो परामर्शदाता (advisors) १९३५ ई० के भारत-विधान की धारा ९३ के अधीन नियुक्त किये गये थे वे तब तक कार्य करते रहे जब तक कि माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल० एल० बी० के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रि-मंडल ने १ अप्रैल, १९४६ ई० को पद-ग्रहण नहीं कर लिया। माननीय पं० गोबिन्द वल्लभ पन्त जी प्रधान सचिव हुये। उनके अधीन गृह तथा अन्न विभाग भी थे। माननीय श्री रफी अहमद किदवाई गृह-सचिव (पुलिस तथा जेल); माननीय डा० कैलाश नाथ काटजू न्याय, उद्योग तथा श्रम सचिव, माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित स्वशासन तथा स्वास्थ्य सचिव, माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम यातायात सचिव, माननीय श्री संपूर्णानन्द शिक्षा तथा अर्थ सचिव, मान-

नीय श्री निसार अहमद शेरवानी कृषि तथा पशु-पालन सचिव और माननीय श्री गिरधारी लाल-रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प तथा आबकारी सचिव बने।

माननीय श्री हुकुम सिंह, माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी तथा माननीय श्री गिरधारी लाल ७ अगस्त १९४६ ई० से सचिव नियुक्त किये गये। इनके पहले माल विभाग माननीय श्री रफ़ी अहमद किदवाई के अधीन, कृषि विभाग माननीय डा० कैलाश नाथ काटजू के अधीन और जंगलात विभाग माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम के अधीन थे।

२—शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यवाहियां

रीजनल फुड कन्ट्रोलरों (प्रादेशिक अन्न नियन्त्रकों) की पाँच जगहें और डिपुटी रीजनल फुड कन्ट्रोलरों की दस जगहें जो सरकारी राशनिंग योजना के सम्बन्ध में बनाई गई थीं सालभर क़ायम रहीं। इसके अलावा प्रांत के कई नियंत्रित शहरों में पूर्ण राशनिंग (अन्न-वितरण व्यवस्था) प्रारम्भ किये जाने के कारण काम बढ़ गया जिसके कारण उन बाहरी लोगों के अतिरिक्त जो एक बड़ी संख्या में असिस्टेन्ट राशनिंग अफ़सरों के रूप में काम करते रहे, बहुत से डिप्टी कलक्टर भी सप्लाई और राशनिंग के काम में लगे रहे। इसके विपरीत बहुत से लगान तथा मालगुजारी के मुकदमें की कार्यवाहियों को स्थगित करने के सरकारी निर्णय के फलस्वरूप एडिशनल कमिशनरों की संख्या १[illegible] से धीरे धीरे घटाकर ५ कर दी गई। माल सम्बन्धी मुकद्मों के काम में डिप्टी कलेक्टरों की सहायता करने के लिए जो रेवन्यू (माल) अफ़सर १९४५ ई में नियुक्त किये गये थे उनकी संख्या भी ११८ से घटाकर ४ कर दी गई और जुडिशल सर्विस के कार्य-भार को कम करने के लिए मुन्सिफों की जो छः अस्थाई जगहें बनाई गई थीं वे समाप्त कर दी गईं परन्तु हाईकोर्ट और चीफकोर्ट को आदेश दिया गया कि वे जुडीशल काडर में स्थाई वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव भेजें। बोर्ड आफ़ रेवन्यू (माल के बोर्ड) में अपील सम्बन्धी कार्य बहुत अधिक होने से यह आवश्यक हो गया कि बोर्ड में एक और अतिरिक्त सदस्य की अस्थाई जगह बनाई जाय जो साल भर रही। भारत-सरकार के श्रम-विभाग (Department of Labour) के श्रमिक देने की योजना (Labour supply Scheme) के सिलसिले में, जो प्रांतीय अफ़सर डेपुटेशन पर काम कर रहे थे वे उस समय के बाद जब यह योजना डायरेक्टरेट को हस्तान्तरित कर दी गई, रिसेटेलमेन्ट एन्ड एम्प्लायमेन्ट डायरेक्टरेट में काम करते रहे और कोई नई नियुक्तियां नहीं की गईं।

[illegible]रकार का मुख्य कार्यालय गर्मी के मौसम में पहाड़ नहीं गया परन्तु सचिवालय (सेक्रेटेरियट) और कुछ विभागीय अफ़सरों को पहले की तरह गर्मी के

मौसम में एक सीमित अवधि के लिए नैनीताल जाने की आज्ञा दे दी गई। इसके अतिरिक्त २००) रु० प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को विश्राम तथा मनोरंजन या डाक्टरी राय पर जलवायु परिवर्तन और विश्राम के हेतु ली हुई एक महीने से कम किन्तु चार महीने से अधिकी छुट्टियों में यात्रा करने की जो यात्रिक भत्ते की रियायत दी जाती है वह ३१ अगस्त १९४६ ई० तक दी गई। लड़ाई खत्म होने पर भारत सरकार ने यात्रा करने पर लगे हुए नियंत्रणों को ढीला कर दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि समुद्र-पार अपने घरों को जाने वाले जिस अफसर ने भी छुट्टी मांगी उसको दे दी गई, शर्त केवल यह थी कि उनके स्थान पर कार्य-सम्पादन होने की व्यवस्था हो जाय। लड़ाई खत्म होने पर युद्ध-सेवी उम्मेदवारों के लिए जगहें सुरक्षित किया जाना आगे के लिए रोक दिया गया और सैनिक विघटन की रफ्तार के अनुसार ही युद्ध सेवी उम्मेदवारों के लिए सुरक्षित रक्खी हुई जगहों में भर्तियाँ की गईं।

जब मंत्रिमंडल ने अप्रैल १९४६ ई० में पदग्रहण किया तो उसको पता चला कि युद्ध-जन्य परिस्थितियों और नियन्त्रण-प्रणालियों के कारण भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इसलिए यह अत्यावश्यक समझा गया कि अपराधियों को पकड़कर तथा जनमत को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संगठित करके तुरन्त ऐसी कार्यवाहियां की जांय जिससे यह दशा और अधिक बिगड़ने न पाये। इस दशा में पहला काम जो किया गया वह भ्रष्टाचार-अवरोधक विभाग का पुनर्संगठन। यह विभाग पुलिस के डिपुटी इन्सपेक्टर जनरल के नियन्त्रण में रक्खा गया और उनकी सहायता के लिए २ पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, ६ डिपुटी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और अन्य आवश्यक कर्मचारी रक्खे गये। पर यह विभाग पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल के प्रशासकीय नियन्त्रण में ही रहा। इस विशेष विभाग को यह आदेश दिया गया कि वह सरकार और विभागाध्यक्षों द्वारा भेजे हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करे, सरकार की देखरेख में ही इसका काम और व्यक्तिगत मामलों की जांच होती थी। इस मामले में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह तय किया गया कि हर जिले में भ्रष्टाचार अवरोधक समितियां बनाई जांय जिसके सदस्य जिला-मजिस्ट्रेट, पुलिस-सुपरिन्टेन्डेन्ट, व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य, बार एसोसियेशन के सभापति और गैरसरकारी संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि हों। उनका मुख्य कार्य एक तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रचार करना था, दूसरे इस बात पर जोर देना था कि घूस देना उतना ही बड़ा पाप है जितना घूस लेना और तीसरे किसी विशेष अफ़सर या विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को नोटिस में लाना था।

मंत्रि मंडल ने यह भी तै किया कि ३५ लाख रुपये का सामूहिक जुर्माना जो १९४२ ई० के आन्दोलन के संबन्ध में लगाया गया था वापस कर दिया जाय। इस बात को मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति जुर्माने का अपना अंश वापस ले सकता है, यह प्रस्ताव किया गया कि प्रत्येक गांव या क्षेत्र से इकट्ठा की हुई रक़म स्थानीय लोगों के हित की चीज़ों जैसे कुयें, पंचायत घर, पुलियाँ, सड़कें, स्कूल इत्यादि पर खर्च की जाय। तदनुसार ज़िला मजिस्ट्रेटों को यह आज्ञा दी गई कि वे स्थानीय लोगों की इच्छाओं को मालूम करें और ऐसी चीज़ों पर जिनके बारे में सब सहमत हों उक्त रकम का उपयोग करने के लिए विस्तारपूर्वक प्रस्ताव तैयार करें, और जहां कहीं यह रकम खर्च के लिए पर्याप्त न हों वहां बाकी खर्चा सरकार से लिया जाय। यह भी तै किया गया कि व्यक्तिगति रूप से लोगों को और संस्थाओं को उस नुकसान के लिए जो उन्हें अगस्त १९४२ ई० के आन्दोलन के सम्बन्ध में की गई सरकारी कार्यवाही से हुआ, मुआवजा दिया जाय। यह नुकसान नीचे लिखी हुई किस्मों का था:—

(१) वह नुकसान जो उन संगठनों तथा संस्थाओं की संपतियों को पहुँचा जिनके हातों पर सरकार ने भारतीय फौजदारी कानून संशोधक ऐक्ट (Indian Criminal Amendment Act), १९०८ ई० की धारा १७ क के अधीन कब्जा कर लिया था।

(२) वह नुकसान जो भारत-सुरक्षा नियमों के नियम १२४ या १२६ के अधीन संपति जप्त किये जाने के फलस्वरूप हुआ।

(३) वह नुकसान या हानि जो स्थावर या जंगम संपति को पहुँचा, और

(४) डिविडेन्ट का नुकसान जो उन रक़मों पर हुआ जो भारतीय फौजदारी कानून संशोधक ऐक्ट १९०८ ई० की धारा १७-ड अधीन जप्त कर ली गई थी।

सम्बन्धित व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए यह आवश्यक था कि वे एक नियत तारीख़ के भीतर अपने दावे अपने क्षेत्रों के जिला-मेजिस्ट्रेटों के पास भेजें।

१ अक्तूबर १९४६ ई० को भारत-सुरक्षा नियमों के समाप्त हो जाने पर प्रांतीय सरकार के विशेषाधिकार भी जो उसे शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए मिले थे, समाप्त हो गये। इस लिए इस उद्देश्य से कि शान्ति बनाये रखने के लिए सरकार प्रभावकारी कदम उठा सके, संयुक्त प्रांत का सार्वजनिक शान्ति संरक्षक आर्डिनेन्स (United Provinces Maintenance of Public Order Ordinance 1946,) जारी किया गया और यह बाद में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा से पास होकर ऐक्ट बन गया। इस ऐक्ट द्वारा सरकार को जो अधिकार दिये गये

उनके अनुसार वह (१) कुछ खास किस्म के लोगों की गतिविधि या कार्यवाही पर प्रतिबन्ध लगा सकती थी या उनको नजरबन्द कर सकती थी, (२ उन क्षेत्रों के लोगों पर सामूहिक जुर्माने लगा सकती थी जो अशांति तथा अव्यवस्था फैलाने के दोषी हों, (३) सभाओं और जुलूसों इत्यादि पर नियन्त्रण लगा सकती थी, (४ कैम्प, ड्रिल या पैरेड पर नियन्त्रण रख सकती थी, ५) आवश्यक सर्विसों का नियन्त्रण कर सकती थी और (६) युक्त प्रांत में प्रकाशित होने वाले या बाहर से आने वाले पत्र-पत्रिका, पुस्तक इत्यादि का नियन्त्रण कर सकती थी। इस ऐक्ट के आदेशों के साथ साथ संयुक्त प्रांतीय साम्प्रदायिक दंगों को रोकने का आर्डिनेन्स, १९४७ ई० जारी किया गया। इस आर्डिनेन्स के अनुसार पुलिस उतनी शक्ति काम में ला सकती हैं जिसमें दंगाइयों की मृत्यु तक हो सकती और सजायें बढ़ाई जा सकती हैं।

भारत सरकार की १९४१ ई० की योजना जिसमें शरणार्थियों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई थी साल भर चालू रही। इस योजना के अनुसार शरणार्थियों को, जो पश्चिमी और पूर्वी युक्त-स्थानों से आये थे, उनकी हैसियत तथा आवश्यकताओं के अनुसार पालन-पोषण तथा दूसरे विशेष भत्ते दिये जा सकते थे पर ये भत्ते वापस करने होते थे। इसका खर्चा उस देश की सरकार के नाम लिख दिया जाता था जहाँ ये शरणार्थी रहते थे। इसके अतिरिक्त, युनिवर्सिटी के जो शरणार्थी विद्यार्थी अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते थे उनको ऐसा करने में सहायता देने के लिये भारत-सरकार ने अपनी वह योजना जारी रक्खी जिसके अनुसार ब्रिटिश प्रजा-जनों को इस आधार पर भत्ते दिये जाते थे कि वे वसूल नहीं किये जायेंगे, यह सब खर्चा केन्द्रीय सरकार ने दिया। भारत-सरकार की वह योजना भी जारी रक्खी गई जिसके अनुसार १८ वर्ष से कम के भारतीय शरणार्थी अनाथों के पालन पोषण तथा शिक्षा के लिये इस आधार पर भत्ते दिये गये कि वे वापस नहीं लिये जायेंगे और इस पर होने वाला खर्चा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने बराबर बराबर दिया। जैसे ही स्थिति धीरे धीरे साधारण अवस्था में आ गई और अधिक समुद्री जहाज उपलब्ध होने लगे वैसे ही भारत-सरकार ने शरणार्थियों को वापस जाने का प्रबन्ध करना शुरू कर दिया। बर्मा से आये हुये भारतीय शरणार्थियों को वापस भेजने के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने एक विशेष योजना तैयार की। इस योजना के अनुसार बर्मा से आये हुये शरणार्थियों को आदेश दिया गया कि वे शरणार्थी-अभिज्ञान प्रमाण पत्र (Evacuee Identity Certificates) ले लें ताकि वे बर्मा वापस जा सकें। जून के अन्त तक ऐसे प्रमाण पत्रों Certificates को देने का काम जिला-मेजिस्ट्रेटों को सौंपा गया था और उसके बाद यह जिम्मेदारी भारत-सरकार ने स्वयं अपने ही हाथ में ले ली।

सिनेमा परामर्शदानी समिति (Cinema Advisory Committee) साल भर काम करती रही और इस अवधि में प्रान्त में सिनेमाओं की संख्या बढ़ कर १६१ हो गई। जनता को दिखाये जाने वाले फिल्मों के औचित्य या अनौचित्य के बारे में सरकार को राय देना ही इस समिति का काम है। भारत-सुरक्षा नियमों के नियम ४४ क के अधीन प्रत्येक सिनेमा दिखाने वाले के लिये यह आवश्यक था कि वह फिल्मों के हर बार दिखाये जाने के समय कम से कम २००० फीट का एक "स्वीकृत" फिल्म दिखायें, परन्तु सितम्बर १९४६ ई० में उक्त नियमों के समाप्त हो जाने पर प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निवेदन पर सिनेमा लायसेन्सों में एक शर्त्त और जोड़ दी जिसके अनुसार सिनेमाओं के लिये आवश्यक था कि वे कुछ समय तक "स्वीकृत" फिल्म, जो ७५० फीट से कम लम्बे न हों, दिखाते रहे।

इस समय परिगणित जातियों को सामाजिक तथा दूसरी विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है। इन विषमताओं को दूर करने तथा उनकी हालत सुधारने के लिये सरकार ने सामाजिक विषमताओं को दूर करने का बिल (Removal of Social Disabilities Bill) १९४७ ई० पेश किया। इस बिल में परिगणित जातियों के लोगों का यह अधिकार मान लिया गया है कि वे पानी, सड़क, श्मशान घाट और सवारियां काम में ला सकते हैं और सार्वजनिक संस्थाओं तथा मन्दिरों में प्रवेश कर सकते हैं, इस बिल के अन्तर्गत परिगणित जाति के लोग अपने वैध अधिकारों का बेरोक टोक प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कोई उनसे बेगार लेगा या कम मजदूरी पर काम करायेगा तो उसे सजा दी जायेगी।

सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को बेगार पूर्णरूप से समाप्त करा देने का आदेश दिया है। उनको यह आदेश भी दिया गया कि बेगार सम्बन्धी रिपोर्टे पुलिस थानों में तुरन्त लिखा दी जायं और उनकी तत्परता से जाँच की जाय और जहाँ कहीं ये रिपोर्टें सच निकलें वहां पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया जाये। इन आदेशों का परिणाम यह हुआ है कि बेगार लेना कई जिलों में बहुत कम हो गया है और यह आशा की जाती है कि कुछ दिनों में यह बिल्कुल ही कम हो जायगा।

प्रशासकीय व्यय

पहली अप्रेल को कांग्रेस मंत्रिमंडल के शासन संभालने पर विभिन्न विभागों में काम बहुत बढ़ गया जिसके फलस्वरूप सचिवालय का विस्तार करना पड़ा। भूआगम विभाग ने जिसमें पहले से ही बहुत काम था, और काम बढ़ा, जिसके कारण इस विभाग को सुचारु रूप से चलाने के लिए दो भागों में बांट दिया गया। इसी उद्देश्य से रसद विभाग (Civil Supplies Department) और राशनिंग विभाग को खाद्य तथा रसद विभाग के नाम से एक विभाग बना कर अच्छे ढङ्ग से चार शाखाओं में बांट दिया गया। अन्त में बन बिभाग जो पहिले सार्व जनिक

निर्माण विभाग के मंत्री के अधीन था भूआगम विभाग के मन्त्री के अधीन कर दिया गया।

युद्धकालीन भरती

सन् १९४३ ई० से सचिवालय की मिनिसटीरियल सर्विसों में कोई नई भरती नहीं की गई। परन्तु तब तक सचिवालय धीरे धीरे बढ़ता रहा और बार बार कर्मचारियों की मांग किये जाते रहने पर एतदर्थ (adhoc) भर्तियां की गई। युद्ध कालीन परिस्थितियों के कारण अनेक विभागों में अस्तव्यस्थ अवस्था में कार्य होता रहा इस लिए अच्छा काम कराने के लिए सचिवालय के पुर्नसंगठन की आवश्यकता पड़ी और नियुक्ति विभाग के उप मंत्री को पुर्नसंगठन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और उनकी सहायता के लिए एक विशेष कार्याधिकारी भी दिया गया। पुर्न संगठन का कार्य अभी हो रहा है।

सचिवालय का पुर्नसंगठन

३—वर्ष कैसा रहा

(सितम्बर १९४६ में समाप्त होने वाला वर्ष)

ऋतु कैसी रही तथा फसलों पर उसका प्रभाव कैसा रहा

अगस्त से सितम्बर १९४५ तक अच्छी वर्षा हो जाने से जुलाई की वर्षा की कमी पूरी हो गई खरीफ जो पिछले वर्ष २४१६६,८८४ एकड़ भूमि में हुई थी, इस वर्ष २,४१,७२,५८२ एकड़ भूमि में बोई गई। रबी की फसल के लिये खेतों में काफी नमी थी और खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ जाने तथा "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" के कारण पिछले वर्ष २,०६,५६,५०८ एकड़ रबी की फसल की अपेक्षा इस साल २,१६,६३,०७० एकड़ हो गई। नवम्बर १९४५ से मार्च १९४६ तक कभी कभी थोड़े बहुत छींटे ही पड़े पर अच्छा पानी नहीं बरसा। प्रान्त में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अच्छा पानी पड़ा और मई में प्रान्त के कुछ जिलों में थोड़ी बहुत वर्षा हुई। १९४६ का वर्षा ऋतु जो प्रान्त के अधिक जिलों में जून के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ हुआ जुलाई तथा आधे अगस्त तक अच्छा रहा। कहीं कहीं अधिक वर्षा हुई परन्तु कहीं कहीं बहुत थोड़ी। अधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ भी आई और लगभग २० जिलों का बड़ा भाग जल मग्न हो गया। कृषि सम्बन्धी कोई दूसरी आपत्ति वर्ष में नहीं आई। और आगम में १,७१,१७८ रू० की छूट दी गई ६५,४६३ रू० की वसूली स्थागित की गई। १,८०,५८० रू० आर्थिक सहायता के रूप में भी बाँटे गये।

प्रान्त में खेती योग्य ६,०५,८०,४८३ एकड़ भूमि थी। इसमें से पिछले साल जोती गई ५,४६,७७,००० एकड़ भूमि की अपेक्षा इस साल जोती गई ३,६७,८०,६६३ एकड़ थी। खरीफ और रबी के रकबे लगभग बराबर रहे। नवम्बर और दिसम्बर १९४५ ई० और जनवरी और फरवरी १९४६ ई० के महीनों में सूखा

पड़ने के कारण आपाशी के क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में ३.२ प्रतिशत बृद्धि हुई। वर्ष के अन्तर्गत ११,४२३ पक्के कुयें बनाये गये किन्तु ऐसे पक्के कुओं को छोड़ कर जो कि इस्तेमाल नहीं किये गये पक्के कुओं की संख्या में केवल ५,०८५ की बृद्धि हुई।

मूल्य

पूर्ण राशनिंग के कारण गेहूँ और चावल की कीमतें स्थिर रहीं। जौ के भाव में भी बहुत कम अन्तर हुआ अगस्त के महीने में ज्वार और मक्का मँहगा हो गया था लेकिन नवम्बर में खरीफ की फसल बाजार में आ जाने पर इनका भाव फिर कुछ गिर गया। गेहूँ के राशन की मात्रा में घटती होने के कारण फिर मक्का और ज्वार मँहगा हो गया। मार्च के महीने तक चना बराबर मँहगा होता गया किन्तु बाद में नई फसल के बाजार में आ जाने से उसका भाव गिर गया। वर्ष के अन्त में गल्ले का भाव करीब करीब स्थिर रहा।

वर्ष के अन्तर्गत स्वास्थ्य संतोष प्रद रहा।

अध्याय २

भूमि का शासन प्रबन्ध

४—माल (सामान्य)

यद्यपि युद्ध समाप्त हो चुका था तथापि वर्ष के आरम्भ के पूर्व गल्ले की बिक्री के दाम बराबर बढ़ते गये जिसके फल स्वरूप कृषकों को अत्यधिक लाभ हुआ। मजदूरों की कमी के कारण खेती में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरियाँ भी बहुत बढ़ गई और बैलों और कृषि-उपकरणों के दाम भी बराबर बढ़ते ही गये। किन्तु अन्न प्राप्त करने (प्रोक्यूरमेन्ट) और कन्ट्रोल की सरकारी योजनाओं के कारण बाजारों में बराबर माल आता रहा यद्यपि मिट्टी का तेल, चीनी और कपड़ा जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण लोग परेशान अवश्य रहे।

बेदखलियां

कुछ बड़े जमींदारों ने जिन्हें नियत दर पर लगान मिलता था इस बात का प्रयत्न किया कि यू० पी० टेनेन्सी (कब्जा आराजी) ऐक्ट की बेदखली सम्बन्धी धाराओं के अधीन जो कुछ भी भूमि वे प्राप्त कर सकें उस पर बड़े बड़े नजराने लेकर वे कुछ फायदा उठा लें। लेकिन सरकार ने ऐसी कुल बेदखलियों को स्थगित करने की आज्ञा जारी कर दी जिसकी वर्ष के अन्तर्गत अनुमति दी गई थी और इस तरह उनकी यह चाल कामयाब नहीं हो पाई। कुछ जमींदारों ने अपनी सीर को जोत कर और कुछ ने गल्ले के व्यापार द्वारा इस मँहगाई के संकट से अपने को बचाया। लेकिन सबसे अधिक चिन्तित वे जमींदारी प्रथा के अन्त कर देने के प्रस्ताव से हुये।

किसान जमींदार सम्बन्ध

वर्ष के अन्तर्गत प्रान्त हर प्रकार के व्यापक खेतिहर संकटों से बचा रहा और कुछ जिलों को छोड़ कर कहीं भी कोई किसान उपद्रव नहीं हुआ और किसानों और जमीदारों के सम्बन्ध प्रायः मैत्री पूर्ण रहे। लगान और मालगुजारी वसूल करने के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं हुई।

ऋण सम्बन्धी क़ानून

वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि के साथ साथ ऋण सम्बन्धी ऐक्टों से छोटे मालिकों और कर्जदार किसानों को अत्यधिक लाभ पहुँचा। मूल्य वृद्धि और ऋण सम्बन्धी ऐक्टों से रूरलक्रेडिट को अवश्य धक्का लगा किन्तु उनके कारण भूमि किसानों से महाजनों के पास जाने से बच गई।

जोतों की चकबन्दी

पिछले ६ वर्षों से बलिया, बिजनौर, बहराइच, बस्ती, सीतापुर, इलाहाबाद, गोरखपुर और देवरिया के जिलों में जोतों की चकबन्दी की योजना कार्यान्वित हो रही है। लेकिन मार्च में कन्सोलिडेटरों की एक कान्फेरन्स में यह निश्चित हुआ था कि पुरानी प्रणाली को त्याग कर पंचायतों द्वारा जोतों की चकबन्दी (वेट्स-योजना) की योजना को अपनाया जाय। तदनुसार इस योजना को कार्यान्वित किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में, जब कि केवल ११२ गाँवों अर्थात् ३३,६५२ एकड़ भूमि की चकबन्दी के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे इस वर्ष कन्सोलिडेटरों ने १,०४६ गाँवों अर्थात् १,९९,४६९ एकड़ भूमि की चकबन्दी के, प्रस्ताव प्रस्तुत किये बनाकों की संख्या ३,९९,५२९ से घटाकर ७५,१५८ कर दी गई। अधिकांश जिलों में चकबन्दी का अमला अभी तक इस नई योजना के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहे हैं और इसीलिये यह योजना अभी तक उतनी अधिक पसन्द की गई जितनी कि आशा की जाती थी। ३० सितम्बर, १९४६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में की गई चकबन्दियों की संख्या निम्नलिखित विवरण पत्र में दी गई हैं।

जिले का नाम	१-१०-१९५४ ई० को शेष	वर्ष के अन्तर्गत की गई चकबन्दियां	रद्द किये गये	कुल मामलों की संख्या	कन्सोलिडेटरों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की संख्या	बकाये (प्रस्ताव जो प्रस्तुत करने को हैं)	ऐसे मामले जिनमें चकबन्दी स्वीकृत होगई	मामले जिनमें नये रिकार्ड तैयार किये गये	बकाया (रिकार्ड तैयार करने को बाकी हैं)	अभ्युक्तियां (Rewards)
बलिया	७५	८	...	८३	१३	६५	७	७	७	
बिजनौर	१९६	१०२	२०४	९४	१३	८१	२०	३८	..	
बहराइच	८५	...	...	८५	९	७६	३	२	१	
बस्ती	३०८	१७	११९	२०६	१	२०५	११	५	६	
सीतापुर	१९	८	११	१६	४	१२	९	१०	...	
इलाहाबाद	९५	..	...	९५	८	८७	२	५	...	
गोरखपुर	१७०	४०५	...	५७५	५७५	...	१२४	१०२	२२	
देवरिया	...	४१८	...	४१८	४१८	.	...	...	...	
योग	९४८	९५८	३३४	१,५७२	१,६४६	५२६	१७६	१६९	२९	

बरसाती फसलें और तकावी

जून के प्रथम सप्ताह में अधिकांश जिलों में हल्की बूंदा बाँदी हुई किन्तु खूब पानी बरसना मास के दूसरे सप्ताह से हुआ और तदनुपरान्त सारे मास भर, कभी कम कभी अधिक वर्षा होती रही। जुलाई के महीने में काफी पानी बरसा और जून और जुलाई के महीनों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफ़ी अधिक वर्षा हुई। खरीफ़ की फसलें ठीक समय पर बोई गईं। अगस्त के महीने में केवल कुछ ही जिलों में भारी वर्षा हुई और अधिकांश जिलों में हल्की वर्षा हुई। और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष इस मास की वर्षा का औसत कुछ कम रहा। सितम्बर के पहले ३ सप्ताहों में हल्की बूंदा बाँदी रही किन्तु चौथे सप्ताह में तो बिल्कुल ही पानी नहीं बरसा। अक्तूबर के प्रथम पखवारे में भी हल्की बूंदा बाँदी हुई किन्तु तीसरे और चौथे सप्ताह में वर्षा नहीं हुई। पहिली जून से ३१ अक्तूबर, १९४६ ई० तक कुछ वर्षा आमतौर पर औसत रूप में हुई। नवम्बर में वर्षा अत्याधिक हुई परन्तु दिसम्बर में प्रान्त भर में वर्षा कम हुई और झाँसी डिवीजन में कुछ अधिक हुई।

फसलें

१९४५-४६ ई० की रबी की फस्ल की पैदावार कभी वर्षा कम होने और कभी आंधी पानी के अधिक आने के कारण प्रांत के बहुत से भागों में कम हुई यहाँ तक कि गेहूँ की पैदावार १२ प्रतिशत, चना की पैदावार ८ प्रतिशत और तिल की पैदावार ११ प्रतिशत पिछले वर्षों की अपेक्षा कम हुई।

१९४६ ई० का खरीफ़ की फ़सल बोने वाले मौसम के खराब होने के कारण खेती का क्षेत्र १.५ प्रतिशत घट गया। गर्मी में बोई जाने वाली फ़स्लों का क्षेत्र भी ४९७८ एकड़ घट गया।

छूटें और लगान का स्थगित किया जाना

रबी १३५३ फ़स्ली में ३९९४९० रुपये की छूट दी गई और १०९५४ रुपये का लगान स्थगित कर दिया गया। खरीफ़ १३५३ फ़स्ली में २५०४५२ रु० की छूट दी गई और ३४०४१६ रु० का लगान स्थगित कर दिया गया। २९३९८९० रु० तकावी के तौर पर दिया गया। १८०५८० रु० आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया।

भू आगम, कृषि-अग्रिम (पेशगी) और नहर के महसूल की वसूली

कुल माँग और वसूली

१९४६ ई० के ३० सितम्बर के अंत होने वाले वर्ष में भू आगम की कुल मांग ९८५.६५ लाख रु० थी जबकि पिछले वर्ष ९८२.२९ लाख पिछले वर्ष थी। इस प्रकार की कुल मांग ११०६'७० लाख रु० की थी जिसमें से १०९४'५० लाख और ९८'९ प्रतिशत की वसूली हुई, जब कि पिछले वर्ष ९९ प्रतिशत की वसूली हुई थी।

अग्रिम (पेशगी) वसूली के तौर पर १७.२० लाख रु० दिया गया जबकि पिछले वर्ष १२.२८ लाख रु० दिया गया था ।

६—पैमाइश कागजात देही तैयार करने और बन्दोबस्त का कार्य

(१९४६ ई० के सितम्बर में अंत होने वाले वर्ष के लिए)

पैमाइश और कागजात देही तैयार करने का कार्य अल्मोड़ा म्यूनिसपैलिटी में पूरा किया गया था और सितम्बर १९४६ ई० में आज़मगढ़ ज़िले के घोसी तहसील में आरम्भ किया गया था ।

जहाँ कहीं आवश्यक थे आठसाला बन्दोबस्त किए गये, किन्तु मेरठ, बिजनौर, बदायूँ और इलाहाबाद के ज़िलों में, कुछ तो पटवारियों की हड़ताल के कारण और कुछ इस कारण कि वे ग़ल्ला वसूली की योजना में लगे हुए थे, यह काम रोकना पड़ा । जहाँ कहीं आवश्यक थे, संक्षिप्त कार्रवाइयों के आधार पर बन्दोबस्त कर दिये गये ।

७—काग़जात देही (Land Records)

काग़जात देही (Land Records) से सम्बन्धित कर्मचारियों का ग़ल्ला वसूली की योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े बांटने, तथा फसल काटने के प्रयोगों में लगे व्यस्त होने पर भी प्रान्त भर में काग़जात देही तैयार करने के सम्बन्ध में सामान्य रीति से कार्रवाई की गई । वर्ष के अधिकतर भाग में लैंडरेकर्ड्स के तीन अतिरिक्त डाइरेक्टरों में मुख्य कार्यालय में काम किया और काग़जात देही के तैयार करने के काम की जाँच की । कानूनगो इन्सपेक्टरों ने भी कुछ जिलों का काग़जात देही तैयार करने के काम की जांच की । १०२५ पटवारियों ने सुपरवायजर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कानूनगो के अस्थाई रिक्तपदों पर कार्य किया ।

पटवारियों के सर्किलों के अदल बदल होने के कारण, आज़मगढ़ ज़िले के ६६ पटवारियों और १३ असिस्टेंट पटवारियों के अस्थाई पद स्थाई कर दिये गये और एटा ज़िले में पटबारियों के ६ पद कम हो गये । बनारस डिविज़न तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त जहाँ कि काग़जात देही तैयार करने (Records) के सम्बन्ध में कार्रवाइयाँ बहुत दिनों से नहीं की गई थीं, कागजात देही की स्थिति सन्तोषप्रद थी । इस वर्ष में तहसील और जिलों के नक़्शों के संशोधन कार्य में विचारणीय प्रगति हुई ।

अक्तूबर, १९४५ ई० में कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल परीक्षा में ४४ परीक्षार्थी जिसमें कि ७ पटवारी और ७ सरकार के प्रार्थी भी सम्मिलित थे, ने भाग लिया और एक पटवारी और एक बाहर के परीक्षार्थी के अतिरिक्त सब सफल हुए ।

८—जोतों का क्षेत्र

(सितम्बर, १९४६ ई० के समाप्त होने वाले वष के लिए)

प्रान्त में जोतों के क्षेत्रफल में गतवर्ष की अपेक्षा १.८४ लाख एकड़ अथवा ०.४ प्रतिशत, की वृद्धि हुई। खुदकाश्त के कुल क्षेत्रफल में मौरूसी काश्तकारों तथा गैर दखील काश्तकारों की भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। सीर की जोतों के क्षेत्रफल में कमी हुई, दखीलकार असामियों की जोतों में भी कमी हुई।

९—सरकारी भू-सम्पतियां

स्टोन महाल मिर्जापुर जो कि बनारस डिवीजन के कमिश्नर के द्वारा नियन्त्रित होता रहा, समस्त सरकारी भू सम्पतियाँ बोर्डमाल के नियन्त्रण के अधीन थीं। १९४५-४६ ई० में भू सम्पतियों का आगम में १९४४-४५ ई० के २२,०९ लाख रु० की तुलना में २८,८७ लाख हुआ और खर्चा १९४५-४६ ई० के १०,१४ लाख की अपेक्षा १२१३ लाख रुपया हुआ। आय में सबसे अधिक वृद्धि जो ४.७८ लाख रुपये थी तराई भाभार की सरकारी इस्टेटों (भूसम्पतियों) से इस कारण हुई कि खेती का रकबा बढ़कर ७०८० एकड़ हो गया, मिलों, दूकानों बाजारों और बागों के ठेके में अधिक लागडाट हुई और इमारती लकड़ी की बिक्री से अधिक रुपया मिला।

कमायूँ डिवीजन

कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा पद ग्रहण करने के बाद इस्टेटों (Estates) में रहने वाले उन लोगों की दशा में सुधार करने के लिए मलेरिया और पीने के स्वच्छ पानी के अभाव से पीड़ित थे, ठोस प्रयत्न किये गये। इस्टेटों (सम्पतियों) में सुधार करने, विशेषकर काश्तकारों के मकान, पताल तोड़ कुएँ, ट्यूबवेल और पानी की नहरें, रामनगर और कोट द्वारा में पानी के निकास की योजनाओं तथा कोट द्वारा में मिडिल स्कूल के भवन का निर्माण करने सम्बन्ध में व्यय के लिए १९४६-४७ ई० के आर्थिक वर्ष के बजट में ५ लाख रु० की एक मुश्तरक़म रकखी गई।

दुधी की सरकारी इस्टेटें

कमायूँ डिविजन में इस्टेटों के विकास के अतिरिक्त मिर्जापुर की दुधी सरकारी इस्टेट का सुधार करने की ओर भी ध्यान दिया गया और इस्टेट में सुधार की योजनाओं को चलाने के लिए बजट में २ लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

सरकार ने वर्तमान दुधी-चिकित्सालय को सेन्ट्रल वेनेरियल डिसिजेज हास्पिटल (Central Venerial Diseases Hospital) में परिणित करने की स्वीकृत दे दी है और इस्टेट में मलेरिया का उपचार करने के लिए चार चिकित्सालयों की स्थापना करने का निश्चय किया गया है तथा दुधी की डी० के० स्कूल के

लिए ५०,००० रु० का अनुदान स्वीकृत किया है । समस्त सरकारी इस्टेटों में सुधार सम्बंधी छोटी योजनाओं पर १ लाख रु० व्यय किया जाता है ।

लोक स्वास्थ्य (Public Health)

लोक स्वास्थ्य साधारण रूप से अच्छा रहा और मलेरिया के कारण तराई और भाभर इस्टेट में बहुत कम लोग मरे । लोक स्वास्थ्य के कर्मचारियों द्वारा रोगों की रोकथाम करने और उनका उपचार करने की वे ही कार्रवाइयाँ होती रहीं जो पहले होती थीं । सरकार ने जच्चा बच्चा (Maternity) के वर्तमान आठ केन्द्रों के अतिरिक्त तीन और केन्द्र बढ़ाये । स्वच्छ पानी की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक रीति से पानी उठाने के कल के बन जाने से कोट द्वारा के निवासियों को बड़ा लाभ हुआ ।

लोक निर्माण (Public Works)

इस मद में सब से महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि तराई और नैनीताल के क्षेत्रों का भोगोलिक विवरण सम्बंधी सर्वे हवाई जहाज से फोटो लेकर किया गया । रामनगर, टनक पुर कालाढूंगी और भीमताल के पानी की कलें सुचारु रूप से चलती रहीं दुधी और मिर्जापुर में कुएँ खोदने का कार्य प्रति वर्ष ६,३०० रु० के लागत के हिसाब से रहा और दुधी विन्धामगंज सड़क को एक मी लतक पक्का बनाने में २,४०० रु० व्यय किया गया ।

शिक्षा

तराई और भाभर की सरकारी इस्टेटों ने नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शिक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए ७,५०० रु० दिये । इस्टेटों के स्कूलों में कर्मचारी गण प्रयाप्त मात्रा में हैं । और बेसिक ट्रेनिंग लोकप्रिय हो रही है । विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी और दुधी में छः प्रारम्भिक स्कूल भी चलाये गये ।

कृषी

तराई और भाबर इस्टेटों और दुधी स्टेटों में बीज के गोदामों ने काश्तकारों को पृथक पृथक १०,७६० और ३,१७६ मन बीज बाँट कर सहायता दी और इन अच्छे बीजों के बाँटने से १ १/२ लाख मन आवश्यक अन्न पैदा हुआ । 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' के सम्बन्ध में हल्द्वानी, कीचा, रामनगर के क्षेत्रों में काश्तकारों को खाद भी बाँटी गई । इन इस्टेटों में (पोलट्री फार्मिंग मुर्गा मुर्गी इत्यादि के पालन पर विशेष ध्यान दिया गया ।

बन

तराई और भावर और दुधी इस्टेटों मेंबनों का बहुत महत्व पूर्ण स्थान है । तराई और भावर स्टेट से बनों द्वारा १२.३३ लाख रुपये की और दूधी स्टेट से २५ लाख रुपये की आय हुई । तराई और भावर स्टेट के बनों से, बन की अन्य छोटी उपजों के अतिरिक्त, किसानों (असामियों) को निःशुल्क आवश्यक इमारती लकड़ी, ईंधन तथा चराई की सुविधायें प्राप्त हुईं ।

तराई और भावर सरकारी स्टेटों में नई बस्तियां बसाने की बड़ी सुविधायें हैं और इस प्रयोजन से इन स्टेटों की उन्नति करने की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ।

१०—कोर्ट आफ़ वार्ड्स की इस्टेटें

(३० सितम्बर, १९४९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए)

प्रबन्ध में आई हुई स्टेटें

इस वर्ष में ऐसे स्टेटों की संख्या जो कोर्ट आफ़ वार्डस के प्रबन्ध में थीं १९५ से गिर कर १८४ रह गई। १९ स्टेटें प्रबंध से मुक्त की गई तथा ५ नई स्टेटों को प्रबन्ध में ले लिया गया। प्रबन्ध से मुक्त की गई स्टेटों में काशीपुर स्टेट (बिजनौर) तथा कालाकांकड़ स्टेट (प्रतापगढ़) सबसे प्रधान थीं और इनकी कुल आय क्रमशः १,२६,००० रुपया तथा ३,३२,००० रुपया थी। पहली स्टेट अर्थात काशीपुर स्टेट कुल २१ वर्ष प्रबन्ध में रही और इस अवधि में उसके सम्पूर्ण ऋण की धनराशि जो ५,५६,५७५ रुपये थी, भुगतान दी गई। मुक्त करने के समय स्टेट के मालिक को १६,१७६ रुपये नक़द, शेष, तथा ८००० का रुपये के प्रत्यक्ष मूल्य (Face Value) की गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ भी दे दी गई। दूसरी स्टेट अर्थात कालाकांकर स्टेट लगभग १२ वर्ष प्रबन्ध में रही और ६,४५,३४९ रुपये का पुराना ऋण और १,३४'००० रुपये का नया ऋण जो वार्ड (Ward) की बहिन विवाह के हेतु लिया गया था भुगतान कर दिया गया। वार्ड (Ward) की स्टेट के मुक्त किये जाने की तिथि पर ५१,४८९ रुपये का नक़द शेष सौंप दिया गया।

उन स्टेटों में जो प्रबन्ध में ली गई, सबसे प्रधान अतरा चन्दापुर स्टेट (रायबरेली), नीलगाँव स्टेट (सीतापुर) तथा गनेशपुर स्टेट (बाराबंकी) थीं।

वसूलियाँ

सभी प्रकार के आदेय धन-राशियों (लगान सयार (Sayar) तथा बन) की प्रचलित मांग (Current demand) ९८.३९ लाख रुपये से गिरकर ९७ लाख रुपये रह गई। इस कमी का मुख्य कारण यह था कि वर्ष में जो स्टेटें मुक्त की गई वे उन स्टेटों की तुलना में जो प्रबन्ध में ली गई अधिक संख्या में थीं और उनका विस्तार भी अधिक था। पिछले वर्ष के १०० प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष वास्तविक वसूल की जाने वाली मांग (net recoverable demand) का केवल ९९.९ प्रतिशत ही दोनों प्रचलित तथा बकाया मांगों (current and arrear demands) के सम्बंध में प्राप्त हुआ। यदि ऐसे स्टेटों के आंकड़ों को जो इस वर्ष प्रबन्ध से मुक्त की गई न सम्मिलित किया जाये, तो वसूलियों का प्रतिशत १०१.६ होगा।

प्रबन्ध का व्यय

स्टेटों को प्रबन्ध में रखने का व्यय १३.७ लाख रूपये से बढ़कर १५ लाख रुपये हो गया। कोर्ट आफ़ वार्ड्स के कर्मचारियों को बढ़े हुए दरों पर मंहगाई के भत्ते दिये जाने तथा निम्न श्रेणी के स्थापना के वेतन में वृद्धि किये जाने के कारण मुख्यतया यह वृद्धि हुई।

सुधार-कार्य

वार्डों (Wards) की शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया गया। पिछले वर्ष के १६.०२ लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष २०.५२ लाख रुपये, वार्डों, उनके परिवारों तथा आश्रितों के निर्वाह तथा शिक्षा पर व्यय किये गये। १८.२७ लाख रुपये की तुलना में २३.८६ लाख रुपये ऋणों के भुगतान में दिये गये। वर्ष के अंत में स्टेटों द्वारा की जाने वाली दायित्वों की धन राशि १४४.७ लाख रुपये से १३७.८ लाख रुपये तक कम हो गई।

वर्ष के विभिन्न सुधार कार्यों पर कुल व्यय ३.५ लाख रुपये की तुलना में ४.६६ लाख रुपये हुआ। इन सुधार कार्यों में जो विशेष उल्लेखनीय थे वे कृषि उन्नति तथा भवनों की मरम्मत तथा निर्माण कार्य था। कृषि उन्नति कार्य में सबसे अधिक व्यय "अधिक अन्न उपजाओ" आंदोलन के कारण हुआ तथा भवनों की मरम्मत तथा निर्माण कार्य में जो अधिक व्यय हुआ उसका कारण ऐसे भवनों की मरम्मत तथा निर्माण कार्य करना था जिनका काम पिछले वर्षों में युद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया था। स्टेटों ने जन हित के कार्यों में यथेष्ट चंदे दिए जिससे उनके किसानों (असामियों) को लाभ पहुँचे तथा उनमें कला तथा शिक्षा का प्रचार हो सके।

नीचे दिए नक़्शे में, शिक्षा, सफ़ाई, डाक्टरी सहायता तथा चंदों पर इस वर्ष जो व्यय किया गया है उसकी तुलना पिछले वर्ष के व्यय से की गई है :—

मद	व्यय जो किया गया	
	१६४४-४५ ई० में	१६४५-४६ ई० में
	रु०	रु०
शिक्षा	५८,०४४	८४,७७४
सफ़ाई	११,०७७	१२,४०२
डाक्टरी सहायता ...	७५,५६२	४७,२२३
चन्दे	३५,३४७	५०,१५७

कोर्ट आफ़ वार्ड्स के अधिकारियों ने पूर्ववत "अधिक अन्न उपजाओ" प्रचार चकबंदी, एकजाई रूप में खेती, नये बाग़ लगाने, ईंधन के पेड़ लगाने, पशु-उन्नति निजी प्रदर्शन फार्म तथा निजी रूप से बीज उगाने, जैसे आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया। गवर्नमेंट तथा अन्य सिक्योरिटियों में लगाई गई कुल धनराशि में भी वृद्धि हुई।

लोकल फन्ड एकाउन्ट्स के इक्जामिनर ने पूर्ववत स्टेटों के लेखों की जांच की। आडिटरों द्वारा जो त्रुटियां तथा अनियमितताएं बताई गईं वह साधारण मात्र थीं और अधिकांश नियमों के न पालन करने के कारण हुई थीं और कुछ मामलों में निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों की ढिलाई के कारण थीं। वर्ष भरमें केवल दो गबन के मामले हुए जिनमें २,८०० रुपये की कुल धनराशि हड़प ली गई थी। दोनों मामलों में, अपराधियों को उचित दण्ड दिया गया।

लेखे के हिसाब की जांच

११ आगम और लगान के न्यायालय

(३० सितम्बर, १६४६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए)

युक्त प्रान्तीय भूमि अधिकार ऐक्ट (U. P. Tenancy Act) के पांच वर्ष के संचालन से उसके कुछ ऐसे दोष प्रकट हुए जिनके द्वारा जमींदारों ने किसानों (असामियों) की एक बहुत बड़ी संख्या को आधार-हीन युक्तियों से बेदखल कर दिया और इस प्रकार विधान (Act) के बनाने वालों के उस प्रधान उद्देश्य को निष्फल बना दिया जिसके द्वारा किसानों (आसामियों) के भूमि-अधिकार को स्थाई बना देने का आयोजन किया गया था। अतः सरकार ने जो सर्वप्रथम कार्रवाई अप्रैल १६४६ ई० में की वह यह थी कि ऐक्ट में संशोधन होने के पूर्व उसने बेदखली की धाराओं के अधीन होने वाली सारी अदालती कार्यवाहियाँ स्थगित कर दीं। इस प्रकार वर्ष के आखिरी अर्द्ध भाग में सभी बेदखली की कार्यवाहियाँ स्थगित कर दी गई थीं।

भूमि-अधिकार (Tenancy) संबंधी मुकदमे

वर्ष में जो नालिशें (Suits) की गईं तथा जो प्रार्थना पत्र (अर्जियाँ) दिये गये उनकी कुल संख्या ५·०० लाख से गिरकर ३·४८ लाख रह गई और मुख्यतया "बेदखली" (१२८,४४६) और "बकाया लगान" (१०,८२६) के अधीन कमी हुई। नालिशों की संख्या में कमी का कारण यह था कि अब किसान (असामी) खुशहाल होते जा रहे हैं और विधान के आदेशों का समुचित ज्ञान भी उन्हें प्राप्त होता जा रहा है।

वर्ष के आरम्भ के विचाराधीन १·३२ लाख मुकदमों को यदि सम्मिलित कर दिया जाय तो पिछले वर्ष के ८·३० लाख मुकद्मों की तुलना में इस वर्ष ४·८० लाख मुकदमे निर्णय के लिए थे। इसमें से ३·६३ लाख मुकदमे निर्णय किये गये जबकि पिछले वर्ष यह संख्या ६·६८ लाख थी।

धारा ५२ तथा ५३ के अधीन, निर्णय किए गये प्रार्थना पत्रों (अर्जियों) की संख्या १२१० की तुलना में ८२८ थी और इनमें १,६३२ एकड़ भूमि की तुलना में १,०२० एकड़ भूमि सम्मिलित थी।

जोतो का विनिमय

ज़मीदारों द्वारा भूमि प्राप्ति

विधान (Act) की धारा ५४ के अधीन, भूमि प्राप्ति के लिए १०·३४ प्रार्थना पत्रों की तुलना में ८५५ प्रार्थना-पत्र दिये गये। इसमें पिछले वर्ष के विचाराधीन ४२६ प्रार्थना पत्रों को सम्मिलित कर देने से, इनकी संख्या १,२८४ हो जाती है। इसमें से पिछले वर्ष के ८५५ प्रार्थनापत्रों की तुलना में ४४६ प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय दे दिया गया। १३४ मामलों में भूमि प्राप्ति की आज्ञा दे दी गई जिसमें ३०८ एकड़ भूमि १६० एकड़ उपवनों और बागों के लिए और ११८ एकड़ भवन निर्माण के लिए सम्मिलित थी। इस धारा के अधीन होने वाले मुकदमे भी बेदखली के मुकदमों की भांति स्थगित कर दिए गये थे।

डिगरियों का निष्पादन (Execution of decree)

डिगरियों पर कारवाई करने के लिए प्रार्थना-पत्रों की संख्या में तेजी से कमी हुई और उनकी संख्या १,८६,६१४ से गिर कर केवल ९३,५५० रह गई। वर्ष के प्रारम्भ के २१,२२३ विचाराधीन प्रार्थना पत्रों को सम्मिलित करते हुए, कुल निर्णयात्मक प्रार्थना-पत्रों की संख्या १,१४,७७३ थी जिसमें से ९२,८२४ पर या ८६ प्रतिशत से ऊपर पर निर्णय दे दिया गया।

अपीलें तथा रिवीजन (Revision)

कलेक्टरों द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों के संबन्ध में, भूमिअधिकार विधान (Tenancy Act) के अधीन की गई अपीलों में कमी हुई परन्तु भूमि आगम विधान (Land Revenue Act) के अधीन की गई अपीलों में वृद्धि हुई।

कमिश्नरों द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों में, भूमि अधिकार विधान तथा कुमायूं भूमि अधिकार नियमों के अंतर्गत की गई १५·१६७ अपीलों में तथा भूमि आगम विधान के अधीन की गई १,६०२ अपीलों में निर्णय हुआ।

बोर्ड आफ रेवेन्यू ने भूमि-अधिकार विधान तथा कुमायूं भूमि-अधिकार नियमों के अधीन क्रमशः ३,२१२ तथा ५२५ अपीलों में निर्णय दे दिया।

वर्ष में १४५ अवैतनिक असिस्टेन्ट कलेक्टरों ने काम किया और उन्होंने ६१,२७६ मुकदमों में निर्णय दिया। १८ रेवेन्यू अफ़सरों ने काम किया और उन्होंने १,६१,४५१ मुकदमों में निर्णय दिया।

भूमि प्राप्ति

लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन, वर्ष में स्थाई तथा अस्थाई रूप से क्रमशः २९६० एकड़ तथा २,८९२ एकड़ भूमि प्राप्त की गई और इस प्रकार प्राप्त की गई भूमि का कुल योग गत वर्ष के ३१,५०४ एकड़ की तुलना में ५,८५२ एकड़ ही था। इस वर्ष ९·२९ लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये जबकि १९६४-६५ ई० में ६·७५ लाख रुपये दिये गये थे।

भारत रक्षा नियमों (Defence of India Rules.) के अधीन ५·६५६ एकड़ भूमि प्राप्ति करने के लिए आज्ञायें जारी की गई थीं और स्थाई रूप से प्राप्ति भूमि का क्षेत्रफल ५·०६१ ऐकड़ था। वर्ष में १८·३१ लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये।

अध्याय ३

कानून, शान्ति व्यवस्था तथा स्थानीय स्वशासन प्रबन्ध (LOCAL SELF GOVERNMENT)

१२—विधान-निर्माण का क्रम

गवर्नर ने उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो उन्होंने भारत-शासन विधान (Government of India Act) की धारा ९३ के अधीन किये गये घोषणा-पत्र के फलस्वरूप अपने हाथ में ले लिए थे नीचे लिखे हुए विधान (ऐक्ट) स्वीकार कर लिए:—

१. लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधक) विधान (The Lucknow University (Amendment) Act, १९४६ ई० ।

२. आगरा विश्वविद्यालय (संशोधक) विधान The Agra University (Amendment) Act. १९४६ ई० ।

३. युक्त प्रांतीय भाराक्रांत सम्पत्तियों (संशोधक) विधान The United Provinces Encumbered Estate (Amendment) Act, १९४६ ई० ।

४. आगरा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधक) विधान The Agra University (Second Amendment) Act. १९४६ ई० ।

युक्त प्रांतीय धारा सभाओं द्वार ।प्राप्त विधान आलेख (Bill) जो गवर्नर द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात विधान (Act) बन गये नीचे दिये हुये हैं:—

१. युक्त प्रांतीय सचिवों के वेतन (संशोधक) विधान (The United Provinces Minister's Salaries (Amendment) Act.) १९४६ ई० ।

२. युक्त प्रांतीय धारा सभाओं (सदस्यों के वेतन) (संशोधक) विधान, (The United Provinces Legislatures Chamber's (Member's Emoluments) (Amendment) Act. १९४६ ई० ।

३. युक्त प्रांतीय धारा सभाओं (पदाधिकारियों के वेतन (संशोधक) विधान, The United Provinces Lagislatures (Officer's Salaries) Amendment) Act, १९४६ ई० ।

४. युक्त प्रांतीय डिस्ट्रिक्ट बोर्डों (संशोधक) विधान (The United Provinces District Boards (Amendment) Act. १९४६ ई० ।

क्योंकि युक्त प्रांतीय धारा सभाएँ कार्य नहीं कर रही थीं और क्योंकि भारत रक्षा विधान (Defence of India Act) द्वारा प्रदत्त अधिकार और उसके अधीन बनाये गये नियम ३० सितम्बर १९४६ ई० को समाप्त हो गये, इसलिए गवर्नर ने नीचे लिखे आर्डिनेंस जारी कर दियेः—

१. युक्त प्रांतीय शांति व्यवस्था बनाये रखने का आर्डिनेंस (The United Provinces Maintenance of Public Order Ordinance) १९४६ ई० ।

२. युक्त प्रांतीय (अस्थाई) मकानों के किराए तथा मकानों से बाहर निकालने पर नियंत्रण करने के आर्डिनेंस The United Provinces (Temporary) Control of Rent and Eviction Ordinance) १९४६ ई० ।

३. युक्त प्रांतीय सप्लाइज़ पर नियन्त्रण करने (अस्थाई अधिकार) के आर्डिनेंस (The United Provinces Control of Supplies (Temporary Power) Ordinance) १९४६ ई० ।

४. युक्त प्रांतीय सप्लाइज़ पर नियन्त्रण करने (अस्थाई अधिकार संशोधक) आर्डिनेंस (The United Provinces Control of Supplies (Temporary Powers) (Amendment) Ordinance) १९४६ ई०

५. युक्त प्रांतीय होमगार्ड आर्डिनेंस (The United Provinces Home Guard Ordinance) १९४६ ई० ।

१३—गृह

(क)—पुलिस

अपराध

ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार है और जो १९३९ ई० से बराबर कम होते जा रहे थे इस वर्ष तेज़ी से बढ़ गए । १९४५ ई० की संख्या ६३,६८३ की तुलना में इस वर्ष ऐसे मामलों की संख्या जिनकी सूचना पुलिस को दी गई थी बढ़ कर ७७,८८९ हो गई । सभी प्रकार के अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई परन्तु विशेष रूप से ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गई जो व्यक्ति विशेष तथा संपत्ति के विरुद्ध किये गए अपराधों से सन्बंधित थे । डकैतियों में लग भग ३८ प्रतिशत, सेंध द्वारा चोरियों (Burglaries) में २८ प्रतिशत, हत्याओं में ४० प्रतिशत, दंगों में ७५ प्रतिशत तथा लूट पाट (Robbery) में ४७ प्रतिशत वृद्धि हुई ।

साम्प्रदायिक स्थित

डकैतियों तथा हत्याओं की एक बड़ी संख्या साम्प्रदायिक दंगों से सम्बंधित थीं । गढ़मुक्तेश्वर में जो मेरठ जिले में स्थित है साम्प्रदायिक दंगे बहुत बड़े

पैमाने पर हुए और इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, आगरा, बरेली, बुलन्दशहर, अलीगढ़, चांदपुर (बिजनौर), बनारस तथा कासगंज (एटा) में भी साम्प्रदायिक दंगे हुए। बहुत से अन्य ज़िलों में भी साम्प्रदायिक झगड़े हुए परन्तु वहां उनका अधिक जोर न था। प्रान्त भर में साम्प्रदायिक तनाव था।

रेलवे पुलिस

पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य अपराधों में बहुत अधिक वृद्धि हुई और चुराई हुई संपत्ति का मूल्य ६,८०,२२४ रूपये से बढ़ कर ६,४१,८६२ रूपये था। इसके विपरीत रेल गाड़ियों पर होने वाले ऐसे अपराधों में जिनमें पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त न था, कमी हुई और उनकी संख्या ८,००० से ऊपर से गिर कर १९४६ ई० में ६,००० से कुछ अधिक रह गई।

गांव की पुलिस और प्रधान व्यक्ति

गाँव के स्थाई चौकीदारों की संख्या कुछ कम हो गई अर्थात ४३,६०९ से ४३,५६१ रह गई परन्तु अस्थाई चौकीदारों (३,०००) की और दफादारों (१२७) की संख्या वही रही। वर्ष में ४ चौकीदार अपना कर्त्तव्य पालन करते हुए मारे गए और ४ घायल हुए।

निगरानी (Surveillance) तथा अपराध प्रतिषेध

जो व्यक्ति निगरानी में थे उनकी संख्या १९४५ ई० के अन्त की ४७,०७२ की तुलना में वर्ष के अंत में ४५,३६६ थी। क़ानून के भय से भागने वाले अपराधियों की संख्या भी कम हो गई अर्थात ३,०७० से २,८८१ रह गई। दंड विधि संग्रह (Criminal Procedure Code) की धारा १०९ तथा ११० के अधीन चालान किये गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः ५,६४२ तथा १,६८२ थी।

अपराध अनुसंधान उप-विभाग

अपराध अनुसंधान विभाग के अनुसंधान उप-विभाग को वर्ष में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा परन्तु उसने अत्यन्त सच्चा तथा विशेष रूप से अच्छा कार्य किया। इस उप-विभाग के कुछ अनुभवी पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार विरोधी विभाग (Anti-Corruption Deptt.) में भेज देने से इस उप-विभाग के कार्य में बहुत विघ्न पड़ा।

पुलिस शासन प्रबन्ध

अनुसंधानों का अपराध सिद्धि (Convictions) से प्रतिशत १९४५ ई० की २१.४ से गिर कर १९४६ ई० में १६ प्रतिशत हो गया और चुराई गई सम्पत्ति के पुनः पाये जाने का प्रतिशत भी गिर गया। दंड विधि संग्रह की ११० तथा १०९ धाराओं के अधीन कार्रवाई भी बहुत कम ली गई। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जायगा कि यद्यपि सभी प्रकार के अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई परन्तु अपराध प्रतिषेध (Prevention) और अपराध के अनुसंधान (Detection) का माप गिर गया। इसका एक कारण यह भी था कि वर्ष में राजनीतिक तथा साम्प्रदायिक स्थित बहुत खराब हो जाने के कारण प्रान्त में अनुशासनहीनता तथा नियम उल्लंघन करने की भावना बढ़ गई थी। पुलिस स्थापित शान्त व्यवस्था

रखने के कार्य में व्यस्त थी और इस लिए उसे अपराधों को रोकने के कार्य के लिए यथेष्ट समय नहीं मिला और इसके फलस्वरूप सामान्य अपराध स्थिति पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । पुलिस को जनता का सहयोग न प्राप्त होना बल्कि कुछ जिलों में उनके लिए विरोध की भावना का पाया जाना, सफल पुलिस शासन प्रबंध में एक बाधा थी ।

विशेष सशस्त्र पुलिस कांसटेबुल दल (Special Armed constabulary) मिलीटरी पुलिस

इनकी दो बैटेलियन वर्ष में तोड़ दी गई और दूसरी बैटेलियनों की संख्या भी कुछ सीमा तक कम कर दी गई । साम्प्रदायिक दंगों के दबाने में विशेष सशस्त्र पुलिस कांस्टेबुल दल (Special Arned Constublary) ने बड़ी सहायता दी ।

वर्ष में १३ अतिरिक्त कम्पनी बनाई गई और इन्हें अधिकांश रूप से साम्प्रदायिक दंगों के दबाने में और उससे कम डकैती को रोकने आदि के पहरे की ड्यूटी पर लगाया गया था ।

बेतार के तार भेजनेका उप विभाग

बेतार के तार भेजने के उप-विभाग का १९४५ ई० में संपादन हुआ और इसके कारण १९४६ ई० में इसमें काफी विस्तार करना संभव हुआ और १९४५ ई० के ११ स्थिर (Station) स्टेशनों से बढ़ कर इस संख्या में २८ स्थिर (Station) स्टेशन हो गए ।

यंत्र द्वारा चलने वाले यातायात के साधन

विशेष सशस्त्र पुलिस कांस्टेबुल दल (Special Armed Constublary) की मोटर गाड़ियों को सम्मिलित करते हुए, इस वर्ष मोटर गाड़ियों की कुल संख्या ३०१ हो गई, तिस पर भी पुलिस की आवश्यकताओं को देखते हुए यह संख्या बहुत कम थी ।

शिक्षा तथा ट्रेनिंग वैज्ञानिक तथा उगलियों का छाप का उप विभाग

साम्प्रदायिक दंगों आदि के दबाने के अत्यधिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण पुलिस दल की शिक्षा तथा ट्रेनिंग पर अधिक ध्यान न दिया जा सका ।

वर्ष में अनुसंधान के वैज्ञानिक उपायों में शिक्षा प्राप्त करने वाली कक्षाओं को लखनऊ से इलाहाबाद भेज दिया गया । १३९ नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टरों (Civil Police Inspectors) ने इन कक्षाओं में शिक्षा पाई और १७३ जिला सूचना देने वाले कर्मचारी गण (Distict Intelligence Staff) ने इस कार्य में ऊँची (Advance) ट्रेनिंग पाई ।

अन्य सुधार जो किये गये

अव्यवस्थित दशा के कारण ४ इंचसे अधिक फल वाले चाकू रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे और समस्त जिला धीशों को यह आदेश दिया गया कि फ़सलों की रक्षा के लिए लाइसेंस देने में अधिक उदारता वर्तें । इसके अतिरिक्त, कुमायूँ डिवीजन में १९४२ में या उसके पश्चात् जो नये पुलिस स्टेशन तथा चौकियाँ बनाई गई थीं अधिकतर तोड़ दी गई और कुमायूँ में जिला सूचना देने वाले

कर्मचारी गण (Dt. Intelligence Staff) की संख्या को कम कर दिया गया, और मिलीटरी पुलिस की एक कम्पनी जो वहाँ रक्खी गई थी उसे भी मैदानी इलाके में ले आया गया। जिला कर्मचारियों के आने जाने में सुविधा पहुँचाने के लिए, सरकार के कुछ जिला धीशों तथा सुपरिंटेंडेंट पुलिस को ५० जीपें दीं और दंगों तथा उपद्रवों को दबाने के लिए ११ अतिरिक्त आसूँ लाने वाली गैस प्रयोग में लाने वाले दलों (Tear Smoke Squad) के बनाये जाने की स्वीकृति दी।

होम गार्डस
Home Caurds

जनता में आत्म-निर्भरता तथा अनुशासन की आदत डालने के लिए तथा उनमें नागरिक सेवा का भाव बढ़ाने के लिए, सरकार ने इस बात का भी निश्चय किया कि कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, अलीगढ़ और सहारनपुर के जिलों में एक संगठन जिसका नाम होम गार्डस होगा स्थापित किया जाय। होम गार्डस के बनाये जाने की व्यवस्था करने के लिए एक आर्डिनेंस जारी किया गया और इस बात का प्रयत्न किया गया कि शीघ्र ही इस योजना को व्यवहारिक रूप दे दिया जाय।

अंडर अफसरों तथा कांस्टेबुलों के संशोधित वेतन क्रम

पहली जुलाई १९४६ ई० से पुलिस में नायक (Naik) का पद तोड़ दिया गया और उसी तिथि से नीचे लिखे हुए ढंग से अंडर अफसरों तथा कांस्टेबुलों के वेतन क्रम संशोधित हुए:—

	पिछला वेतन क्रम	संशोधित वेतन
हेड कांस्टेबुल	३०-१-४० रुपया	३५-१-५० रुपया
कांस्टेबुल	२० रुपये से ५) तक और ३,७, १९,१५, और २० वर्ष की स्वीकृत सेवा (Approved) (Service) के पश्चात १) की तरक्की और २५ वर्ष की स्वीकृति सेवा के पश्चात २६) की सिलेक्शन ग्रेड	२५-१-प्रत्येक दो वर्ष में ३०)

साम्प्रदायिक झगड़ों के प्रबल भय के कारण, जिलाधीशों के पथ-प्रदर्शन के लिये इन झगड़ों के समय आवश्यक कार्रवाई के संबंध में सरकार की नीति बताने के लिए आदेश जारी कर दिये गए। उन जमींदारों के विरुद्ध जो ऐसी भूमि को अपनी काश्त में लाते रहे जो पहले चराई की भूमि रास्तों या अनाज कूटने के फर्श के रूप में आते थे या जो किसानों के मकानों से मिली हुई थीं दंड विधि संग्रह की धारा १०७, १०८ तथा १४५ के अधीन कार्रवाई करने के आदेश भी उन्हें दिए गए।

अतिरिक्त पुलिस

ऐसे स्थानों में से जहाँ दंगों ने भीषण रूप धारण किया था, बनारस, बरेली, इलाहाबाद और एटा में ६ महीनों के लिए अतिरिक्त पुलिस रक्खी गई और अलीगढ़ में एक वर्ष के लिए और क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की धन-राशि दी गई। प्रचलित, राजनीतिक साम्प्रदायिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रान्त की जिला के सूचना देने वाले कर्मचारियों (District Intelligence Staff) की संख्या बढ़ा दी गई। अपनी सामान्य नीति के अनुसार, सरकार ने १९४२ ई० में पद-च्युत किये गये कुछ पुलिस पदाधिकारियों के मामलों में बिचार किया और कुछ ऐसे सब-इंस्पेक्टरों को उनके पद पर पुनः नियुक्त कर दिया।

पूर्व-पद पर नियुक्ति

अनुशासन तथा पारितोषिक

वर्ष में ४ सबार्डिनेट पदाधिकारी तथा २२७ कांस्टेबुल पद-च्युत किये गये और ४४ सबार्डिनेट पदाधिकारी और ३७३ कांस्टेबुल निम्न पद में उतार दिये गये। इसके अतिरिक्त, दो सब इंस्पेक्टर, ६ अंडर अफसर और २६ कांस्टेबुल भी पद-च्युत किये गए और "भ्रष्टाचार" के मामलों में ४ सब-इंस्पेक्टरों, ६ अंडर अफसरों तथा ३८ कांस्टेबुलों को दूसरे दंड दिये गए। वर्ष में सशस्त्र पुलिस के २,६३४ व्यक्तियों को और नागरिक पुलिस के १८,१९७ व्यक्तियों को पारितोषिक दिये गये जिनका कुल योग क्रमशः १२,४२४ रुपये तथा १,२८,८४४ रुपये था। इन धनराशियों में २६,५६७ रुपये की एक धनराशि सम्मिलित है जो आबकारी, अफ़ीम तथा चुंगी (Custom) विभाग से प्राप्त हुई थी।

पुलिस पुनर्संगठन समिति

वर्तमान पुलिस संगठन में सुधार के सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक पुलिस पुनर्संगठन समिति भी बनाई गई।

(ख) फ़ौजदारी

राजनीतिक मुकदमों का स्थगित करना

जैसे ही मंत्रिमंडल ने पद ग्रहण किया उसने ऐसे राजनीतिक मुकदमों की सूची तैयार करवाई जो बिचाराधीन थे। इसमें वह मुकदमे भी सम्मिलित थे जिसमें अभियुक्त पकड़े नहीं गए थे। इन मुकदमों पर फिर से बिचार किया गया और सरकार ने आज्ञाएँ जारी कर दीं कि बिचाराधीन राजनीतिक मुकदमे स्थगित कर दिये जायँ और न पकड़े गये अभियुक्तों के बिरुद्ध वारंट रद्द कर दिये जाँय।

अर्थ दंडों को वापस करना

सरकार ने यह भी निश्चय किया कि १९४०-४१ ई० के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तथा १९४२ ई० के आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर जो अर्थ दंड न्यायालयों ने लगाये थे और जो रुपया अर्थ दंड के रूप में उनसे एकत्रित किया गया था वह उन्हें वापस कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त धारा सभा के सामने युक्त प्रान्तीय भूमि तथा मकानों के वापस किये जाने का बिल प्रस्तुत किया

गया जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि १९४२ ई० के राजनीतिक आन्दोलन के फलस्वरूप जो भूमि तथा मकान बेचे गये थे वे उन्हीं व्यक्तियों को वापस कर दिये जांय जिन से ली गई थीं। यह बिल धारा सभा में कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत हो गया। युक्त प्रान्तीय भूमि अधिकार संशोधक विधान (U. P. Tenancy Act) भी स्वीकृत हो गया जिसके द्वारा १९३९ ई० के विधान नं० १७ की विभिन्न धाराओं के अधीन बेदखल किए गए असामियों को उनकी भूमि वापस दे देने की व्यवस्था की गई थी।

भूमि, मकान, इत्यादि का वापस किया जाना

यह भी निश्चय किया गया कि प्रोबेशन सर्विस को सरकारी सर्विस में परिवर्तित किया जाय तथा युक्त प्रान्तीय फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ ई० (१९३८ ई० का ऐक्ट ६) को फर्रुखाबाद, फैजाबाद, झाँसी तथा मुरादाबाद (वर्तमान ८ जिलों के अतिरिक्त) के चार और जिलों में बढ़ा दिया जाय।

प्रोबेशन सर्विस

इसके अतिरिक्त अधिकतर पदाधिकारियों की कमी के कारण और मैजिस्ट्रेटों का आवश्कीय प्रबन्ध कारिणी कामों में व्यस्त रहने के कारण फ़ौजदारी मुकदमों का काम बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया। इस स्थित का सामना करने के लिये, सरकार ने हाई कोर्ट तथा चीफ कोर्ट के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार किया कि अधिक सर्विस वाले प्रधान मुन्सिफों को बहुत बड़ी संख्या में मैजिस्ट्रेट के कार्य संपादन करने के लिए नियुक्त किया जाय और उनके स्थान पर अस्थाई मुन्सिफों को नियुक्त किया जाय जिससे कादर (Cadre) में होने वाली कमी को पूरा कर दिया जाय। सरकार के सामने यह भी प्रस्ताव था कि अवकाश प्राप्त जुडीशल पदाधिकार नियुक्त किये जाँय तथा चुने हुए अवैतनिक स्पेशल मैजिस्ट्रेटों को अस्थाई वेतन-प्राप्त मैजिस्ट्रेट बना दिया जाय। इसी उद्देश्य से, प्रत्येक जिले में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों के चुनाव में जिलाधीशों को सहायता देने के हेतु चुनाव (Selection) समितियाँ बनाई गई और यह लक्ष्य था कि अतिरिक्त अवैतनिक न्यायालय, जहाँ तक संभव हो, ऐसे अवकाश प्राप्त जुडीशल पदाधिकारियों से या बार (Bar) के प्रेक्टिस न करने वाले सदस्यों द्वारा नियुक्त किये जाँय जिनकी सार्वजनिक सेवा कलंकहीन ईमानदारी से परिपूर्ण हो।

अस्थाई मुन्सिफ

अतिरिक्त अवैतनिक न्यायालय

(ग) कारागार

पद संभालते ही जो सबसे पहला काम सरकार ने अपने हाथ में लिया वह राजबंदियों की रिहाई और उन बंदियों की रिहाई थी जो १९४२ ई० के आंदोलन के संबन्ध में किये गये अपराधों के लिए कारावास भुगत रहे थे। वर्ष के अंत तक लगभग १००० ऐसे व्यक्ति जेल से मुक्त किये जा चुके थे। सरकार ने अन्य श्रेणियों के बंदियों को भी उनकी अवधि से पूर्व ही मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

राजनीतिक बंदियों की रिहाई

भी उदारनीति से काम लिया और ऐसे बंदियों को छोड़ देने के सम्बन्ध में आज्ञायें जारी कर दीं जिन्होंने अपनी सजा का काफी भाग काट लिया था और जिनके छूटने के केवल कुछ महीने शेष रह गये थे ।

स्पेशल रिवाइजिंग बोर्ड

लूटमार तथा डकैती की धाराओं के अधीन दंडित व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने के लिए ऐसे मामले जो युद्ध-काल में साधारण रिवाइजिंग बोर्डों के सामने नहीं लाये गये थे—एक स्पेशल रिवाजिंग बोर्ड सरकार के सदर मुकाम में बनाया गया । प्रांतीय सरकार को दंडविधि संग्रह (Criminal Procedure Code) की धारा ४०१ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का भी पहिले से अधिक प्रयोग किया गया । इस उदारपूर्ण नीति के फलस्वरूप कारागारों की जनसंख्या काफी गिर गई । १६४६ के प्रारम्भ में अर्थात जनवरी में यह संख्या २६,४६८ थी और अंत में यानी ३१ दिसम्बर १६४६ ई० को २५,६६० रह गई ।

कारागारों की जन संख्या

कारागारों का सुधार

सरकार ने कारागारों के सुधार पर भी काफी विचार किया । एक कारागार सुधार समिति स्थापित की गई और इस बात की आशा की जाती है कि इस समिति की जांच से और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वित किए जाने से प्रान्तीय कारागार प्रणाली में अत्यधिक सुधार होगा । एक औरतों की कारागार समिति भी नियुक्त की गई जो इस बात पर विचार करे कि स्त्री बंदियों को एक स्थान पर रखने के लिए कोई एक या एक से अधिक कारागार पृथक कर दिये जांय या नहीं । परन्तु कुछ ऐसे सुधार जिनकी एकदम जारी करने की आवश्यकता थी तुरन्त जारी कर दिये गये उनमें से मुख्य नीचे दिये हुए हैं:—

कारागार सुधार समिति

(क) रसोई घर में काम करने वाले बंदियों के लिए प्रति रसोई घर के हिसाब से प्रतिदिन २ औंस का एक साबुन का टुकड़ा दिया जाने लगा ।

(ख) यह आदेश जारी कर दिये गये कि कारागारों के बंदियों से लिए जाने वाले कामों में गर्मी पर बन्दियों को न लगाया जाय और कुछ श्रम करने वाले बन्दियों की श्रेणियों के लिए निर्धारित दैनिक श्रम के माप में काफी कमी की गई ।

(ग) बन्दियों को सरकारी व्यय पर हिंदी तथा उर्दू समाचार पत्रों को, जिस में साप्ताहिक समाचार पत्र भी शामिल हैं, देने के विषय में आदेश जारी किये गये । इसके अतिरिक्त बन्दियों को अपने व्यय पर अपनी पसन्द के समाचार पत्र खरीदने की और मित्रों, सम्बन्धियों या किसी सार्वजनिक संस्था या सोसाइटी से पुस्तकें और समाचार पत्र प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई ।

(घ) सभी श्रेणियों के बन्दियों को मित्रों तथा सम्बन्धियों से सीमित मात्रा में साबुन (४ छटाँक), मंजन (१ छटाँक) तथा तेल (४ छटाँक) प्रतिमास प्राप्त

करने की भी अनुमति दी गई। प्रतिमास वे मित्रों तथा सम्बन्धियों से बीड़ी और चबाई जाने वाली तम्बाकू भी प्राप्त कर सकते थे।

(ङ) यह भी आदेश दिये गये कि बन्दियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी आधार पर फलों, दूध तथा चीनी को अधिक मात्रा देने के नियमों को और अधिक उदारता पूर्वक लागू किया जाय।

(च) बन्दियों को प्रति २ महीनों में २ पत्र लिखने तथा प्राप्त करने की तथा एक भेंट करने की अनुमति दी गई और अगर कोई बंदी चाहे तो वह एक भेंट के स्थान पर एक पत्र लिखने और उसका उत्तर पाने का अधिकार प्राप्त कर सकता था। बन्दियों पर आवश्यकीय जवाबी पत्रों के उत्तर देने के सम्बन्ध में जो प्रतिबंध लगे थे वे भी हटा दिये गये।

(छ) दंड विधान संग्रह (Indian Penal Code) की धारा ३०२ के अधीन दंडित बंदियों को जो उस समय तक युक्त प्रान्तीय बंदियों के प्रोवेशन पर छोड़े जाने के विधान (The United Provinces Prisoners Release on Probation Act) के लाभों से वंचित थे, उक्त ऐक्ट के अधीन मुक्त किये जाने के अधिकारी घोषित कर दिया गया।

(ग) धारा सभाओं के सदस्य जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कारागारों के अपने पद के कारण जेलों के निरीक्षक थे उन्हें इस बात का अधिकार दे दिया गया कि वे कारागारों को उनके बंद किये जाने के पूर्व किसी समय भी देख सकते हैं और म्यूनिसिपल तथा जिला बोर्डों के चेयरमैनों को कारागारों का अपने पद के कारण निरीक्षक बना दिया गया।

जेल कर्मचारियों की भलाई

जेल कर्मचारियों के हित के कार्यों पर भी ध्यान दिया गया और इस बात की आज्ञायें जारी की गईं कि जेल कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार संध्या तथा रात्रि में ड्यूटी पर न लगाया जाय। इस बात के आदेश भी दिये गए कि साधारणतया कोई कर्मचारी भी ८ घंटे प्रतिदिन से अधिक की ड्यूटी पर न लगाया जाय। सरकार ने यह भी निर्णय किया कि केन्द्रीय कारागारों में डाक्टरी तथा शासन-प्रबन्ध के कार्यों को पृथक कर दिया जाय और दोनों कार्यों के लिए पृथक २ पदाधिकारी रक्खे जांय।

विस्तार तथा सुधार कार्य

कुछ कारागारों के रहने के क्वार्टरों में विस्तार तथा सुधार कार्य किये गए जिनकी बहुत आवश्यकता थी यद्यपि भवन निर्माण सम्बंधी सामान के मिलने में बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं और कानपुर जिला कारागार कारखानों को नये नमूने पर फिर से निर्माण किया गया। कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए बनारस, गाजीपुर तथा जौनपुर के जिला कारागारों के समीप भूमि प्राप्त की

गई और कुछ कारागारों में कार्यालयों तथा क्वार्टरों में बिजली लगाई गई और दूसरे कारागारों में पानी की पहुँचान को बढ़ाने के लिए बिजली के पम्प और काइट मोशन (Kite-motoin) पम्प लगाये गये ।

जेल अनुशासन

बंदियों का आचरण तथा अनुशासन संतोषप्रद रहा । आगरा और फ़तेहगढ़ केन्द्रीय कारागारों (Central Prisions) में दंगे हुए तथा मेरठ और फैजाबाद जिला कारागारों में छोटी छोटी घटनाएं हुई । कुछ कारागारों में ऐसे बंदियों ने जो राजनैतिक बंदियों के समान रियायतें तथा सुविधाएं मांगते थे, भूख हड़ताल भी की । परन्तु शीघ्र ही यह आंदोलन समाप्त हो गया जब बंदियों ने यह अनुभव कर लिया कि सरकार इस बात पर दृढ़ है कि कारागारों में अनुशासन कायम रक्खा जाय ।

बन्दियों का स्वास्थ्य

बंदियों का स्वास्थ्य भी संतोषप्रद रहा । १३ कारागारों में १८२ मम्प्स (Mumps) के और ८ कारागारों में ३६ हैजे के मामले हुए ।

कारागारों की जन-संख्या

कारागारों की जन-संख्या में कमी होने के कारण, ऐसे बंदियों की कमी हो गई जिससे कारखानों में तथा कारागारों से बाहर काम लिया जा सकता था । कारखानों का नक़द लाभ १,०१,३८४ रुपया था और कुल लाभ ६,४८,२३२ रुपया था । प्रति बंदी पर औसत नक़द लाभ २४ रुपये था और कुल लाभ ३९ रुपये था । कारागारों की जन-संख्या में कमी होते हुए भी, खेती में लायी गई भूमि १,१०७ एकड़ से बढ़ गई जिससे कुल तरकारी की कुल उपज १०७,३८५ मन से १,१७,४१४ मन हो गई । डिप्टी डाइरेक्टर आफ़ रिमाउंट्स 'केन्द्रीय' कमांड, आगरा से २८ बैलों की जोड़ियाँ १६,००० रुपये की लागत पर खरीदीं गईं और उन्हें १७ कारागारों में वितरण कर दिया गया ।

खेती योग्य भूमि

आर्थिक स्थिति

नीचे दिये हुए नक्शे में प्रांत के कारागारों में बंद बंदियों की वास्तविक लागत दिखाई गई है:—

रख-रखाव की कुल लागत	प्रतिबंदीपर रख-रखाव की औसत लागत		कुल नक़्द उपार्जित धन (Earning)	औसत जन-संख्या पर प्रतिबंदीकी औसतनकद उपार्जित धन	सरकार की कुल लागत (स्तम्भ १ में से स्तम्भ ३ घटाकर	औसत जन-संख्या पर प्रतिबंदी की औसत वास्तविक लागत (स्तम्भ २ में से स्तम्भ ४ घटाकर)	
रु०	रु०	आ०	रु०	रु०	रु०	रु०	आ०
५८,६६,७३४	२१८	३	४,८७,२७६	१८	५४,०६,४५५	२००	३

फ़ौजदारी न्याय

(क) आगरा

सेशन्स डिवीजनों की संख्या २० ही रही । देवरिया जिसको गोरखपुर ज़िले से पृथक करके एक नए ज़िले में परिवर्तित कर दिया गया था, गोरखपुर सेशन्स डिवीजन का ही एक भाग बना रहा । इन डिवीजनों के इन्चार्ज जजों के अतिरिक्त, दो अतिरिक्त सेशन्स जजों ने और कुछ अस्थाई सिविल तथा सेशन्स जजों ने भी अतिरिक्त सेशन्स जजों के स्थाई न्यायालयों को छोड़कर १२ स्थानों पर भिन्न-भिन्न अवधि तक काम किया । सेना, नौ सेना, हवाई सेना, सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर तथा उन अपराधों के अतिरिक्त जिनका संबन्ध चुनाव, झूठी गवाही, बांट और नाप, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, गर्भपात, बलात्कार, अप्राकृत अपराध, जाली दस्तावेज़ तथा संपत्ति के सौंपने, दंडनीय अनुबंध भंग और सर्विस की शर्तों जिनमें कमी हुई, अन्य शीर्षकों के अधीन अपराधों में वृद्धि हुई जिसका फल यह हुआ कि भारतीय दंड विधान संग्रह के अधीन इस वर्ष अपराधों की कुल संख्या जिनकी सूचना दी गई बढ़कर १,१६,६२७ हो गई । परन्तु दंड विधि संग्रह और विषय विधानों तथा स्थाई विधानों के अधीन मामलों की कुल संख्या जिसकी सूचना दी गई घटकर ६५,००१ रह गई ।

मुक़दमों की संख्या

ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जिनके विरुद्ध मैजिस्ट्रेटों के सामने मुकदमे पेश हुए थे ३,३६,५१८ थी । इनमें से १,४८,६०८ व्यक्ति बिना सुनवाई के छोड़ दिए गए या सुनवाई के बाद छोड़ दिए गए, १,५०,०४६ को दंड मिला, ७,४३४ को सेशन्स सुपुर्द किया गया और २५,७८५ वर्ष के अंत तक विचाराधीन थे । केवल भारतीय दंड संग्रह के अधीन जिन १,७६,२८४ व्यक्तियों पर मुकदमे चल रहे थे, ३४,१६० दंडित हुए और १,१५,७३१ सुनवाई के बाद या उसके पूर्व छोड़ दिये गए ।

मुकदमों की अवधि तथा उनका फल

मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में मुकदमों की औसत अवधि १५ से बढ़कर १८ दिन हो गई । जिन व्यक्तियों को दंड मिला उनमें १६,२५० को कारावास का दंड मिला, १,२४,७७७ को अर्थ-दंड या ज़ब्ती का दंड मिला और १०,२८४ व्यक्तियों से जमानत मांगी गई । दंड के अतिरिक्त, बेंत की सज़ा भी, १५८ मामलों में दी गई । पिछले वर्ष के १,६६,६०२ की तुलना में, वर्ष में निर्णय किये गए मुकद्मों की संख्या १,५४,५३८ थी । अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों ने १,०२,६६१ व्यक्तियों के मामले निर्णय किये जब कि पिछले वर्ष यही संख्या १,१६,६७४ थी ।

ऐसे व्यक्तियों को की संख्या जो शान्ति-स्थापित रखने के लिऐ प्रतिबन्ध में रक्खें गये बढ़ कर १०,१४७ हो गई परन्तु खराब जीवन व्यतीत करने वालों की संख्या घट कर ३,६६५ रह गई। मेंजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में साक्षियों की संख्या घट कर १,६४,६७५ रह गई और सेशन्स के न्यायालयों में २२,७१३ रह गई। मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में ऐसे मुकदमों की संख्या जो ६ सप्ताह से अधिक अवधि तक विचाराधीन रहे १,३६६ से बढ़ी और कुल संख्या ७,१६७ हो गई। प्रोवेशन पर छोड़े गए अपराधियों की कुल संख्या ३,३४० से बढ़ कर ३,८८१ हो गई तथा प्रोवेशन अफसरों की देख रेख में रक्खे जाने वाले अपराधियों की संख्या १२४ से बढ़ कर ३१० हो गई।

ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सेशन्स न्यायालयों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया वर्ष में १६५ से घट कर ११७ रह गई। इनमें से ७५ की सजा हाई कोर्ट द्वारा पक्की कर दी गई; ४५ अपील में मुक्त कर दिये गये और १० व्यक्तियों के सम्बन्ध में दंड में संशोधन किया गया। वर्ष के अंत में ३८ मुकदमें विचाराधीन थे। वर्ष में फांसी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या १६४५ ई० की ४६ की तुलना में २० थी और उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें आजन्म कैद की सजा मिली, १६४५ ई० की ३१२ की तुलना में गिर कर १६४६ ई० में १८६ रह गई। बेंत की सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या २४५ से घट कर १६८ रह गई। सेशन्स न्यायालयों ने ३५,६८५ रूपये की तुलना में ३७,६३५ रुपये का अर्थ दंड दिया और मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों द्वारा लगाये गए अर्थ-दंडों की धन-राशि ७४,२३,७७६ रुपये थी। सेशन्स न्यायलयों द्वारा जो क्षतिपूर्ति की धनराशि देने की आज्ञा हुई वह १,६३१ रुपये थी और मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों द्वारा यह धनराशि ६५,००६ रुपये थी।

अपीलें तथा तथा रिवीजन

हाई कोर्ट में अपील करने वालों की संख्या ३,६०२ से बढ़ कर ३,६६२ हो गई और दूसरे न्यायालयों में अपील करने वालों की संख्या २६,०१० से २६ ७६२ हो गई। सरकार द्वारा की जाने वाली अपीलों की संख्या जिसमें पिछले वर्ष की विचाराधीन अपीलें भी सम्मिलित हैं, पिछले वर्ष की ४२ की तुलना में ५६ थी। हाई कोर्ट ने ४ अपीलें मान ली, ५ अस्वीकृत कर दी और ३ को आंशिक रूप में मान लिया। वर्ष के अंत में ४४ सरकार द्वारा की गई अपीले विचाराधीन रहीं।

(ख) अवध

मुकदमो की संख्या

वर्ष में उन अपराधों की संख्या जिनकी सूचना दी गई लगभग वही रही जो गत वर्ष थी अर्थात् ६८,०७० की तुलना में ६८,१०० भारतीय दंड विधान (इंडियन पिनल कोड) के अधीन अपराधों की संख्या १६४५ ई० की १८,६१६ की

तुलना में १६४६ ई० में बढ़कर २२,०४४ हो गई और दंड विधि संग्रह (कोड आफ क्रिमिनल प्रेसीजर) की अपराधों को रोकने की धाराओं के अधीन अपराधों की संख्या ४३०८ से ५,१६४ हो गई। इसके विपरीत विशेष तथा स्थाई कानूनों के अधीन अपराधों में कमी हुई अर्थात् ४४,८४६ से गिर कर संख्या ४०,८६२ रह गई। जिन व्यक्तियों पर वर्ष में मुकदमा चल रहा था उनकी कुल संख्या १,१८,३५७ थी। उनमें से ४७,५५२ को दंड मिला और १२,४२४ के मुकदमे विचाराधीन रहे। इस प्रकार दंडितों की प्रतिशत ४१'१ हुई। अवध में कुल अपराधों की संख्या का लग भग ३२'४ प्रति शत भारतीय दंड विधान (इंडियन पिनल कोड) के अधीन हुआ।

मुकदमों के फल तथा दंड

शान्ति रखने के लिए जिन व्यक्तियों से जमानत मांगी गई उनकी संख्या १६,२८६ थी। १७,३०५ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इसमें ६ व्यक्ति जो मर गए, सम्मिलित नहीं हैं। अच्छा आचरण रखने के लिए जिन व्यक्तियों से जमानत मांगी गई थी उनकी संख्या १,५७४ थी। सभी न्यायालयों जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गए उनकी संख्या १,१३,३७५ थी और कुल मुकदमों की संख्या ५६,२४३ थी। मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में विचाराधीन व्यक्तियों की संख्या १,१२,६१७ थी। सेशन्स न्यायालयों में संख्या मुकदमों की औसत सुनवाई की अवधि ६५ दिनों से घट कर ६२ रह गई तथा मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में यह अवधि १३ दिनों से बढ़ कर १६ दिन हो गई। अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों ने जो अकेले न्याय करते थे, १६,१६५ मुकदमें निर्णय किए जिसमें २८,०१६ व्यक्ति शामिल थे तथा बैंच मैजिस्ट्रेटों ने १०,५७७ मुकदमें निर्णय किये जिसमें १७,२११ व्यक्ति शामिल थे।

सेशन्स न्यायालयों में पिछले वर्ष ८४४ मुकदमों जिसमें २,६८२ व्यक्तियों के शामिल थे, की तुलना में ७८६ मुकदमें जिसमें २,६८३ व्यक्ति शामिल थे विचाराधीन थे। वर्ष में जितने मुकदमे निर्णय हुये उनकी संख्या ६४० थी और इसमें २,१२६ व्यक्ति शामिल थे।

वर्ष में ८६ व्यक्तियों के मुकदमें जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया था पक्का करने के हेतु चीफ कोर्ट के सामने पेश हुए और ३१ व्यक्तियों की मृत्यु दंड पक्की कर दी गई। मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों द्वारा ३२,६५२ व्यक्तियों को और सेशन्स न्यायालयों द्वारा ५१ व्यक्तियों को अर्थ दंड मिला। अर्थ दंड की कुल धनराशि ४,०२,६०३ रुपया था। आजन्म कैद की सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या १५८ से घट कर १२३ हो गई। २,६६० व्यक्तियों के विरुद्ध युक्त प्रांतीय फर्स्ट

आफेन्डर्स ऐक्ट के अधीन कार्रवाई की गई। इनमें से ५७० प्रोबेशन पर तथा २,३६० भर्त्सना के बाद छोड़ दिये गए।

मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में ६६,४७८ गवाह बुलाए गए थे जिसमें ५६,२६३ व्यक्तियों ने गवाही दी। सेशन्स के न्यायालयों के लिए यह आंकड़े १०,६१८ (बुलाए गए गवाह) और ८,७६५ (पेश हुए गवाह) थे।

चीफकोर्ट के सामने सरकारी अपीलों की संख्या ५ थीं जिसमें १० व्यक्ति शामिल थे। कोर्ट ने २ अपीलें जिसमें २ व्यक्ति शामिल थे मान लीं और २ अपीलें अस्वीकार कर दी जिसमें ७ व्यक्ति शामिल थे। वर्ष के अंत में १ अपील विचाराधीन रही।

चीफ कोर्ट में अपील करने वालों की संख्या जिसमें सरकारी अपीलों में शामिल व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं ६७६ से घट कर ८१६ हो गई। सेशन्स तथा मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अपील करने वालों की संख्या क्रमशः ३,३५८ तथा २,११२ थी।

१५ अपराध शील जातियों का सुधार कार्य (Reclamation)

पंचायत प्रणाली

पंचायत प्रणाली को सर्वप्रिय बनाने के प्रयत्नों पर विशेष ध्यान दिया गया और इस विभाग ने इस वर्ष बहुत बड़ी संख्या में नई पंचायतें प्रारंभ कीं। इसका फल यह हुआ कि प्रान्त की तथाकथित अपराधशील जातियों में अपराधों का किया जाना बहुत कम हो गया और इससे उनमें से कुछ जातियों में अपनी पंचायतें स्थापित करने की रुचि पैदा हो गई। इस संबंध में पासी संगठन वादी दल और अहेरिया अपराध प्रतिषेध सोसाइटी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बनारस डिवीजन के राजभरों के नैतिक चरित्र में भी काफी सुधार हुआ। पंचायतों के कार्य में विघ्न पड़ा क्योंकि उन्हें गृह तथा घरेलू उद्योग धंधों को प्रारम्भ करने के लिए आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी।

नई बस्तियां

बस्तियों की संख्या वही रही। कलियानपुर तथा आर्यानगर की बस्तियों के सुधरे हुए सदस्यों को क्रमशः तकीपुर तथा एहार में बसाने का प्रयोग कोई अधिक सफल न सिद्ध हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि बसने वालों को जो भूमि दी गई थी उसमें सिंचाई तथा खेती करने की सुविधाओं का अभाव था।

सेटिलमेंट्स

बसने वालों का सुधार कार्य उतना ही कठिन रहा जितना कि वह पहिले था। सेंटिलमेंटों में अत्यधिक आदमियों के होने तथा स्थान की कमी होने के कारण सुधार कार्य में बहुत कम उन्नति हुई। अब इस स्थिति में सुधार होने की आशा की जा रही है क्योंकि कलियानपुर बस्ती के एक भाग को फिर से निर्माण किया जा रहा है। अपराध शील जातियों के बच्चों के लाभार्थ गोरखपुर में स्थित

अपराध-शील जातियों की बस्ती (Criminal tibes Settlement) ने एक बोर्डिंग स्कूल खोला, स्कूल में बच्चे पृथक पृथक रक्खे गए और यह प्रयोग बहुत सफल हुआ। इस स्थान पर यह लिख देना उचित होगा कि इन गड़बड़ी के दिनों में भी अपराध-शील जातियाँ सामूहिक रूप से शान्ति रही और उन्होंने सरकार को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाया।

इसके अतिरिक्त, अपराध-शील जातियों के सुधार कार्य के शीघ्रता से बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष के अंत में एक अपराध-शील जाति समिति नियुक्ति की जो अपराध-शील जातियों के संपूर्ण प्रश्न पर विचार करेगी और वांछित फल प्राप्त करनेके उपायों के प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

१६—दीवानी अदालतें

(क) आगरा

शासन प्रबन्ध

वर्ष के अन्तर्गत निम्नांकित दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :—

(१) देवरिया का सबडिवीजन एक प्रथक जिला (रेवन्यू डिस्ट्रिक्ट) बना दिया गया लेकिन दीवानी शासन प्रबन्ध (सिविल जुडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन) के प्रयोजनों के लिए वह गोरखपुर की जजी के ही अधीन रक्खा गया है।

(२) बस्ती में एक नई खलीलाबाद मुन्सिफ़ी स्थापित की गई जिसके अधिकार सीमा के अन्तर्गत वे सभी क्षेत्र हैं जो पहिले बांसी, बस्ती और बांसगाँव मुन्सिफ़ी के अधिकार सीमा के अन्तर्गत थे।

वर्ष के अन्तर्गत प्रान्त में कुछ और भी न्यायालय स्थापित किये गये।

नालिशें

प्रान्त में वर्ष के अन्तर्गत ऐग्रीकलचरिस्टस रिलीफ़ ऐक्ट की धारा १२ और ३३ के अधीन अधीनस्थ अदालतें (सवार्डीनेट कोटर्स) में दायर किये गये मुकद्दमों की संख्या में २ प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसे मुकद्दमों की संख्या ८१,३७३ हो गई और इनमें से २१,२६५ मुकद्दमें अचल सम्पत्ति के बारे में थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा अचल सम्पत्तियों के मुकद्दमों की संख्या में १,७४७ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार अधीनस्थ अदालतों में दायर की गई नालिशों की मालियत में भी पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष २४,२६,४८,७६६ रु० की वृद्धि हुई। वर्ष के अन्तर्गत अधिक मालियत की नालिशों की संख्या में वृद्धि हुई है।

ऐसी मूल नालिशों की संख्या जो वर्ष के अन्तर्गत निपटा दी गई १,१०,६१६ से घट कर १,०८,६८३ हो गई और इस प्रकार उनकी संख्या में २,२३६ की घटती हुई। हस्तान्तरित को छोड़ कर अन्य तरह से निपटाई गयी (नालिशों) की संख्या ८४,५०२ से घटकर ८३,६६० हो गई। अदालतों के समक्ष निपटाने के लिये जो (नालिशें) थीं उनमें २,४१४ की वृद्धि हुई अर्थात् पिछले वर्ष ऐसी नालिशों की संख्या १५२,९४८ थी और इस वर्ष वह १५५,३६२ हो गई। पूरी सुनवाई के बाद फैसला किये गये २६८४४ नालिशों की तुलना में इस वर्ष २८१५७ नालिशों का फैसला किया गया और अन्य प्रकार से जिन नालिशों का फैसला हुआ उनकी संख्या ८०५२६ थी। खफ़ीफ़ा अदालतों (Small Causes Court) द्वारा तय की गई नालिशों की कुल संख्या में इस वर्ष १६०७ की घटती हुई। वर्ष के अन्त में चालू नालिशों की कुल संख्या में गत वर्ष की तुलना में ४६५० बढ़ती हुई और उनकी संख्या ४६६७६ हो गई। ऐसी नालिशों की कुल संख्या, जो ३ महीने से अधिक अदालतों में विचाराधीन रहीं, में १२८५ की वृद्धि हुई। किन्तु ऐसी नालिशों की संख्या में जो एक वर्ष से अधिक तक विचाराधीन रहीं इस वर्ष २०४३ की घटती हुई।

ऐसी अपीलों की कुल संख्या में, जिनमें माल की अपीलें सम्मिलित हैं, जो अधीनस्थ अदालतों में दायर हुईं, वर्ष के अन्तर्गत १,१९३ की वृद्धि हुई। उनकी संख्या गत वर्ष ११,६१६ थी जो इस वर्ष बढ़कर १२,८०९ हो गई। ऐसी कुल ८८७९ अपीलें अदालतों के समक्ष निर्णय के लिए थीं और उनमें २०,१४४ अपीलों पर निर्णय दिये गये जिसमें ८८९७ हस्तांतरण द्वारा निपटाई गई। अधीनस्थ अदालतों में जो रेगूलर दीवानी अपीलें थीं उनमें भी २,०८७ की वृद्धि हुई और उनकी संख्या २७,१६९ हो गई। इनमें से ८,२८८ अपीलें हस्तांतरण द्वारा और ९,४७५ अन्य विधि से निपटाई गई। अधीनस्थ अदालतों में माल की अपीलों की संख्या में ५ की बढ़ती हुई और उनकी संख्या ४,४७२ हो गई और ऐसी ६०९ अपीलें हस्तांतरण द्वारा और १,७७२ अन्य प्रकार से निपटाई गई। विचाराधीन अपीलों की संख्या में २,०७७ की वृद्धि हुई और उनकी संख्या ११,४९७ हो गई जिनमें से ९,४०६ रेगूलर और २,०९१ माल की अपीलें थीं। ऐसी जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक विचाराधीन रहीं अपीलों की संख्या में ५४२ की वृद्धि हुई और उनकी संख्या, १,८५३ थी, दीवानी विधि संग्रह (कोड आफ़ सिविल प्रोसेजर) के आर्डर ४१ के नियम ११ के अधीन अधीनस्थ अदालतों में सरसरी तौर से खारिजकी गई अपीलों कीसंख्या १६९ से बढ़ कर १७५ हो गई।

दीवालियापन

अधीनस्थ अदालतों में दीवालिया-सम्बन्धी मुक़दमों की संख्या ६५ से बढ़कर ६०१ हो गई। ऐसे दीवालियों की संख्या में जो बरी कर दिये गये थे, ३१ की घटती

हुई। रिसीवरों द्वारा वितरित कुल धनराशि में ६,४८,२७२ की वृद्धि हुई और इस प्रकार कुल वितरित राशि ८,५०,८८२ रु० हो गई और गतवर्ष की तुलना में उस बचत धनराशि में जो रिसीवरों के पास बच रही, ३६,००५ रु० की घटती हुई।

डिगरियों का इजरा

अधीनस्थ अदालतों के समक्ष डिगरियों के इजरा के लिए पेश की गई दरख्वास्तों की संख्या में इस वर्ष १३,१६४ की घटती हुई और उनकी कुल संख्या ८७,३६३ थी। वर्ष के अन्तर्गत दायर की गई दरख्वास्तों की संख्या में १०,३३५ रु० की घटती हुई और उनकी संख्या घटकर ६२,७२० हो गई। जो दरख्वास्तें वर्ष के अन्तर्गत निपटाई गईं उनकी संख्या में ६,६२४ की घटती हुई। विचाराधीन दरख्वास्तों की संख्या में ८१४ की कमी हुई किन्तु ऐसी दरख्वास्तों की संख्या, जो ३ मास से अधिक अवधि से विचाराधीन थीं, में ११४ की वृद्धि हुई।

विशेष ऐक्टों

ऐग्रीकलचरिस्ट्स रिलीफ़ ऐक्ट के अधीन दायर किये जाने वाली नालिशों की संख्या में आलोच्य वर्ष में घटती हुई। वर्ष के अन्तर्गत उक्त ऐक्ट की धारा ३३. के अधीन ६८७ नालिशें दायर की गईं जब कि गतवर्ष ऐसी नालिशों की संख्या ६५६ थी। ८०८ नालिशों में निर्णय दिया गया और वर्ष के अन्त में ३४३ नालिशें विचाराधीन रह गयीं। अध्याय २,३,४ और ६ के अधीन दी जाने वाली ऐसी दर्ख्वास्तों की संख्या जो पिछले वर्ष से चली आ रही थीं १०६६ थीं और ऐसी १५४६ दर्ख्वास्तें आलोच्यवर्ष में प्राप्त हुईं। वर्ष के अन्त में ७५६ ऐसी दर्ख्वास्तें बाकी रह गईं थीं जिनकी सुनवाई नहीं हो सकी।

यूनाइटेड प्राविन्सेज डेटरिडिम्शन ऐक्ट १६४० ई० का सबसे अधिक फायदा कर्जदार किसानों ने उठाया और १४३ मुकदमों में 'यूज़ूरियस लोन्स ऐक्ट (Usurious Loans Act) के आदेश लागू किये गये।

(ख) अवध

चीफ़कोर्ट की अधीनस्थ अदालतों में तथा उनकी अधिकार सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

नालिशें

वर्ष के अन्तर्गत दायर की गई हर प्रकार की नालिशों की कुल संख्या २३; ४२० से बढ़कर २४,१६० हो गई। सबसे ज्यादा वृद्धि अचल सम्पत्तियों की नालिशों की संख्या में (५,७६६ से ६,३२१), विशेष सहायता देने (स्पेसिफिक रिलीफ़) की नालिशों की संख्या में (५६८ से ६०५); विवाह सम्बधी नालिशों (३५१ से ४०८) और पूर्व क्रयाधिकार (प्रियमशन) सम्बन्धी नालिशों की संख्या में (५२८ से ५४२) हुई किन्तु 'रेहन की नालिशों की संख्या' ६८८ से घटकर ८३०, धन और चल सम्पत्ति की नालिशों की संख्या १३०६१ से घट कर १३,७३, धार्मिक और अन्य

धर्मादायों से सम्बधिन्त नालिशों की संख्या १८ से घटकर २ और वसीयत सम्बन्धी (टेस्टामेन्टरी) नालिशों की संख्या ३से घटकर १ रह गई।

रिगुलर साइड (Regular side) में नालिशों की संख्या १२,२४१ से बढ़कर इस वर्ष १३, ३८६ हो गई किन्तु खफ़ीफ़ा अदालतों (Small Cause Court, side) में उनकी संख्या ११,१७६ में घटकर १०,७७४ हो गई। नालिशों की कुल मालियत भी १,६६,५०,३८३२ से घटकर १,६२,८१,३६२ रु० हो गई। रायबरेली, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी और हरदोई की जजियों (Judgeships) में नालिशों की मालियत में काफ़ी घटती हुई और फैजाबाद, सीतापुर और उन्नाव की जजियों में नालिशों की मालियत में वृद्धि हुई।

खफ़ीफ़ा अदालतों (Small Cause Court) की नालिशों की संख्या ११,३१७ से घटकर १०,५०७ हो गई। ऐसी मूल नालिशों (Original Suits) की संख्या जिस पर वर्ष के अन्तर्गत निर्णय दिया गया २४,३७६ थी जबकि गत वर्ष ऐसी नालिशों की संख्या केवल २४,१६१ थी। सभी श्रेणियों की अदालतों द्वारा निपटाई नालिशों की संख्या १६,३२२ से बढ़कर इस वर्ष १६५३८ हो गई।

ऐसी नालिशों की संख्या जो अदालतों में विचारधीन (Pending) थीं, ७,५८० से बढ़कर ८,५२२ हो गई और उनकी संख्या सबसे अधिक फैजाबाद जजी में थी। एक वर्ष पुरानी नालिशों की संख्या में घटती हुई और वह ५८७ से घटकर ५६४ हो गई किन्तु ६ मास पुरानी नालिशों की संख्या १,४५५ से बढ़कर १,४६८ हो गई। ऐसी नालिशों की संख्या जो १ वर्ष से अधिक अवधि तक विचाराधीन रहीं, सब से अधिक संख्या फैजाबाद (१७८) की जजी में और सबसे कम उन्नाव (१६) की जजी में पाई गई।

अपीलें

वर्ष के अन्तर्गत रिगुलर दीवानी अपीलों की संख्या २,३७८ से बढ़कर २,७१७ हो गई और इस प्रकार की कुल अपीलों की संख्या जिन्हें निपटाना था। ५,०२४ से बढ़ कर ५,६६२ हो गई। वर्ष के अन्तर्गत ४८०१ अपीलों का तसफ़िया किया गया जब कि पिछले वर्ष केवल ३,६६६ अपीलों का तसफिया हुआ था। इनमें २,१७३ अपीलें हस्तान्तरित की गई। ऐसी रेगूलर अपीलों की संख्या जो एक वर्ष से अधिक विचाराधीन रहीं ४८ से घट कर इस वर्ष ४२ हो गई।

दीवानी विधिसंग्रह (कोड आफ़ सिविल प्रोसेडयूर) के आर्डर ४१ के नियम ११ (१) के अधीन ४७ रेगुलर अपीलें खारिज की गई जब कि पिछले वर्ष ऐसी खारिज की गई अपीलों की संख्या १२५ थी। रायबरेली की जजी में ऐसी सब से अधिक अपीलें (२३) ख़ारिज की गई।

ऐसी अपीलों की संख्या, जो दिवानी विधिसंग्रह (कोड आफ सिविल प्रोसेडयूर) के आर्डर ४१ के नियम ११ (२), १७ और १८ के अधीन आवश्यक नियमों का पालन न करने (Default) के कारण खारिज कर दी गई या किसी अन्य कारण से नहीं चलाई गईं, ११५ थी। ऐसी अपीलों की सब से अधिक संख्या फैजाबाद में (३८) और सब से कम हरदोई में (४) थीं।

दीवालियापन

पिछले वर्ष की तुलना में जबकि दीवालिया घोषित करने के लिये ७७ दरख्वास्तें प्राप्त हुईं थीं, इस वर्ष ७१ दरख्वास्तें प्राप्त हुईं इनमें ५५ दरख्वास्तें—६ डिस्ट्रिक्ट जजों द्वारा और ४६ अन्य जजों द्वारा—निपटा दी गईं। पिछले वर्ष की तुलना में जबकि ६१ दीवालिए मुक्त किये गये थे इस वर्ष केवल ५७ दीवानिये बरी किये गये। दीवालियों की सम्पत्तियों से कुल २५,२१५ रु० वसूल हुयेऔर कुल १६,४२२ रु० लोगों को बाँटा गया। वर्ष के अन्त में रिसीवरों के पास ३०,०४७ रु० की धनराशि बाकी रह गई।

खफ़ीफा अदालतें (स्माल काजेज कोर्टस)

लखनऊ की खफ़ीफ़ा अदालतों (स्माल काजेज कोर्टों) में और अन्य ऐसी अदालतों में जिन्हें खफ़ीफ़ा अदालतों के अधिकार प्राप्त हैं १०,७७४ नालिशें (Suits) दायर हुईं और ऐसी कुल नालिशों की संख्या १३,०५७ ही गई। इनमें से ११,३१६ नालिशें निपटा दी गईं। वर्ष के अन्त में १७४१ नालिशें बाकी रह गयीं। ऐसी नालिशों की संख्या जो एक वर्ष से अधिक विचाराधीन थीं ३० थी। गत वर्ष ऐसी नालिशों की संख्या ६६ थी।

अदालतों के समक्ष ३०,३६२ डिगरियों की इजरा की दरख्वास्तें थीं जिनमें से २६,११० निपटा दी गईं और वर्ष के अन्त में ४,२५२ ऐसी दरख्वास्तें निपटाने के लिये बाकी रह गई थीं। इन ४,२५२ दरख्वास्तों में १,२७३ दरख्वास्तें ३ महीने से अधिक पुरानी थीं।

ऋण सम्बधी कानून

ऐग्रीकलचरिस्टर्स रिलीफ ऐक्ट की धारा ३३ के अधीन दायर की गई नालिशों की संख्या ६५ से घटकर ५६ हो गई और इस प्रकार दायर की गई नालिशों की कुल मालियत में भी घटती हुई और वह १,३२,२८५ रु० से घटकर ६७,५६३ रु० रह गई। अदालतों के सामने केवल ९६ नालिशें सुनवाई के लिए थीं। इनमें से ६६ में फैसला दे दिया गया और वर्ष के अन्त में केवल २७ नालिशें बाकी रह गई थीं। इन्कम्बर्ड इस्टेटस ऐक्ट संम्बन्धी नालिशों की कुल संख्या ६८ थी जिनमें २२ ऐसी नालिशें भी थीं जो वर्ष के अन्तर्गत फिर से चलाये या कायम किये गये थे। इनमें से ३४ नालिशों में फैसला दे दिया गया और १४ बाकी रह गयीं थीं। ४६ नालिशों के सम्बन्ध में यूज़ूरियस

लोन्स ऐक्ट के आदेशों का प्रयोग किया गया। यूनाइटेड प्राविन्सेज डेट रिडम्पशन ऐक्ट (युक्त प्रान्तीय ऋण मोचन ऐक्ट) के अधीन कुल ६४६ दरख्वास्तें आईं जिनमें से ५६० पर निर्णय दे दिया गया और ८६ बाक़ी रह गईं।

रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन विभाग का मुख्य कार्य उन लेखपत्रों (दस्तावेजों) की, जिन्हें जनता इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (१९०८ ई० के ऐक्ट नं० १६) के अधीन रजिस्ट्री के विभिन्न कार्यालयों में पेश करें और रजिस्ट्री हुये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना हैं। १९४६ ई० में १८६,१६३ दस्तावेजों की रजिस्ट्री की गई और इस प्रकार १९४५ ई० की तुलना में रजिस्ट्री किये गये दस्तावेजों की संख्या में इस वर्ष ३'१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि अधिकांशतः "भूमि की बिक्री या विनिमय" शीर्षक के अधीन हुई। अन्य प्रकार के दस्तावेजों के अधीन कोई लेखनीय वृद्धि या न्यूनता नहीं हुई। रजिस्ट्री की फ़ीस से प्राप्त आय में १३६,०५२ की अर्थात् १२'७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि १९४६ ई० में रजिस्ट्री किये गये दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुई। विविध स्रोतों से होने वाली आय में ८'१ प्रतिशत की कमी हुई। यह कमी मुख्यतः दीवानी अदालतों में कार्यवाहियों के सम्पादन में कमी होने के कारण हुई। विभाग की कुल आय में ६'६ प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् कुल आय १९४५ ई० में १४,६०,४५१ रु० थी और वह बढ़कर १९४६ ई० में १५,६२,६०१ रु० हो गई।

विभाग के व्यय में १९४५ ई० की अपेक्षा १९४६ ई० में ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई और व्यय १९४५ ई० के १४,६०,४५१ रु० से बढ़कर १९४६ ई० में १५,६२,६०१ रु० हो गया। यह वृद्धि मंहगाई के भत्ते तथा युद्ध भत्ते के कारण हुई।

जनता की सुविधा के लिये बस्ती के रेवन्यू जिले को, जो कि अभी तक गोरखपुर के रजिस्टार के अधीन था, जहाँ तक रजिस्ट्रेशन कार्य का सम्बन्ध है १ जनवरी १९४७ ई० से एक पृथक रजिस्ट्रेशन जिला बना दिया गया।

१८—जिला बोर्ड

संविधान

फर्रुखाबाद, बांदा, मुरादाबाद और हमीरपुर के जिलाबोर्डों का अधिकार शासन के अधिकार में बना रहा और अन्य बोर्डों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चूंकि बोर्डों के निर्माण और निर्वाचन सम्बन्धी नियमों में कुछ परिवर्तन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था इस लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का साधारण निर्वाचन, जो कुमायूँ डिवीजन में अक्टूबर १९४२ ई० में और मैदानी

क्षेत्रों में दिसम्बर १९४५ ई० में होने चाहिये थें, एक वर्ष के लिये और स्थगित कर दिये गये। सहारनपुर और इलाहाबाद के जिला बोर्डों के सभापतियों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पास किये गये थे और इस लिये उन्हें उनके पदों से पृथक कर दिया गया।

बहुत से सदस्य वर्ष के अन्तर्गत एक भी बैठक में उपस्थित नहीं हुये। इस प्रकार ६८३ बैठकों में से ४७६ बैठकें निरर्थक सिद्ध हुई और ७६ बैठकें विभिन्न कारणों से स्थगित कर दी गई। ३१ बोर्डों में सदस्यों की औसत उपस्थित ५० प्रतिशत से भी कम रही।

आय और व्यय के प्रान्तीय विवरण नीचे दिये जाते हैं:—

आय

शीर्षक	१९४४-४५ ई०	१९४५-४६ ई०	अन्तर
	रु०	रु०	रु०
शासकीय अनुदान ...	१२७,४४,०५३	१,३८,४८,५१५	+११,०४,४६२
स्थानीय कर ...	७४,९३,००३	७९,६८,१३५	+४,७०,१३२
हैसियत और जायदाद टैक्स ...	११,५६,५०३	११,६३,८२३	+७३२०
मालगुजारी (कुमायूँ) ...	५१,०१५	५०,१९१	−८२४
चौकाघाट ...	२,८५,८४७	२,०३,६८४	−८२,१६३
कांजीहौस ..	१३,०१,९२२	१३,७५,७६४	−२६,१५८
शिक्षा ...	१२,३२,२८७	१४,७४,८८८	+२,४२,६०१
चिकित्सा ...	४,३३,३५९	३,०८,५७६	−१,२४,७८३
जन स्वास्थ्य ...	२४,५४४	२३,६७४	−८७०
पशु चिकित्सा ...	८१,९४१	६९,५३१	−१२,४१०

शीर्षक	१९४४-४५ ई०	१९४५-४६ ई०	अन्तर
मेले और प्रदर्शिनियां ...	२,८७,५२४	२,४६,००४	-४१,५२०
औद्योगिक शिक्षा	३,०५८	२,५८४	-४७४
ब्याज	४३,८०५	३३,८९६	-९,९०९
मण्डियां और दुकानें ...	५०,७०८	५८,८९५	+८१८८७
जायदाद से प्राप्तियाँ	१,४३,५९९	१,२२,२२६	-२१,२७३
कृषि तथा आरबोरी कल्चर ...	३,८०,४८६	३,३३,९५५	-४६,५३१
विविध ...	३,३८,८७५	२,४०१,०२६	-९८,८४९
शाषकीय अनुदान का कुल आय से प्रतिशत ...	४८'६	५०'१ ?	+१'५
प्रारंम्भिक अवशेष	४४,२३,३०८	६१७८०,९६१	१७,५७,६५३
अन्तिमव अवशेष ...	६१,८०,९६१	६७,८६,८१०	६,०५,८४९
योग	२,६०,५७७८७	२,७३,२०,२६७	+१२,६२,४००

व्यय

शीर्षक	१६४४-४४ ई०	१८४५-४६ ई०	अन्तर
	रु०	रु०	रु०
शिक्षा ...	१,२८,७०,८३७	१,४३,७६,३६६	+१५,०८,५५६
चिकित्सा ...	२६,४०,०४८	२३,८३,६६५	–२५६,०८३
जन स्वास्थ्य ...	३,५५,८२३	३,६५,०१२	+३६,१८६
टीका लगाना ...	७,११,६२७	८,२८,६६३	+१,१७,०३६
लोक निर्माण कार्य ...	५१,४२,८१०	५५,७२,१५६	+४,२६,३४६
पशु चिकित्सा .	३,५२,२२५	३,८३,१५०	+३०,६२५
कांजीहाउस ...	४,६८,१३०	५,६०,१५४	+७१,०२४
मेले और प्रदर्शिनियाँ	१.८८,१४४	२,१२,८६४	+२४,७२६
कृषि	८६,४०१	१,०६,३५१	+१६,६५०
सामान्य शासन ..	१२,६८,०५०	१३,८७,६५३	१,१६,६०३
विविध	३,३१,६४७	५.३८,८३६	+२,०६,८६२
अधिवार्षिक (Superanunation) शिक्षा को छोड़कर	६४,५३४	६४०४६	–४८४
वापसी (कांजीहाउस को छोड़कर)	१,००,६७३	१,४६,८०८	+४६,१३५
योग	२,२४,८६,७५७	२,६५,७८,३५७	+२२,४८,६००

वोर्डों की आय के मुख्य स्रोत शासकीय अनुदान (५ ·६ प्रतिशत) और स्थानीय कार (२६·० प्रतिशत) हैं। शासकीय अनुदान (ग्रांट) में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि शासनको वर्ष के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत के लिए और महंगाई के भत्ते के लिये वोर्डों को अधिक आर्थिक सहायता देनी पड़ी। स्थानीय-कर

(Local rates) शीर्षक के अधीन वृद्धि का कारण यह है कि कुछ जिलों ने करों की दरों में वृद्धि कर दी थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनसंख्या के प्रति व्यक्ति की आय में एक आने की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति की आय १० आना हो गई। वर्ष के अंत में लगभग ६८ लाख रु० का प्रान्तीय अन्तिम अवशेष रहा और बोर्डों ने लगभग २३ लाख रु० की पूँजी कार्यों में लगा रक्खी है। बुलन्दशहर बाराबंकी, बिजनौर, पीलीभीत, गाजीपुर, गोरखपुर और गोंडा के जिला बोर्डों में से प्रत्येक ने एक एक लाख रुपये काम में लगा रक्खा है जबकि हमीरपुर और इटावा के जिला बोर्डों के पास इस प्रकार का कोई विनियोजन कोष नहीं है।

हैसियत और जायदाद टैक्स

२८ जिला बोर्डों ने यह टैक्स लगाया है और २,५६,०६६ रु० के खर्च पर इस टैक्स के रूप में ११,६३,८२३ रु० एकत्र होता है। यह टैक्स प्रति व्यक्ति १६·७ आने पड़ता है। आमतौर पर शिकायत रही है कि रेलवे और सरकारी कर्मचारी इस टैक्स से बचने का प्रयत्न करते रहे हैं।

कांजी हाउस

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काँजीहौसों से होने वाली आय में २६,१५८ रु० की कमी हुई जबकि व्यय ४,८६,१८० रु० से बढ़कर ५,६०,१५४ रु० हो गया। आय में यह कमी आर्थिकमन्दी और लावारिस पशुओं की संख्या में कमी के कारण हुई है और व्यय में वृद्धि कार्यकारिणी कर्मचारियों की लापरवाही और काँजी हौसों को पट्टे पर उठाने की प्रणाली को खत्म कर देने के कारण और कांजीहौस रक्षकों की नियुक्ति के कारण हुई है। मुजफ्फरनगर और परतापगढ़ जिलों में कांजीहौसों से आय की अपेक्षा हानि हुई है।

शिक्षा

व्यय के शीर्षकों में से सब से अधिक व्यय शिक्षा पर हुआ अर्थात् कुल व्यय का ५४ प्रतिशत। इस वर्ष छात्रों की संख्या बढ़कर १,१६,६८७ से १२,३६,६८४ हो गई। शारीरिक व्यायाम का आन्दोलन जारी रहा और पाश्चात्य और देशी दोनों प्रणालियों की कसरतें, खेलों और स्काउटिंग को प्रोत्साहन दिया गया।

चिकित्सा

पाश्चात्य तथा देशी चिकित्सा पद्धतियों पर व्यय २६·४ लाख रु० से घट कर २३·८ लाख रु० हो गया। बोर्डों द्वारा नियत किये गये वेतन पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त योग्यता प्राप्त व्यक्ति प्राप्त न होने और सदर तथा अन्य स्थानीय चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण के कारण व्यय में यह कमी हुई।

यातायात

कच्ची और पक्की सड़कों का व्यय ४०·७ लाख रुपये से बढ़कर ४३·४ लाख रुपये हो गया और ३·३३ लाख रुपया की लागत पर नई सड़कें बनाई गईं। युद्धोत्तर कालीन योजना के सम्बंध में लोक-निर्माण विभाग ने स्थानीय सड़कों का काफ़ी भाग

बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया है। इनमें से कुछ सड़कों की देखभाल का कार्य प्रान्तीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और बाकी सड़कों को भी अपने हाथ में ले लेने के प्रश्न पर प्रान्तीय शासन विचार कर रहा है।

सामान्य

बोर्डों के कर्मचारियों और विशेषकर स्कूलों के अध्यापकों में असंतोष रहा। इन लोगों ने अपने वेतन और महंगाई के भत्ते में वृद्धि की मांग की है। शासन द्वारा जिला बोर्डों की सड़कों के कुछ भाग को अपनी देखरेख में ले लेने के कारण आर्थिक दृष्टि से बोर्डों का भार बहुत कुछ हल्का हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा तथा सफ़ाई सम्बंधी उन्नति तथा चिकित्सा सम्बंधी सुविधायें पहुँचाने के सम्बंध में अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है।

१६ गाँव पंचायतें

(३० सितम्बर, १६४६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये)

पंचायतों की संख्या

वर्ष के अंत में लखनऊ डिवीजन को छोड़कर सारे प्रान्त में गाँव पंचायतों की कुल संख्या ४,६८३ थी। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लखनऊ डिवीजन को छोड़कर प्रांत में पंचायतों की संख्या में ६० की वृद्धि हुई। यह वृद्धि गोरखपुर और आगरा के डिवीजनों को छोड़कर, जिनमें पंचायतों की संख्या में क्रमशः २ और ६१ की कमी हुई, सभी जिलों में हुई।

दीवानी और फौजदारी के मुकदमें

वर्ष के अन्तर्गत कुल ३३,६६६ दीवानी और फ़ौजदारी मुकद्दमें दायर किये गये और इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में ऐसे मुकद्दमों की संख्या में २,१४१ की कमी हुई। मेरठ और झांसी कमिश्नरियों को छोड़ कर, जिनमें दीवानी मुकद्दमों की संख्या में क्रमश: ६७ और ३४५ की वृद्धि हुई, सभी कमिश्नरियों में दीवानी मुकद्दमों की संख्या में कमी हुई। मुकद्दमों की संख्या के घटने का मुख्य कारण कृषि-उपजों और खाद्यपदार्थों की महंगाई और ऊँची मजदूरी के कारण किसानों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति है।

लोक हित कार्य

गाँव पंचायतों ने काफ़ी रुपया लोकहित कार्यों में जैसे कुओं, पुलियों, सड़कों, नालियों आदि की मरम्मत और शौचालयों तथा स्नानगृहों के निर्माण पर खर्च किया है। ग्राम सुधार योजना के अंतर्गत निर्मित गाँव पंचायतों ने भी गांवों में कुएँ और कूड़ाकरकट की सफ़ाई आदि के सम्बंध में सराहनीय कार्य किया है। गोरखपुर जिले में निर्माण सम्बंधी सामान की तथा मजदूरी की महंगाई के कारण इस दिशा में अधिक कार्य नहीं हुआ। बहराइच जिले की गांव पंचायतों को जनता में मुफ्त बांटने के लिये सिनकोना और क्विनीन की टिकियां दी गईं। इलाहाबाद जिले के कुछ गाँवों में गाँव सहायता (village aid) योजना चालू रही।

निरीक्षण

माल विभाग के अधिकारी बराबर इन पंचायतों का निरीक्षण करते रहे जिसके फलस्वरूप असफल और अयोग्य पंचायतों की छटनी की जा सकी और अच्छी पंचायतों को प्रोत्साहन दिया गया। युक्त प्रान्तीय गाँव पंचायत ऐक्ट १६२० ई० की धारा २४ के अधीन प्रायः प्रत्येक कमिश्नरी में कुछ चुनी हुई अच्छी पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस वर्ष पंचायतों का काम संतोषप्रद रहा।

सामान्य

ग्राम्य जीवन और ग्राम्य समाज के पुनस्संगठन का कार्य शासन ने हाथ में लिया है। अब युक्त प्रान्तीय पंचायत राज ऐक्ट युक्त प्रान्तीय गाँव पंचायत ऐक्ट, १६२० ई० (१६२० ई०का ऐक्ट नं० ६) का स्थान ग्रहण कर लेगा।

२० म्युनिस्पल बोर्ड

सामान्य

म्युनिस्पेलिटियों की संख्या इस वर्ष भी ८६ ही रही। नजीबाबाद, मुरादाबाद, हरद्वार यूनियन, बृदाबन, गाजीपुर, मिर्जापुर और वलिया की म्युनिस्पैलिटियाँ, जिनका प्रबन्ध शासन ने अपने हाथ में ले लिया था, फिर से बनाई गईं। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस वर्ष नैनीताल म्युनिस्पैलिटी के साधारण चुनाव होने चाहियें थे किन्तु चूँकि संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था आदि करने के उद्देश्य से चुनाव सम्बन्धी नियमों में कुछ संशोधन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था इसलिये साधारण चुनाव को सितम्बर १६४७ ई० तक के लिये स्थगित कर दिया गया।

फाइनेन्स (राजस्व)

मेरठ कमिश्नरी की म्युनिस्पैलिटियों को छोड़कर प्रान्त की समस्त म्युनिस्पैलिटियों की कुल आय प्रारम्भिक अवशेषों और असाधारण मदों को छोड़कर २६१'६ लाख रुपये हुई और कुल व्यय २७५'१ लाख रुपया हुआ। सदा की भाँति इस वर्ष भी साधारणतया चुंगी से ही सब से अधिक आय हुई और सब से अधिक व्यय (५४'६६ लाख रुपया) स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी कामों (कंजर्वेन्सी) पर हुआ।

आगरा कमिश्नरी

आगरा म्युनिस्पल बोर्ड का प्रबन्ध इस वर्ष भी सरकार के हाथों में ही रहा किन्तु वृन्दाबन की म्युस्निपैलिटी को शासन ने अपने प्रबन्ध से मुक्त कर दिया और १ अक्तूबर १६४५ ई० से पुराने बोर्ड को ही म्युनिस्पैलिटी का प्रबन्ध सौंप दिया गया। चुनाव बाद में हुये और सारे का सारा बोर्ड ज्यों-का-त्यों निर्विरोध चुन लिया गया और मतगणना की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कमिश्नरी की कुल आय ४६,२६, ४५४ रु० से बढ़कर इस वर्ष ५२,२७,०८८ रु० हो गई और करों और महसूलों (rates) से प्राप्त आय भी ३०,६०,४८६ रु० से बढ़कर ३२,८२,१४२ रु०

हो गई । यह वृद्धि मुख्यतः चुंगी, टोल, और यात्री कर से हुई । कमिश्नरी में अतरोल सोरों और बृन्दावन की म्युनिस्पैलिटियों की वसूलिटियाँ सबसे अच्छी रहीं। सिकन्दराराऊ और मैनपुरी कीं म्युनिस्पैलिटियों की वसूलियों का प्रतिशत सबसे कम रहा । आगरे में ६७·८ फ़ीसदी हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वसूल किया गया । पिछले वर्ष के ३६,११,५१६ रु० के व्यय की तुलना में इस वर्ष कुल व्यय ४८,६८,८१४ रु० हुआ । सोरों म्युनिस्पल बोर्ड की आय ७६,४५५ रु० से घटकर ७०,६८७ रु० और व्यय ७५,८६४ रु० से घटकर ७०,७२१ रु० हो गया । कमिश्नरी के समस्त बोर्डों का अन्तिम अवशेष (closing balance) १३,३८,८६८ रु० से बढ़कर १४,२२,६६७ रु० हो गया । मथुरा और फ़िरोज़ाबाद म्युनिस्पल बोर्डों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी रही । मथुरा और अलीगढ़ के म्युनिस्पल बोर्डों को कर्जदार बोर्डों की सूची से निकाल दिया गया और उन्हें अपने-अपने आय व्ययक (बजट) को कमिश्नर के पास स्वीकृति के लिये भेजने की शर्त से मुक्त कर दिया गया । जनता का स्वास्थ्य साधारणतया संतोषजनक रहा । फ़िरोज़ाबाद में सामान्य सफ़ाई और स्वच्छता में कुछ खराबी आने के कारण मई १६४५ ई० में संक्रामक रूप से हैजा फैला । फ़िरोजाबाद, मथुरा, जलेसर और एटा के बोर्डों में दलबन्दी के लक्षण दिखलाई दिये ।

रुहेलखंड कमिश्नरी

नजीबाबाद और मुरादाबाद के बोर्डों के शासकीय प्रबन्ध में रहने की अवधि दिसम्बर १६४५ ई० में समाप्त हो गई थी और नये चुनाव भी हो गये थे किन्तु सभापति के चुनाव में बिलम्ब होने के कारण नजीबाबाद की म्युनिस्पैलिटी के शासकीय प्रबन्ध में रहने की अवधि पहले १५ मार्च १६४६ ई० तक और बाद में १६ मई १६४६ ई० तक बढ़ा दी गई थी । इसी प्रकार मुरादाबाद की म्युनिस्पैलिटी के शासकीय प्रबन्ध में रहने की अवधि १० फरवरी १६४६ ई० तक बढ़ा दी गई । कमिश्नरी में बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति ६३·८ प्रतिशत (सहसवां) से ८५·४७ प्रतिशत (मुरादाबाद) के बीच रही । कमिश्नरी के अन्तर्गत सभी बोर्डों की आय में वृद्धि हुई और वह ३८,४३,७३२ रु० से बढ़कर इस वर्ष ४५,६१,६१२ रु० हो गई । पिछले वर्ष की वसूलियों की तुलना में जो ६१·०६ प्रतिशत थी इस वर्ष ६२·२० प्रतिशत वसूलियां हुई । बरेली, बिजनौर, धामपुर, मुरादाबाद, चाँदपुर, शाहजहाँपुर और पीलीभीत म्युनिस्पैलिटियों में माँग की ६० प्रतिशत से अधिक वसूलियाँ हुई । नजीबाबाद, बदायूँ, अमरोहा और सम्भल की म्युनिस्पैलिटियों में शत प्रतिशत वसूलियाँ हुईं । कुल आय के समान व्यय में भी वृद्धि हुई और व्यय ३५,३०,७२३ रु० से बढ़कर ४१,६८,७०६ रु० हो गया । इसी प्रकार लगाई गई पूँजी भी ४,३४,०७६ रु० से बढ़कर ४,४२,३१० रु० हो गई ।

इलाहाबाद कमिश्नरी

पिछले वर्ष की तुलना में जबकि समस्त बोर्डों की केवल २०८ बैठकें हुई थी इस वर्ष २२५ बैठकें हुईं। इस वर्ष इटावा और इलाहाबाद की म्युनिस्पल बोर्डों की क्रमशः १६ और ८ बैठकें अधिक हुईं। गत वर्ष की भाँति कानपुर म्युनिस्पल बोर्ड की इस वर्ष भी केवल ३४ बैठकें हुईं। इनमें से २३ पिछले की तरह निरर्थक सिद्ध हुईं और समय के अभाव के कारण स्थगित की गईं। बैठकों की संख्या १५ से २० हो गई। उपस्थिति ५७·३ प्रतिशत (कन्नौज) से ७२·२६ प्रतिशत (फतेहपुर) के बीच रही। प्रारम्भिक अवशेष (opening balance) को छोड़कर कमिश्नरी की कुल आय ७६,५८,७७३ रु० से बढ़कर इस वर्ष ८१,८१,३८१ रु० हो गई। केवल कानपुर में ही प्राप्तियों में ३,७७,४६१ रु० की वृद्धि हुई। वसूलियाँ संतोषप्रद रहीं। इटावा में सबसे अधिक अर्थात् ६७·८ प्रतिशत और कानपुर में ६७·६ प्रतिशत वसूलियाँ हुईं और सबसे कम वसूलियाँ कन्नौज में हुईं अर्थात् ६३·६८ प्रतिशत। इलाहाबाद की वसूलियाँ (८६·७ प्रतिशत) इस वर्ष भी असंतोषप्रद रहीं। कुल व्यय भी ७४,१२,३५२ रु० से बढ़कर ७६,६१,२४२ रु० हो गया। सभी बोर्डों के व्ययों में वृद्धि हुई सिवाय कानपुर बोर्ड के जिसका व्यय ४१,५०,८६६ रु० से घटकर ३८,६२,४६७ रु० हो गया। व्यय का अधिकांश भाग अर्थात् ६०·८२ प्रतिशत (गत वर्ष ६३·२६ प्रतिशत लोक स्वास्थ्य आदि पर और १४·४५ प्रतिशत लोक-शिक्षा (पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) पर खर्च हुआ। कानपुर में जनता का स्वास्थ्य साधारणतया असंतोषप्रद रहा और एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु-संख्या में अधिक वृद्धि हुई। इलाहाबद में यद्यपि टाइफाइड काफी जोरों से फैला, इस वर्ष वह प्लेग और हैजा के प्रकोप से बचा रहा।

कुमायूं कमिश्नरी

कुल बैठकों की संख्या ८२ से घटकर इस वर्ष ७३ हो गई और उपस्थिति ६७ प्रतिशत रही जब कि पिछले वर्ष ७० प्रतिशत थी। पिछले वर्ष की तुलना में १०,२२,८३१ रु० से बढ़ कर इस वर्ष ११,७७,६६०रु० हो गई और कुल व्यय ६,२४,७७४ रु० से बढ़कर १०,१३,२०६ रु० हो गया। हेलेट जलाशय (हेलेट रिजर्व्वायर) के तैयार हो जाने से अल्मोड़े में पानी का संकट कुछ हद तक दूर हो गया है।

झाँसी कमिश्नरी

इस वर्ष बोर्डों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और बोर्डों की १८६ बैठकें हुईं जब कि पिछले वर्ष केवल ५८ ही बैठकें हुई थीं। ऐसी बैठकों की संख्या जो कोरम पूरा न होने के कारण निरर्थक सिद्ध हुईं इस वर्ष बढ़कर ३२ हो गई जब कि गत वर्ष उनकी संख्या केवल १७ ही थी। मऊ, काल्पी और कोंच को छोड़कर सभी बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति की प्रतिशत में वृद्धि हुई। वर्ष की कुल आय ८,४७,४७० रु० से बढ़कर१०,३२,०३७ रु० हो गई। किन्तु वसूलियाँ केवल

६५·६६ प्रतिशत हुई जबकि गत वर्ष ८७·४६ प्रतिशत हुई थीं। म्युनिस्पैलिटियों को देय धनराशियों में, जिनका वसूल होना बाकी हैं, भी वृद्धि हुई और वह २८,०८०रु० से ४२,८७३ रु० हो गई। कुल व्यय भी ८,६१,८८४ रु० से बढ़ कर ६,७४,५४८ रु० हो गया। सबसे अधिक व्यय जनस्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) आदि पर हुआ।

बनारस कमिश्नरी

३० सितम्बर १६४५ ई० तक मिर्जापुर और बलिया के म्युनिस्पल बोर्डों का शासन प्रबन्ध शासन के हाथ में रहा और गाजीपुर का बोर्ड ८ दिसम्बर १६४५ ई० तक प्रबन्ध के अधीन रहा। इन बोर्डों के नये चुनाव दिसम्बर १६४५ ई० में हुये और तत्पश्चात् नये निर्वाचित सदस्यों के बोर्ड बनाये गये। कुल मिलाकर बोर्डों की ८७ बैठकें हुई जब कि पिछले वर्ष केवल ६४ बैठकें हुई थी। गत वर्ष की ३२,४६,७५८ रु० कुल आयकी तुलना में इस वर्ष कुल आय ४१,१६,२१६ रु० हुई और बनारस मिर्जापुर और जौनपुर की म्युनिस्पैलिटियों की वसूलियाँ इस वर्ष क्रमशः ६८·८१,८६·३ और ५१·६ प्रतिशत हुई जब कि गत वर्ष इन म्युनिस्पल बोर्डों की वसूलियाँ क्रमशः ६३·३,८३·३ और ४१·०३ प्रतिशत थी। ४,३४,३८४ रु० की मालियत के विभिन्न म्युनिस्पल कर वसूल होने बाकी रह गये हैं। इस धनराशि में ३,४४,८७७ रु० केवल बनारस में ही वसूल होना बाकी है। कमिश्नरी में इस वर्ष कुल व्यय ३४,१६,३६५ रु० हुआ जब कि गत वर्ष २५,५२,०१६ रु० हुआ था। सबसे अधिक व्यय जन स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) आदि पर हुआ अर्थात् १,८६०,०८५ रु० (गत वर्ष १३,६२,३०२ रु०) लोक शिक्षा (पब्लिक इंसट्रकशन) पर पिछले वर्ष के २,६२,१७६ रु० की तुलना में इस वर्ष ६,११,०२७ रु० खर्च हुआ और व्यय के शीर्षक में यह सब से बड़ी दूसरी मद है। कमिश्नरी के पाचों म्युनिस्पल बोर्डों में से केवल जौनपुर और बनारस के बोर्ड ही साल भर काम करते रहे और उनका कार्य संतोषजनक रहा।

गोरखपुर कमिश्नरी

बोर्डों के संविधान में वर्ष के अन्तर्गत कोई परिवर्तन नहीं हुआ इस वर्ष बोर्डों की कुल ३३ बैठकें हुई जब कि गत वर्ष ३६ बैठकें हुई थीं। सदस्यों की उपस्थिति में भी कमी हुई। गत वर्ष की ५,१२,०८२ रु० की आय और ४,४१,७६२ रु० के व्यय की तुलना में इस वर्ष ७०,५६,६५० की आय और ५,२६,४६४ रु० का व्यय हुआ। दोनों म्युनिस्पैलिटियों में जनता का स्वास्थ्य संतोषप्रद रहा और हैजा का प्रकोप जहाँ कहीं भी हुआ तुरन्त सफलता पूर्वक दवा दिया गया। दोनों बोर्डों का कार्य संतोष जनक रहा।

लखनऊ कमिश्नरी

इस वर्ष पिछले वर्ष की १८७ बैठकों की तुलना में १६२ बैठकें हुई। इन में से ३० निरर्थक हुई और १४ बैठकें स्थगित की गई। सीतापुर बोर्ड की सबसे अधिक बैठकें हुई। समस्त मेम्बरों की उपस्थिति का औसत प्रतिशत ७१·४ रहा।

कमिश्नरी की कुल आय ३७,४३,३५७ रु० से बढ़कर ४१,७५,६५५ रु० हो गई जिसमें लखनऊ बोर्ड की आय ३१,८५,१२६ रु० हुई। सारी कमिश्नरी की वसूलियाँ ६५·१ प्रतिशत से घटकर ६४·० प्रतिशत हो गई। लखनऊ बोर्ड की वसूलियाँ भी ६६·८ प्रतिशत से घटकर ६५·६ प्रतिशत रह गई। कुल आय की भाँति खर्च की मद में भी वृद्धि हुई और खर्च की मद ३५,३०,४६२ रु० से बढ़ कर इस वर्ष ३८,१४,५७२ रु० हो गया। व्यय की इस मद में से सबसे अधिक खर्च २३,८६,२६१ रु० जन स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) और सुविधा पर हुआ जो गत वर्ष के व्यय से २,८५,८३४ रु० अधिक है। लोक शिक्षा (पब्लिक इन्सट्रक्शन) पर गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष ५६,६१३ रु० अधिक व्यय हुआ।

फैजाबाद कमिश्नरी

बोर्डों की कुल बैठकों की संख्या में कुछ कमी हुई अर्थात् गतवर्ष १८२ बैठकें हुई थी और इस वर्ष केवल १७८ बैठकें हुई। ऐसी बैठकों की संख्या जो कोरम पूरा न होने के कारण नहीं हो पाई या जो स्थगित कर दी गई क्रमशः २० और २१ थीं जबकि गतवर्ष ऐसी बैठकों की संख्या क्रमशः ३० और २३ थी। बहराइच बोर्ड की सबसे अधिक बैठकें हुई अर्थात ३३ जिनमें से केवल ३ स्थगित हुई। बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सबसे अधिक फैजाबाद में (अर्थात् ७०·७८ प्रतिशत) और सबसे कम (अर्थात ३८·८१ प्रतिशत) बहराइच में रही। कमिश्नरी की कुल आय ९,३१,५७४ रु० से ११,६२,३३० रु० और कुल व्यय ९,४६,८५५ रु० से ९,००,५६८ रु० हो गया। सबसे अधिक वसूलियाँ (९९·६३ प्रतिशत) प्रतापगढ़ में हुई। बाराबंकी ने वसूलियों के सम्बंध में काफी तरक्की दिखलाई और गतवर्ष की ८०·४५ प्रतिशत वसूली की तुलना में वहां इस वर्ष ९१·३५ प्रतिशत वसूली हुई। इस वर्ष सबसे कम वसूली बलरामपुर में हुई अर्थात ३७·८२ प्रतिशत जबकि गत वर्ष वहाँ ९९·८ प्रतिशत वसूली हुई थी। बलराम पुर को छोड़ कर बाकी सभी शहरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य संतोषप्रद रहा। प्रतापगढ़ के म्यूनिस्पल बोर्ड को छोड़कर जहाँ के बारे में दलबन्दी की रिपोर्ट मिली है और सभी बोर्डों का काम सुचारु रूप से चलता रहा।

२१—कानपुर डेवलेपमेन्ट बोर्ड

कानपुर अरबन एरिया डेवलेपमेन्ट ऐक्ट १९३९ ई० के आदेशों के अन्तर्गत कानपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का स्थान १ सितम्बर १९४५ ई० से कानपुर डेवलेपमेंट बोर्ड ने ग्रहण कर लिया है। सर एडवर्ड सूटर इस बोर्ड के सभापति थे। ४ सदस्य अपने अपने पद की हैसियत से, ८ सरकारी नामजद सदस्य और ३ सदस्य कानपुर म्युनिस्पल बोर्ड द्वारा निर्वाचित आर्थिक वर्ष के अन्त तक बोर्ड की ८ साधारण और ३ विशेष बैठकें हुई जिनमें सदस्यों की उपस्थिति का औसत ७६२ प्रतिशत था।

स्थापना के समय बोर्ड के पास ५,६१,६०० रु० प्रारम्भिक अवशेष के रूप में था। और वर्ष के शेष आय में ३६,७८,०४८ रु० की प्राप्तियाँ हुई थीं। इसके बाद वाली धनराशि (अर्थात ३६,७८,०४८ रु०) में १३,३६,७६०रु० साधारण आय से और २३,३८,२८८ रु० असाधारण आय और ऋण की मदों से प्राप्त हुआ। कुल साधारण व्यय २५,०२,०३२ रु० हुआ और वर्ष के अन्त में अन्तिम अवशेष ५,१४,८०० रु० रहा। इस अवधि में बोर्ड ने कोई ऋण नहीं लिया। ३१ मार्च १६५५ ई० को कर्जे की ५५,७८,५०० रु० की धनराशि में से जो देना बाकी थी २,५१,५०० रु० चुका दिया गया और तब ५३,२७,००० रु० देना बाकी रह गया। पूरे साल में ४,३४,४५८ रु० की लागत पर ६५७·५२ एकड़ भूमि प्राप्त की गई और इन्जीनियरिंग कार्यों पर १८,०३,१४८ रु० व्यय हुआ। इस व्यय का अधिकांश भाग मजदूरों के क्वार्टरों के निर्माण (३,५५०५१ रु०) और उसी प्रयोजन के लिए भूमि तैयार करने (६,८६,२७? रु०) पर खर्च किया गया। सामान की कमी के कारण बोड केवल अति आवश्यक कार्य ही अपने हाथ में ले सका। बोर्ड के पास कुशल टाउन प्लानर न होने से उसे अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं।

२२—इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट

इस वर्ष प्रारम्भिक अवशेष (Opening Balance) २,१६,७३० रु० था और वर्ष के अन्तर्गत ५,१०,६४६ रु० की आय हुई। वर्ष के अन्तर्गत कुल ५,२७,८७६ रु० खर्च हुआ और इस प्रकार वर्ष के अन्त में १,६६,५०६ रु० की बचत हुई। इस के पास ६,३०,००० रु० की लगाई हुई पूंजी भी थी। निर्माण सम्बन्धी सामान की कमी के कारण और ऊंचे भावों के कारण इसकी योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में अधिक उन्नति नहीं हो सकी। वर्ष के के अन्तर्गत केवल १ १/५ बीघे का एक क्षेत्र स्थगित किया गया। इसकी बैठकों में ट्रस्टियों की उपस्थिति संतोषप्रद रही।

लखनऊ

वर्ष के प्रारम्भ में ट्रस्ट के पास १,६२,४५३ रु० की धनराशि प्रारम्भिक अवशेष के रूप में थी और ३,७१,२७० रु० वर्ष के दौरान में प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुआ। वर्ष में कुल ३,१५,२४२ रु० खर्च हुआ और इस प्रकार वर्ष के अन्त में ट्रस्ट के पास २,१०,४८१ रु० की धनराशि अन्तिम अवशेष के रूप में और २,००,००० रु० की एक धनराशि फिक्स्ड डिपाजिट में रही।

इलाहाबाद के साम्प्रदायिक उपद्रवों तथा भूमि प्राप्त करण सम्बन्धी कार्यवाहियों में विलम्ब होने के फलस्वरूप भूमि के निबटारे (disposal) का कार्यक्रम में कमी कर दी गयी। फिर भी ट्रस्ट की योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम

कुछ आगे बढ़ा यद्यपि निर्माण सामग्री की कमी के कारण यह काम उतनी तेजी से नहीं किया जा सकता जितना कि होना चाहिए था। ट्रस्टी लोग बैठकों में बहुत कम संख्या में उपस्थिति होते थे।

अध्याय ४

उत्पादन तथा वितरण

२३—कृषि

वर्षा और सामान्य दशायें

इस वर्ष वर्षा अनियमित रूप से हुई। जुलाई मास में असाधारण वर्षा हुई और लगभग संपूर्ण प्रान्त में इस महीने की कुल वर्षा साधारण वर्षा से अधिक हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ निम्नस्थ क्षेत्रों में बढ़िया आ गई और पानी भर गया और उन क्षेत्रो में फ़स्लों की बढ़वार मारी गई। अगस्त और सितम्बर में अधिकतर जिलों में कुल वर्षा साधारण वर्षा की अपेक्षा कम हुई और ख़रीफ़ की फ़स्ल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। अक्तूबर में अधिकांश जिलो में कहीं पर कम और कहीं पर अधिक वर्षा हुई। यह ईख की फ़स्ल के लिये और सामान्यत: रबी की फ़स्लें बोने के लिये हितकर सिद्ध हुई किन्तु बहुत से क्षेत्रों में कपास की फ़स्ल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इससे देर से होने वाली धान की फ़स्ल को लाभ हुआ यद्यपि पहले होने वाली धान की खड़ी हुई फ़स्ल को और ख़रीफ़ की फ़स्लों को जो खलिहानों में पड़ी हुई थीं कुछ हानि पहुँची। उत्तर पूर्व के ज़िलों के कुछ क्षेत्रों में ईख की फ़स्ल में कीड़ा लग जाने से उसको भारी क्षति पहुँची। नवम्बर और दिसम्बर में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई जिसके कारण रबी की फ़स्लों को कुछ हानि पहुँची विशेषत: बरानी के क्षेत्रों में।

क्षेत्र तथा फ़स्लों की उपज

खाद्यान्नों के मूल्य बहुत अधिक होने और गन्ने की बिक्री में कठिनाइयाँ होने के कारण ईख उत्पन्न करने के क्षेत्र में १६ प्रतिशत कमी हुई और पिछले वर्ष की तुलना में वह १८,१८,५०० ऐकड़ ही रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रान्त में गुड़ का उत्पादन घट कर २२,२३,००० टन ही रह गया जिससे ८ प्रतिशत की न्यूनता व्यक्त होती है।

गुड़

गेहूँ

गेहूँ के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वह ८०,५६,०२३ ऐकड़ भूमि में बोया गया और उसकी उपज २३,०३,००० टन हुई। इससे यह मालूम होता है कि गेहूँ बोने की भूमि में २ प्रतिशत एकड़ों की वृद्धि हुई है किन्तु उपज में १३ प्रतिशत की कमी हुई है। धान उत्पन्न करने के क्षेत्र में २ प्रतिशत की कमी हुई और वह ७,०४५,००० ऐकड़ रहा किन्तु उपज १६ प्रतिशत अधिक अर्थात्

धान

१८,३६,००० टन हुई । चना उत्पन्न करने के क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई अर्थात् ' ४ प्रतिशत और वह ६,१४०,१४७ ऐकड़ भूमि में बोया गया किन्तु विगत वर्ष की तुलना में उपज १० प्रतिशत कम हुई अर्थात् १,४६७,००० टन हुई । जौ उत्पन्न करने का क्षेत्र ८ प्रतिशत कम हुआ अर्थात् ४,३६१,४७६ ऐकड़ रहा और उपज ७ प्रतिशत कम अर्थात् १,४५५,००० टन हुई । ज्वार उत्पन्न करने का क्षेत्र १२ प्रतिशत बढ़ा अर्थात् २,२६७,४३० ऐकड़ हुआ और उसकी उपज ११ प्रतिशत बढ़ी अर्थात् ५,६४,००० टन हुई । बाजरे की खेती का क्षेत्र ०·५ प्रतिशत बढ़ा और वह २,८५५,६०८ ऐकड़ क्षेत्र में बोया गया । उसकी उपज १ प्रतिशत बढ़ी अर्थात् ५,५१,००० टन हुई । इसी प्रकार से मक्का उत्पन्न करने के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई जो ४·६ प्रतिशत थी और कुल क्षेत्र २,५३६,३२४ ऐकड़ हुआ । उपज १ प्रतिशत बढ़ी अर्थात् कुल उपज ६,५६,००० टन हुई । मुख्यतः खाद्यान्नों के बढ़े चढ़े मूल्यों और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के कारण कपास उत्पन्न करने के क्षेत्र में ३ प्रतिशत की और अधिक कमी हुई अर्थात् वह केवल ,६५,३२६ ऐकड़ रह गया और कुल उपज में ६ प्रतिशत की कमी हुई ।

जौ
ज्वार
बाजरा
मक्का
कपास

अधिक अन्न उपजाने के सम्बन्ध में उत्साह और दृढ़ता से आन्दोलन चलाया गया था और शासन ने उन लोगों को उदारता से सुविधायें प्रदान कीं जिन्होंने बंजर तथा कृषि-योग्य ऊसर भूमियों को सुधार कर कृषि-योग्य बनाया । इसके अतिरिक्त १,५८,८६० रुपये की राशि के बिना ब्याज के ऋण किसानों को दिये गये जिससे कि वे पड़ी हुई पुरानी परती और कृषि योग्य ऊसर भूमियों में बांध बना सकें भूमि को समतल करें, खेत तैयार करें, झाड़ियों और जंगलों का काट कर दूर करें, बांधों का और जल-सिंचन प्रणालियों (नहरों) का निर्माण करें । इस प्रकार से लगभग ५५,७१० ऐकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई और २,६०,२६६ रु० की धन राशि ब्याज-युक्त तक़ावी के रूप में बैलों और उपकरणों को खरीदने या सिंचाई के प्रयोजन के लिये कुंये बनवाने के लिये बांटी गई । पक्के कुयें बनवाने के सम्बन्ध में १४७३ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे जिसमें ६,८७,४२४ रुपये तक़ावी के रूप में बांटने होते । इनमें से ११ कुंये बनवाकर पूरे करा दिये गये और २६६ कुंओं का ही निर्माण कार्य इस वर्ष के भीतर चलता रहा क्योंकि मकान बनाने की सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी ।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

इस वर्ष विभाग ने १०,६६,७६३ मन रबी की फ़सलों के बीजों का वितरण किया । विभाग के स्टाक में रबी की फ़सलों के बीजों की राशि बढ़कर १०,३१,८४७ मन हो गई जब कि पिछले वर्ष में १०,१७,००० मन बीज रहा था । खरीफ़ की

बीज का वितरण

फ़स्लों के बीज के स्टाक में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष के २,७१,४६८ मन बीज से बढ़कर आलोच्य वर्ष में २,६७,०८५ मन हो गया। वास्तव में आलोच्य वर्ष में ३,६१,२२६ मन बीज बांटा गया। इसके अतिरिक्त रेंडी, मूंगफली और नीम की कुल लगभग २,३०,६६६ मन खली किसानों को अन्न की फ़स्लों में डालने के लिये बांटी गई। खली की ढुलाई का व्यय और तत्सम्बन्धी प्रासंगिक व्यय शासन द्वारा किये गये और वे आर्थिक सहायता के रूप में माने गये। लगभग २,६१,६७२ मन अमोनियम सल्फ़ेट, ८,५३८ मन अमोनियम फ़ास्फ़ेट और ४,८४० मन ट्रिपिल फ़ास्फ़ेट बांटे गये और अन्न की फ़स्लों में हरी खाद देने के लिये १३,५६८ मन तक सनई के बीज दाम के दाम पर दिये गये। इन खादों की सहायता के लिये विभाग ने किसानों को बड़े परिमाण में मिश्रित खाद तैयार करने, और पशुओं के मूत्र से लिप्त मिट्टी को सुरक्षित रखने का परामर्श दिया। इस प्रकार से १२६० लाख घन फुट मिश्रित खाद २ रुपया प्रति ३०० घन फुट की गणना से सहायता के आधार पर तैयार की गई और व्यक्तिगत प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिये किसानों को ८५,०० रुपयों के पुरस्कार रबी और ख़रीफ़ की सबसे अच्छी फ़स्लें उत्पन्न करने के लिये दिये गये।

संकट कालीन खाद्यान्न योजना

संकट कालीन अन्न योजना के अधीन अतिरिक्त (जायद) फ़स्लों और दूसरी फ़स्लों के जैसे सावां, मक्का, मूंगफली, चना, बाजरा, ज्वार, धान इत्यादि कुल १,०२६२६ मन बीज ग्रीष्म ऋतु में बांटे गये और जिन स्थानों पर सिंचाई के लिये सुविधायें (नहरें) नहीं थीं वहाँ पर कच्चे कुओं को खुदवाने के लिये २५) रूपये प्रति कुंआ आर्थिक सहायता दी गई। यह अनुमान लगाया जाता है कि इस योजना के अधीन दी हुई सुविधाओं और प्रयत्नों के कारण ४,२५,४०० ऐकड़ क्षेत्र में अतिरिक्त फ़स्लें उत्पन्न की जा सकीं।

शाक भाजी की अधिक उत्पादन

संयुक्त प्रान्त की शाक भाजी की योजना में जो सन् १९४३ ई० में रक्षात्मक सेनाओं और भारतीय शासन के अन्न विभाग की हरे शाक भाजियों, आलू और प्याज सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन से चलायी गयी थी, युद्ध की समाप्ति के बाद कमी कर दी गई। इसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में केवल १०१,१५६ मन हरी और नयी भाजी, १३१,६३६ मन आलू रक्षात्मक सेनाओं को दिये गये और १,००४ मन आलू और ७२,५७८ मन प्याज डीहाइड्रेशन फ़ैक्ट्रियों (वस्तुओं में से जलांश को निकालने वाले कारखाने) को दिये गये। शाक-भाजी के उत्पादन का काम ६४ टुकड़ियों में संघठित किया गया था जो प्रान्त भर में फैली हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत ३३७ कच्चे कुंयें भी खोदे गए थे और इस प्रान्त में नगरों के निवास-गृहों के वाह्य प्रांगणों (हातों) में १,६५१ एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में और ग्रामों में ८,१६६ ऐकड़ भूमि के अतिरिक्त क्षेत्र में

शाक-भाजी की फ़स्लें उत्पन्न की गईं। इस प्रकार से सब सम्भव उपायों से अन्न की फ़स्लों, चारे, तिलहन, और शाक-भाजी का उत्पादन बढ़ाया गया और शासन ने जो सुविधायें किसानों को इस सम्बन्ध में दीं उनका उन्होंने अच्छे से अच्छा उपयोग किया। आलोच्य वर्ष में ग्राम सुधार के २७२ बीज के गोदामों में काम होता रहा जिनके द्वारा '३७ लाख मन रबी और ६८,५६१ मन खरीफ की फ़स्लों के बीज बांटे गये। कुल ४,६३० हल, गंड़ासी, ओल्पद थ्रैशर (नाज से दाने निकालने की वस्तु), हाथ के फावड़े, कोल्हू और पानी निकालने के यन्त्र दिये गये। यन्त्रों के ६,८२६ अतिरिक्त भाग भी दिये गये। ४२,१५० ऐसे प्रदर्शन किये गये जिनमें अनुसंधानों के परिणामों को क्रियात्मक रूप से दिखाया गया। ११४ प्रदर्शनात्मक फ़ार्मों तथा स्थानों पर काम होता रहा और ५६,३११ खाद के गढ़े तय्यार किये गये। आलोच्य वर्ष में ३८३ वेटर फ़र्मिंग सोसाइटियां संघठित की गईं। १६६,१६६ एकड़ क्षेत्र में दौलाबन्दी करायी गई और २५ लाख मन मिश्रित खाद सहकारिता के आधार पर तय्यार की गई। दौलाबन्दी के लिये १,६३,८६५ रुपये की और सहकारिता के आधार पर मिश्रित खाद तय्यार करने के लिये किसानों को १६,३३८) रुपये की सहायता दी गई। मधुमक्षिका पालन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता रहा और ६,२००) रुपये की आर्थिक सहायता ज्योली-कोट के बी-कापिंग इन्स्टट्यूट को दी गई। गुड़ बनाने के प्रदर्शनों में जो ३० बार किये गये थे, किसानों को यह समझाया गया कि गुड़ बनाने के प्रचलित ढंग दोष पूर्ण हैं और उनके सामने उन्नत तथा अच्छे ढंगों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही उनको उन्नत ढंग की भट्टियां बनाने, उनसे काम लेने और ऐसे शोधक पदार्थों के प्रयोग करने में सहायता दी गयी जो अच्छा गुड़ बनाने के लिये आवश्यक होते हैं। यह काम १७३६ गांवों में किया गया। ७६२ अच्छे ढंग के कोल्हू लगाये गये और २,६३० अच्छे ढंग की भट्टियां बनायी गयीं।

ग्राम सुधार

गुड़ विकास योजना

६७ म्युनिसिपैलिटियों तथा नोटी फ़ाइड एरियों में नगर के कूड़े-करकट से मिश्रित खाद बनाने की योजना के अनुसार काम होता रहा और मिश्रित खाद बनाने का काम स्वास्थ्य रक्षा विभाग के ८८ कर्मचारियों को सिखाया गया। ७७,१८० टन खाद तय्यार की गई और ५२,०७० टन अनाज के खेतों, शाक-भाजी के खेतों, खरबूजे तथा तरबूज और फलों के वृक्षों में देने के लिये किसानों को बेंची गयी। इसके साथ ही एक ट्यूब-वेल विकास योजना के अनुसार भी काम होता रहा। जिसका मुख्य प्रयोजन गंगा जी के पूर्व के क्षेत्र में ट्यूब-वेल लगाना था।

नगर के कूड़े करकट की मिश्रित खाद

ट्यूब वेल

प्रकाशन तथा प्रचार कार्य की ओर से उपेक्षा नहीं की गई और लगभग ६० लेख लोकप्रिय पत्रिका "हल" में प्रकाशित किये गये और २१ लेख वैज्ञानिक पत्रों में प्रकाशित कराये गये। 'अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन २५,००० पर्चे बांटे गये और ३,००० पर्चे सैनिक अधिकारियों को दिये गये।

मुक्ति से पूर्व की व्यावसायिक शिक्षा योजना

प्रकाशन तथा प्रचार विभाग का यह भी दायित्व था कि वह इस प्रान्त में १० रीजनल ट्रेनिंग सैन्टरों पर सैनिकों के लिये उनकी सेना से मुक्ति होने से पूर्व की व्यावसायिक शिक्षा योजना को चलायें। इन केन्द्रों पर १८८ पुराने सैनिकों को सामान्य कृषि विद्या, खादों को तय्यार करने और उनका उपयोग करने, पशुओं को पालने और दूध आदि निकालने, फलों के उद्यान लगाने और मधु मक्खियों के पालने आदि का काम सिखाया गया।

कृषि-शिक्षा

कानपुर के ऐग्रीकल्चर कालिज ने तथा गोरखपुर, बुलन्दशहर, और गाज़ीपुर के तीन ऐग्रीकल्चरल स्कूलों ने इस प्रान्त में कृषि शिक्षा देने की व्यवस्था की। बहुत बड़ी संख्या में छात्र वृत्तियां, और शुल्क न देने की सुविधायें छात्रों को दी गई। कालिज में ३६६ छात्र थे जिनमें से ६४ ने कृषि में बी० एस० सी० की उपाधि प्राप्त की और ६ ने एम० एस० सी० की उपाधियाँ कृषि-विज्ञान तथा वनास्पति शास्त्र में प्राप्त कीं। स्कूलों में १२३ विद्यार्थियों को डिप्लोमें दिये गये। आलोच्य वर्ष में ७ छात्र संयुक्त-राज्य और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये चुने गये। इनमें से केवल दो ही को यात्रा की सुविधायें प्राप्त हो सकीं और वे समुद्र से विदेश चले गये।

कृषि-सम्बन्धी अनुसाधन

नौ विभिन्न अनुसन्धान योजनाओं का व्यय संयुक्त रूप से प्रान्तीय शासन तथा इंडियन कौंसिल आफ एग्रकिल्चरल रिसर्च, दी इंडियन सैन्ट्रल शुगरकेन कमेटी, और दी इंडियन सैन्ट्रल काटन कमेटी ने किया। शाहजहाँपुर के गन्ना रिसर्च स्टेशन ने अपने दो गोरखपुर और मुजफ्फरनगर के सब-स्टेशनों के साथ-साथ प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों के लिये गन्ने की नयी किस्मों को चुनने, उनकी परीक्षा करने और वृद्धि करने के बहुमूल्य काम को बराबर करती रहीं। नगीना के राइस रिसर्च स्टेशन और उसके गोरखपुर के सब-स्टेशन प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों के लिये धान की नयी क़िस्मों को चुनने के सम्बन्ध में उपयोगी काम करते रहे। आलोच्य वर्ष में इन स्टेशनों से ५५,००० पौंड धान की विभिन्न किस्मों के अच्छे बीज बाँटे गये।

गेहूँ के क्षेत्र-परीक्षणों से अन्तिम रूप से यह सिद्ध हुआ कि पी० बी० (पंजाब) ५९१ पश्चिमी संयुक्त प्रान्त के लिये सबसे अधिक अच्छा है, सी० १३ केन्द्रीय संयुक्त प्रान्त के लिये, आई० पी० १२५ केन्द्रीय तथा पूर्वीय संयुक्त प्रान्त के लिये, आई० पी० ५२ पूर्वीय संयुक्त प्रान्त के लिये ही, सी० ४६ असिञ्चित क्षेत्रों के लिये, बाँसी पल्ली ८०८ और बाँसी सी० पी० बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये और पड़ोवा १ तथा २ पर्वतीय प्रदेशों के लिये। कानपुर में आलू की फ़सल के सम्बन्ध में अधिक परिश्रम से काम किया गया। मूँगफलियों में २५ वें प्रकार की मूँगफली की वृद्धि होती रही और सी० ६ और सी० १६ से अच्छी उपज होती रही। ८७ प्रकार का चना बहुत ही अच्छा निकला है। इसी प्रकार से तिल, अरहर, चना, उर्द, मूँग, मटर, ज्वार, बाजरा, मक्का, सावाँ, मडुआ इत्यादि के सम्बन्ध में भी उपयोगी अनुसन्धान कार्य होता रहा। इसके साथ ही फफूंदी (फंगस) तथा फ़सलों और फलों के वृक्षों में लगने वाले कृमि रोगों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। ज्वार को ज्वार के काले रोग से बचाने के लिये अगरोसन जी के ११,८०० पैकेट बिना मूल्य के ही किसानों को इस प्रयोजन से बाँटी गईं कि वे बीज को बोने से पहले उस औषधि से प्रभान्वित कर लें। अरहर के सूखा या मुर्झा जाने के रोग को कम करने के लिये एक साधारण सा और व्यावहारिक ढंग यह निकाला गया कि अरहर ज्वार के साथ मिलाकर उत्पन्न की जाय। कृमि विज्ञान शाखा में फल के वृक्षों, तिलहन की फ़सलों, ज्वार और मक्का, एकत्र किये हुये अनाज और आलुओं, शाक-भाजियों, कपास तथा धान को हानि पहुँचाने वाली महामारियों या नाशक कृमियों तथा खेतों के चूहों के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी काम किया गया।

कृषि का विकास विस्तार और उसके सम्बन्ध में प्रचार

प्रान्त के छहों सर्किलों में कृषि के विकास, विस्तार और उसके सम्बन्ध में प्रचार का काम और अधिक तत्परता से किया गया। पश्चिमी सर्किल में मैटब्रांच, स्टेट ट्यूब वेल और यमुना खादर विकास योजनाओं के अन्तर्गत अच्छा काम किया गया और बाद की योजना के अधीन ७१० एकड़ खादर भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया। इस सम्बन्ध में ४,०९८) रुपये की आर्थिक सहायता देनी पड़ी। पर्शो-अमेरिकेन काटन एक्सटेन्शन स्कीम के अन्तर्गत २१,७१० एकड़ भूमि में पर्शो-अमेरिकन काटन सीड (पर्शो अमेरिकन जाति की कपास के बीज) बोये गये। पूर्वी सर्किल में घाघरा नहर और शारदा नहर विस्तार की योजनाओं और विलेज प्राजेक्ट योजना के अन्तर्गत उपयोगी काम होता रहा। रुहेलखण्ड और कुमायूँ सर्किल में शारदा तथा रामगंगा नहरों के विकास पर और धान-विस्तार योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। उत्तर-पूर्वीय सर्किल में धान-विस्तार योजना में सन्तोषप्रद उन्नति हुई। ऋतु में पहले और बाद को

उत्पन्न होने वाले, दोनों प्रकार के ४६,१६८ मन धान बाँटे गये और उन्नत बीज की ७३,६१३ मन राशि सुरक्षित रखी गयी।

एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग

एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग शाखा द्वारा ७० ट्यूब वैल प्राजेक्ट्स (योजनायें) पूरी की गई और ७६ के सम्बन्ध में काम चलता रहा। पानी पहुँचाने के काम में सुधार करने के लिये ४७३ पक्के कुँयें (मैसनरी वेल्स) सफलता से बनवाये गये और अन्य प्रकार के कुयें भी बनवाये गये किन्तु बनाने की सामग्री न मिलने के कारण काम धीरे धीरे चलता रहा।

उद्यान सर्किल

उद्यान सर्किल इस प्रान्त में ५४ प्रान्तीय उद्यानों और अन्य उद्यानों को चलाती रही जिसमें कुल १,६८६ एकड़ भूमि काम में आती रही और उसमें शाक-भाजी के बीज तथा अँखुये या बीज के कोमल पौधे उत्पन्न करने और वितरण करने का काम किया जाता रहा। चौबटिया के अनुसन्धालय के कर्मचारियों ने उद्यान-विद्या सम्बन्धी कार्यों और फलों के रोगों या महामारियों को नियन्त्रित करने के ढंगों, कलियाँ निकालने और काटने छाँटने के ढंग, क़लम लगाने के लिये गोंद तय्यार करने, इत्यादि के सम्बन्ध में प्रदर्शन किये। इस योजना के सम्बन्ध में दूसरा बड़ा काम अल्मोड़ा और गढ़वाल के जिलों में फलों के पौध-गृह (नर्सरियाँ) स्थापित की गईं। अल्पकालीन शिक्षात्मक कक्षायें खोली गयीं जिनमें २११ विद्यार्थियों को फलों को सुरक्षित रखने और उनको टीन के डिब्बों में बन्द करने का काम सिखाया गया।

क्रय-विक्रय व्यवस्था

बोल औषध के रेशों, मूँज के रेशों, सुपारी, और मक्का के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल पूरी हो गयी और तिल, कुसुम, पोस्त और बिनौले के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल होती रही। सरसों के तेल को श्रेणी विभक्त करने का काम बहुत शीघ्रता से किया गया और १६८ लाख मन सरसों के तेल को श्रेणी विभक्त किया गया।

२४—भू-सिंचन

फरवरी मास के मध्य तक ऋतु शुष्क रही जब कि हल्की वर्षा प्रायः सभी स्थानों पर हुई। अतएव सिंचाई के लिये नहर के पानी की मांग जनवरी के अन्त तक रही और तदनन्तर सभी स्थानों पर सामान्य रूप से वर्षा हो जाने के कारण यह मांग कम हो गई। मार्च के महीने में 'सावां' और 'गन्ने' के लिये पानी की मांग बराबर रही। अप्रैल और मई के महीने गर्म और सूखे रहे और जुलाई में आरम्भ तक जब कि वर्षा आरम्भ हुई, पानी की बहुत अधिक मांग रही। लगभग सितम्बर के मध्य में वर्षा समाप्त हो गई। जाड़े में वर्षा न होने के कारण नहर के पानी की बहुत मांग रही। सरकारी नहरों से कुल ३,६०३,८५२ एकड़ भूमि १६४५-४६ ई० की रबी में और २,२१६,६६७ एकड़ भूमि सन् १६४६ ई०

की खरीफ में सींचा गया जब कि १६४४-४५ ई० की रबी में ३३,४६,२४१ एकड़ भूमि और १६४५ ई० की खरीफ में २,०४६,६२४ एकड़ भूमि सींची गयी थी। अपर तथा लोअर गैञ्जीज केनाल ईस्टर्न जमना केनाल, आगरा केनाल, शारदा केनाल, भू-सिंचन निर्माण कार्य की ४ थी सर्किल में 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" की सहायतार्थ लाभदायक विस्तार किये गये जिनमें नालिशों का फिर से निर्माण करना और नये मायनरों का बनाना सम्मिलित हैं।

भूमापन

ललितपुर, सपरार, पिपरई, सिंहपुरा और नगवा के बांधों को बनवाने के लिये भू-माप किया गया जिनसे भू सिंचन निर्माण कार्य के '४ थे सर्किल में पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा सके। ट्रान्स-कल्यानी केनाल्स (कल्यानी पार की नहरों) का मापन आरम्भ किया गया जिससे कि कल्यानी-घाघरा द्वाब में पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा सके।

नयी भू-सिंचन डिवीजन विभाग

एक नवीन अस्थायी डिवीजन जिसका नाम ललितपुर रिज़र्वायर प्राजेक्ट डिवीजन है और जिसका मुख्य स्थान ललितपुर रखा गया है, स्थापित की गयी और वर्तमान मिर्ज़ापुर केनाल सब डिवीजन बदल कर भूसिंचन निर्माण कार्य की ४ थे सर्किल में एक अस्थायी डिवीजन बना दी गयी। ६ ठे सर्किल की घाघरा केनाल सब डिवीजन बदल कर एक अस्थायी डिवीजन बना दी गयी जिस का मुख्य स्थान फैजाबाद रखा गया।

ट्यूब वेल्स

आलोच्य वर्ष के अन्त तक कुल १,८४७ स्टेट ट्यूब वेल्स काम करते रहे और ६०० अन्य ट्यूब वेलों के निर्माण के सम्बन्ध में काम होता रहा। रबी १६४५-४६ ई० में ५,५८,८५२ एकड़ भूमि और खरीफ १६४६ ई० में २,१४,४२० एकड़ भूमि ट्यूब वेलों से सींची गयी।

गंगा नहर सम्बन्धी जल विद्युत निर्माण कार्य

गंगा नहर जल-विद्युत् ग्रिड पर बहुत से विद्युत्प्रेषक तार और सब-स्टेशनों का निर्माण किया गया। हरदुआगंज स्टीम स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो गया। मोहम्मदपुर पावर स्टेशन का जिसकी विद्युत उत्पादन शक्ति ६,३०० किलोवाट होगी, निर्माण कार्य बराबर चलता रहा और १६४८ ई० के अन्त तक उसके समाप्त होने की आशा की जाती है। जलविद्युत् डिवीजन, रुड़की में एक नयी मोहम्मदपुर जल-विद्युत निर्माण कार्य सब डिवीजन बनायी गयी और एक नया अस्थायी सर्किल जिस का नाम शारदा जल विद्युत सर्किल रखा गया, खतीमा और नायर डाम के बिजली-घरों से बिजली भेजने और उसको परिवर्तित करने के प्रयोजनों के लिये बनाया गया और उसका मुख्य स्थान लखनऊ रक्खा गया।

नयी योजनायें

खतीमा पावर स्टेशन के आधार तथा जल-मग्न स्थानों के कार्यों के लिये ठेका दिया गया तथा अन्य निर्माण कार्य भी किये गये। इसके अतिरिक्त

अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में भी जांच-पड़ताल होती रही जैसे (१) नायर डाम (बांध) (२) रिहंद डाम (३) रामगंगा डाम (४) राप्ती नहर (५) कुवाना नहर और (६) बड़ी नौकाओं के चलाने के सम्बन्ध में घाघरा नदी की गहराई की नाप-जोख।

२५ जंगल समूह

काठ पर नियन्त्रण

मकान बनाने की लकड़ी पर नियन्त्रण जो युद्ध के समय में लगाया गया था कुछ सीमित आधार पर प्रचलित रखा गया। भारतीय शासन का बहुत बड़े परिमाण में बचा हुआ काठ जो संयुक्त प्रान्त के विभिन्न डिपों में पड़ा हुआ था, संयुक्त प्रान्तीय शासन ने भारतीय शासन से उसी मूल्य पर मोल ले लिया जिस पर उसने स्वयं लिया था। यह काठ तथा साल और सनोबर की काठ की नयी ऋतु की उपज जनता को उन्हीं मूल्यों पर दी गयी जो नियन्त्रक आदेश में नियत किये गये थे। बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी तथा स्लीपर भारतीय शासन और रेलवे के लिये और शासन के विभिन्न विभागों के लिये सुरक्षित रक्खे गये। कुछ परिमाणों में काठ या लकड़ी ऐसे स्थानों को भेजी गयी जो अपनी लकड़ी की मांग करने के लिये इस प्रान्त पर ही आश्रित रहते हैं।

१९४२-४३ ई० से जलाने की लकड़ी का अभाव सा हो गया था। अतएव शासकीय जंगलों की लकड़ी के जिसके देने का प्रबन्ध जनता की सुविधा के लिये किया गया था। मूल्य तथा वितरण पर नियन्त्रण लगाया गया और इस आलोच्य वर्ष में लागू रहा। लकड़ी के निर्यात पर जंगल विभाग द्वारा कठोर नियन्त्रण रखा गया और ईंधन या जलाने की लकड़ी रेलवे स्टेशनों पर बेंचने का मूल्य नियत किया गया। यातायात की कठिनाइयों से जो वैगनों की कमी के कारण उत्पन्न हुई थीं जनता को दी जाने वाली नियन्त्रित लकड़ी का परिमाण सीमित हो गया। फिर भी सन् १९४६ ई० काम करने की ऋतु में ११० लाख मन नियन्त्रित जलाने की लकड़ी जंगलों के पास के रेलवे स्टेशनों पर दी गयी। इनके अतिरिक्त इस प्रान्त के और पश्चिमी बिहार के सब शक्कर के कारखानों को नियन्त्रित लकड़ी संयुक्त प्रान्त के शासकीय जंगलों से दी गयी। संयुक्त प्रान्त में स्थिति सेनाओं की ईंधन की आवश्यकताओं को भी पूरा किया गया। इस प्रान्त के बाहर केवल देहली को लगभग २०० वैगन जलाने की लकड़ी प्रति मास भेजी जाती रही। जंगल विभाग के शान्ति कालीन कामों में काठ तथा जलाने की लकड़ी की बिक्री, चट्टे लगाना, और चिरी हुई लकड़ी का वितरण सम्मिलित नहीं हैं और नियन्त्रण सम्बन्धी कामों के कारण जंगल विभाग पर उसके सामान्य कामों के अतिरिक्त बहुत अधिक कार्य भार रहा।

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण योजनायें

युद्ध की आवश्यकताओं के कारण वृक्षों को अनियमित रूप से गिराने के कारण उन सब योजनाओं में व्यतिक्रम हो गया जिनके आधार पर जंगलों का विशेष रूप से प्रबन्ध किया जाता है। सब से पहला काम यह किया गया कि वृक्षों का काटना उस सीमा तक कम किया गया जहाँ तक कि वे सामान्य रूप से काटे जाते हैं। शान्ति कालीन अनुसन्धान कार्य भी पूर्ण रूप से होने लगा और बनचरों (फारेस्टरों) को काम सिखाने का स्कूल फिर से खोल दिया गया।

जंगल विभाग ने ४,४०० मील लम्बी गाड़ी की सड़कों को और ३,००० मील से ऊपर की अन्य सड़कों को सुरक्षित तथा अच्छी अवस्था में रखा।

सब से अधिक महत्वपूर्ण युद्धोत्तर जंगल विकास योजना भूमि-प्रबन्ध सर्किल (लैंड मैनेजमेंट सर्किल) की स्थापना थी जो नवम्बर १९४५ ई० में की गयी। आलोच्य वर्ष में इस सर्किल में निम्नलिखित मुख्यतः कार्य किये गये।

(१) भूमि के कटाव का नियन्त्रण करना तथा नालों तथा अन्य ऊसर या तृण-रहित क्षेत्रों को कृषि-योग्य बनाना —कुल २४६२९ एकड़ नालों की भूमि और दूसरी ऊसर भूमि २,१०,४८३ रुपये में मोल ली गयी।

(२) नहरों के किनारों पर वृक्षारोपण : जंगल लगाने का काम पहले की तरह से ही चलता रहा इस सम्बन्ध में १९४५-४६ ई० की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रही। ६,५१,७६१ रुपये की कुल आय हुई और २,१७,९०९ रुपये का व्यय हुआ और कुल ४,३३,८५२ रुपये शेष रहे।

(३, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण—कानपुर जिले के वृक्षाच्छादित मार्ग ही जंगल विभाग के नियन्त्रण में हैं। पुरानी मुग़ल कालीन सड़क पर सिरसू, आम, और अन्य प्रकार के वृक्ष लगाये गये थे। प्रान्त के अन्य वृक्षाच्छादित मार्गों को इस विभाग के आधीन करने के प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है।

(४) रेलवे की भूमियाँ-ईस्ट इण्डिया रेलवे के हापुड़ तथा बरल स्टेशनों पर और अवध तिरहुत रेलवे के दोहना, आत्मानन्द, रिछा रोड और देवरनिया स्टेशनों पर यह जानने के लिये वृक्षों के बीज बोये गये और वृक्ष लगाये गये कि इन क्षेत्रों में किस ढंग से वृक्ष उत्पन्न किये जा सकते हैं।

(५) गांव के छोटे-छोटे भूखण्डों में वृक्षारोपण—आलोच्य वर्ष में १५४ भू-खण्डों में जिनका क्षेत्रफल १,०६७ एकड़ है और जो १५ जिलों में स्थित हैं, वृक्ष लगाये गये।

(६) कोर्ट आफ वार्डस की भूमियां—काशीपुर रियासत के जंगल में लगभग २५,००० एकड़ भूमि के सम्बन्ध में वृक्षों की पुनर्व्यवस्था करने, चराई को नियन्त्रित करने, छोटी-मोटी उपज और छप्पर छाने की घास को काटने और ठिकाने लगाने के लिये एक दश वर्षीय योजना बनायी गयी थी। इस विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित उद्योगों और कामों के लिये कच्चे माल देना है जैसे कागज़ बनाने, दियासलाई, प्लाईवुड, तथा अन्टा (बाबीन) बनाने के उद्योगों के लिये और कोल तार, कत्था, तारपीन और राल (रोज़िन) तैय्यार करने के लिये कच्चे माल या पदार्थ प्रस्तुत करना है।

१९४५-४६ ई० के आर्थिक वर्ष की आय और बचत इस विभाग के इतिहास में सब से अधिक रहीं और निम्नलिखित सारांश उसकी तुलना युद्ध के पूर्व के पंच-वार्षिक आंकड़ों से करता है।

वर्ष	आय	व्यय	बचत
	रुपये	रुपये	रुपये
१९३४-३५ से १९३८-३९ तक	४८,५०,०००	२८,००,०००	२०,५०,०००
१९४५-४६	,१२,८७,३९९	८३,३४,४२७	१,२९,५२,९२२

इन आंकड़ों में टिम्बर पर्चेज़ एण्ड सप्लाई स्कीम के सम्बन्ध में आय, व्यय और बचत के आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है जिसके मार्च, १९४६ ई० को समाप्त होने वाले आर्थिक वर्ष के सम्बन्ध में आंकड़े नीचे दिये जाते हैं।

	रुपये
आय	५६,६९,८६२
व्यय	३९,२४,९३८
बचत	१७,४४,९२४

२६—उद्योग-धन्धे

आलोच्य वर्ष में सब बड़े, छोटे और घरेलू उद्योग-धन्धे वर्ष भर सफलता से चलते रहे और अमरीका से भारी आयात के कारण बिलास सामग्रियों के मूल्य बहुत घट गये। किन्तु बड़ी-बड़ी मशीनों और खपत के सामानों के आयात को प्रोत्साहन देने के लिये आयात नीति में फिर से परिवर्तन होने पर भी जीवन निर्वाह व्यय अत्यधिक बढ़ गया।

छोटे परिमाण में किये जाने वाले उद्योगों और अनुसन्धान कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया और इस प्रयोजन के लिये २५,००० रुपये की धन राशि बोर्ड आफ़ इन्डस्ट्रीज़ द्वारा व्यय किये जाने के लिये दी गयी। इसके अतिरिक्त ६२ विशेष कला सम्बन्धी तथा औद्योगिक संस्थाओं को १,६७,००० रुपये की आर्थिक सहायतायें दी गईं।

बोर्ड आफ़ इंडस्ट्रीज

आर्थिक सहायतायें

युद्ध समाप्त हो जाने के कारण युद्ध के लिये कारीगर तय्यार करने का काम भी बन्द हो गया और उसके स्थान पर सेना भंग होने के कारण लौटे हुये लोगों को विशेष कला सम्बन्धी काम की शिक्षा दी जाने लगी। एक काम धन्धा सिखाने वाली (व्यवसायिक) संस्था लखनऊ में और दो बहु उद्योग संस्थायें, एक श्रीनगर में और दूसरी अलमोड़े में, बहुत से व्यवसायों या काम-धन्धों की शिक्षा देने के लिये खोली गईं।

विशेष कला सम्बन्धी शिक्षा

८०० से ऊपर विशेष कला-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर आलोच्य वर्ष में दिये गये और बहुत सी समस्याओं का जिनका सम्बन्ध विभिन्न उद्योगों से था, अनुसन्धान हाथ में लिया गया और हार-कोर्ट बटलर टैक्नालोजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर द्वारा उनके सम्बन्ध में कार्रवाई की गयी।

विशेष कला सहायता तथा अनुसन्धान

छोटे परिमाण के उद्योगों, घरेलू उद्योगों और ग्राम्य उद्योगों को विभिन्न विभागीय योजनाओं के द्वारा सहायता दी गयी। उन योजना के अनुसार पहाड़ों पर हाथ से ऊन कातने और ऊनी वस्त्र बुनने का काम आरम्भ किया गया, उसमें उचित परिवर्तन किये गये और आलोच्य वर्ष के अन्त तक ४० ऊन कातने के केन्द्र और ६ ऊनी वस्त्र बुनने के केन्द्र अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगे और इन संस्थाओं के द्वारा ही ३१,२०० गज़ वस्त्र तय्यार किया गया। इसके साथ ही हाथ के बुने कपड़े के उत्पादन का काम मऊ, टांडा, गाज़ीपुर, बुलन्दशहर, खलीलाबाद, अमरोहा, चाँदपुर सियामऊ में होता रहा और उसकी बिक्री का प्रबन्ध यूनाइटेड प्रविन्सेज हेन्डीक्रैफ्ट्स और उसकी अल्मोड़ा, नैनीताल, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर और देहरादून स्थित शाखाओं द्वारा किया गया। आलोच्य वर्ष में कुल १३,३३,००० रुपये का माल तय्यार किया गया और इसमें से १० लाख रुपये का माल यूनाइटेड प्राविन्सेज़ हेन्डीक्रैफ्ट तथा उसकी साखाओं द्वारा बेचा गया।

विभागीय योजनायें
१ ऊन

२ हैंडलूम योजना

उत्पादन के समान ही प्रचार कार्य भी होता रहा और प्रदर्शनियों और मेलों में सम्मिलित होने के लिये मांग बराबर बढ़ती रही। आलोच्य वर्ष में १३ प्रदर्शिनियों में विभाग का वस्त्र और सामान भेजा गया। दूसरी अच्छी बात यह हुई कि जनता की ओर से व्यापार की बहुत सी बातों के सम्बन्ध में पूंछ-

३ प्रचार

व्यवसायिक सूचना

तांछ की गयी चिससे यह इच्छा प्रकट होती थी कि युद्धोत्तर काल में बहुत से उद्योग-धन्धे चलाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक जांच का कार्य हाथ में लिया गया जिसका प्रयोजन १९२१-२३ को जिलों की औद्योगिक जांच की रिपोर्टों का संशोधन करना, प्रान्त की एक प्रमाणिक व्यावसायिक डायरेक्टरी तय्यार करना और उद्योग-धन्धा और व्यापारों की एक सामान्य जांच करते रहना था। २३ जिलों की उद्योग-व्यापार सम्बन्धी जांच की रिपोर्टें मिलीं और उनके लेख अन्तिम तिथि तक ठीक कर लिये गये।

घरेलू उद्योगों का विकास

घरेलू उद्योगों तथा उनके विकास पर फिर से ध्यान दिया गया और कांग्रेस के १९३७-३९ ई० के शासन काल में बनायी हुई योजनाओं की परिवर्तित परिस्थिति में फिर से परीक्षा की गई। इसके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष के अन्त में आधे दर्जन योजनायें स्वीकार की गई। इनमें हाथ से कागज़ बनाने, कोल्हू से तेल निकालने और हाथ से कपड़ा छापने के उद्योगों का विकास करना और खिलौने तथा टोकरियां इत्यादि बनाने के काम के सम्बन्ध में परीक्षण करना सम्मिलित हैं।

उद्योगों को सहायता

छोटे परिमाण के उद्योगों के लिये ऋण देने की योजना पर विचार किया गया और तदर्थ एक लाख रुपया स्वीकृत किया गया। बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र जो विभिन्न उद्योगों की ओर से दिये गये थे प्रान्तीय शासन ने अपने अनुरोध के साथ भारतीय शासन के पास भेज दिये। इसके अतिरिक्त सूती कपड़े के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये ८३५८० सिपंडिल वर्तमान मिलों के लिये और १८०,४२० नई मिलों के लिये भारतीय शासन की योजना के अधीन नियत किये गये।

हाथ से बना कागज

हाथ से कागज़ बनाने के सम्बन्ध में अनुसान्धान करने और काम सिखाने की श्रेणियों की योजनाओं का काम सफलता से चलता रहा।

कोल्हू का तेल

कोल्हू से तेल निकालने की योजना की उन्नति अच्छे ढंग की लकड़ी जिसमें कोल्हू और उसके विभिन्न भाग बनाये जा सकें न मिल सकने के कारण बहुत कुछ रुक गई। इस काम से सम्बन्धित लोगों को साथ ही बहुत बड़ी संख्या में नक्शे भेजे गये और शिक्षण प्राप्त बढ़इयों को बनाने के लिये भेजकर उनके धनियों का प्रबन्ध किया गया।

पटसन योजना

एक ही प्रकार के लम्बे तथा साफ पटसन को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिये एक विशेष प्रकार की एक ही प्रकार के नोक वाली कंघी की व्यवस्था की गई। उपज की वृद्धि के लिये भी प्रयत्न किया गया।

मुसब्बर वेनोवा तथा अन्य देशों से सम्बन्धित अन्वेषणों के फल का प्रकाशन किया गया। वेनोवा को कोमल बनाने का नया ढङ्ग वर्णनीय है।

आलू, वेनोवा तथा अन्य देशों

एक सामान के गुण (quality) का दस लाख मन कडुवा तेल बङ्गाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा, प्रान्तों के तथा ईस्ट इन्डियन रेलवे और अवध तिरहुत रेलवे को पहुँचाया गया। सर्वत्र एक समान पहुँचान के कारण कोई शिकायत या मुकदमा न हुआ। विशेष खोज से पता चला कि भरभंडा का बीज (जो विषाक्त होता है) सब प्रकार के खाने वाले तेलों में नहीं मिलाया गया था।

सरसों के तेल की पहुंचान

कांच के उद्योग में कोयले की कमी विशेष बाधक रही। बड़ी फैक्टरियों में कोयले की कमी रही तथा छोटी फैक्टरियों को लकड़ी का प्रयोग करना पड़ा। चूड़ी उद्योग में कोयले का पहुचान बढ़ा और पहिले वर्ष से सम्पूर्ण पहुचान ५० % अधिक रही परन्तु आपस की होड़ तथा साम्प्रदायिक दङ्गों के कारण इस उद्योग में प्रशंसात्मक उन्नति नहीं हुई। प्रान्त में कांच के उद्योग की उन्नति के लिये सरकार के ग्लास टेकनालोजिष्ट ,को इंगलैंड, अमरीका तथा यूरोप के कुछ भागों में अनुभव प्राप्त करने के लिये भेजा गया।

कांच उद्योग

चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग में आशा जनक उन्नति रही और गङ्गा ग्लास वर्क्स, वलावली, दी स्टार पाटरी वर्क्स, आगरा और दी स्टैन्डर्ड पाटरीज लिमिटेड, गाजियाबाद विशेष वर्णन करने योग्य हैं क्योंकि इन्होंने उत्पादन कार्य्य को फैक्टरियों के पैमाने पर किया।

चीनी मिट्टी के बर्तन

कोयले की पहुचान वर्ष भर कम रही। जिसके कारण पहुचान पर नियंत्रण आवश्यक होगया। प्रान्त को ईंटे के भट्ठों के लिये १४५८ वैगन कोटे का कोयले का बुरा प्राप्त हुआ तथा २३ उद्योगों-धन्धों के लिये १२०० वैगन स्टीम कोयला प्राप्त हुआ जिसका नियन्त्रण भारतीय सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकार को हस्तातन्रित कर दिया गया था। बड़े पैमाने के उद्योगों में कोयले की पहुँचान भारत सरकार ही द्वारा नियन्त्रित रही।

कोयला

रिहन्द तथा नायर बांधों के निर्माणार्थ दो सीमेंट की फैक्टरियों के प्रारम्भ करने की सम्भावना के अनुमान करने हेतु निपुण भू-शास्त्र वेताओं ने मिर्जापुर नैनीताल, तथा देहरादून क्षेत्रों में काम किया। लखनऊ में पाई जाने वाली खरिया मिश्रित मिट्टी के आधार पर एक सीमेंट फ़ैक्टरी स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया।

सीमेंट

गवर्नमेंट सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर जो मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग विभाग की सबसे आवश्यक वर्कशाप है - डाइरेक्टरेट जनरल आफ एयर क्राफ्ट के कार्य के करने में फरवरी तक लगी रही। उसके बाद इस दृष्टि कोण से कि सब वर्क

गवर्नमेंट सेंट्रल वर्कशाप

शापों में बराबर पूरा काम रहे, यह व्यवस्था की गई थी कि समस्त सरकारी विभाग के सब मेंकेनिकल कार्यों की सूचना मेंकेनिकल इन्जिनियरिङ्ग विभाग के सुपरिन्टेन्डिङ्ग इन्जिनियर को दी जाय जो कानपुर या रुड़की में उन्हें करवाने का प्रबन्ध कर सके। इतना होते हुये भी गवर्नमेंट सेन्ट्रल वर्कशाप में काम की कमी ही रही जब तक कि उसे २०,००० प्रजाहलों का आर्डर न मिला। उत्तम प्रकार के हलों तथा गन्ने के कोलहुओं के बनाने के हेतु प्रयोग किये गये।

गवर्नमेंटस वर्कशाप रुड़की

गवर्नमेंट वर्कशाप रुड़की में भी काफी कार्य नहीं रहा और कुछ आशावश मांग के पूर्व ही उत्पादित कृषि सम्बन्धी औजार विभिन्न कारणों से बेचे न जा सके।

मोटर यातायात रख रखाव सर्किल युक्त प्रांत-कानपुर

मोटरों की मरम्मत वाली तथा जनरल इन्जिनियरिङ्ग वर्कशाप अप्रैल में गवर्नमेंट सेन्ट्रल वर्क शाप के अहाते में पहुँचा दी गई इसका काम मोटरों की सब प्रकार की मरम्मत करना था। कल पुर्जों की कमी के कारण पदाधिकारियों के मोटरों की मरम्मत की योजना कुछ मन्द गति से चलती रही।

गवर्मेंट वर्कशाप बहराम घाट

इस वर्कशाप में युद्ध के पश्चात् बहुत कम कार्य रह गया अतः इसमें अन्य प्रकार का लकड़ी का काम होने लगा जैसे कि सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य विभागों के लिये फर्नीचर दरवाजे बनाना इत्यादि।

दिसम्बर १९४६ ई० में सरकार ने उद्योग सञ्चालक के सभापतित्व में मेकैनिकल इन्जिनियरिङ्ग विभाग के भविष्य की जांच के लिये एक जांच समिति नियुक्त की और इसकी रिपोर्ट विचाराधीन रही।

श्रम पहुंचान डीपो. गोरखपुर

गोरखपुर के कलेक्टर लेवर सप्लाई डिपो के शासनअध्यक्ष बने रहे। डिपो ने एम्प्लमेंट एक्सचेंज आदि की सहायता से प्रान्तीय ग्रूप इम्प्लायमेंट योजना के अधीन प्रान्तीय योजनाओं में २,६४,६ तथा कोयले की क्षेत्रीय योजना में प्रान्त के बाहर २७,१६८ श्रमिकों को भेजा। सिंगरानी कोलियरीज (दक्षिण) में भेजे गये कोई ३,३१८ श्रमिकों को छोड़कर अन्य समस्त श्रमिकों की लिखा पढ़ी रेकार्ड आफिस में कर ली गई थी और अपने प्रान्त में आ जाने पर उनके सब लेखों तथा देने पावने का समाधान कर दिया गया। केवल बंगाल-बिहार कोयले की खानों तथा सिंगरानी कोलियरीज के श्रमिकों को छोड़कर—होम सर्विस यूनिटों तथा सुरक्षा योजनाओं में लगाये गये श्रमिक उनकी टर्म समाप्त होने पर अथवा पहले ही वापस करा लिये गये।

सुखाने वाली डिहाइड्रेशन फैक्टरियां

युद्ध समाप्त होने के पश्चात् सितम्बर १९४५ ई० में फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, लखनऊ की तीनों डिहाइड्रेशन फैक्टरियां बन्द कर दी गई। लेकिन भारत के

कुछ दक्षिणी प्रदेशों में दुर्भिक्ष ग्रसित क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी पूरी करने के कारण भारत सरकार के आदेशानुसार फरुखाबाद तथा फतेहगढ़ की फैक्टरियों को फिर चालू किया गया। और उन्हें दुर्भिक्ष ग्रसित क्षेत्रों में सुखाये हुए आलू भेजे गये। मार्च से लेकर जून तक चार महीने इन फैक्टरियों का सञ्चालन हुआ और इस अवधि में फरुखाबाद की फैक्टरी ने २६४ टन ३७२ पौ० और फरुखाबाद की फैक्टरी ने ८४ टन १६०० पौ० आलू सुखाये।

२७—खाने और पत्थर की खाने

(१९४६ वर्ष के लिए)

यथार्थ में प्रांत में खनिज पदार्थों का अभाव है। यद्यपि इलाहाबाद, बांदा तथा झांसी के जिलों में पत्थर और पीली मिट्टी की खाने हैं और हमीरपुर में सेलखड़ी की खाने हैं। उक्त पत्थर की खानों को भारत सरकार ने अपनी विज्ञप्ति नं० एम १०५१,—तारीख २० जनवरी १९३८ जो समय समय पर संशोधित हुई है के अनुसार खाने ही की श्रेणी में रखा है।

पैदावार

हमीरपुर जिले में सेलखाड़ी की खानों को इस साल उनके मालिकों ने नहीं चलाया और दूसरी खानों में मजदूरों ने बिना शर्तों के काम किया, हिरमिजी, पीली मिट्टी और बालू निकाले गये। पत्थर के टुकड़े, कन्क्रीट तथा मौरम समस्त खानजों का परिमाण ८६,८३६ ३।५ टन तथा मूल्य २,६६,६६१ रु० था।

मजदूरी

झाँसी जिले में मजदूरों के मिलने में कठनाई हुई, परन्तु बाँदा और इलहाबाद में ऐसी बात नहीं थी। कार्य्य के अनुसार श्रमिकों की मंजदूरी ।।।) से लेकर २) रु० तक रही थी।

साधारण

मजदूरों और मालिकों के संबन्ध अच्छे रहे खाने साफ थी पर मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध न था। शराब अधिक नहीं पी गई और बदमाशी में चालान नहीं हुये। इस साल कोई दुर्घटना भी नहीं हुई।

२८—व्यापारिक तथा औद्योगिक पैदावार

साधारण

वर्ष के पहिले महीने भाव बराबर २५१·७ रहा और नम्बर में बढ़कर २६६·४ होगया और जनवरी १९४७ ई० में घटकर २८१·६ रह गया।

इस साल लाख, चरसे, कच्चा लोहा, सीमेण्ट, पेट्रोल और मिट्टी के तेल के व्योपार को धक्का पहुँचा और चीनी, तम्बाकू, कच्चा ऊन, जूट, चमड़े, लोहे की चादरों तथा कोयले का व्यापार अच्छा हुआ। ब्रिटिश भारत में सौदागरी माल

का व्यापार अच्छा रहा। पिछले साल में ४'८२ करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था परन्तु वर्ग २१'६० करोड़ रुपये का हुआ।

व्यापार की दशा

इस वर्ष कुछ आयात निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिये गये। दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर भारत सरकार ने व्यपारिक प्रतिबन्ध लगा दिये। मुद्रा का बाजार बराबर स्थिर रहा। साल भर भारत के रिजर्व बैंक का भाव ३ प्रतिशत रहा। पहले वर्ष की भाँति रुपये और स्टरलिङ्ग में १ शि० ६ पे० का ही अनुपात रहा। पूरे साल भर सोने चांदी के बाजार में उतार चढ़ाव होता रहा परन्तु भाव बढ़ता ही रहा।

प्रमुख उद्योग धन्धे

भारतीय रुई के ठेके का भाव स्थिर रहा। वर्ष के आरभ में ४२५ रु० था मई में ४७५ रु० होगया और अगस्त में घट कर ४१० रु० होगया। अगस्त में रुई की मिलों में ४८ घंटा प्रति सप्ताह का शुरू हुआ और यद्यपि सरकार ने प्रयत्न किया कि तीन पालियों में काम हो, परन्तु विभिन्न कारणों से ऐसा न हो सका। मजदूरों की हड़तालें भी होती रहीं।

सितम्बर से लन्दन तथा डुमिनियनों में ऊन के नीलाम प्रारम्भ किये गये और लिवरपुल के नीलाम से यह पता चला कि सफेद और पीले ऊनों का भाव स्थिर है और भूरे ऊन का भाव १० प्रतिशत बढ़ गया।

भारतीये ऊनी माल के उत्पाद को के संघ की समस्त यूनिटें नियंत्रण में रक्खी गईं परन्तु यह नियंत्रण २१ दिसम्बर को तोड़ दिया गया और तब से इन यूनिट ने शांति काल के समय माल तैयार किया है। कम्बलों और इटली के बने हुये सूत के कपड़े और इग्लिस्तान के ऊनी कपड़े आने लगे परन्तु उनके आने से भारत के बने हुये माल में किसी प्रकार की अड़चन पड़ने की सम्भावना नही है।

श्रमिकों में उत्तेजता होते हुए भी प्रान्त की पटसन की मिलों में बोरियाँ इत्यादि बनती रही। इनकी बहुत मांग हैं और इनका भाव बढ़ रहा है।

रुई तथा सूत की कमी के कारण मोजे बनियाइन इत्यादि के उद्योग को भी धक्का लगा इससे सूती मोजा बनियाइन इत्यादि के दाम बढ़े परन्तु कानपुर में हड़तालें होने से अधिक माल न तैयार हो सका।

सूती कपडे

देश में सूत की कमी के कारण करघा उद्योग को पहिले की भाँति क्षति पहुचती रही। कंट्रोल और मिल के कपड़ों की कमी के कारण करघे के कपड़ों की मांग बहुत अधिक रही। मिल के सूत के अभाव के कारण करघे के कपड़ों में हाथ से कता हुआ सूत काम में लाया गया और सरकार ने खास उत्पादक क्षेत्रों में इस कार्य्य को संगठित किया। जुलाहों को सामान और औजार दिये गये और उद्योग विभाग के कर्मचारियों ने उनकी सहायता की।

इस माल को प्रान्तीय सरकार द्वारा संयुक्त प्रान्तीय हैन्डीक्रैफ्न्ट की शाखाओं के माध्यम से प्रान्त में तथा प्रान्त के बाहर बेचा गया। यातायात की सुविधा तथा कच्चे माल की कमी के कारण अन्य केन्द्र न खोले जासके। उत्पादक क्षेत्रों द्वारा वर्ष में २, ८२,००० रुपय का माल तैय्यार किया गया।

क्रय विक्रय

क्रय विक्रय का कार्य प्रान्तीय क्रय विक्रय संगठन तथा संयुक्त प्रान्तीय हैन्डीक्रैफ्न्ट द्वारा इसकी ६ दूकनों और १८ एजेन्सियों के माध्यम से होता रहा! वर्ष भर में ६,६१, ३०८ रुपय के करघे के बने हुये कपड़े बेचे गये इसमें एजेन्टों को दिये गये १,४०,००० रु० के कपड़े भी थे।

उन उद्योग

रक्षा विभाग की मांग के कारण लड़ाई के दिनों में ऊन का उद्योग सारे प्रान्त में बहुत बट गया था परन्तु लड़ाई बन्द होने पर युद्ध कालीन कारखाने बंद कर दिये गये।

कुमायूँ डिवीजन में--अलमोड़ा-नैनी ताल ऊन योजना और गढ़वाल-नजीबाबाद ऊन योजना चालू की गई जो १९४३ ई० में व्यावसायिक आधार पर लाई गई। वर्ष भर में १,१०,४२३ रु० का ऊन तैयार हुआ।

रंगाई कलप करना तथा फिनिशिंग आलेख डिजाइन

ऊनी वस्त्रों की रंगाई, और उनपर कलफ़ करने का काम उत्पादन केन्द्रों पर होता था। फिनिशिङ्ग का काम कहीं कहीं स्थानिक होता था नहीं तो सरकारी विशेषज्ञों द्वारा नजीबाबाद की फैक्टरीमें एक विशेश डिजाइन बनाने वाले ने नये प्रकार के १३५ नमूने बनाये।

कालीन

मिर्जापुर के कालीन उद्योग को काफ़ी लाभ हुआ। कालीनों की मांग बढ़ी और मिर्जापुर तथा बनारस राज्य में अनेक कारबार खुले और बाहर से भी माँग आने लगी जिसके फलस्रूप लागडाट हुई और माल घटिया बनने लगा। इस लिये उद्योग विभाग ने अच्छा माल तैयार होने के लिये कालीन पर नियंत्रण लगा दिया।

रेशम उद्योग

रेशम के धागो की कमी के कारण इस उद्योग को धक्का लगा। परन्तु सरकार ने भारत सरकार के डिस्पोजल डायरेक्टर से सूत का प्रबन्ध किया और बनारस के जुलाहों को दिया जिससे उनको कुछ सुविधा मिली।

छाट की छपाई

रंगाई के सामान के अभाव के कारण इस उद्योग को भी क्षति पहुची, परन्तु सरकार ने हैन्डीक्रैफ़ट की सहायता से व्यापरियों को रंगाई का देशी सामान दिया।

चीनी

इस वर्ष ६४ फैक्टरियाँ काम कर रही थीं। पिछले वर्ष में ५,१५ ६०० टन की चीनी के विपरीत उस वर्ष ५,२०,४०० टन की चीनी बनी। परन्तु १९४५ में गुड़ से बनाई गई ६००० टन की चीनी के विपरीत १९४६ ई० में घटकर ३,८०० रु० की चीनी बनी। खन्डसारी का मोटे तौर से ७,००० टन तक का उत्पादन रहा।

चमड़ा

कच्चे चरसे के नियति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने पर भी गाय का कचा चरस मिलने में कठियाइ पड़ी और इस उद्योग के लिये केवल ५० प्रतिशत चरस मिल सका नियंत्रण उठा लेने पर अब बाजार में उनका स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जारहा है। दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबन्ध लगा देने से चमड़ा कमाने का सामान अमरीका से मगाया जाने लगा जो महँगा पड़ा। फिर भी चमड़े की कमाई का काम सर्वदा की भाँति चल रहा है।

काच

इस उद्योग के लिये कोयले की कमी एक बिकट समस्या रही। उद्योग विभाग की ग्लास टेक्नालोजी शाखा ने इस उद्योग की उन्नति के लिये अपना पिछला प्रयत्न जारी रक्खा। इस उद्योग को वढ़ाने के लिये स्थिर यंत्रों की माग (Order कर दी गई है। कुछ यंत्र आगये हैं और कुछ आरहे हैं। शिकोहाबाद केली गालस वर्क्स लि० तथा रेडियो लैम्प वर्क्स के विस्तार में काफी उन्नति हुई है।

तेल और उससे मिलते जुलते अन्य उद्योग

तेल पेरने के उद्योग ने बराबर उन्नति की। फैक्टरियों के ऐक्ट के अधीन रजिस्टर्ड तेल की मिलों की संख्या जो पिछले वर्ष १०५ थी इस वर्ष बढ़कर १३१हो गई। कडुवा तेल बंगाल भेजा जाता रहा। चारो डिहाइड्रेशन फैक्टरियाँ भारत सरकार के अधीन रहीं। कास्टिक सोडा नारियल के तेल की कमी तथा कडुवे तेल के ऊँचे दामों के कारण साबुन के उद्योग को हानि पहुँचती रही। कागज तैयार करने और बेचने में इस साल लड़ाई के दिनों से अधिक कठिनाई पड़ी और सरकार और जनता की माँगे न पूरी हो सकीं इस उद्योग को काफी कोयला भी न मिल सका। लड़ाई के फलस्वरूप लकड़ी के समान के उद्योगों में भी उन्नति न हो सकी। १ अगस्त १९४६ ई० से दियासलाई का मूल्य दो पैसा कर दिया गया क्योंकि उसके बनाने के साधन मिल गये थे युद्ध के कारण अलीगढ़ के ताले भी घटिया हो गये। अब अलीगढ़ के नये किस्म के ताले बाजार में काफी मिल जाते हैं बिजली से कलई करने का उद्योग बढ़ रहा है परन्तु मोटे ढंग से किया जाता है। सुनहरे और रुपहले धागों के उद्योग को मरोसिराइजड की कमी के कारण हानि पहुँचती रही, रसायनिक उद्योग को अनेक कारणों से हानि पहुँचती रही। चीनी और कुनैन के कमी के कारण औषधि उद्योग में भी कमी रही। पावर अल्कोहल के लिये सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स लि० मेरठ सबसे बड़ा कारखाना है।

२९—श्रम

औद्योगी करण

श्रम परिस्थित कठिन रही। १९४५ ई० की ५६ हड़तालों के विपरीत इस वर्ष के ऊची मजदूरी तथा बोनस के लिये ७३ हड़तालें हुईं। लेबर कमिश्नर तथा उनके एक पदाधिकारी ने ५६ व्यापारिक झगड़े पंचों के निर्णय के लिये भेजे। पिछले

वर्ष की ६६५ शिकायतों के विपरीत इस वर्ष में १६६५ शिकायतें आईं। १६४५ में ४४४ झगड़ों के विपरीत इस वर्ष समझौता अफसरों ने ८२७ झगड़ों का निपटारा किया। मजदूर सभाओं की रजिस्ट्रियां काफी लोकप्रिय रहीं और इस वर्ष इनकी संख्या ४३ से बढ़कर १२६ हो गई। वार्षिक विवरण पत्रों को प्रस्तुत न करने पर ३ संघों की रजिस्टरी रद्द कर दी गई। कारबारों को अपने अस्थायी आदेशों के मसौदे को कमिश्नर द्वारा प्रमाणि कृत कराने के लिये १६४६ ई० में से इण्डिस्ट्रयल इम्प्लायमेंट स्टैंडिंग आडर्स ऐक्ट बनाया गया। काफी प्रचार करने पर भी बहुत कम संघों ने अपने स्थाई आदेशों के मसौदे किये। जो मसौदे गड़बड़ और अपूर्ण थे वे लौटा दिये गये।

श्रमके आंकड़े

रहन सहन के व्यय, फुटकर मूल्य, श्रमिकों की क्षति पूर्ति श्रमिक कल्याण कार्य, औद्योगिक झगड़े, इम्पलायमेंट एक्सचेंज, अनुपस्थिति, बोनस, व्यापारिक संघ, इत्यादि के आंकड़े जो श्रम आफिस में आते थे वे स्टेटिस्टिकल सेक्शन में तय्यार होते रहे। श्रम पत्रिका विभिन्न समाचारों सहित छपती रही। १६४६ ई० में कानपुर अवकाश तथा उनके उपयोग करने के ढंग पर जांच की गई। भारत सरकार की ओर से पारिवारिक आय व्ययक की भी जांच की गई।

श्रम पत्रिका
जाच तथ
रिपोर्ट
परिवारिक
आयव्ययक
फैक्टरियां और
व्यायसर्म

१६४५ इ० में १०४७ फैक्टरियां बढ़कर १०६६ हो गईं। ८३ नई फैक्टरियों की रजिस्टरी की गई, ६७ की रजिस्ट्री रद्द करदी गई। एक फैक्टरी एक दूसरे फैक्टरी में मिला दी गई। १६४५ इ० में ३५२७ के विपरीत फैक्टरियों के इन्स्पेक्टर ने ४,२१८ निरीक्षण किये और विगत वर्ष के १६० चालानों के विपरीत २५४ चालान किये गये। पिछले वर्ष १६४५ इ० में ५५१६ दुर्घटनाओं के विपरीत वे घटकर ४,५६५ ही हुई जबकि विगत वर्ष में ४३ के विपरीत ३२ से मौतें हुईं और १६४५ इ० के ७६० गम्भीर दुर्घटनाओं के विपरीत ४७८ गम्भीर दुर्घटनायें हुईं। मजदूरी की अदायगी के ऐक्ट के अधीन १६४५ इ० में २७५ के विपरीत २७८ शिकायतें हुई और बच्चों को नौकर रखने के ऐक्ट के अधीन १६४५ इ० में ७२० जाचों के विपरीत ८२४ से जाचें की गई। बोयलर्स ऐक्ट के अधीन वर्ष के अन्तर्गत १६८७ निरीक्षण जिसमें २७७ हाइड्रोलिक परीक्षण तथा ३८ वाष्प-परीक्षण भी शामिल किये गये। आकस्मिक जांचों की संख्या १६४५ इ० में २,४०५ के विपरीत इस वर्ष २,६५७ हुई। कुछ जाचों की संख्या १६४५ इ० में ४,३४० के विपरीत ४६४४ हुई।

औद्योगिक
कल्याण कार्य

इस दिशा में चिकित्सा सम्बन्धी दुग्ध वितरण, फिजिकल कल्चर, जच्चा बच्चा के कल्याण, के कार्य्यों की ओर विशेष ध्यान दिया गया और तीन कल्याण केन्द्रों के बढ़ने से इन केन्द्रों की संख्या बढ़ कर ३३ तक पहुँच गई। दो "क" श्रेणी के केन्द्रों को मेरठ और बनारस में स्थापित किया गया और एक मुरादाबाद में।

स्काउटिङ्ग कार्य्य को प्रोत्साहन दिया गया और कानपुर के एक मेले में बालचरों ने प्रशंसनीय कार्य किया। स्वास्थ्य सम्बन्धी लेक्चर दिये गये तथा खेल और अखाड़ो की भी व्यवस्था की गई।

३०—युद्धोत्तर पुनर्निर्माण (एकीकरण)

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और विकास योजना के लिये (१९४५-४८)इ० १९४५ में बना दी गई थी जो पहिले पहिले ३५ करोड़ रु० की व्यवस्था थी। बाद में संशोधन करके१९४५-४६ इ० तथा १९४६-४७ इ०के लिये इस पर केवल १५९२,०९ लाख रु० के खर्चका अनुमान किया गया इसमें ये योजनायें साम्मिलित थी (१) सब से पहिले की जानेवाली विकास योजनायें ७,६४,६३ लाख रुपये (२) सड़को तथा दूसरे निर्माण कार्य्यों पर अनुमानित खर्चा ६७,६५१ लाख रु० (३) कृषि, सहकारिता उद्योग, श्रम, शिक्षा, चिकित्सा, सहायता, सार्वजनिक, स्वास्थ्य इत्यादि पर अनुमानित खर्चा लगभग १२५·१५ लाख रु०। (४) इस योजना को चलाने वाले अमले को काम सिखाने की योजना पर लगभग १०·७८ लाख रु० (५) लड़ाई से लौटे हुये सिपाहियों के लिये विशेषब कल्याण केन्द्रो पर १०·१९ लाख रु०। (६) भारती सरकार के साथ अलग से धन का प्रबन्ध करके चलाये जानेवाले कुछ योजाओं पर १·८३ लाख रुपये। विभिन्न कारणों से इनमें से बहुत सी योजनाये चलाई नहीं जा सकीं।

आर्थिक वर्ष १९४७ ४८ में विकास का एक और कार्य्य क्रम विभिन्न विभागों से प्राप्त हुआ था। परन्तु १९४६ इ० के कैलेन्डर वर्ष में यह कार्य्य क्रम पूरा नहीं किया जा सका था।

३१—सहकारिता

सामान्य

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के कारण सहकारिता आन्दोलन चलता रहा। राशन पर नियंत्रण हो जाने से लाखों ऐसी समितियों की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। इस लिये विगत वर्ष की १९,००० समितियों के विपरीत इस वर्ष में समितियों की संख्या २१,००० तक पहुँच गई। इस अन्दोलन में सम्पूर्ण काम चलाने वाली पूजी ६·७२ करोड़ रु० है जिसमें २·६७ करोड़ रु० स्वयम इनकी है।

बहु उद्देश्य समितियों और ग्राम बैंक

परिमित दायित्यों और बहु उद्देय वाली ग्राम्य सहकारी समितियों की संख्या बढ़ कर ७,००० हो गई। अतः ऋण देने वाली कृषि समितियों की संख्या ६००० से नीचे हो गई क्योकि उन्हें बहु उद्देश समितियों में परिणत कर दिया गया था। इनको ग्राम्य बैङ्कों के रूप में भी जाना जाता है और इन्होंने अधिकतर उधार देने का काम किया। जिला तथा केन्द्रीय सहकारी बैङ्कों की संख्या ६५ थी और कुछ

बैंकों के पास अपनी ऋण क्रियाओं के करने के लिये काफी रुपया था। प्रान्तीय सहकारी बैंक ने अपना दूसरा वर्ष पूरा कर लिया। इसकी व्यापार करने की पूंजी १८ लाख रु० से बढ़ कर ४७ लाख रु० हो गई। इसने रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से ११/२ प्रतिशत व्याज की दर से १ १/४ लाख रु० ऋण भी लिया।

दुग्ध संगठन

दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या बढ़ कर ३८ हो गई जिन में से लखनऊ तथा इलाहाबाद के सहकारी दुग्ध संघ प्रमुख है। उन्होंने अपने अपने से २५ मील दूर तक कार्य समितियों से दूध लेकर नगर में पहुँचाया इन दोनों समितियों ने २६,००० मन दूध २.२८ लाख रु० में लेलिया और २०,००० मन दूध २.२३ लाख रु० में जनता के बीच बेचा। इलाहाबाद तथा लखनऊ की समितियों का प्रति दिन का दुध-पहुँचान क्रमशः ३० और ५० मन है। बनारस में भी यह कार्य्य वर्ष के अंत में उठा लिया गया। लखनऊ में म्युनिसिपल स्कूलों के बच्चों को भी सरकार द्वारा इन समितियों के माध्यम से दान के रूप में दूध दिया गया।

युद्धोत्तर दुग्ध पहुंचान योजना

प्रारंभ में इस योजना को लखनऊ, इलाहाबाद तथा बनारस जैसे नगरों जहां ऐसी समितिया पहले ही से वर्तमान है, में कार्य्यन्वित करने का तै किया गया योजना यह है कि प्रति दिन १० से २५ मील तक के घेरे के गावों से प्रति दिन दूध लाकर क्रन्द्रीय समिति में दे दिया जाय और वहाँ से शुद्ध करने के बाद नागरकों का विभिन्न केन्द्रो द्वारा दिया जाय। इस कार्य्य के लिये १०-२५ मील के घेरे के गावों में शाखा समितियों द्वारा स्वच्छ प्रणाली के अनुसार दूध उत्पन्न किया जायगा और वहाँ से साइकिल द्वारा शहर में भेज दिया जायगा।

घी की सहयोगी समितियाँ

प्रान्त में १४ सहकारी-घृत तथा ६०० प्राथमिक घी समितियां विशेष कर एटा, मैनपुरी, आगरा, जालौन, बांदा और झांसी जिलों में थी उन्होंने ६,००८० मन घी इकठ्ठा किया जो १९४५-४६ ई० में संघों द्वारा विततित किया गया।

जोतों को इकट्ठा करना

संगठित करने के नये क्षेत्र सहारनपुर मुजफ्फर नगर, मेरठ, बिजनौर तथा फतेहपुर जिलों में थे। १९४५-४६ ई० में संगठित किया गया क्षेत्र ६,३६८ एकड़ था और संगठित क्षेत्रों के एकड़ को मिलाकर सम्पूर्ण योग ६४,५८० एकड़ था। संगठित करने के लिये समतियाँ ३०० से अधिक थी।

आवश्यक सामग्रियों का सहकार ढंग से बाँटा जाना

जनता तथा जिला अधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों की सहायता की काफी माँग रही किन्तु कोष की कमी तथा सीखे और निपुण कर्मचारियों की कमी के कारण नई समतियाँ अधिक संख्या में बनवाई न जा सकीं।, तथा पुराने क्षेत्रों में ही काम हुआ। इनका कार्य्य बिकास तथा क्रय विक्रय संघ कोअपरेटिव डेवलपमेंट मारकेटिंग फेडरेशन के अधीन होता था। इस संघ के अधीन विभन्न सामग्रियाँ बांटी जाती थीं। सम्पूर्ण वर्ष के क्रय विक्रय की रकम लगभग ४ करोड़ रुपये थे।

औद्योगिक समितियां

प्रान्तीय औद्योगिक संघ (प्राविनिशयल इण्डस्ट्रियल फेडरेशन) तथा इससे सम्बन्धित समितियों का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दिनों में मजरी कपड़ा तथा निवाड़ बनाना था। उसके बाद नागरिक उपयोग के लिये इन्हों ने धोतियाँ तथा साड़ियाँ बनाना प्रारम्भ किया। सण्डीला तथा बारबंकी की समितियों में लुंगियाँ वनी हैं। इस संघ तथा इससे सम्बन्धित समितियाँ द्वारा वितरित सूत ५० प्रतिशत से बढ़कर ६० तक प्रतिशत होगया।

आन्दोलन का संगठन और विकास

पांच वर्षो के युद्ध काल में ऐडवाइजरो के शासन काल की इनकी गति विधियों को परिवर्तन करने का विचार किया गया और उसके फलस्वरूप ४ काम सिखाने के केन्द्रों प्रतापगढ़, गोरखपुर तथा फैजाबाद, में सुपरवाइजरों के लिये फैजाबाद ही में एक इन्सपेक्टरों को और आडिटरों को काम सिखाने का केन्द्र खोला गया। जिसमें ३५२ सुपरवाइजरों और ७० इन्सपेक्टरों को काम सिखाया गया और ६ मास में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया गया।

पाँच वर्ष के इस कार्य्य के फलस्वरूए ३००० वहु उद्देश्य समितियों को जो ३० से सम्बन्ध की जायगी, पूर्ण विकास के प्रयोजनार्थ बनाने का विचार किया गया। परन्तु वर्षा के समाप्त होने से इस विचार को दूर कर दिया गया है और १०-१५ गाँवों में एक सरकारी बीज गोदाम के इधर उधर एक २ समिति खोलने का विचार किया जा रहा है। यह प्रयन्त किया जायगा कि प्रत्येक परिवार का कर्त्ता इसका सदस्य होगा। इस समिति का मुख्य उद्देश्य होगा। आनाज दूध घी, कपड़ा इत्यादि की पैदावार बढ़ाना और इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर सोसाइटी अच्छे ढंग की खेती की विधि, दुग्धशाला संचालन, सूत कातने और कपड़ा बिनने की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। यह भी सम्भव है कि सोसाइटी आगे चलकर सदस्यों के वितरण करने के उद्देश्य से प्रयोग को बस्तुओं, जैसे, मिट्टी का तेल, कपड़ा, नमक, बर्तन और ऐसे उपकरण तथा सामानों जैसे अच्छे ढंग के हल, तथा अन्य खेती की मशीनों चर्खों, का स्टाक जमा करें।

३२ ईख विकास

ईख विकास

ईख विकास के कार्य्य २१,५१२ गांवों में सहकारी ईख सप्लाई समितियों द्वारा किये गये जबकि पिछले वर्ष में १६,१८३ गांवों में यह काम हुआ था। ६३ समितियों में ६८ गोदाम थे और उक्त समितियों के ८२७,६६८ सदस्य थे जबकि पिछले वर्ष ७४७,७४६ सदस्य थे। शक्कर के कारखानों के सुरक्षित क्षेत्रों में ईख की उन्नति की किस्मों ने अन्तर्गत क्षेत्रफल पिछले वर्ष के ७७६.५७ हजार एकड़ से ७२०.३ हजार एकड़ घट कर रह गया। पर स्वीकृत किस्मों के उस बीज का परिमाण जो समितियों द्वारा बांटा गया था, १,७६०,७६० मन से २,१५२,८६६ मन की

वृद्धि हुई जबकि केमिकल (रासायनिक) खाद तथा पांस के वितरण में गत वर्ष से काफी उन्नति हुई क्योंकि २०४,६०७ मन तक वितरण हुआ। समितियों ने कुछ ग्राम सुधार के काम भी किये, जैसे १,४६६ मील की पक्की तथा कच्ची सड़कों की मरम्मत तथा उनका निर्माण, छोटी पुलियाँ तथा पुलों का निर्माण और मरम्मत और ५१ सड़कों का वितरण, ४१ विभिन्न केन्द्रों में मिट्टी तथा जलवायु की विभिन्न दशाओं में प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त ईख की किस्मों, नर्सरी अभ्यासों तथा खादों के प्रदर्शन करने के लिए क्षेत्रीय परीक्षात्मक प्रयोग किये गये। सामान के न मिलने तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण बांटे जाने वाले औजारों की संख्या कम पड़ गई।

ईख समितियाँ तथा ईख का क्रय विक्रय

वर्ष के अन्तर्गत १४०,०७१,००० मन गन्ना शक्कर के कारखाने में पेरा गया जिसमें से सहकारी समितियों ने लगभग ७८.७ प्रतिशत की पूर्ति की। इन्तजाम के खर्चे में वृद्धि होने के कारण १७ समितियां घाटे पर चलीं। समितियों ने अपने सदस्यों को पिछले वर्ष के २४,६७,६४५ रु० के ऋण के स्थान पर इस वर्ष के ३२,२६,३६४ रु० का ऋत भुगतान किया।

लेन देन ईख का मूल्य

१६४५-४६ ई० के ईख पेरने की ऋतु में शक्कर के कारखानों के फाटकों पर सप्लाई की जाने वाली ईख १४ आ० ६ पाई प्रति मन तथा बाहरी स्टेशनों पर दी जाने वाली ईख १४ आ० प्रतिमन का कम से कम मूल्य नियत किया गया था। प्रत्येक कारखाने के लिये ईख की एक न्यूनतम मात्रा निर्धारित कर दी गई थी जो उसके लिये पेरना अवश्यक था लेकिन पिराई की अधिकतम मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ७० कारखानों में से ६६ कारखानों के पेरने का लाइसेंस १६४५-४६ ई० के ईख पेरने की ऋतु में बदला गया और इन कारखानों ने १४०,०७१,००० मन गन्ना पेरा और ५,१५,६५७ टन शक्कर तैयार किया। ऋतु की औसत अवधि ६६ दिन की थी और १०.०६ प्रतिशत, की औसत वसूली हुई। कारखानों द्वारा पेरे गये समस्त गन्ने पर एक आना प्रतिमन का कर लगाया गया था। पर वह आज्ञा जिसमें गुड़ के उत्पादन पर रोक लगाया गया था और जो ४३ कारखानों के फाटकों के भीतर लागू की गई थी, अप्रैल १६४६ ई० के पूर्वभाग में ही वापस कर ली गई थी। १६४६-४७ ई० के पेरने की ऋतु के लिये ईख का न्यूनतम मूल्या १ रु० ४ आ० प्रति मन नियत किया गया था।

शक्कर कमीशन

श्री के० आर० मैल्कालम १० मई, १६४६ ई० तक चेयरमैन, शूगर कमीशन, संयुक्त प्रान्त तथा बिहार के पद पर रहे। उसके बाद श्री बी. बी. सिंह, जिन्हों ने शूगर कंट्रोलर, संयुक्त प्रान्त के पद पर कार्य्य किया था, उनके स्थान पर हुए। नये शक्कर के कारखानों के निर्माण के लिये प्राप्त आठ प्रार्थना-पत्र और संयुक्त प्रान्त

के भीतर किसी स्थान पर स्थिरयंत्र को हटाने की अनुमति के लिये पंजाब के शक्कर के कारखाने से प्राप्त एक प्रार्थना पत्र, नामंजूर किये गये। इसके अतिरिक्त वर्तमान गन्ना पेरने की ताकत के बढ़ाव के लिए कारखानों से प्राप्त ५ प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया गया और एक नामंजूर हुआ। सरकार की संशोधित नीति की यह घोषणा कि ८०० टन तक के कारखानों के विस्तार की अनुमति दी जाय, इसी कारण शक्कर के कारखानों में वृद्धि तथा स्थानपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई।

३३–ग्राम सुधार

कांग्रेस सचिव मंडल के पद ग्रहण करने पर, यह साफ साफ मालुम हुआ कि प्रान्त में ग्राम सुधार कार्यों की सब नीति तथा प्रोग्राम का पूर्णतया नवीनकरण करना आवश्य था। तथापि वर्ष के अधिक भाग में विभाग के कार्य गत वर्ष की भाँति होते रहे और नीचे लिखे शीर्षकों में विभाजित हैं :-

(१)

ग्राम सेवक स्काउट आन्दोलन :—कार्य साधारण जोश तथा उत्साह से होता रहा। ग्रामीणों में स्वास्थ्य ठीक रखने की भावना को जागृत करने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव के टूरनामेंट और जिला तथा कमिश्नरी के ओलम्पिक खेलों का संगठन किया गया ग्राम सेवकों ने उपयोगी सामाजिक कार्य किया जैसे गांवों में रास्तों का सुधार। इस योजना से देहात में लोगों में उत्साह बढ़ा।

(२)

सैनिक संगठनों द्वारा गावों में ग्राम सुधार का कार्य :—फैजाबाद तथा बरेली जिलों के चुने हुए गावों में विस्तृत रूप में ग्राम सुधार कार्यों की योजना दो हजार से अधिक गावों में जहां से फौज में अधिक भर्ती हुई, फैलाई गई। सिपाहियों के परिवारों के लिए कर्मचारियों ने जो उपयोगी कार्य किये, उसकी अधिक प्रशंसा की गई।

(३)

सिपाहियों के शिक्षण केन्द्र : पिछले वर्ष की भांति भारत सरकार के आदेशानुसार फैजाबाद में उन फौजी अफसरों तथा अन्य बड़े टैंक के अफसरों को ग्राम सुधार के कार्यों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने

के लिये एक शिक्षण केन्द्र आरम्भ किया गया जिनकी देहाती क्षेत्रों में फौज से अलग होकर वापस आने की सम्भावना थी। ऐसा ही शिक्षण केन्द्र फौज से अलग हुए अपाहिज सिपाहियों के हित के लिए एम० टी० सी० आर० लखनऊ में खोला गया था।

(४)

निर्माण कार्य :—पिछले वर्ष की भांति देहात के लिए हितकर निर्माण-कार्य जैसे गांव की गलियों का पक्का करना, वहां तक जाने वाली सड़कों का पक्का करना, पुलियों तथा पंचायतघरों इत्यादि का निर्माण, किये गये ।

(५)

पौधों का लगाना :—पौधे लगाने का विस्तृत रूप से आन्दोलन इस अभिप्राय से किया गया जिससे कि खेतों के लिए खाद के रूप में मूल्यवान पशुओं की खाद की बचत हो और यह नहीं कि गांव वालों के घरों में ईंधन के रूप में उसका प्रयोग हो।

(६)

महिला हितकारी शिक्षण शिविर, फैजाबाद :—फैजाबाद के इस शिक्षण केन्द्र पर काम जारी रहा जहां महिलाओं को प्राथमिक सहायता, गृह-परिचर्या तथा अन्य घरेलू विज्ञान और कला जैसे सीने पिरोने के काम में शिक्षा मिली। ये महिलायें गावों में भी गईं और गांव की औरतों में अन्य सामाजिक काम को करने के साथ साथ साधारण बीमारियों के लिए साधारण औषधियां बांटी। उन महिलाओं ने उन गांव की औरतों को, जहां वे नियुक्त की गईं थीं, ठीक पथ प्रदर्शन और व्यावहारिक सहायता पहुँचाईं। २२७ महिला अध्यापिकाओं के चार जत्थों को ट्रेनिंग दी गई और ८० महिला अध्यापिकाओं और १० सिपाहियों की विधवाओं के पांचवे जत्थे को ट्रेनिंग दी जा रही थी।

(७)

प्रचार:—केन्द्रीय संस्था द्वारा सभी सरकारी विभागों के कार्यों को प्रचार करने के लिए ग्राम सुधार मैगजीन "हल" के मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए जिम्मेदारी इन्फारमेशन डाइरेक्टरेट को दे दी गई थी और रेडियो

और गावों में ब्राडकास्ट करने की योजनायें भी उसी तरह उक्त डाइरेक्टरेट को हस्तान्तरित कर दी गईं थीं।

(८)

देशी औषधालय:-देशी औषधालयों को स्थापित करने की योजना में सन्तोष-जनक उन्नति हुई; २४ नये औषधालय खोले गये और दवाइयों के बक्सों की बड़ी संख्या में वृद्धि की गई। इस तरह, इन उपायों से ग्रामीणों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकताएं पूरी हुईं।

(९) ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को जो प्रान्त की एक बड़ी जन-संख्या है, वास्तविक स्वतन्त्रता प्रदान करने की सरकारी घोषित नीति के कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में, यह निर्णय हुआ कि गावों तथा उनकी जन-संख्या का पूरी तरह सुधार करने के लिए विस्तृत शासन प्रबन्ध सम्बन्धी तथा कानूनी अधिकारों के साथ साथ गांव पंचायतों और गांव सभाओं की स्थापना के लिए कानून बनाये जायं, यह भी प्रस्ताव किया गया कि अच्छी खेती करने, लेन देन (क्रय विक्रय) करने, डेरी फाम खोलने के लिए विविध प्रयोजन वाली सहकारी समितियां बनाई जायं और गांवों के आर्थिक जीवन को नियमित किया जाय तथा उसका सुधार किया जाय।

३४—सार्वजनिक निर्माण कार्य

सार्वजनिक निर्माण कार्य सैनिक निर्माण कार्य

लड़ाई के समय सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़क शाखा (पी० डबल्यू० डी० बी० ऐंड आर ब्रांच) का अधिक विस्तार हुआ क्योंकि विभाग ने प्रान्त में ३० हवाई अड्डों के निर्माण का कार्य लिया और उसके बाद प्रांत के सभी सैनिक निर्माण के कार्य, कुछ को छोड़कर, इसी विभाग को सौंपे गये थे। तथापि बाद में इन सैनिक निर्माण कार्यों को क्रमशः फौजी अधिकारियों को हस्तान्तरित कर दिया गया।

युद्धोत्तर निर्माण कार्य

लड़ाई समाप्त होने के पश्चात् विभाग युद्धोत्तर विकास के निर्माण कार्यों को ग्रहण करने में समर्थ हुआ। सैनिक निर्माण कार्यों में क्रमशः कमी होने के कारण और फौजी अधिकारियों के हाथ कैन्टूमेंटों के हस्तान्तरण होने पर, विभाग ने जल्दी से जल्दी नवम्बर, १९४५ ई० में युद्धोत्तर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये और लगभग ३ करोड़ रुपयों की कुल अनुमानित लागत की ७०१ मील

यातायात

१८ सड़कों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण प्रारम्भ किया था। लेकिन मार्च, १९४६ ई० में सरकार के परिवर्तन होने पर, प्रस्तावों में संशोधन हुए और नई

योजनाओं के अनुसार लगभग २,३०० मील की स्थानीय सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सुधार का कार्य रिपोर्ट के वर्ष में शुरू किया गया। युद्धोत्तर योजना में निर्माण के लिए निम्नलिखित सड़कें ली गई :—

(१) कालपी—हमीरपुर सड़क।
(२) मुरादाबाद—काशीपुर—रानीखेत सड़क।
(३) मुरादाबाद—चदौसी-बदायूँ सड़क।
(४) बरेली—पीलीभीत-तनकपुर-पिठौरागढ़ सड़क।
(५) शाहजहाँपुर गोला सड़क
(६) इलाहाबाद घुरपुर-बाड़ा-करवी-बांदा सड़क।
(७) हाता—देवरिया-सलेमपुर-मऊ सड़क।
(८) गोरखपुर-देवरिया सड़क।
(९) गोरखपुर फरेन्दा-नौतनवा सड़क।
(१०) फरेन्दा—शिकारपुर-परतवाल, कप्तानगंज—पडरौना-तमकोही सड़क।
(११) लखनऊ हरदोई-शाहजहाँपुर सड़क।
(१२) दिल्ली—मेरठ-शाहजहांपुर-मसूरी सड़क।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के अन्त में निम्नलिखित आवश्यक इमारतें बनती रहीं:—

(१) नर्सिङ्ग लेडी हैलेट स्कूल, कानपुर।
(२) ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त १०० औषधालय (डिस्पेन्सरी)।
(३) लखनऊ के मेडिकल कालेज का विस्तार।
(४) ब्रांच डिस्पेन्सरियों में नर्सिङ्ग अर्दलियों के क्वार्टर।
(५) बेसिक सीड स्टोर्स का निर्माण।
(६) दून अस्पताल, देहरादून का बिस्तार।
(७) हास्पिटल बिल्डिङ्ग, नैनीताल में सुधार।
(८) डाइरेक्टर, उद्योग विभाग, लेबर कमिश्नर और ६ आबकारी कमिश्नर, कानपुर के कार्यालय के लिए इमारतें।
(९) यू आकूपेशनल इंस्टीटयूट, लखनऊ।
(१०) अनाज इकट्ठा करने के लिए अतिरिक्त ६०० सीमेंट की खत्तियां (बनाई गई)।
(११) लाइवस्टाक रीसर्च स्टेशन, माधुरी कुण्ड, जिला मथुरा के लिए भवनों का निर्माण।
(१२) लखनऊ में सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के निवासगृहों का निर्माण।

युद्धोत्तर निर्माण कार्य में बजट में दिया गया व्यय

१९४६-४७१९ ई०में युद्धोत्तर निर्माण कार्य में ६ करोड़ रु० का कुल अनुमानित व्यय हुआ। बजट के देर में पास होने के कारण और सामान जैसे कोयला, जस्ता और सीमेंट और विशेषतया रेलवे ट्रांसपोर्ट न मिलने में कठिनाई के कारण, युद्धोतर निर्माण कार्य बहुत कुछ रुक गया तो भी बड़े प्रोग्राम होने के कारण, विभाग में एक बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी नियुक्त होते रहे।

३५—ट्रांसपोर्ट (वाहन)

ट्रान्सपोर्ट (वाहन) का पुनर्संगठन

ट्रांसपोर्ट विभाग पहिली बार अप्रैल १९४५ ई० में इस खास उद्देश्य के साथ स्थापित हुआ था कि प्रान्त को समाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए सार्वजनिक सुविधा और समस्त ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी सुविधाओं के आर्थिक प्रयोग के हित में सब प्रकार के ट्रांसपोर्ट जैसे सड़क, रेल, पानी, हवाई ट्रांसपोर्ट, को संगठित करें, उनमें सुधार करें, उनको उन्नति करें और उनको मिलावे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संयुक्त प्रान्त विभाग के अध्यक्ष हैं जिनका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। विभाग तीन खास शाखाओं में प्रत्येक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अधीन विभाजित है—शासन प्रबन्ध, टेकनिकल औरइन्फोर्समेंट। प्रत्येक शासन प्रबन्ध (एडमिनिस्ट्रेशन) और (इन्फोर्समेंट) के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ एक असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहता है। इसके साथ ही साथ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक पर्सनल असिस्टेंट है जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कार्यालय की समस्त स्थापना (इस्टैब्लिशमेंट) का इंचार्ज है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्राविंशियल राशनिंग अथारिटी (मोटर स्प्रिट) और चेयरमैन, प्राविंशयाल ट्रांसपोर्ट अथारिटी भी हैं और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) सेक्रेटरी, प्राविंशियल ट्रांसपोर्ट अथारिटी और सेक्रेटरी, प्राविंशियल ट्रांसपोर्ट बोर्ड भी हैं। शासन प्रबन्ध के प्रयोजन के लिए, प्रांत, आठ रीजनों में विभाजित है जिनके हेडक्वार्टर लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बरेली और नैनीताल में हैं। प्रत्येक रीजन एक रीजनल ट्रांसपोर्ट के अधीन है जिन्हें मोटर गाड़ियों के ऐक्ट, १९३९ ई० के अधीन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी के सेक्रेटरी और सदस्य के अपने पद के कारण कर्त्तव्यों को करते हुए समस्त ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा सरकार से अधिकार मिले हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दिये गये कार्यों से सम्बन्धित प्रबन्ध विषयक आदेशों का पालन इन अफसरों को करना होगा।

शासन-प्रबन्ध

सड़क ट्रान्सपोर्ट

प्रांत में सड़क ट्रांसपोर्ट प्रणाली के पुनर्संगठन के प्रश्न पर सरकार ने अधिक ध्यान दिया और यह तय किया गया कि व्यक्तिगत रूप में संचालित यातायात प्रणाली, के स्थान पर जो कि ट्रांसपोर्ट की मितव्ययता, तथा जनता की सुविधा के दृष्टि कोण से असन्तोष पूर्ण रूप पाई गई है, ज्वाइंट स्टाक कम्पनी काम करे

जिसमें सरकार शेयर लेगी और उसे उस पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार होगा। वर्तमान मोटरों के मालिकों (आपरेटरों) को कम्पनी में शेयर दिये जाने को थे। जितने परमिट उनके पास थे उन्हीं के आधार पर ग्रैजुटी और जितनी गाड़ियाँ उनके पास थीं उसकी अच्छी कीमत मिलने वाली थी। नई कम्पनियों में उन क्षेत्रों में रेलवे को भी शेयर दिये गये थे जहाँ पर उनके हितों में बाधा पड़ने वाली थी। यह भी निश्चित हुआ था कि ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां ५ वर्ष के भीतर ही क्रमशः समस्त सरकारी गाड़ियों और सार्वजनिक ठेलों के चलाने का कार्य लें पर शुरू में केवल सरकारी गाड़ियों के चलाने का कार्य लेना चाहिए और वह भी केवल चुने हुए मार्गों पर ही। उन मार्गों में जिनपर गाड़ियां शुरू में नहीं चलने को थीं, यह निश्चित हुआ कि मोटरों के मालिक यूनियन और ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के कोआपरेटिव बनाने में सहायता दी जाय। मैदानों में ट्रांसपोर्ट के सात रीजन थे जिसमें देहरादून का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र भी सम्मिलित है और यह विचार किया गया कि प्रत्येक उन रीजनों में एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी बनाई जाय। इसके अतिरिक्त एक पहाड़ी रीजन भी था और यह विचार किया गया कि उस रीजन में दो कम्पनियां बनाई जायं। यह प्रस्ताव हुआ कि मैदानी कम्पनियों के शेयर सरकार, रेलवे और मोटर के मालिकों में क्रमशः ३४,२५ तथा ४१ प्रतिशत के अनुपात से बांट दिये जायं और पहाड़ी क्षेत्रों की कम्पनियों में सरकारी और मोटर मालिकों के शेयर क्रमशः ५१ तथा ४९ प्रतिशत के अनुपात से बांट दिये जायं। मैदानी कम्पनियों के सरकारी शेयरों के दो वोट प्रत्येक के थे जब कि रेलवे और मोटर के मालिकों को प्रत्येक एक वोट थे पहाड़ी क्षेत्रों की कम्पनियों में सरकारी शेयर और मोटर मालिकों के एक वोट प्रत्येक के थे। यह और प्रस्ताव हुआ था कि उन समस्त काम से हटे हुये मोटरों के मालिकों को ग्रैचुटी दी जायगी जो निम्नलिखित के आधार पर सरकार के साथ सहयोग करेंगे :—

ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां

काम से हटे हुए मोटरों के मालिक

(क) पहिली परमिट के लिये १,००० रु० दूसरी के लिये ७५० रु०, तीसरी के लिये ५०० रु०, चौथी के और बाद की उन परमिटों के लिए ७५० रु० जिन्हें अधिक से अधिक ५,००० रु० तक व्यक्ति अथवा कम्पनियां रखती हों।

(ख) अधिक से अधिक ५०० रु० देने तक और जिनके पास बराबर परमिट प्रति वर्ष रहा, उनके लिए १००रु०, ।

जहां तक कि हटाये हुये मोटर के मालिकों की चालू मोटरों की कीमतों का सम्बन्ध है, यह तय किया गया कि हर एक मोटर को कीमत ६००० रु के आधार पर लगाई जाय या १९४५ ई० वाले माडेल की कीमत से भी अन्दाजा लगाया जाय। लेकिन २५ प्रतिशत घटी हुई कीमत का ध्यान रक्खा जाए। मोटरों की

कीमतों को एक कमेटी जिसमें सरकार, रेलवे और दो चलाने वाले जिनमें मालिक भी शामिल हों तय करेगी। जब कभी आपस में न तय हो सके तो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की सम्मति अन्तिम होंगी। कई कम्पनियाँ यात्रियों की सुविधायें जैसे आराम की जगह और चलने का समय ठहरने के लिये जगहों की व्यवस्था करेगी। यह बोर्ड आफ डाइरेक्टरस जिनमें सरकार और रेल के अधिकारी और चलाने वालों के प्रतिनिधि शामिल हैं, देख भाल करेंगे।

नदी द्वारा ट्रांसपोर्ट

वर्ष के भीतर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने घाघरा नदी की बरहज और बहरामघाट के बीच की १७८ मील की जांच की। यह भी प्रस्ताव किया गया कि प्रान्त के पूर्वी भाग में घाघरा और गंगा नदियों द्वारा होने वाले यातायात पुनः प्रारम्भ किया जाय।

हवाई ट्रांसपोर्ट

प्रान्त में हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए सरकार ने लखनऊ में, फ्लाइंग क्लब की नींव डाली जिसका नाम प्रविंशियल फ्लाइंग क्लब है। बाद को प्रान्त के दूसरे शहरों में भी उसकी शाखाएं होंगी। खास कर शिक्षा केन्द्र पर। इसका उद्देश्य साधारण तौर से जनता में हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने का शौक पैदा करना है खास कर नवजवानों में। जहाज चलाने की फीस लगभग ७५ रु० प्रति थी, और २८ वर्ष के नीचे वाले लोगों से फ्लाइंग क्लब १५ रु० प्रति घंटा लेता था और जो २८ वर्ष से अधिक के थे उनसे ३० रु० प्रति घंटा। ७६००० रु० सरकार के द्वारा क्लब को सहायता के लिये १९४६-४७ ई० में दिया गया। दरख्वास्ते भी हवाई केन्द्रों को चलाने के लिये मांगी गई जिससे पूरे प्रान्त को शहरों से ट्रंक एयर सर्विस के साथ मिला दिया जाय। जांच पड़ताल भी उन अच्छी जगहों के लिए जहां जि के हेडक्वार्टर्स में उतर सकें की गई।

कार्यों का एक में मिलना

यह भी कहा गया कि मोटर ड्राइवरों के लाइसेंसों, उनके करों, मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्री के कामों को एक में मिला दिया जाय और हर एक रीजन के रेजनल ट्रांसपोर्ट अफसरों के अधीन रखा जाय। यह भी तय हुआ कि १९४७ ई० से ये काम चालू किये जायं। यह आशा की जाती है कि जनता भिन्न भिन्न अफसरों के साथ मिलने से जो कठिनाइयां होती हैं, उनसे बचे और आमदनी का जाया होना बन्द हो जाय।

फुटकर कल-पुर्जों सम्बन्धी नियन्त्रण की आज्ञा

मोटर के फुटकर कल पुरजों पर वह कन्ट्रोल जो लड़ाई के समय लगाया गया था फिर से लागू किया गया। संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस नम्बर १८ के अधीन सितम्बर १९४६ ई० भारत रक्षा नियमों के समाप्त हो जाने के बादयह आर्डर

जारी जिससे मोटर के भागों का वितरण बराबर रहे और चोर बाजारी न हो सके। चूंकि सप्लाई बढ़ गई, इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कंट्रोल किये मोटर के भागों पर से कण्ट्रोल हटा लिया लेकिन कण्ट्रोल लिस्ट में अब भी एक बड़ी संख्या चली आती है।

कंट्रोल की हुई गाड़ियों की देखभाल के लिये और बनाई हुई गैसों के पैदा करने के लिये और भारत सरकार के वार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जारी की हुई आज्ञाओं की देखभाल के लिये एक रीजनल इंस्पेक्टरेट बनाया गया है जिसमें ६ रीजनल इंसपेक्टर और ५ असिस्टेंट रीजनल इंसपेक्टर हैं। लड़ाई के बाद रीजनल इंसपेक्टर टेकनिकल सहायता के लिए और रजिस्ट्री के अधिकारियों को रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर और कंट्रोल, रजिस्ट्री, मोटर ट्रांसपोर्ट के कानून कायदों की देखभाल के लिए वापस जाने की आज्ञा हुई है।

हलांकि मोटर और ठेला के वितरण पर कंट्रोल नहीं रहा लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग अब भी विभिन्न सरकारी विभागों के ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदार है। जबकि मामूली व्यापारियों के द्वारा सप्लाई में खराबी पड़ती थी तो मांग के पूरे करने का मसला डाइरेक्टर जनरल के द्वारा उठाया गया और कई तरह की २१५ गाड़ियां मंगाई गई जिनमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

पेट्रोल राशनिंग इनफोर्समेंट

हलांकि आशा के विरूद्ध इस वर्ष पेट्रोल की हालत में वाकयादा उन्नति हुई, पहले पहल भारत सरकार ने कोटा ४२,६५००० गैलन अगस्त अक्तूबर तिमाही में इस प्रान्त में रक्खा जो नवम्बर-जनवरी १६४७ ई० की तिमाही में बढ़ाकर [illegible],८२००० कर दिया। गाड़ियों के लिये पेट्रौल की बांट सन्तोषजनक कोटा कर देने से सावित हुई। विभाग ने रेक्टीफाइड स्प्रिट गाड़ियों के लिए वितरण करने का काम भी अपने हाथ में ले लिया। गैस प्लांट वाली गाड़ियों के काम पर कोई पावन्दी न रक्खी और बहुत कम गाड़ियां इसके बाद गैस प्लांट वाली रहीं।

इन्फोर्समेंट

ट्रांसपोर्ट विभाग इन्फोर्समेंट की शाखा अक्तूबर १६४५ ई० में चालू की गई और एक डिप्टी ट्रांसपर्ट कमिश्नर जिनकी सहायता में एक असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था, उस शाखा के कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया। इस शाखा का ट्रांसपोर्ट और सड़कों पर ट्रैफिक और सड़कों पर इशारों, उनके ठहरने की जगहों का और दुर्घटनाओं की गिनती और कानून कायदे के बरतने का काम है, इन्फोर्समेंट शाखा का यह भी कर्तव्य है कि वह सड़कों पर चलने वालों के मस्तिकों में यह जागृति पैदा कर दें कि वह आराम और हिफाजत के साथ सड़कों पर चलें।

इन्फोर्समैंट स्कैट और सजाएं

वर्ष के भीतर इन्फोर्समेंट शाखा ने ८,५१३ अपराधी पकड़े जिनमें से १६५२ को सजा हुई और १६ छोड़ दिये गये और १६५ को चेतावनी (Warning) दी गई। १,२१,८४२ रु० जुरमाने के वसूल हुए। करीब करीब हर अपराधी का लगाव मोटर गाड़ियों के ऐक्ट के तोड़ने से था। इसके अतिरिक्त मुख्य सड़कों पर पैसेंजर ले जाने वाली गाड़ियों पर अधिक लादने के काम को रोकने में इन्फोर्समेंट स्कैड को बहुत आधक सफलता मिली, और इसके लिए भी प्रयत्न किया गया कि फीडर रूटों पर सामान ले जाने और सवारी ले जाने वाली बसों में अधिक लादने को रोका जाय।

सड़कों पर होने वाली दुर्घटनायें

सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और उन्हें कम करने में भी कुछ हद तक सफलता मिली। बचाव वाले प्रोपेगैंडा इश्तहार हिन्दी और उर्दू में अनुवाद किए गये और प्रान्त के स्कूल और मदरसों में बांटे गये। कानपुर और बम्बई में जो सेफटी फर्स्ट ऐशोसियेशन थे उनमें मेल जोल बढ़ा और कोशिश की गई कि दोनों मजबूत रहें और अपने अपने प्रभाव को बढ़ायें। रेडियो में भी इन्ही के सम्बन्ध में भाषण दिये गये और सिनेमा में भी इन्ही के सम्बन्ध में तस्वीरें दिखाई गई। अन्त में अब भी ऐसे उस्तावों पर बहस की जा रही है कि जिसके जरिए से एक कमेटी प्रतिनिधियों की बने जो प्रान्त की सड़कों पर होने वाली मृत्यों को रोके।

यात यात का बोर्ड

सरकार यातायात का बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस बोर्ड में सरकार के विभिन्न विभागों में वे लोग जो यातायात में दिलचस्पी रखते हैं और गैर सरकारी लोग शमिल होंगे और यही बोर्ड सरकार के उन मामलों में राय देगा जिनका सम्बन्ध रेल, सड़कों, हवा और पानी के जरिए यातायात हैं। यही तार, टेलीफोन और रेडियों के मामले में सलाह देगी।

३६—अन्न तथा सिविल सप्लाइज

अन्न की वसूली और गल्ले का बाहर से मंगाना

वर्ष के शुरू में ही दक्षिणी भारत की धान की फसल में अभूतपूर्व हानि हुई और भारत के आयात में भी जितनी आशा की गई थी उससे कहीं अधिक कमी हुई। जनवरी तक रबी खाद्यान की व्यवस्था के लिए प्रान्त भारत सरकार पर बिलकुल निर्भर रहा जिससे बाजार में नई फसल के आने तक मई तक राशन चल सके। भारत सरकार प्रान्त को गेहूँ की इतनी राशि भेजने में असमर्थ रही जितनी आशा की गई थी। इसके फलस्वारूप केवल यही आवश्यक नहीं था कि १ फरवरी से गेहूँ के राशन में दो छटाक की कमी की जाय, बल्कि इस कमी के साथ बाजार में नई फसल के आने तक नगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए अधिक कठिनाई हुई। भाग्यवश, धान की फसल पूर्णतया अच्छी हुई और १९४६ इ० के शुरू में धान अच्छी तरह मिल सकता था, जिससे कि कुछ हद तक गेहूँ के राशन कि कमी को पूरा करने के लिए, चावल का राशन बढ़ाना सम्भव हो सका।

स्वेच्छा पूर्वक सीधे गल्ला वसूली १९४५ ई०

वर्ष के शुरू से ही सरकार को प्रान्त के लिए आवश्यक रबी के अनाज को संग्रह करने के प्रश्न पर अधिक परिश्रम करना पड़ा। यद्यपि १९४५ ई० की रबी की फसल अच्छी थी, लेकिन प्रान्त की आवश्यकता के लिए स्वेच्छापूर्वक रबी के अन्न का संग्रह बिलकुल अपर्याप्त था और केवल १५०००० टन रबी का अन्न संग्रह हुआ। इसलिए यह साफ साफ मालुम होता है कि अच्छी फसल के होने पर भी स्वेच्छापूर्वक अन्न संग्रह करने में सफलता नहीं हुई, तथापि फ़सल बहुत अच्छी नहीं थी और जाड़े में वर्षा की कमी के कारण फसल बहुत साधारण रही। इसका तात्पर्य यह है कि १९४५ ई० की अपेक्षा स्वेच्छापूर्वक अन्न संग्रह प्रणाली से बहुत कम अन्न प्राप्त होता। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार मई और दिसम्बर १९४६ ई० के अन्तर्गत कोई ठोस सहायता न दे सकी। फलस्वरूप, प्रान्त के निवासियों को भूख से बचाने के लिए, प्रत्येक किसान की रबी की कुल पैदावार पर आधारित सीधे रूप से अन्न संग्रह की अनिवार्य योजना बनाई गई। सचिव-मण्डल ने १ अप्रैल को शासन भार ग्रहण किया और पन्द्रह दिन के भीतर ही उन्होने संशोधन के साथ योजना को कार्यान्वित किया। फसल की कमी, योजना की अच्छाई तथा बिना ऋतु के प्रारम्भिक वर्षा के कारण, जिससे शासन प्रबन्ध में गड़बड़ी हुई, अगस्त के अन्त तक जब योजना बन्द की गई, करीब ३ १/४ लाख टन रबी का अनाज संग्रह हुआ जिसमें से ३ टन गेहूँ के रूप में संग्रह हुआ। सिर्फ ३५ जिलों से अन्न संग्रह हुआ और इन जिलों में यह सोचा गया था कि बिना राशन वाली जनता की मांगों से अधिक अन्न का उत्पादन हुआ था जब कि राशन पाने वाली जनता की मांग उस अन्न से पूरी की गई जिसे सरकार ने संग्रह किया या बाहर से मंगाया।

अनिवार्य सीधे गल्ला वसूली

खरीद के केन्द्र

सीधे अन्न संग्रह योजना के अधीन किसानों को या तो गावों में या खरीद के केन्द्रों में, जो प्रत्येक जिले में २० थे, अन्न देने की अनुमति दी गई थी। यदि वे खरीद के केन्द्रों पर ही अन्न देते थे तो उन्हे पूरा पूरा गाड़ी का खर्चा दिया जाता था। अन्न देने पर उन्हे कपड़ा और उपभोग के सामान दिये गये थे। साथ ही साथ स्वेच्छापूर्वक खरीफ फ़सल का संग्रह, जो १९४५ ई० के पतझड़ के समय काटी गई थी, वर्ष के पहिले दस महीनों में जारी रहा। अन्न संग्रह पूर्णतया संतोषजनक रहा। और यह केवल चावल की अच्छी खरीद का ही परिणाम था कि बाजार में नई फसल के आने तक, चावल की बिलकुल कमी न होने पाई।

सहायक सीधे गल्ला वसूली का आन्दोलन

वर्ष के अन्त में सहायक प्राप्त सीधे अन्न संग्रह आन्दोलन उन लोगों से सीधे अन्न संग्रह की मांग पूरी करने के लिए शुरू किया गया जिन्होने उचित रूप से अन्न संग्रह आन्दोलन में गड़बड़ी की। इस आन्दोलन में १९४६ ई० के अन्त तक कोई उन्नति नहीं हुई। इसी प्रकार, नवम्बर और दिसम्बर में नई खरीफ की फसल का स्वेच्छापूर्वक अन्न संग्रह हुआ। यह फसल कोई बहुत अच्छी नहीं हुई थी और बढ़िया और समय पर वर्षा के न होने के कारण इसमें पर्याप्त हानि हुई। इसलिए अन्न संग्रह कुछ मात्रा में कम रहा।

खाद्यानों की खरीद

१९४६ ई० की कैलेंडर साल में सरकार ने निम्नलिखित खाद्यान्नों को खरीदा:–

(अंक टन में)

१—गेहूँ	२३९,७३८
२—चना	५२,८१६
३ —जौ	४२,८७७
४ चावल	१०३,०४९
५—जुआर	२६,७३०
६—बाजरा	३४,४०४
७– मक्का	१४,९२४
जोड़	५१४,५२८

आयात

इसी बीच में, सरकार प्रान्त के लिए और अधिक अनाज की आवश्यकता के सम्बंध में भारत सरकार पर लगातार जोर देती रही है। लेकिन, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारत सरकार को दक्षिण की मांग पर प्राथमिकता (Priority) देनी पड़ी क्योंकि उस क्षेत्र में अकाल रोकने में बड़ी कठिनाइयों आ पड़ी तब भी वर्ष के शुरू में गेहूँ की कुछ राशि, चवाल खास तौर से पंजाब और पूर्वी रियासतों से वर्ष भर प्राप्त हुई और वर्ष के अन्त में आयात की हुई मक्का और जौ की बड़ी राशि आने लगी। वर्ष में कुल आयात निम्नलिखित है:—

	(अंक टन में)
१- गेहूँ	७७,०२४
२- गेहूँ की बनी हुई वस्तुएं	१५,५२७
३—चना	१०,२३८
४—जौ	१०,२२२
५—चावल	३४,६२३
६—ओट	४,६६६
७—जुआर	८२१
८—मक्का	५,४६६
९—बाजरा	३४२
जोड़	१५६,५६५

कैलेंडर वर्ष (Calendar year) में अनाजों का निर्यात नहीं हुआ किन्तु खाद्यान्नों के कुछ ऋण अन्य शासन प्रबन्धों को छोड़कर जिन्हें उधार दिया जाने वाला था और जिसकी तुरन्त आवश्कता थी।

निर्यात

दिसम्बर, १९४६ ई० के अन्त में प्रांत में अनाज का स्टाक करीब करीब निम्नलिखित था :—

स्टाक का अन्तिम शेष

	(अंक में टन में)
१ गेहूँ	३२,०००
२ चावल	१५,०००
३ जौ और चना	२६,०००
४ बाजरा	११,०००

इसमें गेहूँ, चावल, बाजरा और जौ और चने की राशि के वर्तमान राशन पर करीब करीब एक महीने का स्टाक सम्मिलित था। तो भी जौ और मक्का प्रान्त में बड़ी तेजी से आ रहा था लेकिन कुल सप्लाई की स्थिति से चिन्ता नहीं हुई, यद्यपि गेहूँ और चावल की सप्लई की स्थिति में चिन्ता हुई।

अप्रैल, १९४६ ई० में सचिव मण्डल ने पद ग्रहण किया और राशनिंग के समस्त प्रश्न पर सावधानी से विचार करने के बाद, इस परिणाम पर पहुँचा कि नगरों में राशनिंग प्रान्त के सार्वजनिक हित के लिए थी। साथ ही साथ, उनका यह भी मत था कि जो लोग राशनिंग से सहमत नहीं थे, उन्हें

अनाज की राशनिंग और वितरण

उसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। इसलिए, जून १९४६ ई० में यह तय किया गया कि प्रत्येक खास स्थान के निवासियों की स्पष्ट रूप से कथित इच्छाओं के अनुसार ही कुल राशनिंग की जाय।

राशनिंग की प्रगति

आरम्भ में ही सरकार ने यह तय कर लिया था कि किसी व्यक्ति को खाद्यान्न उसकी न्यूनतम आवश्यकता से भी कम न मिलना चाहिए और इस नीति का पालन करते हुए, निम्नलिखित कार्रवाई की गई।

(१)

सम्पूर्ण तथा आंशिक राशनिंग :—जून १९४६ ई० में ४९ राशन किये हुए नगरों में कुल राशन था और हरद्वार में राशनिंग आंशिक रूप में था, इस तरह ५६ लाख आदमियों को राशन मिला। आंशिक राशनिंग जो बिलकुल स्वेच्छाधीन है, ७ लाख की कुल आबादी के २७ अन्य नगरों में की गई। इन २७ नगरों में से ४ नगरों में बाद में सम्पूर्ण राशनिंग की गई और बाकी नगरों में से ५ आंशिक राशनिंग हटा ली गई क्योंकि वहां के निवासी इसके विरुद्ध थे। इस तरह दिसम्बर, १९४६ ई० के अन्त तक ७१ राशन किये हुए नगर रह गये जिसमें से ५२ में पूरी राशनिंग की गई और बाकी १९में आंशिक राशनिंग। कुल मिलाकर ६५ लाख लोगों को राशन दिया गया।

(२)

अस्टेरिटी प्रविजनिंग योजना

(छोटे नगर):—इस योजना के अधीन उन सब म्यूनिसिपैलिटियों नागरिक क्षेत्रों तथा नोटीफाइड क्षेत्रों के निवासियों की गणना करनी होगी जिनमें राशनिग चालू नहीं है तथा प्रत्येक कुटुम्ब को राशनिंग कार्ड देना होगा। यह कार्ड कपड़ा, मिट्टी का तेल तथा शक्कर के लिए है तथा समय समय पर दिये जाने वाले आदेशों के अनुसार से वस्तुएँ कार्ड के द्वारा प्राप्त हो सकेंगी इन कार्ड पर खाद्यान्न उसी दशा में मिल सकेंगे जब उनकी कमी हो इस योजना के अधीन मोटा अन्न दिया जाता है। यह योजना अगस्त, १९४६ ई० में प्रारम्भ की गई थी और दिसम्बर १९४६ ई० के अन्त तक अधिकतर सम्बन्धित नगरों में जन गणना का कार्य तथा कार्डों का बाँटना समाप्त हो गया था और कपड़े का बाटना प्रारम्भ हो गया

था। कुछ नगरों में जहां वास्तविक अवश्यकता थी सरकारी की ओर से खाद्यान्न बेचा गया।

(३)

अस्टेरिटी प्राविजनिंग योजना (ग्रामीण क्षेत्र) :—छोटे नगरों के लिए जो योजना बनाई गई थी वही ग्रामीमीण क्षेत्रों में भी कार्यान्वित की गई। कार्ड पर कपड़े और अवश्यकता पड़ने पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था थी।

(४)

पहाड़ी क्षेत्रों प्रविजनिंग योजना में :—पहाड़ी क्षेत्रों (अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल तथा देहरादून) में खाद्यान्न के अभाव को दूर करने के लिए अप्रैल १६४६ ई० में यह योजना शुरू की गई।

राशन की यात्रा

वर्ष के प्रारम्भ में जनता को ४ छटांक गेहूँ तथा सब मिलाकर ८ छटांक का राशन दिया गया परन्तु भारत भर में खाद्यान्न के अभाव के कारण यह राशन ६ छटांक करना पड़ा। इसके साथ ही साथ प्रान्त में गेहूँ की कमी के कारण गेहूँ का राशन २ छटांक करना पड़ा। जुलाई में डाइरेक्ट प्रोक्युरमेंट स्कीम की सफलता के कारण गेहूँ का राशन, प्रान्त के पश्चिमी क्षेत्रों में ३॥ छटांक तथा पूर्वी और केन्द्रीय क्षेत्रों में ३ छटांम कर दिया गया परन्तु दिसम्बर में जब यह स्पष्ट हो गया कि केन्द्रीय सरकार प्रान्त को उतना गेहूँ न भेज सकेगी जितनी कि आशा की जाती थी, गेहूँ के राशन को आधा छटांक और कम करना पड़ा। इसी बीच, चावल की स्थिति सन्तोषप्रद होने के कारण, चाँवल के राशन को वृद्धि कर दी गई। और जुलाई में जब गेहूँ के राशन में वृद्धि की गई चावल का राशन घटा कर दिया गया क्योंकि उस समय चावल संग्रह सम्बन्धी स्थिति कुछ चिन्ताप्रद हो गई थी। चावल का राशन प्रान्त के पश्चिमी क्षेत्रों में १॥ छटांक, केन्द्र में २ छटांक तथा पूर्वी क्षेत्रों में ३ छटांक कर दिया गया।

राशन में वृद्धि

उपरोक्त राशन प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए था जो साधारण राशन लेते थे। निम्नलिखित प्रकार के उपभोताओं (Cocsumers के लिए अधिक राशन देने की व्यवस्था की गई।

(१) पुलिस के वे सदस्य जो पुलिस के भोजनालयों में नहीं खाते थे।

(२) पुलिस भोजनालयों में खाने वाले पुलिस के सदस्यों को (बढ़ाए गए ८ छठांक के राशन के अतिरिक्त ४ छटांक का मोटा अन्न भी दिताजाता था)।

(३) डाक विभाग के सदस्यों की कुछ श्रेणियों।

(४) रेलवे में नियुक्त शारीरिक परिश्रम करने वालों को।

(५) जेल के रहने वालों को (काम करने वाले बन्दियों को बढ़ाए गए राशन के अतिरिक्त २ छटांक का मोटा अन्न और दिया जाता था)।

(६) साधारण औषधाशय।

(७) उन कारखानों के शारीरिक परिश्रम करने वालों को, कर्मचारियों के लिए विशेष दूकानें हैं।

(८) स्कूल तथा कालिज के छात्रालयों में निवास करने वाले विद्यार्थियों को।

कतिपय राशनिंग नियमों मे ढिलाई

इस वर्ष जनता को निम्नलिखित सुविधाएं देने के लिए राशनिंग के नियमों में ढिलाई की गई।

(१) विवाहों के अवसर पर अतिरिक्त राशन लेने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध कुछ ढीले कर दिये गये जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति को अधिक से अधिक २५ व्यक्तियों के लिए एक दिन के राशन के स्थान पर ३ दिन का राशन मिलने लगा।

(२) कुछ नगरों में यह नियम कि आगन्तुक के ठहरने के प्रथम तीन दिनों के लिए अस्थाई राशन कार्ड नहीं दिया जाय भंग कर दिया गया।

(३) अन्नउपभोग (प्रतिबन्ध) आर्डर १९४६ ई० में इस प्रकार सन्शोधन किया गया कि कतिपय धार्मिक अवसरो पर प्रसाद अथवा तबर्रुक के रूप में सीमित परिमाण में अन्न वितरित किया जा सके।

(४) जिलाधीशों को यह अधिकार दिये गए कि वे उन नगरों में जहां पूर्णतया राशनिंग चालू थी, धार्मिक कार्य्यों के लिये, प्रचालित प्रथाओं के अनुसार गरीबों को अतिरिक्त खाद्यान्न दे सकें।

(५) उन नगरों में जहाँ पूर्व राशनिग चालू थी खाद्यान्न के आयात सम्बन्धी प्रतिबन्ध में ढिलाई कर दी गई और अन्न पैदा करने वाले, एक समय में राशन के हिसाब से ६ महीने के लिये गेहूँ तथा २ महीने के लिये चाँवल भेज सकते थे लेकिन उस बीच सरकारी दुकान से गेहूँ और चावल नहीं लिया जा सकता था।

प्रान्तीय पौष्टिक तत्व सम्बन्धी सलाहकार समिति

१९४६ ई० के मध्य में भारत सरकार के परामर्श पर प्रान्तीय पौष्टिक तत्व सम्बन्धी समिति, जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य थे, बनाई गई

परामर्श देन

समिति का कार्य्य, सामान्य अन्नाभ्भाव के कारण उत्पन्न पौष्टिक ताव सम्बन्धी समस्याओं के बारे में तथा अन्न के प्रभाव को दूर करने के लिये सुझाव प्रस्तुत करना था। समिति की बैठक वर्ष में दो बार हुई।

दालें

जनवरी १९४६ ई० में अरहर की फसल की क्षति के कारण, प्रान्तीय सरकार को प्रान्त से दालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। केवल रेलवे के कर्मचारियों के लिये तथा अभाव ग्रस्त क्षेत्रों, और आसाम को सीमित परिमाण में ही दाल निर्यात करने की अनुमति दी गई।

ईख से तैयार की गई वस्तुएं

(१) दानेदार शक्कर—समस्त भारत में जितनी शक्कर तैयार होती है उसके ५० प्रतिशत से अधिक शक्कर यद्यपि युक्त प्रान्त में तैयार की जाती है तो भी शक्कर की कमी के कारण प्रान्त के लिये शक्कर का कोटा १९४३ ई० के १४६,००० टन को घटा कर १९४६ ई० में १,१०,००० टन नियत किया गया। इस अभाव के कारण चारो ओर असन्तोष फैल गया इसके अतिरिक्त उपभोगताओं को समान रूप से दानेदर शक्कर बांटने की कोई व्यवस्था नही थी इसलिये दिसम्बर १९४६ ई० में प्रान्त के विभिन्न जिलों में उनके ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों की जनसंख्या के अधार पर शक्कर दी गई। समस्त प्रान्त में नागरिक क्षेत्रों के लिए प्रतिमास प्रति व्यक्ति को ८ छटांक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति को एक सेर शक्कर दी गई नागरिक क्षेत्रों में १०० रु० माहवार से अधिक वेतन पाने वालों के लिए शक्कर का राशन दूना कर दिया गया तथा पहाड़ी जिलों में इसका राशन बढ़ा दिया गया। ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों में, बिवाह त्योहार, भोजनालय, संस्थाओं, हकीमों, वैद्यों आदि के लिए निम्नांकित अधारों पर कुछ कोटा सुरक्षित कर दिया गया।

(क) नागरिक क्षेत्र– नागरिक क्षेत्रों के लिये नियत कुल कोटे का १० प्रतिशत।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र-ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नियत कुल कोटे का २५ प्रतिशत। हलवाइयों को दानेदार शक्कर के स्थान पर खंडसारी शक्कर दी गई।

(२) खंडसारी शक्कर—दानेदार शक्कर की कमी के कारण खांडसारी शक्कर की मांग बढ़ गई। प्रान्त से बाहर चोरी से ले जाने को रोकने के लिये, जनवरी १९४६ ई० में भारत रक्षा सम्बन्धी नियमों के अधीन आदेश जारी किये गये जिनके अनुसार प्रान्त के भीतर खांडसारी शक्कर को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। अभावग्रस्त जिलों के लिये कोटा नियत किया गया। प्रान्त के बाहर केवल ३०,००० टन शक्कर भेजी जा सकती थी। बाद में यह कोटा घटाकर १५,००० टन कर दिया। खांडसारी शक्कर तथा उससे बनी हुई बूरे के लिये

थोक तथा फुटकर विक्री के अधिकतम भाव नियत किए गए परन्तु खांडसारी शक्कर के कंट्रोल के सम्बन्ध में यह योजना सफल नहीं हुई। इसलिये जून १९४६ ई० में प्रान्त के भीतर खांडसारी शक्कर लाने लेजाने पर जो कंट्रोल था वह उठा लिया गया। और इसके साथ ही साथ कमी वाले जिलों के लिये कोटे (Quota) की प्रणाली तथा भाव के नियन्त्रण को भी समाप्त कर दिया गया। प्रान्त के बाहर खांडसारी शक्कर लेजाने पर रोक लगा दी गई। इतना होने पर भी स्थिति और बिगड़ती गई। खांडसारी शक्कर को अच्छी तरह बांटने के लिए तथा हलवाइयों और ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संयुक्त प्रान्तीय खांडसारी शक्कर नियन्त्रण आज्ञा १९४६ ई० तथा खांडसारी शक्कर वर्गीकरण और भाव नियन्त्रण आज्ञा १९४६ ई० में जारी की गईं। खांडसारी शक्कर पर इन आज्ञाओं के अधीन कठोर नियन्त्रण कर दिया गया तथा प्रत्येक श्रेणी के व्यापारियों और उत्पादकों को लाइसेंस देने की प्रणाली प्रारम्भ की गई। खांडसारी शक्कर के उत्पादक, केवल प्रान्तीय खांडसारी कंट्रोलर की आज्ञा से ही माल बेच सकते थे। शक्कर बांटने की समुचित व्यवस्था की गई। नियन्त्रण खांडसारी शक्कर और बूरा के वर्गतथा उनके भाव नियत किए गए। समस्त जिलों के कोटे निर्धारित किए गए। १९४६-४७ ई० में खांडशारी शक्कर का अनुमानित उत्पादन ६०,००० टन था।

(३) गुड़—इस वर्ष ईख कम रकबे में बोई गई और इसलिए प्रान्त में गुड़ का उत्पादन भी कम हुआ।

भारत सरकार की अनुमति से इसका भाव ९ रु० प्रति मन से बढ़ाकर ९ मार्च १९४६ ई० से १० रु० ८ आ० कर दिया गया। आयात करने वालों के मनोनीत व्यक्तियों को निर्यात करने की अनुमति दी गई। किन्तु आयात करने वाले अधिकतर क्षेत्रों में, गुड़ के भाव पर युक्त प्रान्त के भावों के अनुसार नियन्त्रण रखने की व्यवस्था नहीं थी। यह भी शिकायत की गई कि संयुक्त प्रान्त के विक्रेता गुड़ को नियंत्रित भाव से अधिक दर पर बेंच रहे हैं।

गुड़ निर्यात सम्बन्धी नवीन योजना

इन कठिनाइयों के कारण सरकार ने भारत सरकार की सलाह से सपूर्ण निर्यात् सम्बन्धी योजना को नवीन रूप दे दिया। नवीन ऋतु १९४६-४७ इ० से आर्थात् पहली नवम्बर १९४६ ई० से यह योजना कर्योन्वित की गई। इसके अधीन, माल केवल एक सरकार से दूसरी सरकार को भेजा जा सकता था। साधारण गुड़ का भाव १२ रु० प्रति मन नियत किया गया क्योंकि कारखाने पर ईख का भाव बढ़ाकर १ रु० ४ अना कर दिया गया था। निर्यात सम्बन्धी इस योजना में व्यापारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रादेशिक परामर्श समितियाँ तथा मंडी व्यापार समितियाँ बनाई गई। पहली नवम्बर

१६४६ ई० से प्रारंभ होने वाले, १६४६-४७ ई० की ऋतु के लिए २५०,००० टन को निर्यात कोटा नियत किया गया किन्तु १६४६ ई० में २५५ लाख टन बाहर भेजा गया।

घी

प्रान्त से बाहर घी भेजने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध जारी रहा किन्तु आगमीक घी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, १६४६-४७ ई० में २५,००० मन घी बाहर भेजने की आज्ञा दी गई।

चारा

मूख्यतया भूसे की कमी के कारण पशुओं के भोजन की कमी सर्वत्र रही। इस लिये भारत सरकार से १०,००० टन जई प्राप्त की गई।

तिलहन और तिलहन से तैयार की हुई वस्तुएँ

(१) तेल और तिलहन—इन वस्तुओं पर विभिन्न प्रान्तीय सरकारों तथा रियसतों ने आंशिक नियंत्रण लगा रक्खे थे। इस में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई और इस लिए भारत सरकार ने मार्च १६४६ ई० में अखिल भारतीय सम्मेलन किया जिस में यह निर्णय किया गया कि उपरोक्त वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक योजना बनाने की आवश्यकता है और देश भर में प्रचालित भावों में सामञ्जस्य होना चाहिए। इस योजना के आधीन पहली अप्रैल १६४६ ई० से युक्त प्रान्त की १६४६-४७ ई० को ऋतु में जिन विभिन्न वस्तुओं को बाहर भेजा जा सकता था उनका परिमाण नीचे दिया जाता है।

सरसों के बीज।	२०,००० टन
सरसों का तेल।	५८,००० ,,
अलसी।	३२,००० ,,
अलसी का तेल।	१५,००० ,,

केंद्रीय आधार पर बनाई हुई योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब हुआ और इसके पहिले ही, इन वस्तुओं को बड़े पैमाने पर चोरी से प्रान्त से बहार भेज दिया गया जिस के फलस्वरूप प्रान्त में इन वस्तुओं की पूर्ति सम्बन्धी स्थिति (Supply Position) अक्तूबर से बहुत खराब हो गई। आधारभूत योजना के आधीन नियत कोटे में माल को बाहर भेजना असम्भव हो गया। इस लिए बड़े पैमाने पर सरसों के बीज के निर्यात को रोकने पर सरसों के तेल को केवल कलकत्ता राशनिंग, खानों, रेल विभाग तथा अन्य सहकारी संस्थाओं को भेजने का निर्णय किया गया। तेल की मिलों को सहायता देने के लिए रीजनल फुड कन्ट्रोलरों (Regional Food Controllers) को यह अधिकार दे दिया गया कि वे तिलहन के व्यापारियों से तिलहन प्राप्त कर सकें। आधारभूत योजना को लागू करने में देर करने तथा आयात करने वाले अधिकारियों का अपने कोटाओं (Quotas) को प्राप्त करने में विलम्ब करने तथा सयुक्त प्रान्त से प्रचा-

लित भावों के आधार पर भावों को निर्धारित करने में शीघ्रता न करने के फल-स्वरूप बड़े पैमाने पर माल चोरी से बहार भेजा गया और इस से नियमित रूप से पूर्ति करना तथा उस के सम्बन्ध में प्रबन्ध कराना इस सरकार के लिए बहुत कठिन हो गया।

वर्ष के अन्त में सरकार ने अलसी और अलसी के तेल के भावों पर से नियत्रण हटा लिया।

व्यापरियों का सहयोग प्राप्त करने तथा उनके विचार जनाने के लिए प्रान्तीय तेल मिल वालों की परामर्श देने वाली समिति स्थापित की गई जिसकी बैठकें लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर (शक्कर) की अध्यक्षता में नियमित रूप से हुई।

(२) खली जुलाई १९४६ ई० से मिल से अलसी और सरसों की खली का मूल्य कानून द्वारा ३॥।) प्रतिमन कर दिया गया। संयुक्त प्रान्तीय कोआपरेटिव डेवलपमेंट और मार्केटिंग फेडरेशन। (Co-operative Development and Marketing Federation) द्वारा यह खली बांटी गई।

(३) मूगफली और तिलहन—समस्त देश में खाद्यान की कमी के कारण सरकार ने जनवरी से प्रान्त के बाहर मूगफली और तिलहन का निर्यात् बन्द कर दिया और अन्न के राशन की कमी की पूर्ति करने के लिए १५,००० मन मूगफली खरीदने का प्रबन्ध किया। खाद्यान पूर्ति सम्बन्धी स्थिति सुधर जाने पर मूगफली का संग्रह बेच दिया गया। नवम्बर से केन्द्रीय आधार पर बनाई गई योजना मूगफली तिल और उनके तेल और रूई पर भी लागू की गई और तदानुसार इस प्रान्त के लिए ५००० टन तिल के बीज और २,००० टन तिल के तेल को निर्यात् करने का कोटा नियत किया गया। मूगफली का आयात अथवा निर्यात् करने के लिए कोई कोटा निर्यात् नहीं किया गया। इसी प्रकार बिनौले के आयात अथवा निर्यात के लिए कोई कोटा नहीं था; इस बस्तु का प्रान्त में अभाव था और इसके लिए यह प्रान्त मध्यप्रान्त पर निर्भर था जिसने कुछ वर्षों से निर्यात् करना बन्द कर दिया था।

सूती कपड़ा और सूत

सितम्बर ३० १९४६ ई० को भारत रक्षा कानून समाप्त होने पर कपड़ा और सूत के नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न आज्ञाएं भारत सरकार द्वारा जारी की गई। कपड़े के नियन्त्रण सम्बन्धी मुख्य आज्ञाएं ये थी;

१—भारत सरकार, सूती कपड़ा और सूत नियन्त्रण आज्ञा १९४६ ई०।

२—भारत सरकार सूती कपड़ा (एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने पर नियन्त्रण) आज्ञा १९४५ ई०।

३—संयुक्त प्रान्तीय नियन्त्रित सूती कपड़ा और सूत के विक्रेताओं को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में आज्ञा १६४५ ई० ।

४—संयुक्त प्रान्तीय हाथ से छपाई कारखानों और रंगरेजों को लाइसेंस देने की आज्ञा १६४५ ई० !

कपड़ा और सूत बाँटने की योजनाएं यह थी ।

कपड़ा

(१) जनवरी १६४ में भारत सरकार के टेक्सटाइल कमिश्नर ने जोन के आधार पर कपड़ा बाँटने की योजना प्रारम्भ की और संयुक्त प्रांतीय कमी के क्षेत्रों ने, रामपुर टेहरीगढ़वाल और बनारस की रियासतें थीं । १६४१ के जनगणना के आधार पर १० गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मिल के कपड़े का कोटा नियत किया गया । इस योजना के चालू होने पर कपड़े का स्वतन्त्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना बन्द कर दिया गया और प्रत्येक जोन केवल अपना ही कोटा ले सकता था । बाद में यह कोटा १३.५ गज प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दिया गया । इस आधार पर इस प्रान्त का मासिक कोटा ४५,००० गांठ नियत किया गया जिसमें से ३७,००० गांठ मिल के कपड़े की थी और ८००० गांठ करघे के कपड़े की । १६४६ ई० के अन्त तक प्रान्त के लिए मिल का कपड़ा ३७ ००० गांठ प्रति माह नियत रहा परन्तु वास्तव में जो कपड़ा प्राप्त हुआ वह इस आँकड़े से कहीं कम था । १६४६ ई० में, औसतन २६००० गांठ मिल का कपड़ा प्रतिमाह प्राप्त किया गया । मिलों के कपड़े का कम उत्पादन होने से टेक्सटाइल कमिश्नर अपने वादों को पूरा न कर सके जिसके कारण आवश्यकता से कहीं कम कपड़ा आया और वर्ष के अन्त में कपड़े की बड़ी कमी रही जिले के आयातकर्ताओं द्वारा जिलों में कपड़ा भेजा गया । साधारणतया जिले में कपड़ा आने पर वह जिलाधीश के आदेशों के अधीन, थोक व्यापारियों को दिया जाता था और अन्त में फुटकर व्यापारियों को । वे जिले में लागू राशनिंग योजनाओं के नियमों के अधीन उपभोक्ताओं के हाथ कपड़ा बेचते थे । सरकार ने लाइसेंस देने की प्रणाली इस उद्देश्य से प्रारम्भ की, कि व्यापारी कानून के आदेशों के जो कि कपड़े का नियन्त्रण करने के लिये आवश्यक थे अनुकूल कार्य करें और पुराने साधारण साधनों द्वारा व्यापार चलता रहे ।

प्रान्त के समस्त नियन्त्रित नगरो में कपड़े का राशनिग था और १६४६ ई० के अन्त तक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे नगरों में कपड़े का राशनिंग प्रारंभ कर दिया था । प्रति व्यक्ति को निर्धारित कोटे के अनुसार दिया गया । ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों को कपड़ा प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े का राशनिंग अस्टेरिटी प्राविजनिंग योजना से संबद्ध की गई, और यह

व्यवस्था की गई कि ५,००० जनसंख्या के लिए एक फुटकर व्यापारी होना चाहिये और दूकानें उन गांवों के पांच मील के भीतर होनी चाहिए जिन्हें वहां से कपड़ा मिलना है। योजना संतोषप्रद उन्नति कर रही थी।

सूत आधारभूत नियत मात्रा—

१६४२ ई० की फैक्ट फाइडिंग कमिटी (Fact Finding Committee) कीं सिफारिशों के आधार पर इस प्रान्त के लिए सूत का आधारभूत मासिक कोटा ६८८३ गांठें नियत किया गया जबकि युद्ध के पूर्व, अनुमान किया जाता है, प्रांत में ६,३२६ गांठों की खपत थी, इसमें संयुक्त प्रांतीय मिलों के सूत ७,५४६ गांठें तथा संयुक्त प्रांत के बाहर की मिलों के सूत की २,३३४ गांठें सम्मिलित थीं। किन्तु फैक्ट फाइडिंग कमिटी ने विभिन्न काउंट (count) का वितरण ठीक ढंग से नहीं किया जैसा कि निम्नांकित आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगा :—

(काउंट count) वर्ग	युद्ध पूर्व की खपत का फैक्ट फाइडिंग कमेटी द्वारा अनुमान	वर्तमान मासिक नियत मात्रा	१६४५ ई० में उद्योग के डाइरेक्टर द्वारा खपत का अनुमान
१–१०	१६८८	३८८० (४५ %)	७४१ १०॥ के नीचे (७॥%)
१०–२०	५१६३	४,८१४ (४० %)	५,६३० १०॥ से १५॥ तक (६०%)
२०–४०	११७५	१,१७५ (१ %)	२,३७२ १८॥ से २२॥ तक (२४%)
४०-से ऊपर	३००	११६ (१ %)	४६४ ३० से ४० तक (५%)
			३४६ ४० से अधिक (३॥%)
	६३२६	६,६८५ (८७ %)	६८८३

इसका परिणाम यह हुआ कि १० और २२ कांउट (counts) के बीच के सूत का अत्यन्त अभाव हुआ जिनकी इस प्रान्त में बड़ी मांग है। मध्यम और ऊँची कांउट (conuts) के कोटा को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया किन्तु सफलता नहीं मिली।

सूत का बाटा जाना यद्यपि नियत मात्रा युद्ध के पूर्व खपत से कुछ अधिक थी, तोभी सूत की मांग इतनी बढ़ गई कि वर्त्तमान कोटा एक सप्ताह से अधिक नहीं चल सकता था।

गुप्ता समिति की सिफारशों के अधार पर बुनकरों को सूत बांटने के लिये एक संशोधित योजना तैयार की गई और जिलों को भेजी गई। इस योजना के अधीन बुनकरों को सूत, बुनकरों की सहकारी समितियों द्वारा ही बांटा गया। प्राम्भिक सहकारी समितियां जिला केन्द्रीय समिति से सम्बन्ध की गई जो जिले के फुटकर व्यापारिक के रूप से कार्य करती थी। सम्बृद्ध जिला केंद्रीय समितियों के प्रान्तीय सहकारी संघ द्वारा प्रान्त में सूत आयात किया जायगा। यह आज्ञा दी गई कि अस्थाई रूप से ६ जिलों, अर्थात इटावा, मुरादाबाद, बिजनौर, आजमगढ़, सीतापुर और फैजाबाद में, सूत संयुक्त प्रान्तीय हैंडलूम वीवर्स बोर्ड द्वारा बांटा जाय तथा अन्य जिलों में संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक सहकारिता संघ द्वारा वितरित किया जाय।

ऊनी वस्त्र

वर्ष के प्रथम दो महीने में ऊनी वस्त्र का स्पष्ट अभाव रहा परन्तु स्थिति धीरे धीरे सुधर गई और नियत्रण उठा दिया गया और वर्ष के अन्त में जब शिशिर ऋतु आई स्थिति सन्तोष प्रद थी।

लोहा और इस्तपात

अप्रैल १९४६ ई० में लोहा और इस्पात से भारत सरकार ने नियत्रण हटा लिया परन्तु सितम्बर में उनपर फिर कन्ट्रोल लगा दिया गया। भारत सरकार ने नियत्रण कार्य कुछ और प्रान्तीय सरकार को दे दिया जिसके फलस्वरूप कानपुर में एक प्रान्तीय लोहा और इस्पात नियंत्रक और दो प्रान्तीय लोहा और इस्पात के उपनियंत्रक नियुक्त किये गये। संयुक्त प्रान्त के ९ रजिस्टर्ड स्टोक होल्डरों के पास प्राप्त लोहे और इस्पात के वितरण के लिये वह उत्तरदायी बनाया गया। यह निर्णय किया गया कि लोहा और इस्पात के लिये प्रार्थियों को प्रान्तीय, लोहा और इस्पात के नियत्रक के पास निर्धारित फार्मों पर सम्बर्धित जिलाधीशों द्वारा प्रर्थना-पत्र भेजना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की मांग की जाँच करने के पश्चात ही अनुज्ञापत्र (permits) दिया जायगा। जिस समय प्रान्तीय सरकार ने नियत्रण कार्य अपने हाथ में लिया, उस समय प्रान्त में बहुत कम लोहा और इस्पात था और १९४६ ई० के अन्त तक प्रान्त के रजिस्टर्ड स्टौकहोल्डरों के लिये वास्तव में लोहा अथवा इस्पात का कोई कोटा नही नियत किया गया। संयुक्त प्रान्तीय लोहा और इस्पात, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, नियत्रण आज्ञा १९४६ ई० सितम्बर १९४६ को जारी की गई जिसके द्वारा लोहा और इस्पात के नियति प्रान्त के बाहर बन्द कर दिया गया। केवल सरकारी परिमिट सैनिक या रेलवे क्रेडिट नोट पर लोहा आदि इस्पात भेजा जा सकता था।

मिट्टी का तेल

१९४६ ई० में प्रान्त में मिट्टी के तेल की स्थिति सामानतया सन्तोषप्रद थी। वर्ष के आरम्भ में १९४१ ई० की तुलना में, मिट्टी का तेल ५० प्रतिशत कम था, किन्तु फरवरी में ६५ प्रतिशत बढ़ा दिया गया और भारत सरकार ने जून से मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ा दिया जिससे कि संयुक्त प्रान्तीय सरकार की अन्न प्राप्ति सम्बन्धी योजनाओं के बारे में ग्रामीणक्षेत्रों में मिट्टी का तेल बाँटा जा सके। वर्षभर प्रान्त के अधिकतर महत्वपूर्ण नगरों में मिट्टी के तेल की राशनिंग योजनाएं सन्तोषजनक रूप से चलती रहीं। कागज़ ३० सितम्बर को भारत रक्षा नियमों के समाप्त होने पर कागज़ के नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न आज्ञाओं में भारत सरकार की आवश्यक पूर्तियों (स्थाई अधिकार) की आज्ञा १९४६ ई० द्वारा जारी रक्खा गया। प्रान्त के विभिन्न केन्द्रों को विभिन्न मिलों से भेजे जाने के लिये भारत सरकार कागज की मात्रा तथा कागज का किस्म नियत करती थी और तब प्रान्तीय नियन्त्रक (controllers) विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को नियमों के अधीन कागज़ को बांटते थे। किन्तु मिलों द्वारा अनियमित रूप से और कम परिमाण में कागज़ भेजे जाने के कारण प्रान्त में, वर्ष भर कागज़ की कमी रही। जुलाई में यह कमी और भी अधिक हो गई जबकि भारत सरकार ने कागज़ पर से नियन्त्रण हटा दिया। वर्ष के अन्त तक स्थिति नहीं सुधरी। भारत सरकार द्वारा नियत परिमाण का केवल आधा ही कागज़ मिलों ने इस प्रान्त में भेजा।

नमक

संयुक्त प्रान्तीय नमक के लाइसेंस सम्बन्धी आज्ञा १९४५ ई० मार्च ३१ १९४६ ई० तक लागू रही, इस आज्ञा के अधीन कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के २० मन से अधिक नमक का व्यापार नही कर सकता था, यह आज्ञा अप्रैल १, १९४६ ई० से हटा दी गई और प्रान्त के भीतर नमक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की अनुमति दे दी गई। किन्तु प्रान्त के भीतर नमक का आयात करने तथा उनके बांटने की प्रणाली में जून के अन्त तक परिवर्त्तन नही किया गया। इस प्रणाली के अधीन जिलाधीस के द्वारा मनोनीत जिलों के थोड़े से प्रतिनिधियों द्वारा ही प्रत्येक जिला में नमक भेजा जाता था। प्रथम जुलाई से ५० प्रतिशत कोटा व्यापारियों को दिया गया, जो जिले के प्रतिनिधि नहीं होते थे। दिसम्बर तक नमक की स्थिति संतोषप्रद रही, परन्तु वर्ष के अन्त में नमक की बड़ी कमी रही क्योंकि बी. बी. एण्ड. सी. आर. रेलवे ने संभर से नमक लाने के लिये स्टाक डिब्बों की व्यवस्था नही की।

जलाने की लकड़ी

कुछ वर्षो से, सरकार बडे नगरों में कड़े नियन्त्रण के आधार पर ईंधन बांटती रही है। प्रत्येक जिला में जिलाधीश एक या दो ऐजन्ट नियुक्त करते थे, जो सरकारी जगहों से, नियन्त्रित लकड़ी के ईंधन का कोटा लाकर फुटकर व्यापारियों को बेचते थे। इसे फिर नियन्त्रितदर पर जिलाधीश के आदेशों के अधीन,

उपभोगकर्ताओं को बेचा जाता था। सरकारी जलाने की लकड़ी जो इस प्रकार कन्ट्रोल दर से बेची गई, शहरों के लिये उपलब्ध समस्त जलाने की लकड़ी का एक भाग है किन्तु जलाने की अधिकांश लकड़ी प्राइवेट जंगलों और बागों से आती रही। परन्तु इस बात से कि सरकार जलाने की लकड़ी कन्ट्रोल दर से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कर रही थी लोगों के दिलों में विश्वास हो गया और इसका परिणाम यह हुआ की लकड़ी की कीमत में विशेष अन्तर नहीं पड़ा। वर्ष के आरम्भ में अर्थात जाड़े के मौसम में शहरों में जलाने को लकड़ी की स्पष्ट रूप से कमी थी। इरादा यह रहा कि बरसात के दिनों में विशेष साधनों द्वारा काफी लकड़ी एकत्रित कर ली जाय ताकि जाड़े के दिनों में सब बड़े शहरों में काफ़ी स्टाक हो जाय। दुर्भाग्यवश अवध तिरहुत रेलवे काफी माल गाड़ी के डिब्बे देने में लाचार थी नतीजा यह हुआ कि जब जाड़ा शुरू हुआ तो पर्याप्त रिजर्व नहीं बनाया गया था। जाड़े में जितने डिब्बों की आवश्यकता थी उसे ओ. टी. रेलवे देने में लाचार थी इस लिये नवम्बर, दिसम्बर के महीने में फिर काफी कमी हुई। इसी बीच में नवम्बर १६४६ ई० में बाहर से माल मंगाने वालों की प्रणाली भी बदल गई और पुराने बाहर से माल मँगाने वालों (Importers) की जगह पर, जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने नियुक्त किया था, टेण्डर मँगाने के फलस्वरूप नये माल मँगाने वाले रक्खे गये।

कानून निर्माण (Legislation)

डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट (Defence of India Act.) तथा उसके अधीन बने हुए नियम ३० सितम्बर, १६४६ ई० तक लागू रहे। उस तारीख तक जो कन्ट्रोल आर्डर समय समय पर जारी हुए थे वे डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन जारी किये गये थे उन में वे सभी वस्तुएं आजाती हैं जिनका उचित वितरण उन समस्त जनता के जीवन के लिये आवश्यक पूर्तियों को बनाये रखने के लिये आवश्यक समझा जाता था। इन अर्डरों द्वारा, मूल्य. वितरण और माल को एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने के लिये व्यवस्था की गई थी।

३० सितम्बर, १६४६ ई० को डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स (Defence of India Rules) के समाप्त होने के पूर्व ही भारत सरकार ने इसे इशेंशल सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) आर्डनेन्स, १६४६ (Essential supplies Temporary powers) Act, 1946 घोषित किया। उसी वर्ष बाद में उस आर्डनेन्स का अनुवाद इसेन्शियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १६४६ ई० के रूप में हुआ। कुछ अन्य वस्तुएं जो इसेन्शियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) आर्डनेन्स १६४६ में नहीं लगाई थी, वे भी ३० सितम्बर, १६४६ ई० को प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी की गई। संयुक्त प्रान्तीय कन्ट्रोल आफ सप्लाइज आर्डनेन्स में (U.P. Control of Supplies Ordinance) में सम्मिलित कर ली गई। सरकार को इस आर्डिनेन्स

के अधीन उसी प्रकार के अधिकार मिले जो केन्द्रिय सरकार को इसेन्शियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स आर्डिनेन्स १९४६ ई० द्वारा मिले थे।

इन दोनो आर्डिनेन्सो के घोषित होने के फलस्वरूप डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के अधीन अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के सम्बन्ध में जो कट्रोल आर्डर पास हुए थे वे लागू रहे। दो महत्त्वपूर्ण आर्डर अर्थात् कनज्यूमर्स गुड्स (कन्ट्रोल आफ डिस्ट्रिबियूशन) आर्डर, १९४६ (Consumers Goods (control of distubution) order 1946) तथा होर्डिङ्ग ऐण्ड प्राफिटियरिङ्ग प्रिवेन्शन आर्डिनेन्स (Hoarding and Profiteering Prevention ordinance के डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के साथ समाप्त हो जाने की अनुमति दी गयी। व्यवस्था उस वर्ष जो यह महत्वपूर्ण की गई वह थी संयुक्त प्रान्तीय (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इवीक्शन बिल १९४६, United Provices (Temporery) Control of Rent and Eviction Bill. 1946, चूँकि डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के समाप्त होने के पूर्व बिल प्रान्तीय लोजिस्लेटिव कौन्सिल में नहीं जा सकता था अतः इस के अदेशों को आर्डिनेन्स के रूप में जारी किया गया। इन आर्डिनेन्सों को घोषित करने के बाद इस आर्डिनेन्स तथा युक्त प्रान्तीय कन्ट्रोल आफ सपलाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) आर्डिनेन्स १९४६ ई० की अवधि इन आर्डिनेन्सों के जारी होने के पश्चात् असेम्बली की पुनः बैठक के समय से छः सप्ताह तक के लिए सिमित कर दी गई थी।

कन्ट्रोल से सम्बन्धित मामलों में सलाह देने के लिये समितियाँ—

कन्ट्रोल के शुरु होने के समय से ही इस के प्रबन्ध के सम्बन्ध में जनमत की राय ली जाती रही। धारा ९३ के शासन काल में चार प्रान्तीय समितियां बनी थीं। वे इस प्रकार थीं अन्न तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं को परामर्श दात्री समिति (Advisory Council for food and other domestic necessties) काटन टेक्सटाइल ऐडवाइजरी समिति(Cotton Textile Advisory committee) पेपर ऐडवाइजरी कमेटी और हैपू समिति (Happo committee)

१९४६ ई० में मंत्रिमण्डल की स्थापना के बाद गैर-सरकारी लोगों को सलाह लेने के लिये समिति बनाने की प्रणाली का और भी विकास हुआ इस से केवल तीसरी समिति को छोड़ कर जिसकी पुनर्निमाण किया गया सब समितियाँ तोड़ दी गईं। अन्न तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिये परामर्श दात्री समिति के स्थान पर समस्त आवश्यक वस्तुओं की उत्पत्ति, सपलाई तथा वितरण के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये प्रान्तीय सिविल सप्लाइज कमेटी बनी। कमेटी की बैठक वर्ष भर में एक बार हुई। मंत्रिमण्डल द्वारा जो अन्य महत्त्व-

पूर्ण स्थायी कमेटियां बनी वे भी प्रान्तीय न्यूट्रीशन ऐडवाइजरी कमेटी (Provincial Nutrition committee,) प्रान्तीय मिलिङ्ग कमेटी Milling committee) और तेलहन सम्बन्धी कमेटी।

उपर्युक्त कमेटियों के अलावा ३ ऐड हाक (Ad-hoc) कमेटियां बनीं, अर्थात् डि कन्ट्रोल कमेटी (De-control Committee) जिसके सभापति माननीय न्याय सचिव थे, गुप्त कमेटी और शास्त्री कमेटी. डि कन्ट्रोल कमेटी सभी विद्यमान कन्ट्रोल आडरों की फिर से जांच करने और सरकार को इस बात की सलाह देने के उद्देश्य से, कि उनमें से किसी को हटा लेने की आवश्यकता है या नहीं, बनाई गई थी। इस कमेटी ने १६४६ ई० में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसकी बहुत सी सिफारिशें सरकार द्वारा मन्जूर की गईं। माननीय प्रधान सचिव के सभा-सचिव श्री चन्द्रभानु गुप्त की अध्यक्षता में गुप्त कमेटी ने कपड़ा, सूत, शक्कर और मिट्टी के तेल के वितरण सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया। कमेटी के निर्णयों में से बहुतों को कार्यान्वित किया गया। इस कमेटी की सिफारिश के कारण शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में शक्कर की राशनिंग शुरू की गई। माननीय प्रधान सचिव के सभा सचिव श्री लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में शास्त्री कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसों के कर्मचारियों के पुनरसंगठन के सम्बन्ध में लाभदायक कार्य किया। मन्त्रिमण्डल ने जो महत्त्वपूर्ण नई बात निकाली वह यह थी कि जिलों में कन्ट्रोल के दिन-प्रति-दिन प्रबन्ध के सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों को सलाह देने के लिये विभिन्न समितियाँ बनीं। प्रत्येक जिले में विद्यमान लाइसेंसों की फिर से जाँच करने और नये लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को सलाह देने के लिये लाइसेंसेज उप-समितियां (Licenses sub-committee) बनीं। प्रत्यक्ष रूप से अन्न-संग्रह करने के लिये वसूली के कार्य में सहायता देने के लिये बिक्री केन्द्रों में अन्य समितियाँ बनीं। ऐसे केन्द्रों में समितियां गुड़ और दाल के निर्यात के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये भी बनी थी। प्रत्येक फूड कन्ट्रोल रीजन (Food Control Region) के हेड क्वार्टरों में इसी प्रयोजन के लिये रीजनल फूड कन्ट्रोलर को सहायता देने के लिये कमेटियां बनीं थीं। और डिस्ट्रिक्ट और टाउन ऐडवाइजरी कमेटियाँ भी बनायी गयी थीं। जो कन्ट्रोल के सम्बन्ध में की गयी समस्त कार्यवाहियों की जाँच करतीं थीं तथा आवश्यक वस्तुओं के न्यायोचित वितरण सम्बन्धी मामलों में सलाह देती थीं।

— — — —

अध्याय ५

लोक आगम और अर्थ

(Public Revenue and Finance)

(केन्द्रीय आगम Reveunes)

(३० मार्च, १९४६ तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिये)

संयुक्त प्रान्त में जिन लोगों पर आय कर लगाया गया उनकी कुल संख्या ६७,९३९ थी। इस कर से ६,९२,४२,६२० रु० विशुद्ध आय हुई। आयकर से सबसे बड़ी धनराशि मिली जो ३,०८,४२,९१३ रु० है, उसके बाद एक्सेस प्राफिट टैक्स (Excess profit Tax)का नम्बर है जिसमें २,३९,५०,०८८ रु० मिला। सरचार्ज (surcharge) से ७४,७३,२८२ रु० सुपर टैक्स (Super Tax) से ३८,८४,७६९ रु०, कारपोरेशन टैक्स (Corporation Tax) के साधारण, वसूलियों से २४,६२,८३९ रु० और प्रकीर्ण (Miscellaneous) से ६,२८,७२९ रु० मिला।

३८ प्रान्तीय आगम

सामान्य (General)

३१ मार्च १९४६ ई० को धारा ९३ समाप्त के हो जाने पर १९४५-४७ ई० को व्यय का सालाना अनुमान भी जिसे महामान्य गवर्नर ने धारा ९३ के अधीन किये गये घोषण के पैरा ३ के अनुसार ३ नवम्बरर १९३९ को रद्द हो गया। १९४६-४७ के लिये फिर से बजट बनाया गया जिसे धारा सभा ने पासकिया।

१९४५-४६ का बजट

१९४५-४६ के मूल बजट में आगम (Revenue) से आय का अनुमान २७,५२,१५,००० रु० और आगम के व्यय (Revenue Receipts) का अनुमान का २७,३६,८५००० रु० लगाया गया जिसमें १५,३०,००० रु० की बचत संयुक्त प्रान्तीय सड़क कोष और अस्पताल कोष प्रत्येक को आगम से ५० लाख रु० देने और आगम सुरक्षित कोष (Reserve Fund) को २६१ लाख रु० देने के बाद हुई। मँहगाई तथा लड़ाई के भत्तों की दरों को बढ़ाने के कारण संशोधित अनुमान (Revised estimates) घट कर ७,८९,००० रु० हो गया। वर्ष के अन्त में १,५४,००० रु० की बचत, आगम सुरक्षित कोष को १८१ लाख सप्लाई स्कीम स्तेबिलिजेशन फण्ड (Supply Scheme Stabilisation Fund) को, और सड़क कोष तथा अस्पताल कोष, प्रत्येक को ५० लाख रु० देने के बाद हुई। परन्तु आगम से विभिन्न सुरक्षित कोषों (Reserve Fund) को ४३१ लाख देने के कारण आगम में ४३२ लाख की बचत हुई होती।

१९४५-४६ ई० में कुल वास्तविक आगम २९९५ लाख रु० हुआ जिसमें आयव्यय के आरम्भिक अनुमानों की तुलना में २४३ लाख की वृद्धि हुई। यह वृद्धि खास कर आयकर भूआगम (Land Revenuve), प्रान्तीय आबकारी उद्योग और असाधारण आयों से हुई जबकि सिंचाई से प्राप्त आय में कमी हुई। आयकर प्रान्तीय भाग में भारत सरकार के मूल अनुमार से अधिक वृद्धि हुई। भू आगम की उन्नति पहले से अधिक धन राशि वसूल की जाने से खेती सम्बन्धी आपत्तियों के न होने के कारण हुई। आबकारी में बढ़ती, शराब आदि नशीली वस्तुओं की अधिक खपत के कारण हुई। उद्योग में वृद्धि भारत सरकार से लड़ाई सम्बन्धी सप्लाई योजनाओं के लिये अधिक धनराशि प्राप्त होने के कारण हुई। संयुक्त प्रान्तीय कन्ट्रोल्ड काटन क्लाथ ऐण्ड यार्न कन्ट्रौल आर्डर (Controlled cotton cloth and Controll orders) के आधीन लाइसेन्स फ़ीस लागू करने के कारण असाधारण आयों में वृद्धि हुई। सिंचाई सम्बन्धी आयों में कमी, मँहगाई के भत्ते और सामानों के मूल्य में वृद्धि होने के फल-स्वरूप तथा नहरों में काम कराने में अधिक खर्च होने के कारण हुई।

आगम से आय

मूल्य वजट के २,७३७ रु० के अनुमान के स्थान पर आगम सम्बन्धी व्यय २,९९४ लाख रुपया हुआ इस प्रकार २५७ लाख की वृद्धि हुई विवेष बढ़ती प्रान्तीय 'आबकारी सामान्य' प्रशासन, (General Administration) 'पुलिस' नागरिक निर्माण कार्य (Civil Works) 'विविध व्यय' (Miscellaneous Charges असाधारण व्ययों पर हुई। जवकि आगम सुरक्षित कोष में ८० लाख की कमी हुई। प्रान्तीय आबकारी में व्यय की वृद्धि मोटरों में जलाने के लिये अलकोहाल खरीदने के कारण हुई जिसकी मूल वजट में कोई व्यवस्थथा नहीं थी क्योंकि यह योजना वजट बन जाने के बाद लागू की गई थी। मूल वजट बनाने के बाद बढ़ी हुई दरों पर मँहगाई तथा लड़ाई सम्बन्धी भत्तों की स्वीकृत देने, दौरे तथा अन्य भत्तों में तथा मजदूरी और सामानों के दामों में वृद्धि के कारण आकास्मिक व्ययों पर अधिक खर्च होने चुनाव के सम्बन्ध में किये गये खर्चे होने के कारण सामान्य प्रशासन के व्यय में अधिक वृद्धि हुई। ए. आर. पी. के लिये सामान, ट्रक, गाड़ियों, और वर्दियों को खरीदने तथा मँहगाई और लड़ाई सम्बन्धी भत्तों पर अधिक खर्च करने के कारण 'पुलिस' के अधीन अधिक व्यय हुआ। नई इमारतों सम्बन्धी योजनाओं तथा लड़ाई के समय में मोटर तथा अन्य गाड़ियों के अधिक चलने के कारण विगड़ी हुई सड़को की वार्षिक या विशेष मरम्मत के कारण नागरिक निमार्ण कार्यों पर व्ययों में अधिक वृद्धि हुई। विविध व्ययों के अधीन वृद्धि मुख्यतया आगम से सप्लाई स्कीम स्टैबिलाइजेशन फण्ड(Supply Scheme Stabliisation Fund) को हस्तान्तरित

आगम सम्बंधी व्यय (Revenue Expenditure)

करने के कारण, तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को उनके कर्मचारियों के लिये अधिक मँहगाई के भत्ते देने के कारण हुई, जिसकी मूल बजट में कोई व्यवस्था नहीं थी। अन्न राशिनिङ्ग योजना को बढ़ाने, कपड़ा राशनिङ्ग योजना, फील्ड पब्लिसिटी (Field Publicity) योजना, लड़ाई से लौटे हुए सैनिकों और मजदूरों को फिर से बसाने की योजना को चालू करने के कारण 'असाधारण व्यय के अन्तर्गत वृद्धि हुई।'

पूंजी का व्यय (Capital Expenditure)

२२२.७८ लाख रु० के मूल अनुमान के स्थान पर पूँजी का व्यय ८.५५ लाख रु० हुआ। बचत अधिककांश में सब सप्लाई योजनाओं की वास्तविक आयों के कारण हुई जो मूल अनुमान की धनराशि से भी अधिक थी तथा इस बचत सिंचाई जल विद्युत तथा नागरिक निर्माण कार्यों (Civil works) के कारण भी हुई और पूँजी से सहायता प्राप्त कृषि योजनाओं के अधीन बीजों, फर्टिलाइजरों (Fertili zers) और औजारों की बिक्री से अधिक तथा पेन्शनों की संराशि (Commuted value of Pensions) की भुगतान कम होने के कारण भी अधिक आय हुई।

ऋण से आय (Receipts from Loans)

ऋण से आय के अधीन बजट में स्थायी ऋण लेने की व्यवस्था नहीं थी परन्तु इस वर्ष में भारत सरकार को एकत्री कृत ऋण (Consolidated Debt) के कुछ भाग को देने के लिये २,५१,२४,८०० रु० के मूल्य का ऋण लिया गया जिसे ३ प्रतिशत संयुक्त प्रान्तीय ऋण, १९५० ई० कहा जाता है। इस वर्ष कोई भी प्रान्तीय ट्रेजरी बिलें नही चालू की गई और काम चलाने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से कोई अग्रऋण (Advances) नहीं किया गया।

१९४६-४७ ई० का बजट

१९४६-४७ ई० के बजट में २७,१५,०२,००० रु के आगम तथा २९,४४,३८००० रु० के व्यय और २९,२९,००० रु० के घाटे का अनुमान किया गया था यद्यपि प्रान्तीय आगम में १९४५-४६ ई० से अधिक वृद्धि होनेका अनुमान लगाया गया और अन्य वर्षों की भाँति आगम से सुरक्षित कोष (Reserve) Fund के अंशदान की व्यवस्था नही की गई थी फिर भी यह घटा हुआ। १९४५-४६ ई० में २४० लाख रु० के स्थान पर लड़ाई तथा मँहगाई सम्बन्धी भत्ते की धनिराशि ४२५ लाख रु० हुई। सामूहिक जुर्मानों को लौटा देने के लिये ३५ १/२ लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। अगस्त १९४५ ई० में युद्ध में जापान के हरजाने से युद्धोत्तर योजना बनानी पड़ी जिनका उद्देश्य मुद्रानिरोध और बेकारी दूर करना था। इन योजनाओं में जल विद्युत-विकास तथा भू-सिंचन जैसी उत्पादक योजनायें भी सम्मिलित थी। साथ ही साथ अनुत्पादक योजनायें जैसे सड़क निर्माण कार्य-क्रम, अस्पतालों, स्कूलों, कालेजों, के भवनों के निर्माण कार्य तथा कृषि सम्बन्धी फार्म और औद्योगिक

संस्थायें भी सम्मिलित थीं । इन योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा बनाये हुए आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार उत्पादक योजनाओं की लगात को भारत सरकार प्रान्तों के लिये ऋण ले कर पूरा करने को थी, तथा अनुत्पादक कार्यों पर ३१ मार्च १९४७ ई० तक जो व्यय हुआ था उसे भी भारत सरकार को पूरा करना था। १९४६-४७ ई० में युद्धोत्तर अन्तर कालीन योजनाओं पर कुल १,३५५ लाख रु० व्यय का अनुमान किया गया था। इस धनराशि में से ४६९ लाख रु० उत्पादक योजनाओं के लिये तथा ८८६ लाख रु० अनुत्पादक योजनाओं के लिये था। इस अंन्तिम धनराशि से ६४३ लाख की व्यवस्था पूँजी शीर्षकों के अधीन तथा २४३ लाख रु० की व्यवस्था आगम शीर्षकों के अन्तर्गत की गई और भारत सरकार से मिली हुई कुल आर्थिक सहायता ६४७ लाख रु० थी। उत्पादक योजनाओं के लिये ४६९ लाख रु० की धनराशि में से २५० लाख रु० १९४६-४७ ई० में ऋण द्वारा प्राप्त किये जाने का था और शेष को आगे के वर्षों के लिये स्थागित कर दिया गया। आयों में वृद्धि का अनुमान सरचार्जों (Surcharges) को मूल आयकर के साथ मिला देने के कारण, विशेषतया आयकर क प्रान्तीय भाग में किया गया, कृषि के अन्तर्गत आयों में वृद्धि का अनुमान शक्ति द्वारा खेती करने की योजनाओं के सम्बन्ध में किसानों से की गई वसूलियों तथा कृषि विभाग के विभिन्न अधिक अन्न उपजाओ और अनुसंधान योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार कौंसिल आफ एग्रिकलचरल रिसर्च (Council of Agricultural Research) से की गई वसूलियो के कारण और अनुत्पादक विकास योजनायों के सम्बन्ध में भारत सरकार से सहायक अनुदान मिलने के कारण किया गया। आगम में कमी की आशा विशेषयता जंगलों और आबकारी से की गई थी। व्यय में वृद्धि अधिकतर युद्धोत्तर तथा अन्य नई योजनाओं, मँहगाई की वृद्धि और कम बेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बेतन बढ़ाने के कारण हुई।

१९४६-४७ ई० का संशोधित अनुमान

संशोधित अनुमान में आय बढ़ कर ३४,१५,४४,९०० रु०, और व्यय ३३,२०,७६,४०० रु० हुआ इस प्रकार मूल अनुमान में २९,३५,६०० रु० की घटी होते हुए भी आगम में ९४,६८,५०० रु० की बचत हुई। आयों तथा व्यय के अन्तर्गत ये वृद्धियाँ बहुत अधिक थीं परन्तु बहुत हद तक वे हिसाब करने की विधि (accounting procedure) में परिवर्तन के कारण हुई। जो युद्धोत्तर अनुत्पादक विकास योजनओं के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुदान पूरा किया जाता था। इस परिवर्तन के कारण विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार के सब अनुदान, चाहें वे आगम से या चाहें पूँजी से लिये गये हों, प्रान्तीय सरकार के आगम समझे जायेंगे। फलस्वरूप, संशोधित बजट में विकास योजनाओं के

व्यय को भी जो आरम्भ में पूँजी शीर्षकों में रखा जाना चाहिये था, आगम के व्यव के अन्तर्गत हस्तान्तरित करना पड़ा। आगम आत में ५०० लाख रु० की जो वृद्धि हुई थी उस में ४४५ १/२ लाख की वृद्धि हिसाब करने का नवीन विधि के कारण हुई थी। आबकारी आगम में अन्य महत्त्वपूर्ण वृद्धियाँ अधिक खपत के कारण हुई। वन-आगम (Forest Revenue) में वृद्धि निलामों में अधिक रुपया मिलने के कारण तथा विविध (Miscellaneous) के अधीन जो वृद्धि हुई वह हिसाब करने की नवीन विधि के कारण हुई। दूसरी ओर आय कर अन्य कर तथा महसूल और कृषि के अधीन आगम-आय में कमी की आशा की गई।

आगम व्यय में ३७६ लाख रु० की जो वृद्धि हुई वह हिसाब करने की उस विधि में जो उपयुक्त युद्धोत्तर अनुत्पादक योजनाओं के लिये भारत सरकार के अनुदान पर लागू होती है परिवर्तन के फलस्वरूप केवल पूरी ही नहीं हो गयी वरना और बचत भी हुई, आगम व्यय में जो महत्त्वपूर्ण वृद्धियाँ हुई वे प्रान्तीय आबकारी शिक्षा विविध व्ययों (Miscellaneous Charges) के अधीन जलाने वाले अलकोहल सम्बन्धी योजना को पूरे आर्थिक वर्ष भर चलाने, म्युनिसिपल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों के वेतन-क्रम को बढ़ाने, ५० हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल खोलने, कुछ म्युनिसिपलिटियों में अनिवार्य शिक्षा चालू करने और शिक्षा संस्थाओं को उन के पुस्तकालयों तथा प्रयोग शालाओं की उन्नत करने के लिये अनुदान स्वीकृत करने के कारण हुई। उन लोगों तथा निजी संस्थाओं को, जिनकी सम्पत्तियों को १६४२ ई० के अन्दोलन में सरकारी कार्रवाई से हानि हुई थी क्षतिपूर्तियाँ (Compesations) देने का निर्णय करने, दंगा पिड़ितों को सहायता देने, और स्थानीय स्वाशासन संस्थाओं को उनके कर्मचारियों को मँहगाई के भत्तों के अशंदान की धनराशि बढ़ाने के कारण व्यय में वृद्धि हुई। मुख्यतया ट्रक्टरों तथा अन्य सामानों के मिलने की कठिनाई और शिक्षा-प्राप्त कर्मचारियों की कमी के कारण कई नई योजनाओं को स्थागित करना पड़ा, या कुछ को चालू भी किया गया जिसके फलस्वरूप आगम-व्यय में विशेषतया कृषि, पशु चिकित्सा और उद्योग अनुदानों के अन्तर्गत कमी हुई।

पूँजी का व्यय

पूँजी के व्यय मूल अनुदान में ६६५ लाख से घट कर संशोधित अनुदान में ५८० लाख रु० हो गया। इस का मुख्य कारण यह है कि कोयला, लोहा तथा अन्य इमारती सामानों की कमी, रेल यतायात सुविधाओं को प्राप्त करने की कठिनाई के कारण बहुत से पूँजी सम्बन्धी योजनाओं को चालू नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप पूँजी तथा भूआगम के शीर्षक के अधीन कुल व्यय, जिसकी अनुमान मूल बजट में सब अनुत्पादक तथा युद्धोत्तर योजनाओं के लिये जिन्हें भारत सरकार की आर्थिक सहायता प्राप्त होती ८८६ लाख रु० लाख लगाया गया था

संशोधित अनुमान घट कर केवल ५६२ लाख रु० रह गया और फलस्वरूप केन्द्र से प्राप्त आर्थिक सहायता (Subventio.i) भी घटा कर संशोधित अनुमान में ६४७ लाख रुपया कर दिया गया अन्तिम दोनों रिपोर्ट यह प्रदर्शित करते है कि इन योजनाओं का व्यय और हिन्द सरकार की आर्थिक सहायताकी धनराशि वर्ष १६४६-४७ ई० के वर्ष में २६७ लाख रु० से अधिक नहीं हो सकती है।

सप्लाई योजनायें

अन्न सप्लाई योजना इस सरकार द्वारा कार्यन्वित की गई विभिन्न योजनाओ में सब से बड़ी योजना थी भारत के कतिपय क्षेत्रों अन्न की कमी के कारण सरकार के लिये आवश्यक हुआ कि अन्न संग्रह योजना के अधीन अन्न खरीदें जिस के अनुसार कृषको को अपनी पैदावार का कुछ भाग सीधे सरकार को देना पड़ा। जो अन्न प्रान्त में खरीदा जाने को था और जो बाहर से मगाया जाने को था उस का क्रय मूल्य और गोदाम में रखने में व्यय तथा यातायात में व्यय, सब को मिला कर अनुमानित धनराशि २७,६६, ६३००० रु० होती है जब कि राशन की दूकानो पर विक्रय आय की अनुमानित धनराशि २२,८३,३६,००० रु० है और व्यापारियो तथा संस्थाओं को सीधे बेचे गये अन्न का मूल्य ३,०४,८३,००० रु० होता है। अर्थात् सब मिला कर सम्पूर्ण धनराशि २५,८८,१६००० रु० होती है। अतः अन्न योजनाओं या २,०८४४,००० रु० वास्तविक व्यय का अनुमान किया जाता है। १६४६-४७ ड० के अनुमान से ऐसा प्रतीत हुआ कि २,३५,००,००० रु० की हानि होगी जिस में से १,५०,००,००० रु० की धनराशि भू-आगम के शीर्षक के नामें लिखी जायगी और ८५,००,००० रु० की वचत पूँजी शीर्षक ८५-क-पूँजी की लागत जो राज्य व्यापार की प्रान्तीय योजनाओं में लगाई गई" के आधीन संतुलित नहीं की गई जो योजना के समाप्त होने पर सप्लाई योजना स्थिरी करण कोष (Stablization Fund) में हस्ता नान्तरित की जायेगी। इस प्रकार २,०८,४४,००० रु० के वास्तविक व्यय में ८५,००,००० रु० सरकार की हानि के रूप में सम्मिलित है सरकार तथा शेष १ २३, ४४,००० रु० खद्यान्न के उस अतिरिक्त स्टाक का मूल्य के रूप में है जो १६४६-४७ ई० में प्राप्त किया गया। अन्य आवश्यक योजनायें ये हैं गुड़ योजना, तेल, तेलहन योजना में इमारती लकड़ियो के क्रय तथा सप्लाई की योजना, और ईंधन नियत्रण योजना।

गुड़ योजनाये

गुड़ योजना के अधीन सरकार ने अन्य प्रान्तों और रियासतों को सप्लाई करने के लिये गुड़ खरीदा। आयात प्रशासनों (Importing Administrations) की गुड़ की कीमत रीजनल फूड कन्ट्रोलर के पास पेशगी जमा करना पड़ता था और उसके आधार पर उन्हे गुड़ की सप्लाई की जाती थी। कुल आय का अनुमान ३,८६,६२,००० रु० से और व्यय ३,६५,२०,००० रु० किया गया जिसमें से २४,४२,००० रु० की वास्तविक आय प्रशासन व्यय के रूप में है।

तेल, तिलहन की योजनायें

इस योजना में सरकार का रुपया उड़ीसा, आसाम आदि सरकारों तथा कुछ कोयले की खानों को भेजने के लिये तेल खरीदने के अतिरिक्त और कहीं नहीं हुआ, क्योंकि सब सरकारों तथा प्रशासनों ने अपने व्यापारियों को नियुक्त किया था जो नकद रुपया देकर खरीद करते थे, और सरकार कर्मचारियों पर किये गये खर्चे को पूरा करने के लिये केवल प्रशासन सम्बन्धी व्यय वसूल करती थी। आय के सम्बन्ध में ५७,८०,००० रु० का, और व्यय के सम्बन्ध में ४८,५३,००० रु० का अनुमान किया गया जिससे ६,२७,००० रु० की आमदनी हुई जो प्रशासन व्यय को व्यक्त करती है।

इमारती लकड़ी खरीदने और सप्लाई करने की योजनायें

सप्लाई विभाग के टिम्बर डाइरेक्टोरेट (Timber Directorate) के इस अनुरोध पर कि संयुक्त प्रान्त को स्वयं ही अपने इमारती लकड़ी का स्टाक खरीदना चाहिए और संयुक्त प्रान्त में हिन्द सरकार के इमारती लकड़ी की सप्लाई के सम्बन्ध में पूरे प्रशासन के लिये उत्तरदायी होना चाहिए, हिन्द सरकार के इमारती लकड़ी के सब स्टाक ३० नवम्बर, १९४५ ई० को ले लिये गये। इस प्रकार जो स्टाक खरीदा गया उसका मूल्य १,०३,४६,००० रु० था और इस धनराशि का हिन्द सरकार को चार त्रैमासिक किस्तों में भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त १,०३,००,००० रु० के मूल्य की इमारती लकड़ी अन्य साधनों से खरीदी गई जिसमें से ३४,८५,००० रु० १९४५-४६ ई० में और ६८,१५,००० रु० १९४६-४७ ई० में अदा किया गया। योजना चलाने के लिये कर्मचारियों का वेतन, यात्रा सम्बन्धी भत्ते और अन्य भत्तों के सम्बन्ध में ११,५२,००० रु० का अनुमान किया गया और जो स्टाक लिया गया था उसे बाद में बेंचने पर मुनाफे का जो भाग भारत सरकार को देना था उसके सम्बन्ध में ८,८०,००० रु० का अनुमान किया गया। इस प्रकार कुल व्यय के सम्बन्ध में १,९१,९६,००० रु० का अनुमान किया गया। वर्ष भर में बिक्री से जो आय हुई उससे १,९४,४०,००० रु० प्राप्त होने की आशा की गई।

रेल की लकड़ी की पटरियों और ईंधन के नियन्त्रण की योजनायें (Railway sleeper and fuel countrol scheme)

यह योजना १ नवम्बर, १९४६ ई० को चालू की गई। कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते तथा पारिश्रमिक (Honoraria) और आकस्मिक व्ययों (Contingencies) के अतिरिक्त इस योजनाओं में सरकार का रुपया नहीं व्यय हुआ। ऐसा इसलिये हुआ कि रेल की लकड़ी की पटरियों पर जो रुपया खर्च होता था वह सीधे रेलवे कोष से दिया जाता था और ईंधन की सप्लाई सीधे उन एजेन्टों को की जाती थी जो विभिन्न डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेटों द्वारा मनोनीत किये गये थे। इस प्रकार जो व्यय हुआ वह बहुत थोड़ा था अर्थात् २,१२,००० रु०। सरकार ने ईंधन पर कोई सरचार्ज (Surcharge) नहीं लिया अतएव ईंधन योजना से आय की आशा नहीं गई। परन्तु रेल की लकड़ी की

पटरियों की सप्लाई पर १,२६,००० रु० का अनुमान ओवर-हेड चार्जेज के (Overhead Charges) रूप में किया गया।

ऋण तथा अग्रऋण

भारत सरकार को एकत्रीकृतऋण (Consolidated Debt) के कुछ भाग को फिरसे अदा करने के लिये सितम्बर १९४६ ई० में एक स्थायी ऋण जिसे २ ३/४ प्रतिशत संयुक्त प्रान्तीय ऋण १९६१ कहा जाता है चालू किया गया। ऋण की धनराशि २,५२,५७,२०० रु० थी और १०० रु० ८ आना के जारी करने की दर (Issuerate) पर ली गई। ऋण के लिये केवल एक दिन ही निश्चित किया गया लेकिन कुछ ही घंटों में ऋण भी नियत धनिराशि से अधिक रुपये प्राप्त हो गये जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक निर्धारण की आवश्यकता हुई। सरकार की आर्थिक साधन सम्बन्धी (Ways and Means) स्थिति असाधारण रूप से अच्छी होने के कारण यह अवस्यक नहीं समझा गया कि बाजारों में प्रान्तीय ट्रेजरी बिल चालू किये जायँ और रिजर्व बैंक से आर्थिक साधन सम्बन्धी अग्रऋण (Advances) लिए जायँ। युद्धोत्तर विकास योजनायों पर व्यय करने के लिये भारत सरकार से २ ३/४ प्रति वर्ष की दर से २,५०,००,००० रुपये की अग्रऋण (Advances) लिए गये। यह ऋण नवम्बर १९६१ ई० में अदा किया जायेगा।

पर्यादान लेखे

संयुक्त प्रान्त के १९४४ ई० की पर्यादान लेखे (Appropriation Account) और आडिट रिपोर्ट, १९४६ ई० महामान्य गवर्नर को प्रस्तुत करने तथा धारा सभा के सामने रखने के लिये ८ नवम्बर १९४६ ई० को आडिटर जनरल से प्राप्त हुए। ये लेखे (Account) और आडिट रिपोर्ट ११ जनवरी १९४७ को लेजिस्लिटिम असेम्बली के सामने और १७ जनवरी, १९४७ ई० की लेजिस्लेटिव कौंसिल के सामने रक्खे गये।

अर्थ लेखे

१९४४-४५ के संयुक्त प्रांत के अर्थ लेखे (Finance Account) और उसके सम्बन्ध में आडिटर जनरल की आडिट रिपोर्ट अकाउन्टैन्ट जनरल संयुक्त प्रान्त के जरिये प्राप्त हुये लेखे (accounts) पर्यादान लेखे (Appropriation) के साथ ही सर्वसाधारण की सूचना के लिये २२ मार्च, १९४७ ई० को संयुक्त प्रांत के सरकारी गजट में प्रकाशित हुए।

संयुक्त प्रान्तीय बाढ़ पीडित सहायता कोष

महामन्य गवर्नर तथा माननीय प्रधान सचिव के संयुक्त अपील द्वारा १९३८ ई० में संयुक्त प्रान्तीय बाढ़ पीड़ित कोष स्थापित किया गया। इस अपील से १९३८ ई० के बाढ़ से पीड़ितो की सहायता देने के लिये जितने रुपये की अपील की गई थी उससे कही अधिक रुपया मिला। आज कल कोष में जो शेष रुपया है वह २५,००० के लगभग है, और इलाहाबाद में इम्पिरियल बैंक में अकाउन्टेन्ट

जेनरल के अधीन जमा है जो इस कोष के आनरेरी सेक्रेटरी हैं। इस कोष की जांच होने के बाद से समय समय पर बाढ़ में सहायता देने के लिये इस कोष से रुपया मन्जूर किया जाता रहा है। १९४६ ई० में इस प्रान्त के पूर्वी जिलों में बाढ़ पीड़तों की सफलता देने के लिये बाबा राघवदास को इस कोष से १००० रुपया मंजूर किया गया।

नया खजाना

इस प्रांत में एक नया जिला बनने के साथ ही, जिसका हेडक्वार्टर देवरिया में है नियमानुसार आज्ञाओं (Formal orders) द्वारा देवरिया में एक सदर खजाना बना जिसके अधिकार-क्षेत्र में देवरिया, हाटा सलेमपुर, पडरौना की तहसीलें रक्खी गयीं। अक्टूबर, १९४६ ई० में देवरिया का खजाना स्वतंत्र रूप से कार्य्य करने लगा। जब तक कि देवरिया में माल सम्बन्धी इमारतें, जिनमें ट्रेजरी आफिस और सुदृढ़ कमरा (Strong Room) भी सम्मिलत हैं, नहीं बने थे, देवरिया के खजाने का कार्य्य गोरखपुर में चलता रहा और गोरखपुर के ट्रेजरी आफिसर अपने कार्य के अतिरिक्त देवरिया के खजाने का कार्य्य भी देखते रहे।

अन्य बचतों की योजना

मुद्रा स्फीत (Inflation) को रोकने के लिये भारत सरकार के अनुरोध करने पर १९४३-४४ और १९४४-४५ के आर्थिक वर्षों में इस सरकार द्वारा डिफेन्स सेविंगस आन्दोलन के लिये आज्ञा दी गई। इन आन्दोलनों में जो मुख्य बात है वह यह है कि जिले में रेवनू आफिसरों द्वारा वसूलियाँ की गईं। संयुक्त प्रान्त में यह परिणाम हुआ कि भारत सरकार ने जितने रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था प्रत्येक आथिक वर्ष में उससे कहीं अधिक धन जमा हुआ।

मई १९४५ ई० में फिर हिन्द सरकार ने सब प्रान्तीय सरकारों को यह बतलाया कि इस प्रश्न पर खूब विचार किया गया है कि भविष्य में बचत सम्बन्धी आन्दोलन किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। हिन्द सरकार ने कहा नेशनल सेविंगस कमिश्नरों की अधिकृत एजण्टों की योजना (National Savings Commissioner's Scheme of Authorised Agents) बहुत अधिक पसन्द करती है और उसने प्रत्येक प्रान्त द्वारा इसे लागू किये जाने के लिये अपील की, क्योंकि इस ने यह माना कि हिन्द की स्थिति की सुसम्पन्नता और सुदृढ़ता बनाये रखना इतना महत्त्व पूर्ण है कि वर्तमान परिस्थितियों में बचत आन्दोलन को समाप्त करने और निरुतसहित करने की बात को सोचना भी नहीं चाहिए।

इस सुझाव का प्रान्तीय सरकार द्वारा सावधानी के साथ जाँच किया गया।

१९४५-४६ ई० के आर्थिक वर्ष में एक दूसरे डिफेन्स सेविंग आन्दोलन के संगठन में स्पष्ट कठिनाइयाँ प्रतीत हुई जो इसी प्रकार के दो आन्दलनों में हुई थीं जो कि पहले समाप्त हो चुकी थीं इस लिये प्रान्त भर में शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में अल्प बचत योजना चलाने के लिये निश्चित किया गया। १९४४ ई० के अन्त में इक्कीस जिलों में यही योजना डाकखाने के कर्मचारियों कन्टोनमेंन्ट क्षेत्रों तथा कुछ खास रेलवे की बस्तियों के लिये चालू किया गया परन्तु बहुत कम सफलता मिली।

अल्प बचत योजना में किसी सूरत में भी अनुचित दबाव डालने के उपायों का सहारा नहीं लिया जाता है। आज्ञा जारी करते समय डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गई। यद्यपि हिन्द सरकार ने आरम्भ में इस योजना के मुद्रा-स्फीत-विरोधी पक्ष पर जोर दिया था, परन्तु बाद में मित व्ययता को प्रोत्साहन देने के लिये सामाजिक सुधार के कार्य के रूप में इस योजना की उपयोगिता पर जोर दिया। और यह कहा कि उसने लक्ष्य की धनराशि जो निश्चत की है वह मुखतया जनता में प्रचार के प्रयोजन से किया गया था जिससे वे प्रोत्साहित हो और रुपया लगावे।

योजना का विवरण

इस योजना में अधिकृत एजेन्टों को भरती करने तथा उन्हें लगातार काम पर लगाये रखने के लिये व्यवस्था की गई है जो कि अपने व्यक्तिगत सम्पर्क से अपने काम करने के क्षेत्र के निवासियों में बचत की आदत डालने और बचे हुए रुपये को नेशनल सेविंगस सार्टिफिकेट तथा स्टाम्प में लगाने के लिये प्रोत्साहित करें। २ १/२ प्रतिशत कमीशन दे कर अधिककृत एजेन्टों से यह कहा गया कि वे जनता को और खास कर थोड़ा रुपया लगाने वालों को नेशनल सेविंगस सर्टिफिकेट में रुपया लगाने के लिये समझा-बुझा कर तैयार करें। यह उन का काम है कि वे रुपया लगाने वालों से रुपया वसूल करें और उन्हें सर्टिफिकेट दें।

यह योजना वर्ष भर चालू रहने के लिये बनाई गई है और मुख्यतया देहाती क्षेत्रों में सेविङ्गस ग्रुप्स (Saving Groupes) और प्रान्त के सभी प्रमुख शहरों में सेविङ्गस ब्यूरों (Savings Bureau) की स्थापना करना इस की दो स्वीकृत विधियां हैं। सेविङ्गस ग्रुप्स (Savings Groups) का उद्देश्य यह है कि वे निश्चित अवधियों या जैसे महीने में एक बार थोड़ी बचत करने वालों से सम्बन्ध स्थापित करें। ताकि वे सेविङ्गस स्टाम्प या स्टाम्पों को उन्हें बेच सकें और ऐसा उस समय तक करते रहें जब तक कि उन के ग्राहक (Client) का सेविङ्गस कार्ड भर न जाय जबकि अधिकृत एजेन्ट उसे वसूल कर सके वे अपने ग्रहक के लिये नेशनल सेविङ्गस सर्टिफिकेट खरीदें और अपना कमीशन प्राप्त करें

इसी प्रकार सेविङ्गस व्यूरों का प्रयोजन है कि वह शहरों के लोगों में मितव्ययता की भावना को प्रोत्साहित करें और उन आसपास के स्थानों से, जो औसत दरजे के डाकखाने से अधिक सुविधा जनक हो, शीघ्रता पूर्वक नेशनल सेविङ्गस सर्टिफेकेट नेशनल सेविङ्गस स्टाम्पों को खरीदने की सुविधा प्रदान करे। ऐसा सुझाव किया गया है कि इस प्रकार के व्यूरों ऐसे मनुष्यों द्वारा चलाये जाँय जो किसी स्वीकृति प्राप्त संस्था के प्रति निधि हों और जो अवैतनिक रूप से काम करने के लिये तैयार हो, या किसी पुरुष या स्त्री द्वारा चलाये जाँय जो अपने व्यक्तिगत लाभार्थ काम करने के लिये तैयार हों या किसी ऐसे दूकानदार द्वारा चलाये जाँये जिस के दूकान पर बराबर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं रहती हो, किन्तु शर्त यह है कि वह अहाता या भवन इस काम के लिये उपयुक्त हो और ऐसी जगह स्थित हो जहाँ अधिक संख्या में जनता का अना जाना लगा रहता हो।

कर्मचारी

हिन्द सरकार अल्प बचत योजना सम्बन्धी व्यय को उठाती है। उसने इस प्रयोजन के लिये १६४६-४७ इ० के आर्थिक वर्ष के लिये २,५०,१०० रू० की धनराशि निर्धारित (Allotted) किया है। इस निर्धारित धनराशि का विभाजन इस प्रकार है :—

	रुपया
(१)—अफसरों का (वेतन पि० एन० एस० और ए० एन० एस०)	४६,६८०
(२)—कर्मचारियां का वेतन (तहसील और जिलों में पी० एम० ओ० के दफ्तर तथा क्लर्कों कर्मचारी गण (Clerical staff)	१,३३,१७०
(३)—भत्ते और परिस्तमिक (टी ए० और डी० ए० ..	३०,२५०
(४)—आकस्मिक व्यय ..	१०,०००
(५)—प्रचार के लिये निर्धारित धनराशि ...	२५,०००
योग	२,५०,१००

जिस कर्मचारी मन्डल के लिये हिन्द सरकार ने स्वीकृत दी है उसमें एक प्रान्तीय नेशनल सेविंग्स अफसर और उनका दफ्तर, जिलों तथा तहसीलों में १२ असिस्टेन्ट नेशनल सेविंग्स अफसर और क्लर्क कर्मचारी (Clerical Staff) सम्मिलित हैं। प्रान्तीय नेशनल सेविंग्स अफसर प्रान्त भर की अल्प बचत योजना का अध्यक्ष होता है और वह प्रान्तीय अर्थ विभाग के प्रशासन सम्बन्धी नियत्रण के अधीन काम करता है।

हिन्द सरकार ने समस्त मुद्रास्फीत विरोधी उपायों के हेतु संयुक्त प्रान्त के लिये २०,००,००,००० रु० की धनिराश का लक्ष्य निर्धारित किया और १४,४४,३०,००० रु० की धनराशि को नेशनल सेविंग्स योजना की निर्धारित धनराशि के रूप में जनसंख्या की प्रति मनुष्य पर प्रति माह ३ आ० ६ पाई के हिसाब से रक्खा। दिसम्बर १९४६ ई० के अन्त तक अल्प बचत योजना का अंशदान १,५६,७६,६४७ रु० था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि योजना से उतना अच्छा परिणाम नहीं निकला जैसा कि आशा की गई थी। सरकार ने योजना के सम्बन्ध में तटस्थ रहने की नीति अपनाई है।

कारनामें Achievements

मैदानों के पटवारियों का पुलिस कान्सिटिवुल, हेड कान्सिटिवुल, जेल के वार्डरों, हेड वार्डरों तथा निम्नकोटि के कर्मचारियों के वेतन में जो बजट के उप-विभाग 'स्थापना' (Establishment) से अदा किया जाता था, १ जुलाई, १९४६ ई० से वृद्धि की गई।

वेतन म वृद्ध

मॅंहगाई के भत्ते

(१) सवार्डिनेट ग्रेड (Subordinate Grade) के सरकारी कर्मचारियों के मँहगाई के भत्ते का निम्नतम दर १ जुलाई, १९४६ ई० से बढ़ा कर २२ रु० प्रति मास (या वेतन का १७ १/२ प्रतिशत जो भी अधिक हो कर दिया गया, चाहे जहाँ वे काम करने के लिये नियुक्त हों।

(२) ऊपर पैराग्राफ १ में बतलाये गये कर्मचारियों को २२ रु० प्रति मास का बढ़ा हुआ मनिम्नतम दर नही दिया गया, उन्हे पुराने दर से मँहगाई का भत्ता मिलता रहा, अर्थात पटवारियों को मैदानी भाग में ८ रु० मासिक और अन्य लोगों को १० बड़े बड़े नगरों अर्थात् आगरा, इलहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर, देहरादून, लखनऊ, मेरट, मन्सूरी और नैनीताल में १६ रु० मासिक और अन्य क्षेत्रों में १४ रु० मासिक।

(३) पूरे समय के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को आकस्मिक व्यय से दिये जाने वाला मँहगाई का भत्ता (जिनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है) पहली दिसम्बर १९४६ ई० से ५ रु० प्रति माह बढ़ा कर उन दस बड़े नगरों में जिनका वर्णन ऊपर आया है २१ रु० प्रति माह और अन्य क्षेत्रों में १९ रु० प्रति माह कर दिया गया था।

८ अगस्त १९४६ ई० को सरकार ने एक वेतन समिति के निर्माण किये जाने की घोषणा की। इस समिति के चेयरमैन शिक्षा तथा अर्थ सचिव, माननीय श्री सम्पूर्णानन्द, और सरकार के अर्थ विभाग के अपर सहायक मन्त्री (एडीशनल

संयुक्त प्रान्त की वेतन समिति

असिसटेंट सेक्रेटरी (श्री डी. के. जोशी सेक्रेटरी, को सम्मलित करके बारह सदस्य थे । इस समिति के विचाराधीन विषय निम्नलिखित थे ।

(१) सरकारी नौकरियों की समस्त शाखाओं की वर्त्तमान वेतन क्रम और भत्तों की जांच करना और आधुनिक परिस्थियों का और उन परिस्थियों का जिनके उत्पन्न होने की अगले १० वर्षों में या ऐसे ही समय में सम्भावना हो ध्यान में रखते हुये उनमें संशोधन किये जाने के लिये सुझाव देना । अपनी सिफारिशें देते समय समिति को। इस बात का विचार रखना चाहिये कि विभिन्न विभागों में दिये जाने वाले वेतनों में उचित समानता रखने की आवश्यकता है जिससे सर्वजनिक सेवा की समस्त शाखाओं की और योग्य पुरुष आकर्षित हों ।

समिति से यह आशा की जाती है कि वह ऐसी सिफारशें करेगी जिससे जनसेवकों को उनके काम के अनुसार इतना वेतन मिले जिससे वे भली भाँति अपना जीवन निर्वाह कर सकें, और साथ ही प्रान्तीय आर्थिक स्थिति पर कोई ऐसा बोझ न पड़ने पाय जो राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्यों के व्यय को ध्यान में रखते हुये सहन न किया जा सके ।

(२) आवश्यक गैर सरकारी नौकरियों जैसे स्वशासन संस्थाओं के कर्मचारियों और स्वीकृत प्राप्त स्कुलों के अध्यापकों के लिये आदर्श वेतन क्रम की सिफारिश करना यद्यपि यह समिति सरकारी नौकरों के सम्बन्ध में ही मुख्यतः अपनी सिफारिशें देने के लिये बनाई गई हैं, फिर भी उसे यह ध्यान में रखना चाहिये कि गैर सरकारी नौकरियों पर उसकी सिफारशों का क्या प्रभाव पड़ेगा ।

(३) इस बात की जांच करना तथा इस पर रिर्पोट देना कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिये जिनपर सिविल सर्विस रिगुलेशन में वर्णित १६१६ ई० के पेंशन सम्बन्धी नये नियम लागू होते हैं। पेंशन सम्बन्धी नियमों को पहली जनवरी १६३६ ई० को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिये भारत सरकार के उन संशोधित नियमों के आधार पर जो विज्ञप्तिनं० एफ ६ (५५) (ए) आर /२, ३८ तारीख ६ जनवरी १६४६ ई० के छाथ जापे गये थे संशोधित किया जाना चाहिये ।

(४)—इस बात पर विचार करना कि अन्यापेंशन के स्थान पर कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड या बीमा की योजना चालू करना उचित होगा।

कमेटी को तीन माह के अन्तर्गत अपनी रिपोर्ट स्तुत करना चाहिये।

इस समिति की पहिली बैठक में जो ११ सितम्बर १९४६ ई० को हुई, एक प्रश्नावली स्वीकृत की गई जिस में ५० प्रश्न थे और यह निश्चय किया गया कि उसकी प्रतिलिपियां विभागों के समस्त उच्च अधिकारियों, समस्त नौकरियों के संघों, समस्त चैम्बर आफ कामर्स तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चेयरमैनों को भेजी जाँय। यह भी निश्चय किया गया था कि नौकरियों के संघों से यह कहा गया कि उन में से प्रत्येक संघ अपने दो प्रतिनिधि कमेटी के सामने मौखिक प्रमाण देने के लिये भेजें और विभागो के उच्च अधिकारियों से यह प्रार्थना की जाय कि वे अपने विभागों के वेतन क्रमः के सम्बन्ध में अपने लिखित विचार भेजें और मौखिक प्रमाण भी दें। प्रश्नावली का जितना सम्भव हो सकता था प्रचार किया गया था और जनता से भी यह कहा गया था कि वह अपने विचार समाचार-पत्रों द्वारा प्रकट करें।

कमेटी ने यह सोचा कि चूंकि सिक्रेटरी आफ स्टेट के अधीनस्थ नौकरियां निकट भविष्य में ही समाप्त हो जांयगी इस लिये अपनी सिफारिशें देते समय उसे इस का भी विचार रखना चाहिये कि सम्भवतः उन वर्तमान स्थानों पर जिन पर इंडियन सिविल सर्विस या इंडियन पुलिस के सदस्य हैं प्रांतीय नौकरियों के सदस्यों को नियुक्त किया जाय।

समिति की बैठक ७ नवम्बर से १४ नवम्बर १९४६ ई० हुई जिस में नौकरियों के संघों तथा विभागों के उच्च अधिकारियों के मौखिक प्रमाण लिये गये। १०८ नौकरियों के संघों के प्रतिनिधियों और २३ विभागों के उच्च अधिकारियों के बयान भी लिये गये। समिति की अगली बैठक जनवरी १९४७ ई० तक के लिये स्थगित कर दी गई।

३९—स्टैम्प

साधारण

बोर्ड आफ रेवेन्यू, संयुक्त प्रांत के दफ्तर के स्टैम्प विभाग का उस आगम से सम्बन्ध है जो स्टैम्प और कोर्ट फीस ऐक्ट के अधीन प्राप्त होती है।

आय

स्टैम्प से होने वाली समस्त आय १९४४-४५ ई० में २,१३,८२,-९८१ रु० से बढ़ कर १९४५-४६ में २,१६,६६,५७१ रु० हो गई। २,८३,५९० रु० की जो यह वृद्धि हुई है वह मुख्यतः गैर अदालती स्टैम्पों की बिक्री में वृद्धि होने के कारण हुई है। इसी प्रकार व्यय भी १७,७९० रु० कम अर्थात् ५,७६,८६७ रु०

की अपेक्षा ५,६२,०७७ ही हुआ और इस कमी का कारण यह है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सेंट्रल स्टैम्प स्टोर द्वारा उपलब्ध किये गये स्टैम्पों का मूल्य कम था। इस वर्ष के अन्तर्गत छः इन्सपेक्टर कार्य करते रहे और छल या गबन सम्बन्धी किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली। इस के अतिरिक्त २,१०,७१: रु० की अपेक्षा १,६५,८७७ रु० ही का अंतर आया और वसूली में वृद्धि हुई-अर्थात् पिछले वर्ष की १,४५,६७१ रु० की अपेक्षा १,५८,२०६ रु० वसूल किये गये।

४० आबकारी

शासन प्रबन्ध

देशी शराब तथा मसालेदार शराब पर जो क्रमशः १५ प्रतिशत तथा २० प्रतिशत ड्यूटी पहली अप्रैल १६४५ ई० से बढ़ाई गई थी वह १६४६ ई० भर लगी रही। भांग का मूल्य १ अप्रैल १६४५ ई से ऐसे जिलों में जो पहाड़ों के नीचे हैं २ रु० १२ आ० प्रति सेर से बढ़ा कर ३ रु० ४ आ० प्रति सेर और अन्य जिलों में ५ रु० ४ आ० प्रति सेर से ६ रु० ४ आ० प्रति सेर कर दिया गया। अफीम का मूल्य १ अप्रैल १६४५ ई० से १८० रुपया से बढ़ा कर १८६ रु० कर दिया गया और फिर १ अप्रैल १६४६ ई० से १६५ रु० कर दिया गया। गांजा पर ड्यूटी की दरें बढ़ती और घटती रहीं किन्तु गांजा की बिक्री का भाव इस वर्ष भर १६० रु० प्रति सेर रहा। १ अप्रैल १६४५ ई० से भारत में बनी हुई बाहरी देशों की शराब पर ड्यूटी ३० रु० से बढ़ा कर ४० रु० प्रति एल० पी० गैलन कर दी गई थी और यही ड्यूटी इस साल भर भी लागू रही। भट्टियों में या उन क्षेत्रों में जहां पुराने ढंग से शराब बनाई जाती है देशी शराब की बिक्री या सप्लाई की प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी देशी शराब, मादक वस्तुओं और अफीम के सम्बन्ध में नीलाम की प्रथा चालू रही। प्रांत के वृहत भाग में ताड़ी की दूकानों का नीलाम किया गया और पूर्वी जिलों में इन पर कर लगाये जाने की प्रथा चालू रही। १ अक्टूबर १६४६ ई० से ताड़ी सम्बन्धी वर्ष आरम्भ होने के पहिले ही ताड़ी की दूकानों की संख्या में १० प्रति शत की कमी प्रांत भर में कर दी गई थी और उसी तारीख से पेड़ कर भी १० प्रति शत और बढ़ा दिया गया था। इस वर्ष सरकारी विज्ञप्ति द्वारा प्रांत में चरस के बेचने और रखने का निषेध कर दिया गया था। गोदामों की संख्या वही रही परन्तु १ अप्रैल से पौड़ी में एक नया डिपो खुल जाने के कारण थोक डिपों की संख्या ५ से बढ़ कर ६ हो गई।

आबकारी आगम में १३.४ प्रति शत की वृद्धि हुई अर्थात् १६४५ ई० के ५६०.५६ लाख रुपयों की अपेक्षा १६४६ ई० में ६६६.७६ लाख रुपये हुई। बिक्री में तीव्र प्रति योगिता होने और आर्थिक दशा अपेक्षाकृत अधिक अच्छी होने के कारण लगभग शीर्षकों के अधीन साधारणतया वृद्धि हुई।

देशी शराब

देशी शराब की खपत में १·१० प्रति शत की वृद्धि हुई अर्थात् १९४५ ई० में १,१०१,५८२ एल० पी० गैलनों की अपेक्षा १९४६ ई० में १,२२२,३८२ एल० पी० गैलनों की खपत हुई। यह वृद्धि देशी तथा मसालेदार शराब पर ड्यूटी बढ़ जाने तथा आर्थिक दशा अपेक्षा कृत अधिक अच्छी होने के कारण हुई।

गांजा मादक वस्तुयें

१ अप्रैल १९४५ ई० से सरकार द्वारा चरस की बिक्री तथा खपत का निषेध कर दिया गया था। इस के परिणामस्वरूप प्रांत में इस की खपत बिल्कुल ही नहीं हुई। भांग की खपत में २·४ प्रति शत की थोड़ी सी वृद्धि हुई अर्थात १९४५ ई० में १,५३,५८८ सेर की अपेक्षा १९४६ ई० में १,५७,३१९ सेर की खपत हुई। परन्तु गांजा की खपत में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई। यह वृद्धि २५·६ प्रति शत थी अर्थात् १९४५ ई० में ३०,०४६ ३/४ सेर की अपेक्षा १९४६ ई० में ३७,७४८ १/२ सेर थी। इस का स्पष्ट कारण यह था कि चरस पीने वालों ने चरस के स्थान पर गांजा पिया। अफीम की खपत में २४·७ प्रति शत की वृद्धि हुई अर्थात् १९४५ ई० में १८,१९९ ३/४ सेर की अपेक्षा १९४६ ई० में २२,६९० सेर इस की खपत हुई। यह वृद्धि आर्थिक दशा में सुधार होने के कारण कही जा सकती है।

अफीम

ताड़ी

ताड़ी से प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण आगम १९४५ ई० में १७·६० लाख रुपयों से बढ़ कर २१·९४ लाख रुपये हुआ, जिस में से १९४५ ई० में ९·४१ लाख रुपये की अपेक्षा ७·७१ लाख रुपये लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त हुये थे और १९४५ ई० में ९·८९ लाख रुपये की अपेक्षा १२·५२ लाख रुपये पेड़ सम्बन्धी कर से प्राप्त हुये थे। १९४५ ई० में २२·० प्रति शत की वृद्धि बिक्री में प्रतियोगिता होने के कारण और १९४६ ई० में २६·७ प्रति शत की वृद्धि १ अक्टूबर १९४४ ई० से ताड़ और खजूर के पेड़ों पर पेड़ कर और सरचार्ज बढ़ाये जाने के कारण हुई।

फ्यूएल पावर अलकोहाल

प्रांत में अल्कोहाल बनाने वाली सब मिला कर १७ भट्टियां थी जिन में वर्ष के आरम्भ में फैजाबाद और इलाहाबाद के मटका वाली दो भट्टियां भी सम्मिलित हैं। इन में से कैप्टेनगंज, शाम्ली, हरगांव, गोला और सिम्भावली की पांच पेटेंट स्टिल भट्टियों ने मुख्यतः फ्यूएल पावर अल्कोहाल का उत्पादन करने के लिये कार्य वर्ष के अन्तर्गत ही आरम्भ किया था। सरदारनगर और बहेड़ी में दो और भट्टियां बन रही थीं और यह आशा की जाती थी कि १९४७ ई० के अन्त तक वे पावर अल्कोहाल का उत्पादन करने लगेंगी। नई भट्टियों ने अधिक शक्ति की साफ की गई स्प्रिट वाल्यूम के अनुसार ९६ प्रति शत बनाई जो प्रांत के १९ जिलों में मोटर स्प्रिट के तौर पर इस्तेमाल के लिये बांटी गई। याता

यात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण उत्पादन में अनेको अड़चने पड़ीं। शीरा से भरे हुये मालगाड़ियों के डिब्बों में जल्दी मिल सकने से और रेलवे वैगनों तथा कोयले की कमी होने के कारण से भट्टियाँ ठीक तरह से काम न कर सकी। इस वर्ष साफ़ की गई स्प्रिट, डिनेचर्ड स्प्रिट, पावर अल्कोहाल और फ्यूएल अल्कोहाल, निम्नलिखित मात्रा में तैयार की गई:—

१—रेक्टीफाइड स्प्रिट	..	६,३४,२३७ बल्क गैलनस
२—डिनेचर्ड स्प्रिट	...	५,४०,४१४ ,, ,,
३ पावर अलकोहाल	.	१६६,२२६ ,, ,,
४—फ्यूएल अल्कोहाल	..	३०,६६,५३४ ,, ,,

चालान

आबकारी, खतरनाक मादक वस्तुओं और अफीम के ऐजटों के अधीन इस वर्ष ४,७८० चालान किये गये। नियम विरुद्ध शराब बनाने के १०२४ मामले पकड़े गये। ५६२ जगहें नियम विरुद्ध शराब पाई गई। इस के अतिरिक्त लाइसेंस सम्बन्धी शर्तों को तोड़ने के १,१२० वृहत और ३३२ छोटे मोटे मामले हुये और इनके सम्बन्ध में लाइसेंसदारों के विरुद्ध कार्यवाई की गई।

नियम विरुद्ध शराब बनाना

इस बात के होते हुये भी कि जनता मद्यनिषेध के पक्ष में है। नियम विरुद्ध शराब निकालने के मामलों में वृद्धि होती ही रही। हाल ही में उन व्यक्तियों को जो नयमविरुद्ध शराब निकालते हैं यह प्रवृत्ति देखी गई है कि वे आपत्तिजनक वस्तुओं को सुरक्षित स्थानों में रखते हैं तकि वे दंड से बच जांय।

चोरी से लाना

क्योकि चरस का बाहर से मंगाया जाना बिल्कुल ही बंद हो गया था, इस लिये उसे चोरी से लाने का काम बहुत ही कम हुआ। इस वर्ष केवल ३ ऐसे मामले पकड़े गये थे जिन में १५ १/४ सेर चरस पाई गई परन्तु चरस न प्राप्त होने के कारण गांजा आस पास के प्रांतों तथा देशी रियासतों से चोरी से लाया गया। चोरी से गांजा लाने के ७३२ मामले पकड़े गये और पर्याप्त मात्रा में नाजायज्ञ गांजा पकड़ा गया। ऐसे ५७० मामले पकड़े गये जिन में अफीम चोरी से आसाम ले जाई गई थी या ले जाने का प्रयत्न किया गाया है। जितनी अफीम पिछले ५ वर्षों में पकड़ी गई है उन सब से अधिक मात्रा में अफीम भी इनके साथ पकड़ी गई। उन जिलों से जहां पोस्ता की खेती होती है कच्ची अफीम को चोरी से लेजाने के छोटे छोटे मामले भी पकड़े। गये भाग्यवश युद्ध समाप्त हो जाने के बाद चोरी से कोकीन लाने या ले जाने के कोई बड़े वाक़यात नही हुये। इस वर्ष केवल ७ ऐसे मामले पकड़े गये जिन में बहुत ही कम मात्रा में कोकीन पकड़ी गयी।

अध्याय ६

सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु-पालन तथा मत्स्य-पालन

४१—सार्वजनिक स्वास्थ्य

पिछले वर्ष प्रति हजार २७.३१ का जन्म और १८.०५ की मृत्यु हुई थी जब इस वर्ष २४.६६ का जन्म और १५.६६ की मृत्यु हुई और १९४१-४५ ई० में उनकी पंचवर्षीय औसत २७.५४ और १८.६४ प्रति हजार थी। इसी प्रकार बच्चों की कम मृत्यु हुई (११.५७ प्रति हजार) जिससे यह पता चलता है कि वह पिछले वर्ष के आंकड़ों से १२.६२ प्रति सैकड़ा कम और १९४१-४५ ई० आंकड़ों से १२.७५ प्रति सैकड़ा कम रही।

हैजा

हैजा के कारण बड़ी चिन्ता हुई और उससे बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हुई। यद्यपि १९४५ ई० की अपेक्षा १९४६ ई० में बहुत कम व्यक्ति मरे। दोनों वर्ष में आंकड़े क्रमशः ५०,६५० और ७५,३४८ व्यक्ति मरे। इस वर्ष मृत्यु में इस कारण कमी हुई कि इस बीमारी के रोकने के लिये बहुत काम किया गया। वर्तमान स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त और मेडिकल अफसर और नर्सिंग आर्डली जिनकी प्रत्येक संख्या १०० थी नौकर रखे गये, कर्मचारियों तथा सप्लाइयों को एक जगह से दूसरी जगह शीघ्रता से पहुँचाने के लिये ३० जिलों में ट्रेलरों के साथ जीपों की व्यवस्था की गई रोगियों के ले जाने के लिये २६ एम्बुलेंसी वैन का प्रबन्ध किया गया और उस समय तक जब तक ये वैन प्राप्त न हो जांय इस उद्धेश्य के लिये सरकार के फ़ील्ड पब्लिसीटी संगठन के २० वैन उधार लिये गये। एपीडेमिक डिसीजेज एक्ट के अधीन सरकार ने प्रमाणिक नियम भी बनाये जिसके अनुसार ४० वर्ष की उम्र तक के समस्त पुरुष डाक्टरों को जब और जहाँ पर आवश्यकता पड़े संक्रामक रोगों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप हैजा के २२,७५,३०८ इन्जेक्शन वर्ष के अन्तर्गत दिये गये और यदि ये इन्जेक्शन न दिये जाते तो इस बीमारी के कारण अपेक्षाकृत अधिक पुरुषों की मृत्यु हो जाती।

प्लेग

पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्लेग से अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस वर्ष १८,१९९ मरे जबकि पिछले वर्ष प्लेग से १४,०२४ ही व्यक्ति मरे। इस बीमारी ने विशेषकर बुंदेलखंड में जहां यह कई वर्षों के बाद फिर फैली थी अगस्त के माह में बहुत ही जोर पकड़ा। शीघ्र उपाय, जैसे साइनो-गेसिंग

द्वारा चूहों को मारने के लिये प्रबन्ध किया गया, उन भवनों में जहाँ यह बीमारी थी डी० डी० टी० का स्प्रे द्वारा छिड़काव किया गया और अस्थायी रूप से स्थापित किये गये अस्पतालों में सल्फर से तैयार की गई औषधियों से रोगियों की चिकित्सा की गई। लोगों को १२,३७,७०० से अधिक इंजेक्शन दिये गये। चेचक की बीमारी अपेक्षाकृत कम फैली। पिछले वर्ष में २२,१०८ की अपेक्षा इस वर्ष केवल ६,५६८ मनुष्यों की इससे मृत्यु हुई।

चेचक

मलेरिया

मलेरिया से इस वर्ष लगभग उतनी ही मृत्यु हुई जितनी गत वर्ष में हुई थी। २१ जिलों के ऐसे क्षेत्रों में जहां यह बीमारी बहुधा पायी जाती क्वीनाक्राइन डाईहाइड्रोक्लोराइड द्वारा चिकित्सा की योजना चालू की गई और ६०,००० से अधिक टिकियाँ बांटी गईं। नैनीताल जिला के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ यह बीमारी बहुत ही प्रचलित है पालुड्राइन प्रयोग किया गया। यद्यपि इस समय प्रयोगों से कोई निश्चित परिणाम नहीं निकाला जा सकता, तोभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैपाक्राइन की अपेक्षा यह दवा मलेरिया की बीमारी रोकने में अधिक कारगर है। पूर्वीय जिलों में कालाआजार की बीमारी फैली और गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बनारस और आजमगढ़ के जिलों में इस बीमारी की चिकित्सा तथा परीक्षा के लिये २० गश्ती दवाखाने खोले गये।

कालाजार

क्षयरोग

क्षयरोग सम्बन्धी क्लीनिक ६ स्थानों पर कार्य करते रहे और लगभग ४,००० व्यक्तियों को उन्होंने सलाह दिया, बीमारियों को रोकने के लिये सरकार ने नियमित कर्मचारियों को सहायता देने के लिये योग्यता प्राप्त १८० वैद्यों और हकीमों को एपीडमिक असिस्टेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने की स्वीकृति भी दे दी। परन्तु इतने वैद्य और हकीम नहीं नियुक्त किये जा सके।

बीमारियों को रोकने के लिये आन्दोलन

भोजन और पौष्टिक पदार्थ

भोजन तथा औषधियों के १३,००० से अधिक नमूने पब्लिक एनलिस्ट के पास भेजे गये थे। इसमें से पिछले दो वर्षों में २८.३ और २५.६ प्रतिशत की अपेक्षा ३४ प्रतिशत नमूनों में मिलावट पाई गई। इन नमूनों में जो यह मिलावट पाई गई उसका प्रत्यक्ष कारण यह प्रतीत होता है कि भोजन सामग्रियों के दाम अत्यधिक बढ़ गये थे।

इस वर्ष दो सरकार से सहायता प्राप्त और एक निजी तौर पर चलाई गई दुग्ध योजनाएं लखनऊ और कानपुर नगरों में आरम्भ की गईं। लखनऊ में सहायता प्राप्त योजना के अधीन प्राईमरी स्कूलों के प्रत्येक बालक और बालिका को प्रति तीसरे दिन ८ आउंस दूध दिया जाता था जबकि निजी तौर पर चलाई गई योजना के अनुसार, जो केवल एक कन्या पाठशाला में चालू की गई थी, प्रत्येक लड़की को प्रति दिन ८ आउन्स दूध मिलता था। कानपुर में,

यह योजना लखनऊ की भांति प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिये और जच्चा तथा बच्चों के हितकारी केन्द्रों के लिये भी संयुक्त रूप में चालू थी। इस सहायता-प्राप्त योजना के अधीन केवल लखनऊ में ही सरकार को ८३,७०० रु० खर्च करने पड़े। गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं और जहां आवश्यक समझा गया पाठशाला के लड़कों में बांटने के लिए जच्चा-केन्द्रों तथा स्कूल के स्वास्थ्य पदाधिकारियों को अधिक विटामिन वाली गोलियां भी वितरित की गईं।

जच्चा और बच्चों की देख भाल

कर्मचारियों के बढ़ाये गये वेतनों तथा साज सामान के भुगतान के लिए जच्चा और बच्चा हितकारी संगठन को सरकारी अनुदान १,२४,००० रुपया और अधिक देकर २,८३,००० रुपया कर दिया गया। स्वास्थ्य निरीक्षकों के शिक्षण (Training) के लिए उम्मीदवारों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई।

मिली हुई खाद तैयार करना (Compast Making)

जुलाई १९४९ ई० को समाप्त हुए १२ महीनों के भीतर ६७ नगरों में, नगर के कूड़े करकट से लगभग ३८,४६,००० टन मिली हुई खाद तैयार की गई। जिसपर रेंडी की खली या अमोनिया सल्फेट की लागत का लगभग १/६ भाग व्यय हुआ। सरकार द्वारा नियुक्त सिवेज यूटिलाइजेशन कमेटी जिसके चेयरमैन जन स्वास्थ्य के डाइरेक्टर हैं, कृषि के उपयोग के लिए नगर के गन्दे पानी को उपयोग करने के प्रस्ताव की जांच की और इसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं,

सिवेज यूटिलाइजेशन कमेटी

इसके अतिरिक्त भोर स्वास्थ्य निरीक्षण एवं विकास समिति की सिफारिशों के अनुसार, प्रांत के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुँचाने की तथा गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए अल्पकालीन युद्धोत्तर विकास योजना के रूप में एक १५ वर्षीय योजना बनाई गई थी जिसपर १५ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया। इसको छोड़कर म्यूनिसिपैलटी द्वारा पानी की सप्लाई करने तथा गन्दे पानी की निकासी के सुधार के सम्बन्ध में ७८ निर्माण कार्य किये गयें जिनमें वृन्दावन तथा कानपुर के संक्रामक रोगों के अस्पताल और शाहजहांपुर जिला जेल में पानी पहुँचाने की योजनायें भी सम्मिलित हैं। इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ की म्यूनिसिपैलटियों में गन्दे पानी की निकासी की विकासपूर्ण व्यवस्था के लिये व्यापक योजनायें हाथ में ली गईं।

पानी की व्यवस्था करना तथा गन्दे पानी की निकासी

४२—चेचक का टीका

सामान्य

युक्त प्रान्त के ४४३ नगरों में से २६४ नगरों में चेचक का टीका लगाना अनिवार्य था। प्रान्त के शेष भाग में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, यह कार्य अनिवार्य नहीं था। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में चेचक के टीके समझा बुझा लगाये गये। फिर भी बच्चों के, जो औरों की अपेक्षा जल्दी रोग ग्रहण करते हैं चेचक का टीका लगाने पर अधिक जोर दिया गया। एक वर्ष से कम अवस्था वाले उन बच्चों की

चेचक के टीकों की संख्या

संख्या जिनके चेचक के टीके लगाये जा सकते थे लगभग १२,६८,३८० थी जिनमें से ८,६१,६४६ या ६६.३६ प्रतिशत बच्चों के टीके लगाये गये। एक वर्ष से लेकर पांच वर्ष के भीतर टीका लगाये गये बच्चों की संख्या ३,८६,२६६ थी। इसके अतिरिक्त अधिक अवस्था वालों के भी टीके लगाये गये और प्रान्त में टीका लगाये जाने वाले सभी श्रेणियों की आयुवाले-प्राणियों की कुल संख्या २०,६०,७१४ थी।

मृत्यु

रोगों के रोक-थाम के उपायों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप इस वर्ष चेचक द्वारा मृत व्यक्तियों की संख्या घटकर ५,५०८ हो गई, जबकि पिछले वर्ष २२,१२८ थी।

४३—चिकित्सा

चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभागों के सम्बन्धित विषयों पर रिपोर्ट देने के लिए इस वर्ष सरकार ने माननीय सचिव स्वशासन विभाग के सभा सचिव आत्मरामा गोबिन्द खेर, की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति के विचारणीय विषयों में से अन्य बातों के साथ साथ इन दो विभागों के एकीकरण तथा सरकारी चिकित्सा पदाधिकारियों के निजी रूप से चिकित्सा कार्य करने के अधिकार को समाप्त करने का प्रश्न भी सम्मिलित था। भारत सरकार के आदेशानुसार, प्रान्तीय सरकार के अधीन लड़ाई से लौटे हुए चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति के लिए छांटने के विषय पर कारवाई करने के लिए, एक प्रान्तीय मेडिकल सेटिलमेंट कमेटी भी स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल सरकार ने भी सिविल सर्जनों के पद के लिए आई० एम० एस० पदाधिकारियों की भरती बन्द कर दी और तदनुसार भारत सरकार को सूचना दे दी गई। पी० एम० एस० द्वतीय श्रेणी नाम की एक नवीन सर्विस का निर्माण किया गया और प्रारम्भ में लाइसेंस प्राप्त उन भूत पूर्व सैनिकों को जो सेना या सिविल पाइनियर फोर्स में किंग या वाइसराएज्ञ कमीशन पाये हुए थे, उन पदों पर भर्ती किया गया।

सर्विस

प्रान्तीय मैडीकल सर्विस द्वितीय श्रेणी

अन्त में समुचित अवधि के भीतर प्रान्तीय सबार्डिनेट मेडिकल सर्विस के स्थान पर उक्त सर्विस को प्रचलित करने का मन्तव्य है और भविष्य में इन सर्विसों की पूर्ति मेडिकल ग्रेजुएटों से की जायगी। आगरा और लखनऊ के मेडिकल कालेजों में लाइसेंस प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को दो वर्ष के अल्पकालिक पाठ्यक्रम के उपरांत एम० बी० बी० एस० डिग्री प्राप्त करने की सुविधायें दी गईं।

सरकारी नर्सिंग स्कीम (शेशुपालन योजना) और ६ जिलों में चालू कर दीं गई जिससे यह अब कुल १४ जिलों में हो गई ।

वोमैन्स मेडि-कल रीलीफ अरगनाइजेशन

फलस्वरूप इस योजना के अन्तर्गत जितनी नर्सों को ट्रेनिंग दी जा सकी थी अन्त में उनकी कुल संख्या बढ़कर ५२४ होगई किन्तु ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त प्रार्थी भर्ती न हुए । महिला डाक्टरों की कमी भी बनी रही । सरकार ने इस कमी की पूर्ति के लिए पी० एम० एस० द्वितीय श्रेणी (पुरुषों की शाखा) के समकक्ष एक प्रान्तीय मेडिकल सर्विस (महिला) तृतीय श्रेणी की व्यस्था की है । किंग जॉज मेडिकल कालेज लखनऊ में, एम० बी० बी० एस० पाठ्यकम के हेतु एक बड़ी संख्या में भरती होने के लिये महिला छात्राओं को प्रोत्साहित करने को ३० रुपया प्रति मास की तीन और छात्रवृत्तियों की, जो ५ वर्ष तक के लिए होंगी, स्वीकृति दी गई जिससे इस प्रकार की छात्रवृत्तियों की कुल संख्या ६ होगई । इसके अतिरिक्त ग्रामीण औषधालयों में नियुक्ति के लिए महिलाओं के तथा डफरिन अस्पतालों में सार्टिफिकेट प्राप्त धात्रियों की ट्रेनिंग के लिए २० रुपया प्रति मास की २० वृत्तियों के अतिरिक्त छात्राओं को दो वर्ष की अवधि के कम्पाउन्डर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिये २५ रुपये की दर से ३ वृत्तियाँ और मिडवाइफरी और कम्पाउन्डिंग में सम्मिलित-ट्रेनिंग के लिए तीन वृत्तियाँ दी गईं । इस वर्ष ६ जिलों और २३ महिला अस्पतालों का फिर प्रान्तीयकरण किया गया था, जिससे ऐसे अस्पतालों की संख्या बढ़कर क्रमशः ४६ और ४० होगई ।

अस्पतालों का प्रान्तीय करण

भवाली में किंग एडवर्ड सप्तम सेनेटोरियम का प्रान्तीयकरण तथा उसके विस्तार करने की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और तदनुसार सभा सचिव श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में एक समिति इस विषय पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई । वर्ष के समाप्त होने तक इस समिति ने रिपोर्ट नहीं दी थी ।

युद्धोत्तर योजना

सरकार के बहुत से अन्य राष्ट्र-निर्माण विभागों के साथ साथ एक युद्धोत्तर विकास कार्य क्रम बनाया गया । इसमें, कई स्थानों में अस्पतालों के लिये नये भवन बनाना, अन्य स्थानों में विद्यमान मकानों में सुधार करना, कानपुर में परिचर्या कार्य के लिए (नर्सिंग) लेडी हैलेट स्कूल की स्थापना करना, ग्रामीण क्षेत्रों में १०० और औषधालय (इस प्रकार के ५०० औषधालयों को स्थापित करने की एक बड़ी योजना के प्रथम अंश के रूप में) प्रारम्भ करना । १८० नर्सिंग अर्दलियों के लिए क्वार्टर बनाना, आगरा में एक नये मेडिकल कालेज का निर्माण करना लखनऊ, के किंग जार्जेज मेडिकल कालेज का विस्तार और एक आयुर्वेदिक तथा एक यूनानी मेडिकल कालेज का निर्मामण करना आदि कार्य सम्मिलित थे ।

निर्माण के अतिरिक्त कार्य-क्रम के अनुसार भारत तथा विदेशों में डाक्टरों तथा नर्सों को पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनिंग देने, प्रधान जिलों तथा डिवीजन के प्रधान कार्यालयों (डिविजनल हेडक्वार्टरों) में मेडिकेल ऐम्बुलेंस सर्विस प्रचलित करने, ब्रांच औषधालयों में परिचारक (नर्सिंग) अर्दलियों की नियुक्ति करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता-प्राप्त योजना के अधीन चिकित्सों को (मेडिकल-प्रैक्टिशनरों) को ठीक से काम में लगाने के लिए ८५,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी।

अनुदान

लड़ाई के लम्बे समय तक चलने के कारण राजकीय अस्पतालों में आवश्यक साज-समान निःशेष होगया। अतएव इन कमियों की पूर्ति के लिए सरकार ने भूतपूर्व सैनिक अस्पतालों के साज-समान तथा भंडार, अस्पताली कपड़े और १६० बिजली के पंखे खरीदने के लिए लगभग १६,२०,५०० रुपये के अनुदान स्वीकार किया। ये वस्तुएं राजकीय चिकित्सालयों में, जिनमें स्त्रियों के चिकित्सालय सम्मिलित हैं, उपयोग के लिए वितरित की गई। ग्रामोन्नति योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आखों के इलाज सम्बनधी सहायता के लिये भी ३४,२५० रु० की धन-राशि स्वकृित की गई यह अनुदान ७ रु० ८ आ० प्रति भोजन दिये जाने वाले रोगी और ४ रु० ८ आ० प्रति भोजन न पाने वाले रोगी के हिसाब से व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त ब्लाइन्ड रिलीफ ऐसोसियेशन, फरुखाबाद को ३००० रु० का एक विशेष अनुदान और अलीगढ़ आई हास्पिटल ट्रस्ट को १६,३६० रु० का एक दूसरा अनुदान अलीगढ़, एटा, बुलन्दशहर और मुरादाबाद जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आँख के रोगों का इलाज करने के लिये दिया गया। नैनीताल जिले की सुयाबाड़ी स्थित रूरल डेवलपमेन्ट फिक्स्ड डिस्पेन्सरी में अस्पताल में रहकर इलाज कराने वाले रोगियों के लिये चार रोगी-शय्याओं वाला एक वार्ड खोला गया।

ग्रामोन्नति

मेडिकल कालेज

लखनऊ के किंग जार्जेज मेडिकल कालेज और अस्पताल को बढ़ाने का निर्णय किया गया जिससे प्रत्येक वर्ष १०० नये छात्र उसमें प्रविष्ठ हो सकें और अस्पताल में रोगशय्याओं की संख्या बढ़ाकर १,००० कर दी जाय। इस प्रकार आगरा मेडिकल कालेज के लिये, उसे लखनऊ के मेडिकल कालेज के समक्ष बनाने के निमित्त, एक नवीन भवन बनाने की स्वकृति दी गई, नई इमारतों को बनाने का प्रस्ताव उस भूमि पर किया गया है जहां आजकल आगरा मेन्टल अस्पताल है जिसे हटाकर कहीं अन्यत्र कर दिया जायगा।

विदेशों में दी जाने वाली छात्र वृत्तियाँ

विदेशों में छात्र-वृतियां देने की भारत सरकार की योजना के अधीन आगरा मेडिकल कालेज में पैथोलाजी के प्रोफसर, पी० एन० वाही को विदेशों में अध्ययन के लिये अमेरिका तथा संयुक्त प्रान्त राष्ट्र (यूनाइटेड किंगडम)

में भेजा गया, यह व्यय भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें ५०-५० के अनुमान से उठायें गी।

विविध

आठ पैथोलौजिकल केन्द्र और ब्लड बैंक योजना साल भर क्रियाशील रहीं। मेडिकल कालेज के छात्रों को धात्रि-कर्म में शिक्षण के लिये आगरा में ३ संतति-निग्रह (ऐन्टी नेटल) तथा शिशु हितकारी केन्द्र भी जारी रहे। २ अधिक पैथोलौजिकल केन्द्रों तथा ब्लड बैंक योजना को स्थायी करने के प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहे।

चिकित्सा की देशी प्रणाली

चिकित्सा की आयुर्वेदिक तथा यूनानी प्रणालियों के सभी प्रकार का संभव प्रोत्साहन देने की अपनी नीति के अनुसार सरकार ने प्रान्त में एक आयुर्वेदिक और एक यूनानी मेडिकल कालेज प्रारम्भ करने का निर्णय किया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, बाद में ५,००,००० रु० की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त १ अक्तूबर से इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट लागू किया गया और एक स्टैटयूटरी बोर्ड जिसे विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, चिकित्सा के देशी प्रणालियों के उन्नति के लिये स्थापित किया गया। इस बीच सरकारी सहायता प्राप्त १२ कालिजों में आयुर्वैदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा दी जाती रही। जिनपर सरकार ने सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष लगभग २ लाख रुपया व्यय किया। साथ ही सरकार ने लगभग २५० देशी चिकित्सालयों को अपने व्यय से चलाया और साथ ही एक निरीक्षण-कर्मचारी मण्डलका भी खर्च इन के निरीक्षण के लिये उठाया। इस निमित्त कुल व्यय ३॥ लाख रुपया हुआ।

४४—पशु पालन

अनुसंधान

माधुरी कुण्ड की अनुसन्धान शाला (रिसर्च स्टेशन) हटाकर मथुरा लाई गई, परन्तु पशुओं के पौष्टिक भोज्य पदार्थों और पशुओं के उत्पत्ति बिषयक शास्त्र (Animal Genetic) के सम्बन्ध में अनुसन्धान का काम भरारीं जिला झांसी में जारी रहा। जांचों से यह पता चला कि पशुओं के खिलाने के लिये धान का भूसा अन्य भूसों से अधिक अच्छा होता है। प्रयोगों से यह भी पता चला कि यह दूध देने वाले पशुओं को गेहूँ का भूसा और खली खिलाने के बदले ईख का अगौड़ा खिलाया जाय तो वे अधिक दूध देते हैं। १८ मुर्रा भैसों और १८ हरियाना गायों को गेहूँ और धान के भूसों में खली इत्यादि मिला कर खिलाने यह से पता चला कि यदि मुर्रा भैसों को ७० भाग अलसी की खली और ३० भाग जौ और धान के भूसे के साथ या ५०-५० भाग यह पदार्थ गेहूँ के भूसे के साथ खिलाये जाये तो वे अपेक्षाकृत अधिक दूध देते हैं। हरी बरसीम को चरी बनाने का प्रयत्न किया गया।

पशुओं का उत्पत्ति विषयक शास्त्र

पशुओं के उत्पत्तिविष्यक शास्त्र के विभाग (Animal Genetics Section) में कृत्रिम रूप से वीर्य प्रवेश के लिये साँडों का वीर्य इकट्ठा करने और उसे सुरक्षित रखने के सबसे अच्छे उपाय का पता लगाने के लिये प्रयत्न किये गये और विभाग की ५० भैंसों और ८१ गायों को कृत्रिम ढंग से गाभिन किया गया। मेरठ जिले में बाबूगढ़ में पशुपालन तथा दुग्धशाला संचालन शिक्षणकेन्द्र स्थापित किया गया तथा मुख्यालय (Headquarters) पर एक दुग्ध शाला प्रसारक अधिकारी (Dairy Development officer) की नियुक्ति की गई।

पशु-प्रजनन का कार्य

समस्त प्रान्त भर का पशु प्रजनन का कार्य कृषि बिभाग से हटा कर पशु पालन विभाग को दे दिया गया तथा सारे प्रान्त में ३० रु० प्रति साँड़ के हिसाब साँड़ (Breeding Bull) दिये गये। वर्ष के अन्त में केवल मेरठ सर्किल में ही २०११ हरियाना, ४२७ मुर्रा, ५ साहीवाल, ४ पंवार, ५ खेरी गढ़ और थारपरकर साँड़ थे। २६ एक-एक दिन की पशु-प्रदर्शनियाँ, ६ जिला पशु प्रदर्शनियाँ तथा ६ एक-दिन की अश्व-प्रदर्शनियाँ मेरठ तथा बरेली सकिल में कराई गई और १२, ३१८ रु० इलाहाबाद, मेरठ तथा बरेली चोल (Circle) में पुरस्कार के रूप में वितरित किया गया। केवल मेरठ चोल में विभिन्न व्यक्तियों को हिसार तथा रोहतक जिले से ६१ गायें तक़ावी ऋण पर दी गई। जिला देहरादून के जौंसर-भावर परगने में पशु जाति सुधार की एक विशेष योजना चालू की गई और इस योजना के अन्तर्गत ४ लोहानी सांड़ दिये गये और २० बुशीर मेढ़े रामपुर से खरीद कर पशु प्रजनन कराने वालों को दिये गये, नर बक, सुअर और मेढ़े भी ग्राहकों को आंशिक मूल्य लेकर दिये गये। इन जानवरों की मांग बहुत बढ़ गई है। नर बक इटावा जिले से मोल लेकर ग्राहकों को दिये जाते हैं। बाबूगढ़, जिला मेरठ के पशु पालन तथा दुग्धशाला संचालन शिक्षण केन्द्र में एक छोटा सा सुअरबाड़ा भी बनाया गया।

रोगों से सुरक्षित रखने वाली औषधियां

एक औषधि तैयार करने वाले रासायनिक (Pharmaceutical Chemist) ने रिन्डर पेस्ट गोट टिशयू वाइरस की गोलियाँ बनाने का काम किया। यह गोलियाँ अच्छा काम करतीहैं। इन गोलियों से १४ महीने तक पशु रोगों से सुरक्षित रहते है। रिन्डर पेस्ट गोट टिश्यू वाईरस और हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया कम्पोजिट वैक्सीन बायोलाजिकल प्राडक्टस सेक्शन लखनऊ में तैयार किये जाते थे और इन से सारे प्रान्त की माँग पूरी की जाती थी। रिन्डरपेस्ट गोट टिश्यू वाइरस की ५६८५०० मात्रा और हेमोरेजिक सेप्टेसीमिय कम्पोजिट वैक्सीन की ३४५१०० मात्रायें तैयार की गई। दूसरे सिरम और वैक्सीन इत्यादि भी इण्डियन रिसर्च इंस्टिटयूट आइज़ट नगर से मँगाये गये और फील्ड स्टाफ को दिये गये। अल्मोड़ा जिले में पशुओं की बहुत बड़ी संख्या की यकृत रोग (लिवर फ्लूक) की चिकित्सा की

गई और पशु चिकित्सालयों और दौरों पर की जानेवाली प्रतिदिन की चिकित्सा के अतिरिक्त बेजनाथ और बाजुला क्षेत्रों में २११४ पशुओं का चिकित्सा की गई।

पशुपालन

वेटिरीनरी रिसर्च हास्पिटल में ८३०७ पशुओं की चिकित्सा की गई। जो अरबी नर घोड़ा इस अस्पताल में रक्खा जाता है उसने २८ घोड़ियों को और साहीवाल साँडों ने ४८ गायों को गमिन किया। इस अस्पताल में चिकित्सा से १८६५ रुपये ५ आने ६ पाई वसूल हुये और सरकारी खजाने में जमा किये गये।

मुर्गा मुर्गियों इत्यादि की उन्नति करना।

मुर्गा मुर्गियों इत्यादि की उन्नति करने और उनके क्रय-विक्रय की संयुक्त प्रान्तीय योजना का जो १९४५ ई० में १६ चुने हुये जिलों में चालू थी, प्रान्तीय करण किया गया और उसे बढ़ाकर इलाहाबाद, मिर्जापुर, फतेहपुर, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर के जिलों में चालू किया गया। मुर्गा मुर्गियों इत्यादि के प्रान्त से बाहर भेजने पर जो प्रतिबन्ध था उसे हटा लिया गया। मुर्गा, मुर्गियो इत्यादि की एक बड़ी प्रदर्शनी लखनऊ में की गई और तराई और भाबर इलाके में मुर्गा मुर्गियों इत्यादि की उन्नति करने की योजना चालू की गई जिस के लिये हलद्वानी में एक फार्म बनाया गया। गवर्नमेंन्ट सेन्ट्रल पोल्ट्री फार्म, दिलकुशा, लखनऊ में सैनिक और असैनिक उम्मीदवारों को मुर्गा मुर्गियों इत्यादि के काम में सदा की भाँति तीन महीने की व्यावहारिक शिक्षा दी गई।

घी का वर्गीकरण

गोंडा और उरई में घी को श्रेणी बद्ध करने की नई संस्थायें खोली गई। घी को श्रेणी बद्ध करने वाली निजी संस्थाओं की संख्या ३४ से बढ़ कर ३६ हो गई और बरेली, मुरादाबाद, गोंडा और उरई में घी का प्रदर्शन करने वाली ४ टोलियां (Units) बनाई गई। इन टोलियों ने ग्रामीण क्षेत्रों और बड़े मेलों में प्रदर्शन किये। १,४४,७५६ मन घी श्रेणी बद्ध किया गया और ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (ग्रेडिंग और मारकेटिंग) ऐक्ट के अन्तर्गत चिन्हित किया गया, और ८३,००० मन एग मार्का घी प्रान्त के बाहर भेजा गया।

दूध का बाटना

सरकारी सहायता के आधार पर नियत किये गये दरों पर स्कूलों के लड़कों को दूध देने की योजना कानपुर के लिये मंजूर की गई और इस काम के लिये थोड़ा सा अमला नियुक्त किया गया।

मांस सम्बन्धी जांच

क्रय विक्रय करने वाले अमले ने मांस के सम्बन्ध में जांच की और संयुक्त प्रान्तीय मांस सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट (U. P. Meat Survey Report) तैयार करके भारत सरकार के ऐग्रीकल्चरल मारकेटिंग एडवाइजर को दी गई।

खली योजना

सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर बुलन्दशहर और अलीगढ़ के जिलों में पशुओं के अस्पतालों को नियन्त्रित दरों पर खली देने की एक योजना चालू की गई। पशुओं का प्रजनन करने वालों ने इस योजना को बहुत पसन्द किया

और इस काम को करने वालों को १६,३०० मन से अधिक खली बेची गयी। लखनऊ, इलाहाबाद और बरेली के द्वितीय श्रेणी के तीन सुपरिनटेन्डेंटों की जगह प्रथम श्रेणी के डिप्टी डाइरेक्टर रख दिये गये जो सब एम० आर० सी० वी० एस० अफसर हैं और असिस्टेंट डाइरेक्टरों की जगहें बढ़ा कर दो से पांच कर दो गईं। एक प्रथम श्रेणी का और अफसर नियुक्त किया गया और उसे मधुरीकुण्ड के लाइव स्टाक रिसर्च स्टेशन का इन्चार्ज बना दिया गया।

४५—मत्स्य पालन

मछलियों की सप्लाई

सरकारी दुकानों द्वारा वर्ष के भीतर १८५२ मन २१ सेर मछली फौज के, और ५७६२ मन ३२ सेर मछली जनता के हाथ बेंची गई जिससे कुल ३०,७७७ रुपये का लाभ हुआ। १२ जिलों में २१२ तालाबों में अच्छी किस्म की छोटी मछलियां (फ़ींगर लिंग्स) स्टाक की गई जो खाने के योग्य जल्दी ही हो जाती हैं—छोटी-छोटी मछलियों को अधिक संख्या में स्टाक करने के लिए प्रान्त में और अधिक तालाबों की व्यवस्था की जा रही है। प्रथम वर्षा की बाढ़ के समय इन जिलों में नदियों में नस्लकशी की जगहें और अंडों तथा छोटी छोटी मछलियों को इकट्ठा करने की जगहें ढूढ़ी गई। छोटी छोटी मछलियों के बहुत से ताल चालू किये गये जहाँ बाद में तालाबों के लिये बांटने के वास्ते छोटी छोटी मछलियां जमा की गईं। इस योजना में स्थानीय सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार ने आधा धन लगाया और आधा मुनाफा लिया।

मत्स्य पालन सम्बन्धी अनुसंधान

मत्स्य पालन सम्बन्धी अनुसंधान की ओर भी ध्यान दिया गया और बादशाहबाग, लखनऊ में पुराने वेटेरिनरी दफ्तर में एक फिशरीज रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित करके इसका प्रारम्भ किया गया। इसमें केमिकल बयालाजिकल और स्टैटिस्टिकल विभाग इस उद्देश्य से खोले गये ताकि यह मालूम हो सके कि नदियों की मछलियों की सप्लाई में कितनी बढ़ती हुई है और तालाबों में मछलियां स्टाक करने के सम्बन्ध में जो समस्यायें हैं जैसे मछलियों की बीमारियां उनकी मृत्यु, उनका नदियों में बह जाना इत्यादि ठीक तरह मालूम हो सके विशेष मछलियों का एक अजायब घर भी खोला गया जिसमें २०० किस्म की मछलियां थीं।

मछलियों का अजायबघर

अध्याय ७

शिक्षा तथा कलायें

४६—शिक्षा

बेसिक शिक्षा

इस विभाग का काम हर दिशा में बढ़ा। ७ बालकों के और ६ बालिकाओं के बेसिक एज्युकेशन रिफ्रेशर कोर्स सेन्टर्स ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का

प्रत्यास्मरण (Refreshing) कराने का कार्य जारी रक्खा, १४६,२६३ रु० की आवर्ती और १,१६,४०० रु० की अनावर्ती लागत से ६ सौ और बेसिक प्राइमरी स्कूल—४०० लड़कों के लिये और २०० लड़कियों के लिए खोले गये, बेसिक सेन्टर इलाहाबाद की कुंभकारी कक्षा को १२००० रु० की अनावर्ती रकम देकर व्यापारिक रूप दे दिया गया।

लड़कियों की शिक्षा

फर्रुखाबाद, बांदा, गाजीपुर और गढ़वाल जिलों के लिए १ सितम्बर १९४६ ई० से कन्या पाठशालाओं की असिस्टेंट इस्पेक्ट्रेस की चार नई जगाहें बनाई गई, लड़कों और लडकियों की हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल परीक्षाओं के मिला दिये जाने के फलस्वरूप, लड़कियों के हिन्दुस्तानी लोअर मिडिल स्कूलों में सातवीं कक्षा खोलने के लिए सरकार ने डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्डों को १,५४,५६३ रु० की आवर्ती और २,५६,३१३ रु० की अनावर्ती वार्षिक अनुदान दिये। जुलाई १९४६ ई० में लड़कियों के लिए आलमोड़ा में एक सरकारी हाई स्कूल खोला गया और पिथौरागढ़, पौड़ी (गढ़वाल), मोवाना (मेरठ) और उन्नाव में चार ऐंग्लो-हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल खोले गये। महिलाओं के लिए लखनऊ और इलाहाबाद में दो ट्रेनिंग कालेज खोले गये। गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस में लडकियों के लिए एक पृथक परीक्षा (ज्ञान प्रभा) प्रारम्भ की गई।

फिजिकल ट्रेनिंग

गवर्नमेंट कालेज आफ फिजिकल एज्यूकेशन, इलाहाबाद की स्थिति ठीक की गई। जुलाई १९४६ ई० में विद्यार्थियों का दूसरा बैच भरती किया गया। फिजिकल ट्रेनिंग कालेज लखनऊ में सहायता प्राप्त संथाओं के आध्यापको में स्फूर्ति लाने वाले व्यायाम सिखाये जाते रहे। कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर की कार्यवहियों के लिए ६७,००० रु० की व्यस्था की गई।

प्रौढ़ शिक्षा

शिक्षा प्रसार विभाग ने १३४२ सरकारी और २६३ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल चलाये। इन संस्थाओं में कुल ४०५६७ विद्यार्थी थे। इन संस्थाओं में वर्ष के भीतर ६४०११५ प्रौढ़ों ने शिक्षा पाई। इन लोगों का शिक्षा ज्ञान बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग में १०४० पुस्तकालय चलाये जिस में ४० पुस्कालय माहिलाओं के लिए थे। सरकारी बाचनालयों में जाने वालों की संख्या १५ लाख पहुची सेना से लौटे हुये व्यक्तियों को रोमन लिपि में शिक्षा देने का जो प्रयोग १९ प्रौढ़ पाठशालाओं में शुरू किया गया था वह तोड़ दिया गया क्योंकि यह अधिक सफल सिद्ध न हुआ। प्राविनशियल एडल्ट एज्यूकेशन कमेटी का ३ वर्ष के लिए पुनः स्थापन किया गया।

दलित जातियों की शिक्षा

गत वर्ष दलित जातियों की शिक्षा पर सरकार ने ५·६ लाख रुपये खर्च किये थे और इस वर्ष ६·५२ लाख रुपये खर्च किये। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय मदें ये हैं (१) इलाहाबाद के हरिजन आश्रम के आवर्ति अनुदान में

५००० रु० की वृद्धि की गई और (२) मुसलमानों में पिछड़ी हुई जातियों की मोमिन जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा सुविधाओं के लिए १०,००० रु० दिये गये। प्रान्तीय परिगणित जाति शिक्षा समिमि (Provincial Scheduled Caste (Education Committee) की ३ वर्ष के लिए पुनः स्थापना की गई और दलित जातियों के सुपरवाइजरों के लिए इलाहाबाद में एक रिफ्रेशर्स कोर्स की व्यवस्था की गई जिसमें से ४८ व्यक्ति सरकारी नौकर थे और २६ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नौकरी में थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नौकरी के इन २६ सुपरवाइजरों की जगहों का प्रान्तीयकरण भी कर दिया गया।

दलित जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के अतिरिक्त, उस साधारण अवस्था के सुधार का कार्य भी, जिसके लिए बजट में ६४,१०० रु० की व्यवस्था थी, शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया।

अध्यापकों की ट्रेनिंग

अंग्रेजी स्कूलों की संख्या बढ़ जाने से यह जरूरी समझा गया कि अच्छी पढ़ाई और देख रेख के लिए इन स्कूलों में ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारी रखे जायँ। किन्तु वर्तमान ट्रेनिंग कालेजों से निकले हुये अध्यापकों की संख्या इन संस्थाओं की आवश्यकता के लिए पर्याप्त न थी। इसलिए बनारस में पुरुषों के लिए एक सरकारी ट्रेनिंग कालेज खोला गया। संयुक्त प्रान्त के विद्यार्थियों के लिए ६० जगहें सुरक्षित रखने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टीचर्स ट्रेनिंग कालेज को १३,००० रुपये की एक रख रखाव (Maintenance) की अनुदान दी गई। माडल स्कूलों के साथ लड़कों के लिये दस नये नार्मल स्कूल खोले गये और ३.४ लाख रुपये आवर्ति तथा १.५ लाख रुपये अनावर्ति धनराशि के कुल व्यय की सहायता से वर्तमान सात गवर्नमेंट सेण्ट्रल स्कूलों और सात बेसिक एज्यूकेशन रिफ्रेशर कोर्स सेण्टरों को नार्मल स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार गत वर्ष में नार्मल स्कूलों की संख्या ९ से बढ़कर ३३ हो गई।

अन्य कार्य विश्व विद्यालय, प्राइमरी (प्राथमिक) और सेकेंडरी (माध्यमिक) शिक्षा की पुनर्व्यवस्थापक समिति

गत कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने (१) यूनीवर्सिटी रिआरगेनाइजेशन कमेटी और (२) प्राइमरी तथा सेकण्डरी एज्यूकेशन रिआरगेनाइजेशन कमेटी नियुक्त की थी। सरकार ने १९३९ ई० में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की पुनर्व्यवस्थथा समिति (Primary and Secondary Education Reorganisation Committee) की उन सिफारसों को स्वीकार कर लिया था जिनका सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी एज्यूकेशन) से था और ऐडवाइजरी बोर्ड द्वारा १९४६ ई० तक उन्हें काम में लाया गया। किन्तु विश्व विद्यालय पुनर्व्यवस्थापक कमेटी (University Re-organisation Committee) और माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी पुनर्व्यवस्थापक समित(Secondary Re-organisation

Committee) की शिफारशों को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है। युक्त प्रान्तीय एजुकेशन सर्विस प्रथम श्रेणी (United Provinces Educational Service Class I) के दो पदाधिकारियों को वर्त्तमान सरकार ने उन दोनों समितियों की रिपोर्टों की जाँच करने के लिये विशेष कर्त्तव्य (Special duty) में लगाया जिससे कि वे देखें कि किन सिफारशों को कार्यान्वित किया जा सकता है। ये रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री भगवानदास के सभापतित्व में गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस की पुनः संगठन समिति (Reorganisation Committee) की रिपोर्ट की जांच संस्कृत कालेज में शिक्षा और परीक्षा सम्बन्धी-सुधारों का कार्यान्वित करने के लिये की गई। साथ ही साथ फारसी और अरबी के अध्ययन के पुन संगठन के सम्बन्ध में सम्मति देने के लिये मौलाना अब्दुल कलाम अजाद के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई और सरकारी सहायता प्राप्त एंगलों हिन्दुस्तानी संस्थाओ के अधिक अच्छे प्रबन्ध के साधनों के विषय में सम्मति देने के लिये एक दूसरी समिति श्री रघुकुल तिलक के सभापतित्व में स्थापित की गई। डमी राइफलों और लकड़ी की बन्दूकों द्वारा सेना के ड्रिल (कवायद) सम्बन्धी प्रतिबन्ध को हटा लिया गया और हिन्दुस्तानी तथा एंग्लो-हिन्दुस्तानी संस्थाओं में सेवा करने वाले उन अध्यापकों के फिर से नौकर होने या नौकरी को जारी रखने का प्रतिबन्ध भी हटा लिया गया जो १६४२ के अन्दोलन में भाग लेने के कारण निकाल दिये गये थे या दण्डित किये गये थे। हिन्दुस्तानी स्कूलों में सेवा करने वाले अध्यापकों के वेतनों के अवशिष्ट भी चुकाए गए। राजनीतिक आधार पर स्कूलों और कालिजों में विद्यार्थियों का भर्ती सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी हटा लिया गया।

सरकारी संस्कृत कालेज की पुनर्संगठन समिति (गवर्नमेंट संस्कृत कालेज रिआर्गनाइजेशन कमेटी)

फारसी और अरबी अध्ययन की पुनर्संगठन समिति

सेना सम्बन्धी व्यायाम इत्यादि पर प्रतिबन्ध

प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसपल बोर्डों के अन्तगत हिन्दुस्तानी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों का भी संशोधन कर दिया गया और यह निश्चय हुआ कि इन संस्थाओं के अन्तर्गत काम करने वाले शिक्षित (Trained) अध्यापकों को १७ और १६ रुपये प्रति मास वेतन की अपेक्षा जो उन्हें उस समय मिल रहा था, कम से कम २५ रुपये प्रति मास वेतन दिया जायगा। अन्य शिक्षित (Trained) अध्यापकों के मूल वेतन में ५ रुपये मासिक की वृद्धि की गई जिन्हें प्रति मास २० रुपये या कुछ अधिक मिलता था। आज्ञा-प्राप्त एंग्लो-हिन्दुस्तानी संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों की महंगाई भत्ता देने की सबसे बड़ी मांग थी। परन्तु प्रान्तीय सरकार समस्त अध्यापकों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी इसलिये यह निश्चय किया गया कि इन समस्त संस्थाओं के लिए प्रान्तीय आगम से एक विशेष अनुदान प्रदान किया जाय जिससे उन

हिन्दुस्तानी स्कूलों में वेतन की दर

महंगाई का भत्ता

समाज सेवा शिक्षण योजना

अध्यापकों को जिन्हें ५० रुपये या कुछ कम मासिक वेतन मिलता है, ५ रुपये प्रति मास की दर से मंहगाई भत्ता दिया जाय परन्तु शर्त यह भी थी कि सम्बद्ध संस्थाएं अपने निजी साधनों से उतनी ही धनराशि का दान दें। सरकार ने स्नातकों को सामाजिक सेवा में शिक्षण देने की योजना को अपनाने का भी निश्चय किया जिसके अधीन शिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी।

अंग्रेजी शिक्षा की माँग

इस प्रान्त में विशेष कर गाँवों में अंग्रेजी शिक्षा की बड़ी माँग थी, अतः अंग्रेजी पढ़ाने वाले स्कूलों की संख्या काफी बढ़ गई, इसी वर्ष ३४ लड़कों के और १२ लड़कियों के ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूल और नैनीताल तथा लैंसडाउन में सरकारी इन्टरमीजिएट कालेज खोले गये। व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले इन्टरमीजिएट कालेजों और आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री कालेजों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्राइमरी स्कूलों में जगह की कमी और विद्यार्थियों की संख्या वृद्धि के कारण २३४ लाख रुपये की आवर्ति लागत के साथ शिफ्ट सिस्टम प्रारम्भ किया गया। लड़कों की अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा जो बनारस म्यूनिसिपैलटी के चौक वार्ड में लागू थी १ अक्टूबर १९४६ ई० से शेष ७ वोर्डों में भी डबल शिफ्ट सिस्टम पर ८,९५८ रु० अवर्ति और १६,७४५ रु० अनावर्ति वार्षिक लागत के साथ चालू कर दी गई। प्रान्त में ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा प्रारम्भ करने के विचार से विभाग ने प्राइमरी शिक्षा सम्बन्धी और सुविधायें देने की योजना भी चलाई। इस योजना के अनुसार अगले १० वर्ष में १००० की आबादी वाले प्रति गांव में स्कूल के हिसाब से ४३,००० नये प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे। लक्ष्य इतने स्कूलों का है किन्तु शुरू में २ गावों के लिए एक स्कूल खोलने का विचार किया गया इस प्रकार खोले जाने वाले स्कूलों की संख्या २२००० या २२०० प्रति वर्ष रह गई। इस योजना सम्बन्धी विभिन्न विवरणों को कार्यान्वित करने के लिए डाइरेक्टर शिक्षा विभाग के हेडक्वार्टर्स इलाहाबाद में एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त करने का निश्चय किया गया। यह भी निश्चय किया गया कि हर जिले में एक चुनाव समिति (Selection Committee) नियुक्त की जाय जिसका प्रेसीडेण्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो और स्थानीय एम० एल० ए० और एम० एल० सी० उसके सदस्य हों। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और उसकी एज्युकेशन कमेटी के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर, हेल्थ और डिप्टी इन्सपेक्टर स्कूल्स भी सदस्य रहेंगे। इस कमेटी का काम स्कूलों के लिए जगह चुनने का होगा। स्कूल खोलने के मामले में उन गांवों को वरिष्ठता दी जायगी जो इमारत बनाने के लिए मुफ्त जमीनें देंगे, मुफ्त काम करेंगे और किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देंगे।

४७—१९४६ ई० साहित्यिक प्रकाशन

पुस्तकें और पत्रिकायें मिला कर २६३४ प्रकाशन हुये। इसमें १३०५ पुस्तकें और १३२९ पत्रिकायें प्रकाशित हुई। ३५६ कविता की पुस्तकें प्रकाशित हुई। यह संख्या सब से अधिक थी उसके बाद उपन्यासों की संख्या २९४ रही और युद्ध तथा उद्योग सम्बन्धी प्रकाशन सब से कम रहे। प्रत्येक के दो दो प्रकाशन निकले।

वंशज ज्ञान सम्बन्धी विद्या (Anthropology) पुरातत्व विज्ञान (Archaeology), इंजीनियरिंग (Engineering) समाज शास्त्र (Sociology) और यात्रायें प्रान्त के साहित्य परिवर्तन में बिलकुल असफल रहीं। हिन्दी में प्रकाशनों की सबसे अधिक संख्या ९१४ थी, द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी में १२६, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों में उर्दू और संस्कृत प्रकाशन क्रमशः, ७१ और ४२ थे।

४८—कला और विज्ञान

(३१ मार्च, १९४३ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए)

प्रान्तीय अजायबघर (म्यूजियम) के विभिन्न विभागों के लिए नीचे लिखी हुई कई चीजें प्राप्त की गई। (प्रान्तीय म्यूजियम लखनऊ)

			रुपया
पुरातत्व विज्ञान	...	...	९६
मुद्रा सम्बन्धी विज्ञान	...	...	२६८
प्राकृतिक इतिहास	...	...	१
मानवजाति उत्पत्ति विज्ञान (Ethnography)		...	५
चित्रशाला	...	...	१२
		योग	३८२

पुरातत्व (Archaeological) विभाग के लिए प्राप्त की गई ९६ वस्तुओं में से पत्थर काटकर बनी हुई वस्तुएं (Sculptures) पका हुई मिट्टी और प्लास्टर की ढली हुई मूर्तियां भी सम्मिलित हैं। सारनाथ के अजायबघर के संगृहीत वस्तुओं के अतिरिक्त भाग में से छांटी गई। चार पुरातन वस्तुएं जिनमें से दो सुन्दर फ्रीज (Frieze) पत्थर जिनके साथ एक नक्काशी दार ईंट जिसपर घुटनों

के बल बैठी हुई स्त्री का चित्र बना हुआ है डाइरेक्टर जनरल आफ आरचेये-लाजी, इण्डिया, से भेंट स्वरूप प्राप्त हुई

इस वर्ष म्यूज़ियम कैबिनट को २६८ सिक्के प्राप्त हुए जिनमें ७ सोने के, १४२ चाँदी के, ४ सोने चांदी (Bullion) के, १०६ तांबे के और ४ सीसा के हैं। स्वर्ण मुद्राओं में सबसे अच्छा सिक्का आलमगीर द्वितीय के समय का है। यह नजीबाबाद की टकसाल से जारी किया गया। चांदी के सिक्कों में विशेष उल्लेखनीय यह है कि १३० चिन्हित सिक्के प्राचीन चिन्हों की विभिन्नता को सूचित करते हैं। प्राकृतिक इतिहास विभाग में भीमताल राज्य के श्री ई० जोन्स द्वारा भेंट किया गया मढ़ा हुआ सुअर का एक सिर प्रदर्शन के लिए रक्खा गया। एथनोग्राफी (Ethnography) विभाग सब से सुन्दर नमूना महायान बुद्धिष्ट गोलोकनाथ की तांबे की मूर्ति है। यह ईसा सम्बत् १८ शताब्दी की है और नैपाल निवासियों की सुन्दर कला का आदर्श है। चित्रशाला में सबसे अच्छा चित्र है जिसमें राधा किसी दूती से श्री कृष्ण का प्रेम संदेश सुनती हुई दिखाई गई।

आर्कियोलाजिकल म्यूजियम (पुरातत्व अजायबघर) मथुरा

६७२४ रुपया का स्वीकृत अनुदान था। अजायबघर (म्यूज़ियम) प्रकाशनों से ५० रु० ८ आने की आय हुई। वर्ष की अवधि में ७५ सिक्कों को अजायबघर (म्यूजियम) में संग्रहीत किया गया और मथुरा कला का विशेष रूप से उल्लेखनीय और अच्छा नमूना स्थापित किया गया। वर्ष भर में म्यूजियम के सिक्कों की कैबिनट में ६५ सिक्के और इकट्ठे किए गए।

पब्लिक लाइब्रेरी

(क) इलाहाबाद—वर्ष के अन्त में पुस्तकालय में ५१,०६२ पुस्तकें थीं। ६१० पुस्तकें वर्ष के मध्य में और बढ़ाई गईं जिनमें से ४७१ पुस्तकालय द्वारा मोल ली गईं और शेष भेंट में मिलीं।

(ख) लखनऊ पुस्तकालय में संख्या ३४,६१८ पुस्तकों की सामान्य है। वर्ष के मध्य में ३६८६ रु० के व्यय से ८८२ पुस्तकें मोल ली गईं और ५३ पुस्तकें भेंट में मिलीं; कुल १०८५ पुस्तकें बढ़ीं।

४६—सूचना संबन्धी प्रचार

कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात तुरन्त ही सूचना विभाग के पुनर्संगठन के प्रश्न पर विचार किया गया और नवम्बर के महीने में सूचना विभाग के एक डाइरेक्टरेट का निर्माण किया गया। निम्नलिखित अफसर नियुक्त किये गये। डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, अंग्रेजी के आफिसर इनचार्ज, हिन्दी और उर्दू पत्रकारों के उपविभाग का निर्माण

टेक्निकल अफ़सर, रूरल पब्लिसिटी आफ़िसर और ज़िलों में प्रचार करने के लिये २५ फ़ील्ड पब्लिसिटी आफ़िसर।

जिला मोबाइल यूनिटों की योजना

भारत सरकार ने युक्त प्रान्तीय सरकार को यह सुचित किया कि वह क्षेत्र प्रचार योजना (Field Publicity Scheme) के लिये आर्थिक सहायता पहली मई से बन्द कर देगी। इसके फलस्वरूप यह निश्चय किया गया कि इस योजना को बिलकुल तोड़ देने के बजाय इसको ज़िला मोबाइल यूनिटों की योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय जो आरम्भ में प्रान्त के १६ महत्वपूर्ण ज़िलों में चालू की जाय। यह नवीन योजना मार्च में चालू की गई और इस योजना के अंतर्गत विशेषरूप से अन्न-संग्रह आन्दोलन (Food Procurement Drive) के सम्बन्ध में उपयोगी प्रचार-कार्य किया गया। क्षेत्रों में प्रचार करने के लिये उन्नीस मोटर गाड़ियां डाइरेक्टर, पब्लिक हेल्थ को दी गई थीं जिससे वह छूत की बीमारियों को रोकथाम कर सकें। अप्रैल के महीने में यह मोटर गाड़ियाँ उनको दी गई थीं जो उनके पास वर्ष के अन्त तक रहीं।

अब तक हिन्दी, उर्दू और अंग्रेज़ी में जो रिसाले निकलते थे वह महीने में एक बार निकलते थे। अब यह रिसाले पन्द्रहवें दिन निकाले जाने लगे और इनकी बारह हज़ार प्रतियाँ प्रान्त भर में बांटी जाने लगीं। गर्मी के दिनों में अन्न संग्रह अंदोलन जारी किया गया। साथ ही साथ उर्दू और हिन्दी के बड़े बड़े समाचार पत्रों के विशेष अङ्क निकालने के लिये सहायता भी दी गई। शिक्षा विभाग, ग्राम सुधार विभाग और कांग्रेस और मुसलिम लीग के वाचनालयों में यह विशेष अंक भी भेजे गये। माननीय प्रधान सचिव ने इस सिलसिले में जो अपील की थी और दूसरे बड़े नेताओं ने जो संदेस दिये थे वह लीफ़लेट के रूप में छपाकर बांटे गये। एक लीफ़लेट जिसमें गांधी जी और मिस्टर जिन्ना की तस्वीरें थीं और जिसमें उनकी यह अपीलें भी छपी थी जो उन्हों ने शिमले से सरकार के हाथ अन्न बेचने के लिये की थीं, उर्दू और हिन्दी में लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में हवाई जहाज द्वारा बांटे गये थे।

साम्प्रदायिक एकता आन्दोलन

इस सम्बन्ध में हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की और विशेष रूप से पं० जवाहरलाल नेहरू की अपील प्रकाशित कराई गई और लाखों की संख्या में बांटी गई। हिन्दी और उर्दू के बीस बड़े बड़े समाचार पत्रों ने अपने अपने सम्प्रादायिक एकता के अंक निकाले और सरकार ने इनकी ५५,००० प्रतियां मुफ्त बांटने के लिये खरीदीं। इस लिये एक मुशायरा और उर्दू पत्रकारों का एक सम्मेलन भी किया गया था। मेरठ में साम्प्रदायिक झगड़े के सिलसिले में जिन विभिन्न जातियों ने शान्ति बनाये रखने के लिये भाग लिया था उनका

विवरण भी दिया गया था और तस्वीरें भी छापी गई थीं। बड़े बड़े पोस्टर भी प्रान्त भर में बांटे गये थे जिनका उद्देश्य सम्प्रदायिक एकता बनाये रखनो, चोर बाजारी का अन्त करना और अनाज को नष्ट होने से बचाना था।

सूचना सम्बन्धी फिल्म

चूंकि भारत सरकार ने सूचना सम्बधी फिल्म बनाना बन्द कर दिया था इसलिये ऐसे फिल्मों को प्रान्त में तैयार करने का प्रबन्ध किया गया। मजदूरों के हित के लिये एक फिल्म नवम्बर में तैयार की गई और कई श्रमिक कल्याण केन्द्रों में दिखाई गई। इलहाबाद के माघ मेले की भी एक फिल्म तैयार की गई था और विधान परिषद की भी तस्वीरें दिखाई गई थीं।

सम्पादकों की कान्फरेन्स

अंग्रेजी, उर्दू और हिन्दी के समाचारपत्रों के संपादकों की एक कान्फ्रेन्स नवम्बर में की गई जिससे वह अपने समाचार पत्रों के द्वारा साम्प्रदायिक एकता को बनाये रहें। सारे संपादकों ने यह निश्चय किया कि वे अपने समाचार पत्रों में कोई ऐसी बात प्रकाशित न करेंगे जिससे साम्प्रदायिक तनातनी बढ़े। यह कान्फ्रेन्स बहुत सफल हुई।

प्रेस परामर्श समिति

पिछली बार की तरह इस बार भी कान्ग्रेस सरकार के आने पर प्रेस परामर्श समिति बन गई। इसका उद्देश्य यह था कि सरकार समय समय पर प्रेस से परामर्श कर सके, उन्हे सही खबरें छापने का आदेश दे सकें और समाचार पत्रों के कर्त्तव्यों का पालन ठीक ठीक कराने में सहायता दे सकें और साथ ही साथ सरकार को यह सहायता दे सकें कि वह प्रेस के सम्बन्ध में जो समस्यायें हों उनको ठीक ठीक सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। इस समिति की वर्ष में दो बैठकें हुई।

अध्याय ८—विविध

५० इसाई धर्म सम्बन्धी

युद्ध के दिनों में नये पादरी नियुक्त नहीं किये गये।

५१ बिजली

पावर इलेक्ट्रीसिटी

प्रान्त के ११२ नगरों में बिजली की शक्ति पूर्ववत् पहुचाई गई। ४१ बिजली घरों ने काम जारी रक्खा जिनमें से २४ ने अपनी बिजली स्वयं पैदा किया और १७ बिजली की कम्पनियों ने ६१ हाइडिल ग्रिड से लेकर अधिकतर बिजली पहुँचाई। प्रान्त के उत्तरी और पश्चिमी भागों में हाइडिल ग्रिड ही से लेकर बिजली पहुंचाई गई। प्रान्त में १७६ बिजली के लाइसेंसदार ठेकेदार, ४४ सुपरवाइजर और १४७ लाइसेंस प्राप्त वर्कमेन थे। वर्ष भर में बिजली की ४२ घटनायें हुई।

युद्ध समाप्त होने के बाद ही बहुत से लोगों ने बिजली लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया। उनकी मांग पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि बिजली बहुत कम थी।

५२ टामसन कालेज आफ इंजिनियरिंग, रुड़की

जून १९४६ ई० के कालेज की दाखिले की परीक्षा में ६३४ विद्यार्थी सिविल इंजिनियरिंग की कक्षा में और ६२७ विद्यार्थी ओवरसियर की कक्षा में दाखिल होने के लिये सम्मिलित हुये जिनमें से केवल ६२ इंजिनियरिंग की कक्षा और ८२ ओवरसियर की कक्षा में दाखिल किये गये।

स्थायी नियुक्तियां

४३ सिविल इंजिनियरों, ७० ओवरसियरों और २ ड्राफ्टमैनों ने फाइनल परीक्षा पास की। इंजिनियर और ओवरसियर कक्षाओं के अधिकतर विद्यार्थी व्यावहारिक ट्रेनिंग के लिये नियुक्त किये गये और ड्राफ्टसमेन कक्षाओं के विद्यार्थी ड्राफ्टमैन की हैसियत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न उपविभागों में नियुक्त किये गये।

पर्य्यालोचना वाले वर्ष में १६ जून १९४६ ई०, से प्रिंसिपल को विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया और कालेज का नियंत्रण भी पहिली अप्रैल १९४५ ई० से शिक्षा विभाग से संयुक्त प्रान्तीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया गया।

पुनः संगठन

कालेज को फिर से संगठित करने के लिये सरकार ने प्रोफेसर सी० एल० फोर्टसक्यू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त किया जिसने अपनी रिपोर्ट फ़रवरी के आरंभ में प्रस्तुत की। सरकार ने आम तौर पर इसकी सिफ़ारिशों को मंजूर किया और निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये।

(१) कालेज का नाम "टामसन कालेज आफ सिविल इंजिनियरिंग "से बदल कर टामसन कालेज इंजियनियरिंग रुड़की" रक्खा गया।

(२) इलेक्ट्रिकल और मिकेनिकल इंजिनियरिंग का पाठ्यक्रम १५ अक्टूबर १९४६ ई० से आरंभ किया गया।

(३) कालेज में ड्राफ्टसमेन की कक्षाओं को ओवरसियर की कक्षाओं से सम्मिलित कर दिया गया।

(४) कालेज में अन्य प्रान्तों के उमीदवारों को भी भर्ती होने की स्वीकृति दी गई परन्तु प्रतिबन्ध केवल यह था कि ऐसे उम्मीदवार सिविल इंजिनियरिंग की कक्षा में ३, मिकेनिकल इंजिनियरिंग कक्षा में २ और इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग कक्षा में २ भर्ती हो सकते थे।

कमेटी की अन्य सिफ़ारिशों को धीरे धीरे कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्त्री विद्यार्थी

कालेज के इतिहास में इंजिनियरिंग की कक्षाओं में स्त्रियों के भर्ती होने की स्वीकृति सरकार ने पहली बार दिया।

५३—मुद्रण तथा लेखन सामग्री

विस्तार

कांग्रेस मंत्रिमंडल के आते ही समस्त सरकारी विभागों में काम इतना बढ़ गया कि सरकारी प्रेसों के अतिरिक्त निजी प्रेसों के लिये भी छपाई का कार्य करना असंभव हो गया। इस समय सरकार गवर्नमेंट प्रेस को विस्तृत करने और उसमें ऐसी मशीनों को लगाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है जिससे मजदूरों की अवश्यकता अधिक न हो। कागज की खपत ६०० टन प्रतिवर्ष से बढ़कर १,५०० टन से अधिक हो गई।

कागज की खपत

पुनः संगठन

प्रेस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये गवर्नमेंट प्रेस कार्यालय को पुनः संगठित किया गया।

गवर्नमेंट प्रेस इनक्वायरी कमेटी

मुद्रणालयों के कर्मचारियों ने हड़तालें की परन्तु सरकारी मुद्रणालयों के कर्मचारी शान्त और नियन्त्रित रहे। कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में सरकार को कई प्रार्थनापत्र दिये और सरकार ने कर्मचारियों की कठिनाइयों पर विचार करने के लिये गवर्नमेंट प्रेस इनक्वायरी कमेटी नियुक्त किया।

५४—अर्थ तथा संख्या विभाग

मूल्य तथा रहन सहन का व्यय

कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी वस्तुओं के फुटकर मूल्यों को विभाग एकत्रित करता रहा। इस सम्बन्ध में मासिक आंकड़े तैयार किए गए। सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन के खर्च के आंकड़े प्रान्त के नौ मुख्य नगरों के सम्बन्ध में तैयार किये गये। अन्न सम्बन्धी आंकड़े भी तैयार किये गये और उनका विश्लेषण किया गया। फल तथा तरकारियों, पशुधन और अन्न उत्पादन के आंकड़े भी एकत्रित किये गये।

अन्न आंकड़े

कृषि सम्बन्धी बाजारों के सम्बन्ध में भी आंकड़े के इन्सपेक्टर द्वारा जांच की गई।

औद्योगिक आंकड़े

औद्योगिक आंकड़ों के ऐक्ट १९४२ ई० को प्रान्त में वर्ष के आरम्भ से ही लागू किया गया और इस ऐक्ट के अधीन कार्य करने वाले कारखानों को निर्धारित फार्म में विवरण-पत्र प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई।

(३) ग्रामीण वर्गों के आहार तथा भोजन सम्बन्धी व्यय।

(४) मध्यम श्रेणी के कुछ व्यवसायियों अर्थात डाक्टरों, वकीलों तथा अध्यापकों का परिवारिक बजट।

(५) बनारस, मिर्जापुर, फीरोजाबाद, मुरादाबाद और सहारनपुर के घरेलू औद्योगिक श्रमिकों के परिवारिक बजट।

युद्धोत्तर कार्य योजना

विभाग की युद्धोत्तर योजना फिर से एक नवीन आधार पर संशोधित की गई और तब तक के लिये निश्चित किया गया कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये तीन छात्र वृत्तियां दी जायँ।

(१) राष्ट्रीय आय के अनुमान के सिद्धान्त तथा व्यवहार।

(२) आंकड़ों की सामान्य उन्नत सिद्धान्त।

(३) सामाजिक इनश्योरेन्स।

आंकड़े सम्बन्धी नियम

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा एक रुई (आंकड़ा) ऐक्ट बनाया गया था। इस ऐक्ट का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष में रुई के स्टाक के आंकड़े प्राप्त करना था।

बुलेटिन

विभाग ने इस वर्ष दो बुलेटिन अर्थात् (१) संयुक्त प्रांत में जन संख्या, उत्पादन, तथा भोजन तथा खाद्यान्न की खपत, लेखक श्री जे० के० पांडे (२) संयुक्त प्रांत में खाद्यान्नों की राशनिंग, लेखक श्री एस. के. रुद्रा, को प्रकाशित किया। एक तीसरा बुलेटिन छप रहा है। यह निश्चित किया गया था कि इसी प्रकार के विभागीय पत्रिकायें भी प्रकाशित की जायें।

प्रान्तीय अर्थ सम्बन्धी परामर्श दात्री समिति

इस वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रान्तीय अर्थ सम्बन्धी परामर्श दात्री समिति और अनुसंधान सम्बन्धी परामर्श दात्री समिति की बैठक हुई। उनका कार्यकाल मई में समाप्त हो गया और एक नई समिति के बनाने की कार्रवाई की गई।

PSUP, PO. No. 1385—163 Copies.